F-C

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 27 मई, 1998/6 ज्येष्ठ, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
...

पृष्ठ/कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(IV)	नीचे से 2	चिन्नास्वामी, श्री पी॰के॰	चिन्नास्वामी, श्री पी॰के॰
(VIII)	22	मान, श्री जोश सिंह	मान, श्री जोरा सिंह
(VIII)	नीचे से 6	मिश्र, श्री जर्नादन प्रसाद	मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद
(VIII)	16	मेनसिंकाई, श्री बी॰स॰	मेनसिंकाई, श्री बी॰एम॰
(IX)	20	रेड्डी, श्री मगून्टा श्रीनिवासुलू	रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलू
(XI)	21	स्वाई, श्री खारवेल	स्वाई, श्री खारबेल
(XI)	22	स्वामी, डॉ॰ सुब्रहण्यम	स्वामी, डॉ॰ सुब्रहमण्यम
53	[illegible]	[illegible]	

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 1, बुधवार, 27 मई, 1998/6 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	(iii)-(xi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xiii)
मंत्रिपरिषद	(xv)-(xvi)
राष्ट्रगान - *धुन बजाई गई*	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	3-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 4 और 6 से 20	27-62
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 24, 26, 28 से 44, 46 से 116, 118, 119, 121, 122, 124 से 176 और 178 से 182	62-332
सभा पटल पर रखे गए पत्र	335-341
सभापति तालिका के लिए सदस्यों का नाम-निर्देशन	343
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण	350-353
भारत की आणविक नीति के विकास के बारे में विवरण	354-362
समितियों के लिये निर्वाचन	362-363
लॉटरी (विनियमन) विधेयक - *पुरःस्थापित*	363-365
लॉटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 के बारे में विवरण	365-366

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	366-423, 426-438
हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	367-374
श्री के. नटवर सिंह	374-381
श्री लालू प्रसाद	382-387
श्री जगमोहन	387-399
श्री चन्द्रशेखर	399-405
श्री पी. चिदम्बरम	405-413
श्री जार्ज फर्नान्डीज	413-423
श्री पी. शिवशंकर	426-433
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	434-437
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
दिल्ली पुलिस द्वारा बहुजन समाज पार्टी की रैली को तितर-बितर किया जाना	424-426
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	424

सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

बारहवीं लोक सभा

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अजमीरा, श्री चंदू लाल (वारंगल)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अपांग, श्री ओमाक (अरूणाचल पश्चिम)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अयानूर, श्री मंजुनाथ (शिमोगा)

अरूमुगम, श्री एस. (पांडिचेरी)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डॉ० शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अकबर (आजमगढ़)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहिरे, श्री डी.एस. (धुले)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्ना (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजना, श्री उदयलाल (चित्तौड़गढ़)

आठवले, श्री रामदास (मुम्बई उत्तर-मध्य)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

आलीवाल, श्री अमरीक सिंह, (लुधियाना)

आवाडे, श्री कल्लाप्पा (इचलकरांजी)

इ

इन्दौरा, डॉ० सुशील (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उपाध्याय, श्री रामपाल (भीलवाड़ा)

उपेन्द्र, श्री पी. (विजयवाड़ा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उराम, श्री जुआल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ऋषिदेव, श्री रामजीदास (अररिया)

ए

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

ओ

ओमप्रकाश, श्री (गाजीपुर)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री एस.एस. (हैदराबाद)

क

कठेरिया, श्री प्रभुदयाल (फिरोजाबाद)

कथीरिया, डॉ० वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल रानी, श्रीमती (धाटमपुर)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (तिरूअनन्तपुरम)

कवाड़े, प्रो० जोगेन्द्र (जिमूर)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कडांडोले, श्री जेड.एम. (मालेगांव)

कांबले, श्री अरविंद (उस्मानाबाद)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

कालिता, श्री भुवनेश्वर (गुवाहाटी)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (बैल)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोल बाग)

कुमारमंगलम, श्री पी.आर. (तिरूचिरापल्ली)

कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीक्कारा)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डॉ० रामकृष्ण (धमोह)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णमराजू, श्री यू.वी. (काकीनाडा)

कृष्णमूर्ति, श्री के. (मविलादुतुराई)

कैंथ, श्री सतनाम सिंह (फिल्लौर)

कोंडय्या, श्री के.सी. (वेल्लारी)

कोली, श्री गंगाराम (बयाना)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्डूड़ी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, .एवीएसएम (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खाँ, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)

खाँ, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खाँ, श्री रिजवान जहीर (बलरामपुर)

खाँ, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

ग

गंगटे, कुमारी किम (बाह्य मणिपुर)

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गंगाधर, श्री एस. (हिन्दुपुर)

गगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (पलानी)

गफूर, श्री अब्दुल (गोपालगंज)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवई, श्री आर.एस. (अमरावती)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गावीत, श्री सी.डी. (माण्डवी)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरियप्पा, श्री सी.पी.एम. (चित्रदुर्ग)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)

गेहलोत, श्री धावरचन्द (शाजापुर)

गोपाल, श्री सी. (अकोनम)

ग्रेयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगोड़)

गोस्वामी, श्री नृपेन (नौगांव)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्दूभाजरा, प्रो० प्रेम सिंह (पटियाला)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हि० प्र०)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चपलोत, श्री शान्तिलाल (उदयपुर)

चलामेला, डॉ० सुगुण कुमारी (पेद्दापल्ली)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज बा० (कराड़)

चाक्को, श्री पी.सी. (इदुक्की)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई (आनन्द)

चिखलीया, श्रीमती भावना देवराजभाई (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, श्री (तिरूपति)

चिन्नास्वामी, श्री पी.के. (गोविचेटिट्पालयम)

चेंगारा सुरेन्द्रन, श्री (अट्टूर)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खाँ (मालदा)

चौधरी, श्री कृष्ण कुमार (गया)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रामरघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री शकुनी (खगड़िया)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती निशा अ. (साबरकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री चेतन (अमरोहा)

चौहान, श्री जयसिंह जी (कपड़वंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डॉ० सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री कादम्बूर एम.आर. (तिरूनेलवेली)

जाखड़, श्री बलराम (बीकानेर)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर-उत्तर)

जायसवाल, डॉ० मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधनभाई जावदभाई (पोरबन्दर)

जिगाजिनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैन, श्री मीठा लाल (पाली)

जोगी, श्री अजीत (रायगढ़)

जोशी, डॉ० मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोस, श्री ए.सी. (मुकन्दपुरम)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

ट

टंडेल, श्री देवजी भाई जे. (दमन और दीव)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार (बड़ोदरा)

ठाकुर, डॉ. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, डॉ० प्रभा (अजमेर)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डिसूजा, डॉ० बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डोम, डॉ० रामचन्द्र (बीरभूम)

त

तनपुरे, श्री प्रसाद बाबूराव (कोपरगांव)

तम्बीदुरई, डॉ० एम. (करूर)

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिवारी, श्री प्रभाष चन्द्र (भागलपुर)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तुपे, श्री विठ्ठल (पुणे)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डॉ० रमेश चन्द (हापुड़)

त्यागराजन, श्री एम. (पोल्लाची)

त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि (रीवा)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दत्त, वैद्य विष्णु (जम्मू)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित एजिलमलाई, श्री (चिदम्बरम)

वर्मे, श्रीमती भावना कर्दम (सुरेन्द्रनगर)

वासोवरन, श्री एम.सी. (कुड्डालोर)

वास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

वाडाल, श्री भीम (सिक्किम)

विलेर, श्री किशनलाल (डाथरस)

वुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

वेलकर, श्री मोडन एस. (दादरा और नगर हवेली)

वेव केशरी, श्री विक्रम (कालाहांडी)

देवगौड़ा, श्री एच.डी. (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवी, श्रीमती ओमवती (बिजनौर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

देवी, श्रीमती मालती (नवादा)

देवी, श्रीमती रमा (मोतीहारी)

देशमुख, श्री चंदुभाई (भरूच)

द्रोण, श्री जगतवीर सिंह (कानपुर)

द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र (बांदा)

ध

धालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

न

नकवी, श्री मुख्तार (रामपुर)

नम, श्री शंकर सखाराम (वडानू)

नरड, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)

नागरा, श्री अमन कुमार (अम्बाला)

नायक, श्री उपेन्द्र नाथ (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री रवि सीताराम (पणजी)

नायक, श्री सुधाकरराव, राजूसिंग (वाशिम)

नायडू, श्री के.पी. (चोब्बिली)

नायडू, श्री गिरजला वेंकट स्वामी (राजामुन्दरी)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पंत, श्रीमती इला (नैनीताल)

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (बरडामपुर) (उड़ीसा)

पटेल, डॉ० अशोक कुमार (फतेहपुर)

पटेल, डॉ० ए.के. (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री दिन्शा (खेड़ा)

पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)

पटेल, श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास (गोधरा)

पनबाक, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लोर)

पन्नीरसेल्वम, श्री कांची (चेंगलपेट)

पन्नू, इंजीनियर शंकर (श्री गंगानगर)

परमशिवम राजा, श्री (पुडुक्कोट्टई)

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)

परांजपे, श्री दादा बापूराव (जबलपुर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पलानीस्वामी, श्री के. (तिरूचेंगोडे)

पवार, श्री उत्तमसिंह (जालना)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, डॉ० रणजीत कुमार (बारसाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटसाणी, डॉ० प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री भास्कर राव (नांदेड़)

पाटीदार, श्री रामेश्वर, (झरगोन)

पाटील, डॉ० उल्हास वासुदेव (जलगांव)

पाटील, श्री अन्नासाहिब एम.के. (इरन्डोल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री एम.बी. (बीजापुर)

पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री बाबागौड़ा (बेलगाम)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (अहमदनगर)

पाटील, श्री मदन (सांगली)

पाटील, श्री माधवराव (नासिक)

पाटील, श्री रामकृष्ण बाबा (औरंगाबाद)

पाटील, श्री शिवराज वी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डॉ० लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पुगलीया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोडन (कांकेर)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, डॉ० देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधानी, श्री जगपति (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री लालू (मधेपुरा)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. (त्रिचलोन)

प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (बड़ागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फोली, जनरल मेथिले (नामनिर्दिष्ट)

ब

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरदुआर्स)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

बघवा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बर्क, डॉ० शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुर)

बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)

बाला, डॉ० असीम (नबद्वीप)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बिस्वाल, श्री रंजीब (जगतसिंहपुर)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरू)

बेडेरा, श्री पद्मा नावा (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैरवा, श्री द्वारका प्रसाद (टोंक)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानकुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री इन्द्र नाथ (जोडरबगा)

भजनलाल, श्री (करनाल)

भारद्वाज, श्री परस राम (सारंगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भार्गव, श्री राम शंकर (मिसरिख)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भोंसले, श्री अभयसिंह एस. (सतारा)

भोंसले, श्रीमती राणी चित्रलेखा (रामटेक)

म

मंडल, श्री जय कृष्ण (पूर्णिया)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मरांडी, श्री सोम (राजमहल)

मलिक, श्री राम चन्द्र (जाजपुर)

मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस. (तुमकूर)

मल्लू, डॉ० रवि (नगर कुरनूल)

महंत चरण दास, डॉ० (जांजगीर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री राजवंशी (बलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

मान, श्री जोश सिंह (फिरोजपुर)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मालविया, श्री महेन्द्रजीत सिंह (बांसवाड़ा)

मिश्र, श्री इन्द्रजीत (खलीलाबाद)

मिश्र, श्री जर्नादन प्रसाद (सीतापुर)

मिश्र, श्री रामनगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्रीमती सुखदा (इटावा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्री रामनारायण (कोटा)

मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरडामपुर)

मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुथैया, श्री आर. (पेरियाकुलम)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुनिलाल, श्री (सासाराम)

मुनुसामी, श्री के.पी. (कृष्णा गिरि)

मुरूगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मूर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मूर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मेनसिंकाई, श्री बी.एस. (धारवाड़ दक्षिण)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

मोल्लाह, श्री इन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)

मोहन, श्री के.पी. (धर्मपुरी)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव (बीड़)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनूप लाल (सहरसा)

यादव, श्री घासी राम (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री प्रदीप कुमार (कन्नौज)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहाँपुर)

यादव, श्री सीताराम (सीतामढ़ी)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डॉ० जयन्त (स्वशासी जिला–असम)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राधवन, श्री वी.वी. (त्रिचूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजपूत, श्री गंगाचरण (हमीरपुर) (उ० प्र०)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलवाई)

राजरतिनम, श्री पी. (पेरम्बलूर)

राजू, श्री एस. विजय रामा (पार्वतीपुरम)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजैया, श्री एम. (सिद्दीपेट)

राठवा, श्री एन. जे. (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री कांशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वारकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कनौर)

राममूर्ति, श्री के. वाग्गापडी (सेलम)

रामराजन, श्री (तिरूचेंदूर)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच.जी. (कोप्पल)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)

राय, श्री हीरा लाल (छपरा)

राव, श्री आर. साम्बासिवा (गुंटूर)

राव, श्री के.एस. (मछलीपतनम)

राव, श्री गुरूनाथा (अनकापल्ली)

राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्री मगन्ती वेंकटेश्वर (एलरू)

रावत, श्री भैजनाथ (बाराबंकी)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, डॉ० बी. एन. (मिरयालगुड़ा)

रेड्डी, डॉ० बाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (बापतला)

रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एस. सुधाकर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री के. विजयभास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री भूमा नागी (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलू (ओंगोले)

रेड्डी, श्री वेंकटरामी अनन्त (अनन्तपुर)

रेड्डी, डॉ० टी. सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)

रोसैया, श्री कोनिजेटी (नरसारावपेट)

ल

लालुंगमीना, श्री एच. (मिजोरम)

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरूणाचल पूर्व)

वरपुडकर, श्री सुरेश (परभणी)

वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)

वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानुप्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)

वर्मा, श्री वीरेन्द्र (कैराना)

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वासनिक, श्री मुकुल (बुलडाना)

विजय, श्री विजय कुमार (मुंगेर)

विजय शंकर, श्री (मैसूर)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वेणुगोपाल, श्री के. (श्रीपेरुम्बुदुर)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुप्पत्तूर)

वेणुगोपालचारी, डॉ० एस. (आदिलाबाद)

वेदान्ती, डॉ० रामविलास (प्रतापगढ़)

वैको, श्री (शिवकाशी)

वोरा, श्री मोतीलाल (राजनांदगांव)

श

शंकरन, श्री पी. (कालीकट)

शमानुर, श्री शिवशंकरप्पा (दावणगेरे)

शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाक्य, डॉ० महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, डॉ० विजय सोनकर (सैदपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिव शंकर, श्री पी. (तेनाली)

शेट्टी, श्री जयराम आई.एम. (उडुपी)

शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवास, श्री एम. (कनकपुरा)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

ष

षणमुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (अनन्तनाग)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यमूर्ति, श्री वी. (रामनाथपुरम)

समांऊ, श्री चतिन सिंह (भटिंडा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डॉ० विक्रम (हावड़ा)

सरनायक, श्री अजय कुमार एस. (बागलकोट)

सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सरोजा वी., डॉ० (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैण्ड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साक्षी, डॉ० स्वामी सच्चिदानन्द हरि (फर्रुखाबाद)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री लरंग (सरगुजा)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को (मारमागाओ)

साहू, श्री चन्द्रशेखर (महासमुन्द)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, डॉ० राम लखन (भिण्ड)

सिंह, डॉ० संजय (अमेठी)

सिंह, राव इन्द्रजीत (मंडेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री अशोक (रायबेरली)

सिंह, श्री एच.पी. (आरा)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन, (गोण्डा)

सिंह, श्री के. नटवर (भरतपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)

सिंह, श्री ज्ञान (शहडोल)

सिंह, श्री तेजवीर (मथुरा)

सिंह, श्री था. चौबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (चांका)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)

सिंह, श्री बूटा (जालौर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, श्री राघवेन्द्र (शाहाबाद)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री राजो (बेगूसराय)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री वशिष्ट नारायण (शिवहरगंज)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (मिर्जापुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्री सोहनवीर (मुजफ्फरनगर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिवराजू, श्री ए. (चामराजनगर)

सिन्हा, श्री यशवन्त, (हजारीबाग)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुब्बा, श्री मोनी कुमार (तेजपुर)

सुल्तानपुरी, श्री के.डी. (शिमला)

सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेडाम, श्री वासवराज पाटील (गुलबर्गा)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेल्वारासु, श्री एम. (नागापट्टीनम)

सोज, प्रो. सैफुद्दीन (बारामूला)

सोढी, श्री दया सिंह (अमृतसर)

सोमपाल, श्री (बागपत)

सोय, श्री विजय सिंह (सिंहभूम)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)

स्वाई, श्री खारवेल (बालासोर)

स्वामी, डॉ० सुब्रह्मण्यम (मदुरै)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (मछलीशहर)

ह

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोहम्मद (मुर्शिदाबाद)

हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी.एम.सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष - (रिक्त)

सभापति तालिका

श्री पी.एम. सईद

श्री के. प्रधानी

डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय

प्रो० रीता वर्मा

श्री के. येरननायडू

श्री वी. सत्यमूर्ति

श्री वसुदेव आचार्य

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

महासचिव

श्री एस. गोपालन

भारत सरकार
मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक विभाग, महासागर विकास विभाग और अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मंत्री

श्री अनंत कुमार : नागर विमानन मंत्री

श्री सिकन्दर बख्त : उद्योग मंत्री

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रक्षा मंत्री

श्री राम कृष्ण हेगड़े : वाणिज्य मंत्री

डॉ० सत्यनारायण जटिया : श्रम मंत्री

श्री राम जेठमलानी : शहरी कार्य और रोजगार मंत्री

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री वाझापडी के. राममूर्ति : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

श्री मदन लाल खुराना : संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : विद्युत मंत्री

डॉ० एम. तम्बी दुरई : विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री

श्री नीतीश कुमार : रेल मंत्री

श्री नवीन पटनायक : इस्पात तथा खान मंत्री

श्री सुरेश प्रभु : पर्यावरण और वन मंत्री

श्री कांशीराम राणा : वस्त्र मंत्री

श्री यशवन्त सिन्हा : वित्त मंत्री

श्रीमती सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री

राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)

श्री दलित एजिलमलाई : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्रीमती मेनका गांधी : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री

श्री बाबागौड़ा पाटील : ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री दिलीप राय : कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ओमाक अपांग : पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुखबीर सिंह बादल : उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बंडारू दत्तात्रेय : शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस : इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

कुमारी उमा भारती : मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री संतोष कुमार गंगवार : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बाबू लाल मरांडी : पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मुख्तार नकवी : सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री राम [illegible] : रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ० ए.डी. पटेल	: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सत्यपाल सिंह यादव	: खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ० देवेन्द्र प्रधान	: जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सोमपाल	: कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनोज सिन्हा	: संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कावन्दूर एम.आर. जनार्दनन	: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	: विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री		

लोक सभा

बुधवार, 27 मई, 1998/6 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

डॉ० सी.पी. ठाकुर (पटना)

प्रो० चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे आपको हमारे तीन सम्माननीय मित्रों, सर्वश्री वी. मायावन, डी. बलरामा राजू और दरबारा सिंह के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री वी. मायावन, 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा में तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

पेशे से वकील, श्री मायावन ने समाज के पद-दलित और कमजोर वर्गों के उद्धार के लिए अनवरत कार्य किया।

वे एक योग्य और सक्रिय सांसद थे। उन्होंने कई संसदीय समितियों में कार्य किया।

6 जनवरी, 1998 को 61 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में श्री वी. मायावन का निधन हो गया।

श्री डी. बलरामा राजू ने 1962-70 के दौरान तीसरी और चौथी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के नरसापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पेशे से कृषक, श्री डी. बलरामा राजू सहकारिता आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

आंध्र प्रदेश के राजामुन्दरी में 13 मई, 1998 को 91 वर्ष की आयु में श्री डी. बलरामा राजू का निधन हो गया।

श्री दरबारा सिंह ने 1996-97 के दौरान ग्यारहवीं लोक सभा में पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वे 1967-77 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। श्री दरबारा सिंह को हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

एक योग्य सांसदविद्, श्री सिंह 1968-69 के दौरान अपने राज्य के उप-मंत्री रहे। 1969-1973 के दौरान पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न संसदीय सम्मेलनों में भाग लिया था और वे अपने समय के अत्यधिक दक्ष विधान सभा अध्यक्षों में से एक थे। श्री दरबारा सिंह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

24 मई, 1998 को नई दिल्ली में 71 वर्ष की आयु में श्री दरबारा सिंह का निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-1 डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से सम्बन्धित मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी : क्वश्चन ऑवर में पांइट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 33 के अधीन, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रश्न के लिए कम से कम पूरे दस दिन और अधिक से अधिक इक्कीस दिन की सूचना दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, दिए गए कैलेण्डर में सत्र के पहले दिन 27 मई, के लिए बैलट की तारीख 5 मई दर्शायी गई है जबकि प्रश्नों की सूचना को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 मई दर्शाई गई है। जब प्रश्नों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 थी तो फिर

बैलट को 5 तारीख को ही किस प्रकार कराया गया। ऐसे कई सदस्य हैं जिनको उनके अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे कई प्रश्न थे जिन्हें बैलट में शामिल किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में इस पर अपना विनिर्णय दूंगा। प्रश्न संख्या एक, डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ना

*1. **डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1991 में दक्षिण प्रायद्वीप नदियों को जोड़ने की कोई कार्य-योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य की अनुमानित लागत क्या है और इसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1991 में ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय (भूतपूर्व सिंचाई मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसमें दो घटक अर्थात् हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में निम्नलिखित चार मुख्य भागों के अंतर्गत 17 सम्पर्क शामिल हैं:

(i) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना तथा इन बेसिनों में सम्भावित स्थानों पर भण्डारणों का निर्माण करना।

(ii) बम्बई के उत्तर और तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ना।

(iii) केन-चम्बल को आपस में जोड़ना।

(iv) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की पूर्व में जल की कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ना।

(ग) प्रस्तावित प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक की वर्ष 1995-96 के मूल्य स्तर पर अनन्तिम लागत 1,10,000 करोड़ रुपये है। इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय प्रस्तावित सम्पर्कों के व्यावहार्यता अध्ययनों के पूरा होने के बाद संबंधित राज्य सरकारों के बीच होने वाले समझौतों, निधियों की उपलब्धता आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करेगा।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सत्र का सलामी गेंदबाज हूं। क्रिकेट तो एक विदेशी खेल है। अतः मुझे गिल्ली डण्डा कहना चाहिए।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आपकी तो भाषा भी विदेशी है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हाँ, विदेशी तो होगी ही। हार्ट बाईपास के लिए आपके सब लोग अमेरिका जाते हैं तो भाषा विदेशी होगी ही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, सभापटल पर रखा गया उत्तर सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसमें जो कहा गया है वह यह कि केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है। और अभी तक उस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि दक्षिणी नदियों के सम्पर्क से कम जल स्तर वाली कावेरी जैसी नदियों की समस्या के दीर्घावधि स्थायी समाधान के लिए नदियों के प्रस्तावित सम्पर्क का सम्भाव्यता अध्ययन कब शुरू किया जाएगा।

क्या यह आरम्भ हो गया है ? यदि यह आरम्भ हो गया है तो सरकार द्वारा इसे कब तक पूरा कराए जाने की संभावना है ?

श्री सोमपाल : इस परिप्रेक्ष्य योजना के दो घटक हैं। एक हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने केवल दक्षिणी नदियों के बारे में पूछा है। मैं हिमालयी नदियों के बारे में नहीं जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : मैं भी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ही उत्तर दे रहा हूं। प्रायद्वीपीय नदियों के मामले में 17 सम्पर्कों की पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है। निम्नलिखित तीन सम्पर्कों की सम्भाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गयी है।

1. केन-बेतवा सम्पर्क

2. पार-तापी-नर्मदा सम्पर्क

3. पम्बा-अचनकोविल-वायप्पर सम्पर्क

सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित आठ सम्पर्कों पर सर्वेक्षण जारी है :

1. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क
2. गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (पुलीचिनतला) सम्पर्क
3. कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार सम्पर्क
4. कृष्णा (नागार्जुन सागर) – पेन्नार (सोमसिला) सम्पर्क
5. दमनगंगा – पिंजल सम्पर्क
6. महानदी (मणिभद्र) – गोदावरी (दौकेस्वरम) सम्पर्क
7. पार्वती – कालीसिंध – चम्बल सम्पर्क
8. कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार सम्पर्क

यही मेरा उत्तर है।

डॉ० सुब्बरण्यम स्वामी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दक्षिणी जल नदी ग्रिड के पूरा हो जाने पर रोजगार के लिए कितने अवसर उपलब्ध होंगे और इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है और क्या इस विषय पर कोई अध्ययन किया गया है।

श्री सोमपाल : 25 मिलियन हेक्टेयर भूपृष्ठ जल से और 100 लाख हेक्टेयर अर्थात् दस मिलियन हेक्टेयर की भूमिगत जल से अतिरिक्त सिंचाई की जाएगी। रोजगार सृजन सम्बन्धी अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसे अध्ययन को कराया जा सकता है। एक बार कृषि उत्पादन बेहतर हो जाता है, तो रोजगार सृजन इस परियोजना का स्वतः परिणाम होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह।

डॉ० सुब्बरण्यम स्वामी : मन्दिर बनवाने के बजाय आप इसे बनवाइए.....*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : क्योंकि आप इसका प्रस्ताव रख रहे हैं इसलिए हम दोनों बनवायेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हिमालय कम्पोनेंट और पैनिनसुला कम्पोनेंट की बात कही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह हिमालयन कम्पोनेंट क्या है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, उस पर अनुमानित लागत खर्च कितना है और उसके लिए शासन क्या कदम उठा रहा है ?

श्री सोमपाल : हिमालयन कम्पोनेंट 1995-96 की कीमतों के आधार पर अनुमानित व्यय दो लाख बीस करोड़ रुपये है। उसमें पांच नदियों से सम्पर्क नहरें बनाना प्रस्तावित है। मानस-संकोश तीस्ता गंगा, शारदा यमुना लिंक, घाघरा यमुना लिंक, यमुना राजस्थान लिंक, गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा लिंक। इनकी व्यावहारिकता का अध्ययन चल रहा है। क्योंकि इसका एक परिणाम नहीं है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए कहां-कहां प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध होंगे, वह सब अध्ययन चल रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डॉ० सुब्बरण्यम स्वामी : इसलिए, आप यह नहीं करेंगे।

श्री टी.आर. बालू : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा माम्बा-अचन कोविल-कोलार नामक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के संबंध में एक व्यापक पूर्व अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह पता चला है कि इन नदियों को वायप्पर नदी से जोड़ा जा सकता है। जिससे लगभग वह 22 टी.एम.सी. पानी बचाया जा सकता है जो अरब सागर में बहकर बेकार ही जा रहा है। इससे तिरूनेलवेली, मदुरै, शिवगंगा और विरूद्धनगर जिलों तथा लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में, केरल सरकार किसी भी हाल में इस योजना को स्वीकार नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, इस एजेन्सी ने कर्नाटक की नटियार नदी का अध्ययन किया है जिसे कावेरी नदी के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केरल सरकार तथा कर्नाटक सरकार से एक साथ बातचीत की जा सकती है जिससे केन्द्र सरकार इस बात का शांति से समाधान कर सके। मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जब हम नदियों को आपस में मिलाने की योजना बनाते रहे हैं, तो हमारे सामने ऐसी समस्या आती है। नदियों से लाभ उठाने वाले तटवर्ती राज्यों को इससे सहमत होना चाहिए। संविधान में ऐसी व्यवस्था है तथा सरकार जहां आवश्यक होगा सरकार इस व्याख्या को लागू करने पर विचार कर रही है।

श्री टी.आर. बालू : क्या माननीय मंत्री महोदय राज्यों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संसद में कोई विधान ला रहे हैं। मै मंत्री जी से एक स्पष्ट उत्तर सुनना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं।

श्री सोमपाल : महोदय विचार चल रहा है और अगर संसद ऐसा ठीक तरह समझती है, तो इस बारे में सोचा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर और दक्षिण की नदियों को मिलाने

की जो योजना है, वह बहुत अच्छी है लेकिन इस बीच में आज जल स्तर इतना नीचा गिरता जा रहा है कि वॉटर रीचार्जिंग नहीं हो रही है जिससे जमीन खराब हो रही है, ब्लॉक्स ग्रे और डार्क किए जा रहे हैं, बोरिंग पर प्रतिबंध लग रहे हैं। नतीजा यह है कि बीस वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली तथा अन्य जिलों में जो नहर विहीन इलाके हैं, वहां अनाज की पैदावार खत्म हो जाएगी तथा लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या उनके पास नरौरा ग्राम से दातागंज के लिए नहर बनाने का कोई प्रस्ताव आया है और सरकार उस प्रस्ताव पर क्या कर रही है? क्या सरकार सिद्धांततः इस बात से सहमत है कि जहां पर नहरें नहीं हैं, वहां आप नहरें बनाने की कोई योजना बनाएंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।.....*(व्यवधान)* तथापि मैं उनकी इस चिंता से सहमत हूं कि भूमिगत जल का स्तर भयावह ढंग से गिर रहा है और उसके कई कारण हैं। इसके निदान के लिए योजना आयोग ने वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से पच्चीस वर्षीय राष्ट्रव्यापी योजना बनाई है। उसमें वर्षा जल का संग्रह करके, भूमि के ऊपर और भूमिगत स्रोतों में, इस समस्या से निपटने का निदान सुझाया है। वह योजना पच्चीस वर्षीय योजना आयोग ने दे दी है और उस पर क्रियान्वयन इसी वर्ष आरम्भ हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल और तमिलनाडु की नदियों का पानी मिलाया जाना व्यवहार्य है?

कार्यवाही योजना क्या है? जहां तक मैं जानता हूं अगर नदियों *को पूर्व की तरफ बहने दिया जाए, तो केरल के तटीय क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी। क्या केरल में पाम्बा और अचनकोविल नदियों के संबंध में कार्यवाही योजना में कोई सुझाव है या इस* संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं?

श्री सोमपाल : नदियों के पानी को विशेषकर दक्षिण प्रायद्वीप में आपस में मिलाने की राष्ट्रीय योजना में एक बात पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी तथा उनके पानी को पूर्वी भागों की तरफ मोड़े जाने के बारे में है। केरल में कुछ नदियां हैं परन्तु इस पर हमें राज्यों से परामर्श करना होगा तथा जब तक राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं होती हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार बातचीत शुरू करने की जिम्मेवारी लेगी और अगर सहमति होगी तो हम कुछ नदियों के कुछ जल को पूर्वी भागों में पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : तटीय क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होगी। तटीय क्षेत्रों में पानी की बहुतायत है.....*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : किसी भी तटीय क्षेत्र में पानी की कमी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सैन्ट्रल वाटर पॉलिसी डिक्लेयर कर दी गई है? यदि कर दी गई है, तो ग्रिड सिस्टम सिंचाई को किस प्रकार समाहित किया जाएगा? इन्द्रावती नदी और महानदी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश और मध्य भारत के छत्तीसगढ़ को लिंक करती है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ, क्या इसको जोड़ने के लिए केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा, 1987 में की गई थी तथा इसमें पूरे उपमहाद्वीप में वर्षा के पानी का उपयोग करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है।

उनके विशेष प्रश्न के संबंध में मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु जानकारी प्राप्त करके मैं इसे माननीय सदस्य को दे दूंगा।

किसानों द्वारा आत्महत्याएं

*2. **श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण** :
श्री मुकुल वासनिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा की गई कथित आत्महत्याओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कथित आत्महत्याओं के कारणों की कोई सरकारी जांच करायी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बढ़िया किस्म के बीजों के आयात सहित, क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) प्रभावित किसानों द्वारा मांगे गए मुआवजे/उनको दिये गये/जारी किये गये पैकेज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) किसानों को सहायता/ऋणों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (च) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की क्षति के परिणामस्वरूप, किसानों द्वारा आत्महत्या

किए जाने की घटनाएं हुई हैं। आन्ध्र प्रदेश में 236, कर्नाटक में 29 तथा महाराष्ट्र में 51 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली है।

2. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा पंजाब की राज्य सरकारों ने कथित आत्महत्याओं के कारणों की जांच के लिये छानबीन की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 236 सूचित मौतों में से 142 के मामलों में अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की है, 61 मामलों में विचार नहीं किया गया तथा 33 मामलों में फिर से जांच की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने फसलों की क्षति के परिणामस्वरूप आत्महत्या के कारण 13 मौतें होने की पुष्टि की है। महाराष्ट्र सरकार ने आत्महत्या के ऐसे 12 मामलों की पुष्टि की है जिनका फसल की क्षति से सीधा संबंध है तथा सात मामलों में इस क्षति से कुछ संबंध पाया है। पंजाब सरकार ने भी संगरूर जिले में कुछ आत्महत्याओं के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्टों के बारे में जांच की है। वैसे, राज्य सरकार के अनुसार ये घटनाएं फसलों की क्षति से सम्बद्ध नहीं हैं।

3. किसानों को समय पर प्रमाणित/अच्छी गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराने की मूल जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार प्रत्येक बुवाई मौसम से पहले बीज की आवश्यकता तथा उपलब्धता की स्थिति का राज्यवार जायजा लेती है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, देश में बीजों की समग्र स्थिति संतोषजनक है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज सप्लाई करने हेतु प्रत्येक जिले के लिये बीज सप्लाई योजना तैयार की है। महाराष्ट्र सरकार राज्य बीज निगम के माध्यम से अच्छी क्वालिटी के बीजों की अधिप्राप्ति के लिये कार्रवाई कर रही है।

4. आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रभावित कृषक परिवारों के लिये राहत का निम्नलिखित पैकेज घोषित किया है:

(i) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत एक मकान सुलभ कराना (ii) बच्चों को निवासी स्कूलों तथा होस्टलों में प्रवेश दिलाना (iii) यदि कोई बैंक ऋण हों तो उन्हें पुनः निर्धारित करना (iv) परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन, और (v) प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को एक लाख रुपये देना।

5. आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन किसानों की सहायता देने के लिये भी उपाय किए हैं जो फसलों की क्षति के कारण ऋण के जाल में फंसे हुए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) प्रभावित किसानों से दो वर्ष की अवधि के लिये कृषि ऋण के मूलधन या ब्याज की कोई वसूली नहीं की जाएगी। (ii) इन दो वर्षों के दौरान वसूल न की गई धनराशियों की सात वर्ष की अवधि में वसूल करने के लिये पुनर्निर्धारित किया जाएगा (iii) प्रभावित किसानों को जिला स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में संशोधित धन व्यवस्था के बढ़े हुए प्रतिमानों पर बैंक तत्काल नये फसल ऋण देंगे। (iv) जो छोटे और सीमान्त किसान डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत पात्र हैं उनके लिये ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाएगी। (v) पुनः निर्धारित ऋणों के संबंध में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा और न ही बैंक कोई दाण्डिक ब्याज लगाएंगे तथा यदि दाण्डिक ब्याज लगाया गया तो उसे माफ कर देंगे।

6. कर्नाटक सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति के लिये 4 करोड़ रुपये देने तथा सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित करने के अलावा प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 1 लाख रुपये की सहायता दी है।

7. महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 12 मामालों में प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये का भुगतान किया है जिनमें फसल की क्षति/ऋण के साथ सीधे संबंध के कारण आत्महत्या की गई थी। राज्य सरकार ने ऐसे सात मामलों में 50,000 रुपये का भुगतान किया है। जिनमें फसल की क्षति का कुछ संबंध था।

8. स्थिति के स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार ने आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए पात्रता हेतु प्राकृतिक आपदाओं के वर्ग में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण होने वाले कृमि प्रकोप को भी सम्मिलित कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान सरकारों ने कृमि प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता मांगी है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद, आन्ध्र प्रदेश को 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 12.00 करोड़ रुपये की धनराशि दे दी गई है। अन्य राज्यों के अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, चार सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है जो कि एक अभूतपूर्व घटना है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों ने इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या नहीं की।

महोदय, यह कोई स्थानीय समस्या नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी प्रतिदिन आत्महत्या की खबरें मिल रही हैं। यहां तक कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े भी सही नहीं हैं। दो या तीन दिन पहले नागपुर में आत्महत्या का एक मामला सामने आया है।

सरकार द्वारा दिए गए विवरण में स्थिति की गंभीरता नहीं बताई गई है। यह तो केवल राज्यों से प्राप्त तथ्यों का संकलन है। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। सरकार इसके कारणों के संबंध में चुप है। उन्होंने नकली कीटनाशकों, कृमिनाशकों और बीजों के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने राज्यों के लिए एक समान नीति बनाने के कोई प्रयास नहीं किए हैं। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर उसमें जांच, क्षतिपूर्ति, आपदा राहत निधि, एन. सी. आर. एफ. राज्यों में कार्यबल भेजने के बारे में एक समान नीति बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ती ब्याज दर, साहूकारों और साहूकारों द्वारा किए जा रहे कदाचार के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। फसल के बीमे के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के इस कठोर रवैये की निंदा करता हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे चार सौ से अधिक किसानों ने अपनी जानें दी हैं। यह संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है।

सरकार से मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर जांच, क्षतिपूर्ति और अन्य बातों के लिए एक समान नीति विकसित करने पर विचार कर रही है। राज्यों द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि अलग-अलग दी जा रही है। कुछ राज्य 50,000 रुपये तो कुछ राज्य 1,00,000 रुपये दे रहे हैं। वे किसानों के भूखों मरने का इन्तजार कर रहे हैं। वे उन समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं जिनका सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को पता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : मेरा प्रश्न यह है सरकार आपदा राहत निधि, कार्य दल भेजने, साहूकारों और फसल बीमा के बारे में एक समान नीति बनाने के बारे में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के बारे में क्या कर रही है? हम सरकार से इन बातों पर एक व्यापक रिपोर्ट चाहते हैं न कि केवल तथ्यों का एक औपचारिक संकलन। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कारणों की जांच करके प्रत्येक मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि आपदा राहत निधि के बारे में हमारी कोई समान नीति नहीं है। .....*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : जी हाँ, आपकी नीति एक समान नहीं है। कृपया अपना उत्तर देखिए। .....*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद एक व्यवस्था की गई है। दो निधियां हैं। पहली आपदा राहत निधि है .....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : आपकी एक समान नीति के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यही आपकी एक समान नीति है..... *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे उत्तर को गंभीरता से सुनें। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री सोमपाल : राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के बाद केन्द्र में आपदा राहत निधि बनाई गई।

केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत राज्यों द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। संबंधित राज्यों को प्रत्येक तिमाही के पहले दिन इन निधियों में से चार खेपें क्रमशः दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा राहत समिति के बजाय राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति द्वारा किया जाता है जिसमें पांच मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री हैं।

मैं एक समान नीति के बारे में बोल रहा हूँ जिसके बारे में सदस्य ने पूछा है।.....*(व्यवधान)* इस व्यवस्था के बाद कुछ मामलों के सिवाय ऐसी आपदाओं से निपटने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। जहां पर आपदा अधिक भयावह हो और संबंधित राज्य रिपोर्ट भेजता है और केन्द्र इसे प्रथम दृष्ट् या पाता है कि .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सोमपाल : उन्होंने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के बारे में पूछा है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : यह प्रश्न राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के बारे में नहीं है।

श्री सोमपाल : एक केन्द्रीय दल भेजा जाता है और मूल्यांकन करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा राहत समिति के समक्ष रखी जाती है। यह धन कुछ मानदंडों के अनुसार जारी किया जाता है जिनकी रूपरेखा पहले ही निर्धारित कर ली गई है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : साहूकारों का क्या हुआ। राष्ट्रीय आपदा राहत में उनकी क्या भूमिका है।

श्री सोमपाल : मैं अपने प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दूंगा। जब रिपोर्ट मिलती है तो कुछ विशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि जारी की जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार के गंभीर प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या करना एक गंभीर घटना है, जिस पर सारे सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है। चुनाव के दौरे में प्रतिपक्ष में बैठे हुए सदस्यों को याद होगा, मैंने कई स्थानों पर यह मामला उठाया था। यह कृषि प्रधान देश है और यहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि किसानों को अपनी जान अपने हाथों से लेनी पड़े, यह सचमुच बड़े दुर्भाग्य की बात है। जांच दल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्टें आई हैं। जितनी सहायता राज्य को मिलनी चाहिए, उतनी दी गई है।.....*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, महाराष्ट्र में जांच दल नहीं गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां और जांच की आवश्यकता होगी या सहायता की आवश्यकता होगी वहां और जांच की जाएगी, अधिक सहायता दी जाएगी। लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं है। इस पर अगर सब लोग मिल कर विचार नहीं करेंगे.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जांच के दौरान यह पता लगा कि पेस्टीसाइड के कारण नुकसान हुआ है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो गई। किसान कर्ज में पहले से ही डूबा हुआ था, क्योंकि उसे कर्ज व्यापारियों से, महाजनों से लेना पड़ता है। यह घटना भी नजर में आई है कि जो दुकान चलाता है, वही पेस्टीसाइड भी बेचता है और वह किसान को ज्यादा पेस्टीसाइड खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिससे फसल को क्षति पहुंचती है। वह मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। ये प्रश्न ऐसे हैं, जो बड़े गंभीर हैं, जिनका हमें हल निकालना पड़ेगा और हम हल निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार : पिछली बार आपने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी जांच दल नहीं भेजा गया है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : आप क्या निवारक उपाय कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण को अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण को अनुमति दी है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, पहले मंत्री जी ने संपूर्ण मुद्दे को गलत समझा है। यह प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नहीं है। यह विशेष समस्याओं के बारे में है जिनका मैंने जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में यह स्पष्टतया.....

श्री नादेन्ला भास्कर राव : आंध्र प्रदेश पहले है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : हाँ, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इन मौतों के मुख्य दो कारण हैं। पहला सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण देने में राज्य सरकारों और केन्द्रीय नीतियों की अक्षमता है। साहूकार सूद की ऊंची दर ले रहे हैं और बल प्रयोग कर रहे हैं जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता देगी ताकि वे ऋण माफी कर सकें और ब्याज पर सब्सिडी दे सकें और क्या भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड कोई विशेष योजना तैयार करेगा ताकि जो लोग अभी जीवित हैं या जो आत्महत्या करने वाले हैं वे ऐसा न करें।

मै यह भी जानना चाहता हूँ कि नकली कीटनाशकों और कृमिनाशकों की बिक्री के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या कितने लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाए जा रहे हैं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह पर्याप्त नहीं रहा है। संपूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना में जब माननीय सदस्य की पार्टी सत्ता में थी .....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : पार्टी का प्रश्न कहां उठता है? यह एक आपदा है और पार्टी का प्रश्न इस परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं आता।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : दलगत नीति के आधार पर आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, ऋणों का केवल 17 प्रतिशत ही कृषि क्षेत्र को गया है.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : प्रधान मंत्री ने बड़ी ही भावनात्मक दृष्टि से किसानों की ओर देखा है।.....*(व्यवधान)* आप भी कुछ प्रिवेंटिव बोलिये।

[अनुवाद]

माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्टतया कहा है .....*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, केवल 17 प्रतिशत ऋण राशि ही कृषि क्षेत्र में गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 18 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को देने का लक्ष्य

निर्धारित किया और 13 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य की प्राप्ति हुई। किसी भी समय.....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : इसका सातवीं या आठवीं योजना से कोई लेना-देना नहीं है वर्तमान स्थिति पर तत्काल नियत्रंण किया जाना चाहिए।

श्री सोमपाल : हमने भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण अदायगी अवधि को पुनः निर्धारित करने, जहां कहीं संभव हो ब्याज माफ करने और कमजोर वर्गों के ऋण माफ करने के लिए भी कहा है। इन उपायों को सभी राज्यों में किया जा रहा है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय 30 मार्च को मैंने इस बात का उल्लेख इसी सदन में किया था। प्रधान मंत्री ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया की और वायदा किया कि वे इस सारी समस्या के मूल कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे जबकि आज मंत्री महोदय आठवें वित्त आयोग, दसवें वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य की बात कर रहे हैं। आपको हमारे बचाव के लिए आना होगा। वे यहां समुचित उत्तर देने के लिए तैयार होकर नहीं आए हैं। जैसा हमारे मित्र श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण ने उल्लेख किया है। ऋण प्रवाह और अन्य पहलुओं पर गौर करना होगा। शायद मंत्री जी नौवें वित्त आयोग या दसवें वित्त आयोग के बारे में नहीं जानते हैं। हम इन सब बातों को बेहतर जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय सभा के बचाव के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए ही यहां उपस्थिति हैं कि मंत्री समुचित उत्तर दे रहा है या नहीं।

प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम सभी को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के पास, जब भी प्रधानमंत्री सभा में कुछ कहते हैं उसके कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि तैयार करने और फिर उसे कार्यान्वित करने का कोई तंत्र है। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री के शब्दों में वह वजन है। उस वायदे का क्या हुआ जो उन्होंने 30 मार्च को किया था जब मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा था? अब मंत्री दसवें वित्त आयोग के बारे में बोल रहे हैं, अतः यह अप्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह मेरा अनुपूरक प्रश्न है। समस्या का मूल कारण जानने के लिए सभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन अथवा वचन पर उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यह समस्या से बचने के लिए राज्यों को धन प्रदान करने का प्रश्न नहीं है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री सोमपाल : महोदय, इस आपदा का एक कारण नहीं है। इसके अनेक कारण हैं।.....*(व्यवधान)*

प्रो० पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा गया है। मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है।.... ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में कमिट किया था कि हम इस मामले को गम्भीरता से लेंगे और देखेंगे। सदन जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद दो महीनों में सरकार ने क्या किया?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूँगा।

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : दो महीने पहले इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस मामले में कोई कार्यवाही करेंगे। आप इनसे पूछिए कि सरकार ने इस बारे में क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने इस हाउस में कमिट किया था।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, सदन की अपनी गरिमा होती है। प्रधानमंत्री ने दो महीने पहले इसी सदन में कहा था कि हम इस मामले को गम्भीरता से लेंगे।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को इस बारे में जवाब देने के लिए कहा जाए कि उन्होंने इन दो महीनों में क्या किया?.....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या क्यों की, इसकी राज्यवार जांच हुई है और कुल मिला कर जांच हुई है। परिणाम से यह पता नहीं लगता कि किसी एक विशेष कारण से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि फसल बरबाद हो गई और कर्ज में डूबा हुआ किसान उस स्थिति का सामना नहीं कर सका। कई जगह मौसम की खराबी सामने आई जिसके कारण फसल बरबाद हुई। कहीं ज्यादा पैदावार के लिए पैस्टिसाइड के उपयोग की अधिकता भी एक कारण बन कर प्रकट हुई है। सभी प्रदेशों में अलग-अलग स्थितियां हैं, लेकिन पूरी जांच करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गांवों में किसानों

को सलाह देने के लिए जिस तरह की एक्सटेंशन सर्विस होनी चाहिए, वह या तो है नहीं, अगर है तो प्रभावी रीति से काम नहीं कर रही। किसान को फसल चाहिए। अगर मौसम खराब हो..... *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : पैसा भी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हाँ, पैसा भी चाहिए। अभी कहा जा रहा था कि पैसा कितना दिया गया, इसका कोई महत्व नहीं है। पैसे का भी महत्व है, लेकिन फसल बचेगी। किसान ने ज्यादा कर्जा लिया, ऊंचे दाम पर कर्जा लिया, वह कर्जा वापस नहीं कर सका जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। यह दृश्यावली हम लोगों के सामने है। मुझे लगता है कि अगर सदन.....*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : जब पिछली बार आपने इस बारे में जवाब दिया तो महाराष्ट्र में केवल 26 लोगों ने आत्महत्या की थी। अब वह आंकड़ा 51 पर आ गया है आपने इसको रोकने के कोई उपाय नहीं किए। अगर इस मामले को गम्भीरता से लिया होता तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वी. धनंजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सभी सदस्य यह चाहते हैं तो हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि यह गंभीर विषय है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री धनंजय कुमार जी का नाम पुकारा है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : चौबे जी आप बैठिये।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह मामला बहुत गंभीर है.....*(व्यवधान)* यह मामला बहुत गंभीर है। हमारे मित्र बात क्यों नहीं सुन सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : यह किसानों के हित का मामला है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझिए। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० शकील अहमद : इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिये।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यह क्या है? मैं जानता हूँ यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सभी सदस्य चाहें तो हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। श्री धनंजय कुमार, आप कृपया इंतजार करिए। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री शरद पवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों द्वारा अपने ऋणों का भुगतान न कर पाना है। खराब जलवायु अथवा अधिक वर्षा न होने के कारण फसलें नष्ट हो गईं। भारी जिम्मेवारी, विभिन्न ऋणों का बोझ और उनको अदा न कर पाने के कारण कृषकों को अन्ततः आत्महत्या की हद तक पहुंचा दिया। यहां तीन विकल्प हैं आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दो निर्णय लिए हैं।

प्रथम, उन्होंने यह निर्णय लिया कि प्रभावित कृषकों से दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि ऋण की, न तो मूल राशि की और न ही ब्याज की कोई वसूली की जाएगी।

दूसरा निर्णय जो उन्होंने लिया वह यह है कि इन दो वर्षों के दौरान वसूल न की गई राशि की वसूली सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत निर्धारित की गई समय सारिणी के अनुरूप की जाएगी और बैंक तत्काल प्रभावित कृषकों को नई फसलों के लिए जिला स्तर की समिति द्वारा हाल ही में संशोधित वित्त की बढ़ी हुई दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे और ब्याज की दर को चार प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा।

यह आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कुछ सुझाव तथा निर्णय हैं। एक बात यह है कि इन निर्णयों को केवल उन व्यक्तियों अथवा कृषकों को उन परिवारों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए

जिन्होंने आत्महत्या की है। यह निर्णय प्रभावित क्षेत्रों में सभी पर लागू होने चाहिए। जब तक कि 'नाबार्ड' और भारतीय रिजर्व बैंक को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते तब तक केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाएं कोई निर्णय नहीं ले पाएंगी। भारत सरकार द्वारा 'नाबार्ड' और भारतीय रिजर्व बैंक को सभी प्रभावित क्षेत्रों में इन छूटों को दिए जाने के लिए स्पष्ट निर्देश देने होंगे।

दूसरा, इस विशेष विषय पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हम प्रस्ताव रखेंगे और आप कोई भी दिन चर्चा के लिए नियत कर सकते हैं। लेकिन इस पर अधिक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

श्री ए.सी. जोस : जो कुछ विपक्ष के नेता ने कहा है मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। केरल में स्थिति काफी गंभीर है। आज सुबह हम धरना के लिए बैठ गए थे। खोपरा और रबड़ की कीमतें बहुत गिर गई हैं। केरल की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। और इसलिए चर्चा की आवश्यकता है। यह आत्महत्या किए जाने का प्रश्न नहीं है। कीमतें इतनी कम हैं कि रबड़ उत्पादक वास्तव में अपने रबड़ के पेड़ काट रहे हैं।

यही बात नारियल के संबंध में भी है। 'केरल' नाम कोकोनट से ही निकला है। इसलिए मैं इस पर एक पूर्णरूपेण चर्चा अथवा आधे घंटे की चर्चा करने का अनुरोध करूंगा।.....*(व्यवधान)* एक पूरे दिन की चर्चा जरूरी है क्योंकि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नकदी फसलों पर भी पूर्णरूपेण विस्तृत चर्चा किए जाने के लिए एक दिन नियत किया जाना चाहिए। केरल मुख्यतः अपनी नकदी फसलों पर ही निर्भर करता है।

श्री सोमपाल : विपक्ष के माननीय नेता श्री शरद पवार के अनुसार इस राय में कोई अन्तर नहीं हो सकता है कि आन्ध्र प्रदेश में अपनाए गए राहत कार्यों को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष सभा की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और 'नाबार्ड' के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक द्वारा लिए गए हैं जो कि आन्ध्र प्रदेश गए थे। इन्हीं निर्णयों को अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : आप आदेश जारी कर सकते हैं।

श्री सोमपाल : यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो हम 'नाबार्ड' तथा भारतीय रिजर्व बैंक को यही राहत संबंधी मानदंड अन्य राज्यों के कृषकों पर लागू करने के लिए कहेंगे..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए.सी. जोस : मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक विस्तृत चर्चा के लिए सहमत हो जाएं क्योंकि यह एक गंभीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा मुद्दा है। अतः सभी चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं। यदि सभी माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री ए.सी. जोस : मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे पूरे दिन की चर्चा के लिए सहमत हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चलिए, इस पर पूरे दिन की चर्चा होने दीजिए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर पूरी चर्चा कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आधा घंटे की नहीं आप दिन भर की चर्चा कराइये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

केरल की समस्या को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुलताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों ने आत्महत्या करने के बजाय प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान इस समया की ओर खींचना चाहा कि हम लोग पीड़ित हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर गोली चलवाई जिससे 27 किसान मर गये। क्या भारत सरकार इस घटना की सी.बी. आई. से जांच करायेगी?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए, आप बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या भारत सरकार, मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम मुलताई में किसानों पर हुए गोली कांड की जांच सी.बी.आई. से कराएगी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर चलाई गोली की घटना की जांच होनी चाहिए।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है, तो हम इस विषय पर पूरे दिन की विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रत्यर्पण संधि

+

*3. **श्री मोहन रावले** :
श्री चन्दू लाल अजमीरा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) इस समय संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के अपराधियों और आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन्हें वापस भारत लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त अरब अमीरात के साथ नवम्बर, 1997 में एक प्रत्यर्पण संधि आद्याक्षरित की गई है तथा दोनों देशों के द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के पश्चात् इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये जाने की आशा है। मैं यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि कल केबिनेट ने संधि के पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 30 तथाकथित भारतीय अपराधी रह रहे हैं। उन्हें भारत वापस लाने के लिए सरकार अपने पास उपलब्ध सभी संभव विधिक एवं राजनयिक उपायों का प्रयोग कर रही है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय.....* मुम्बई बम विस्फोट में लगभग 200 निरपराध लोगों की जानें गईं, इन्नोसेंट लोग मारे गए.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाए। आपको प्रक्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है ?

श्री ई. अहमद : मुझे इससे आपत्ति है। दुबई के हमारे साथ अत्यन्त मधुर सम्बन्ध हैं। वह किसी देश पर आरोप नहीं लगा सकते। यह अच्छा नहीं है। यह भारतीयों के वहां जाने का उल्लेख कर सकते हैं वह किसी देश पर आरोप नहीं लगा सकते। यह अनैतिक है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है मैंने श्री मोहन रावले को अनुमति दी है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ई० अहमद, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह प्रश्न काल है। कृपया इसे ध्यान में रखें।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ई० अहमद, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। केवल श्री मोहन रावले का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सुनने की हिम्मत भी रखिए ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी. जे. कुरियन, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप प्रक्रिया जानते हैं। यह प्रश्न काल है। माननीय मन्त्री जी यहां हैं। वह इसका उत्तर देंगे।

.....(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए जिनके बारे में सदन में चर्चा हुई और सारे सदन ने उनके बारे में सुना और जान लिया था।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, मैं आपकी सहायता नहीं चाहता हूँ। यह प्रश्न काल है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझे किसी से सहायता की जरूरत नहीं है।

प्रो० पी.जे. कुरियन : महोदय इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई अस्पष्टता है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

प्रो० पी.जे. कुरियन : दुबई एक हितैषी देश है। इनकी टिप्पणी का गलत असर होगा। इस तरह की टिप्पणी अनावश्यक है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, जिन्होंने मुम्बई में बम विस्फोट कराए जिनमें दाऊद और टाइगर मैनन जैसे लोग शामिल हैं और जो दुबई में बैठे हुए हैं, उनको भारत में क्यों नहीं लाया जा सकता है? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी.जे. कुरियन मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इसी सदन में 1 जुलाई, 1996 को इसके बारे में क्वैश्चन उठाया गया था जिसका जवाब उस समय की सरकार ने दिया था।

[अनुवाद]

"सरकार संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि को अन्तिम रूप देने हेतु सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखे हुए है।"

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया आप प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बता रहा हूँ कि इससे पहले की सरकार ने 1 जुलाई, 1996 को यह जवाब दिया था—

[अनुवाद]

"सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि को अन्तिम रूप देने हेतु सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखे हुए है।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूँ कि वह ट्रीट्री कब होने वाली है।..... *(व्यवधान)* हमारी तरफ से सब राजी हैं लेकिन वह सरकार क्यों राजी नहीं है.....*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि वह ट्रीट्री कब तक होने वाली है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, इस प्रश्न के लिए मैं यह बताना चाहती हूँ कि सरकार अभी प्रयास कर रही है कि भगोड़ों को किस प्रकार वापस लाया जाए।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया दुबई के साथ अपनी मित्रता दृढ़ कीजिए। कृपया इसे कीजिए।.....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपको हमारे मित्रों के साथ मित्रता पर कोई आपत्ति है?.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी उसका खण्डन करेंगी।.....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यदि वहां कुछ आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : यदि आपने तभी उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया होता तो यह घटना नहीं घटती।.....*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : श्री मोहन रावले की बात ठीक प्रकार से सुने बिना ही, ये सदस्य आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कृपया उसे समझने का प्रयास करें।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रही हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे : बारह लाख से अधिक भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। वे दोनों देशों के बीच एक सशक्त और आर्थिक रूप से उत्पादक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बल सुदृढ़ हैं हमें उम्मीद है कि ये सम्बन्ध बढ़ेंगे।

लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने भगोड़ों को, अपराधियों को इस देश में वापस लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये हैं। लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुई है। इस प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर होने से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि ऐसा शीघ्र होवे।

जहां तक दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का प्रश्न है हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाए। ऐसा माना जाता है कि वे वास्तव में दुबई में नहीं रहते हैं लेकिन इसकी संभावना है कि वे अक्सर वहां आते-जाते रहते होंगे।

[हिन्दी]

श्री मोडन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि संयुक्त अरब अमीरात में 30 तथाकथित भारतीय अपराधी रह रहे हैं। उन्हें भारत वापस लाने के लिए सरकार अपने पास उपलब्ध सभी संभव विधिक एवं राजनयिक उपायों का प्रयोग कर रही है। इसके पहले यहां इसी सदन में 1996 में एक .नवाब दिया गया था।

[अनुवाद]

"संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि सम्बन्धी वार्ताएं अन्तिम चरण पर हैं।"

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि इससे पहले हमारी सरकार के पास सबूत था और इसी सदन में बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम दुबई में था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मोडन रावले : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर यू.ए.ई. की सरकार नहीं मानेगी तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? इस समय केवल मुम्बई में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बम विस्फोट हो रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बाल-बाल बच गये।.....*(व्यवधान)* कोयम्बटूर में बम विस्फोट हुए।.....*(व्यवधान)* सारे देश में बम विस्फोट हो रहे हैं। जो यह बताता है कि हम कितने मजबूत हैं, सारे विश्व में हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने मजबूत हैं।.....*(व्यवधान)* वह हमने दिखा दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अनुपूरक प्रश्न तक सीमित रहिए।

[हिन्दी]

श्री मोडन रावले : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले की सरकार कमजोर थी लेकिन क्या हमारी सरकार भी उनको वापस लाने के मामले में कमजोर है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप उनको कब यहां लाने वाले हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आपके प्रश्न का जवाब मैंने कुछ देर पहले दिया था, शायद आपने उसे सुना नहीं। कुछ लीगल हर्डल्स हैं, जिनको फार्मलाईज कर दिया जायेगा तब वह ट्रीटी साईन हो जायेगी। आपने ट्रीट्री के बारे में पूछा।

[अनुवाद]

कल केबिनेट ने इस पर हस्ताक्षर किए जाने को और इसकी पुष्टि करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। आशा करते हैं कि इसके अनुरूप शीघ्र प्रक्रिया चालू होगी।

श्री ई. अहमद : महोदय, भारत के खाड़ी के देशों विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं अब हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद, मैं एक मिनट लूंगा। एक अन्य सदस्य श्री चन्दू लाल अजमीरा जिन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछना था क्या वह सदन में उपस्थित हैं? नहीं, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ई. अहमद : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अन्य किन-किन देशों के साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि की है। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ क्या ये प्रत्यर्पण संधियां अच्छे सम्बन्धों को बनाने और दोषियों और अन्य लोगों को भारत में लाने के उद्देश्य से की गई हैं अथवा केवल तथाकथित माफिया डोन्स पकड़ने के लिए की गई हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जिन देशों के साथ हमने प्रत्यर्पण संधि की है उनके नाम भूटान, बेल्जियम, नेपाल, नीदरलैण्ड, कनाडा, स्विटजरलैण्ड, यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग हैं। हांगकांग के साथ हुई सन्धि अभी प्रभावी नहीं है क्योंकि हांगकांग द्वारा उसकी अभी पुष्टि की जानी है हालांकि हमने इसकी पुष्टि कर दी है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भी हमने प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं। यह भी प्रभावी नहीं है क्योंकि अमरीका द्वारा इसकी पुष्टि की जानी बाकी है।

प्रत्यर्पण सम्बन्धी व्यवस्था तंजानिया, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, थाईलैंड, जर्मनी और स्वीडन के साथ विद्यमान है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग

*4. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में इस समय बड़े पैमाने पर हो रही पानी की बर्बादी की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कृषि के लिए जल के बेहतर उपयोग हेतु पंचायतों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यपद्धति विकसित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो गांवों में जल संरक्षण और जल के कुशल प्रबन्धन और उपयोग के लिए अब तक की गई अथवा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) किसानों और राज्य सरकारों के अधिकारियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न अभिकरणों/संस्थानों द्वारा कृषि के लिए जल के कुशल उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) सरकार ने खेत चैनलों का निर्माण करके, भूमि समतलन करके और उसे आकार देकर, वाराबन्दी, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण तथा सिंचाई प्रणालियों के सुधार और आधुनिकीकरण द्वारा किसानों में कुशल जल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी का प्रचार-प्रसार करके खेत स्तर पर जल संरक्षण और सिंचाई जल के कुशल उपयोग के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता

*6. **श्री चमन लाल गुप्त** :
श्री के.वी. कोंडय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए अपना समर्थन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विकासशील देशों को स्थायी सदस्यता श्रेणी में शामिल किये जाने के लिए व्यापक समर्थन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अबाध प्रवेश कार्य समूह में संयुक्त राष्ट्र पुनर्संरचना पर चर्चा जारी है। अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बनी है। सरकार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के साथ सम्पर्क में है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि

*7. **श्री अजीत जोगी** :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बे-मौसम वर्षा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार ने इस कारण जान-माल और फसलों की हानि का भी आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आपदाओं के कारण हुई क्षति का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई अथवा प्रत्येक राज्य को अब तक उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(छ) सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ज) क्या सरकार आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि नहीं तो किसानों के कष्ट दूर करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (झ) राज्य सरकारों से मिली रिपोर्टों के अनुसार 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों के बारे में तथा फसलों, भवनों आदि को हुई क्षति की सीमा के संबंध में राज्यवार जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, III तथा IV में दी गई है।

2. राहत व्यय के वित्त पोषण से संबंधित मौजूदा स्कीम के अनुसार, राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष की राशि में से राहत उपायों पर व्यय करना होता है। इस कोष में भारत

सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के लिए आपदा राहत कोष में कुल 6304.27 करोड़ रुपये का आंबटन किया गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण- V में दिए गए हैं। मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां आपदा राहत कोष को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। केन्द्रीय अंशदान चार समान त्रैमासिक किश्तों में निर्मुक्त दिया जाता है। वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के लिए संपूर्ण केन्द्रीय अंश पहले ही निर्मुक्त किया जा चुका है। वर्ष 1998-99 के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की पहली किश्त भी 1 अप्रैल, 1998 को निर्मुक्त कर दी गई है।

3. गम्भीर प्रवृत्ति की आपदाओं के घटित होने पर राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए प्रक्रिया/मानदण्ड के अनुसार, राज्य सरकारों से क्षति तथा नुकसान और राहत व पुनर्वास की लागत के ब्यौरे देते हुए इस उद्देश्य के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ज्ञापन प्राप्त होने पर भारत सरकार प्रत्येक मामले में इस संबंध में निर्णय लेती है कि क्या स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय दल सामान्यतया ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्त किया जाता है जबकि प्रथम दृष्ट्या स्थिति बहुत ही गंभीर दिखाई देती हो। कृषि तथा सहकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तः मन्त्रालयीय दल द्वारा इसकी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा राहत समिति केन्द्रीय दलों को रिपोर्ट तथा इस संबंध में अन्तः मंत्रालयीय दल की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करती है तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाने वाली सहायता यदि कोई हो, की राशि की मात्रा के निर्धारण पर निर्णय करती है। दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि अत्यन्त गंभीर आपदाओं का निर्धारण अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामलों के आधार पर करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपदा की गहनता तथा विभीषिका, आवश्यक राहत सहायता के स्तर, समस्या का सामना करने के लिए राज्य की क्षमता, सहायता तथा राहत आदि प्रदान करने के लिए योजनाओं के तहत उपलब्ध विकल्पों तथा शिथिलताओं पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 767.14 करोड़ रुपये की राशि अब तक निर्मुक्त की गई है। रा.आ.रा.को. से राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता तथा जारी की गई निधियों के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं।

4. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आपदा राहत कोष के आबंटनों में अंशदान करने के प्रतिमान सहित राहत व्यय के वित्त पोषण की स्कीम का निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।

विवरण-i

1995-96 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की क्षति का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	मृतकों की संख्या	नष्ट फसल क्षेत्र (लाख हे.)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	173	15.08	192935	7049
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	0.04		71
3.	असम	63	2.32	36694	14690
4.	बिहार	563	4.46	311827	4128
5.	दिल्ली			404000	23500
6.	गोवा				
7.	गुजरात	41	6.21	400	390
8.	हरियाणा	167	18.15	222078	3206
9.	हिमाचल प्रदेश	149	3.45	12128	5628
10.	जम्मू व कश्मीर	167	0.41	36693	33630
11.	कर्नाटक	11	61.55	734	15
12.	केरल	74	0.12	4318	
13.	मध्य प्रदेश	70	10.45		245
14.	महाराष्ट्र	48	0.40	3534	963
15.	मेघालय	6	0.14	21	
16.	मिजोरम	59	1.50	3804	25
17.	उड़ीसा	71	15.02	185225	372
18.	पंजाब	126	2.53	145452	1574
19.	राजस्थान	125	78.60	132916	1810
20.	तमिलनाडु	18	59.00	705	
21.	उत्तर प्रदेश	367	12.77	88455	1324
22.	पश्चिम बंगाल	239	4.47	432026	4181
	योग	2544	296.67	2213945	102801

विवरण-II

1996-97 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की क्षति का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	मृतकों की संख्या	नष्ट फसल क्षेत्र (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1743	22.68	806528	168719
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	0.06	330	3018
3.	असम	42	2.46	27539	3000
4.	बिहार	262	7.34	153405	171
5.	गुजरात	117	7.12	54575	1962
6.	हरियाणा	19	0.23	12314	544
7.	हिमाचल प्रदेश	51	2.58	5774	2250
8.	जम्मू व कश्मीर	58	0.46	24521	9534
9.	कर्नाटक	244	0.83	135462	5254
10.	केरल	162	0.39	18729	
11.	मध्य प्रदेश	114	11.11	57204	2625
12.	महाराष्ट्र	198		2899	38
13.	मेघालय	8			
14.	मिजोरम			541	
15.	उड़ीसा		20.73	684	1
16.	पंजाब	13		26	1
17.	राजस्थान	138	2.10	119241	6438
18.	तमिलनाडु	210	3.28	700818	2826
19.	उत्तर प्रदेश	352	6.78	70858	1279
20.	पश्चिम बंगाल	48	0.83	203987	84
	योग	3794	88.98	2395435	207744

विवरण-III

1997-98 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की क्षति का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	मृतकों की संख्या	नष्ट फसल क्षेत्र (लाख हे.)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	305	47.32	8872	4170
2.	अरूणाचल प्रदेश	8			
3.	असम	15	1.01	4770	
4.	बिहार	186	7.89	201390	151
5.	गुजरात	285	1.98	142819	5788
6.	हरियाणा				
7.	हिमाचल प्रदेश	223	2.54	11067	4809
8.	जम्मू व कश्मीर	80	0.08	20907	6682
9.	कर्नाटक	59	36.15	1641	82
10.	केरल	227	0.90	20494	183
11.	मध्य प्रदेश	137	22.34	548693	3216
12.	महाराष्ट्र	273	13.42	46790	1328
13.	मिजोरम	1		8589	
14.	उड़ीसा	51	4.06	89678	69
15.	पंजाब	22	6.24	10685	75
16.	राजस्थान	64	3.50	10196	348
17.	सिक्किम	67		3000	5
18.	तमिलनाडु	162	1.68	155348	454
19.	उत्तर प्रदेश	160	2.70	5144	751
20.	पश्चिम बंगाल	38	1.93	40766	
	योग	2373	153.74	1330849	28111

विवरण-IV

1998-99 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की क्षति का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	मृतकों की संख्या	नष्ट फसल क्षेत्र (लाख हे.)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या
1.	असम	3		4985	
2.	उत्तर प्रदेश	5		142	24
3.	पश्चिम बंगाल	5	0.09	15157	47
	योग	13	0.09	20264	71

विवरण-V

1995-2000 के लिये आपदा राहत कोष

(लाख रुपये में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-2000
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	11721	12419	13105	13773	14359	65377
2. अरूणाचल प्रदेश	664	704	743	781	813	3705
3. असम	4720	5001	5277	5547	5783	26328
4. बिहार	4904	5196	5483	5763	6007	27353
5. गोवा	101	107	113	119	124	564
6. गुजरात	13176	13960	14731	15483	16140	73490
7. हरियाणा	2365	2505	2644	2779	2097	13190
8. हिमाचल प्रदेश	2544	2695	2844	2989	3116	14188
9. जम्मू व कश्मीर	1860	1971	2079	2184	2279	10374
10. कर्नाटक	3949	4185	4416	4641	4839	22030
11. केरल	5229	5540	5847	6144	6405	29165
12. मध्य प्रदेश	4821	5108	5389	5665	5905	26888
13. महाराष्ट्र	6437	6820	7197	7564	7885	35903
14. मणिपुर	235	248	261	275	287	1306
15. मेघालय	263	279	295	309	323	1469
16. मिजोरम	120	127	133	140	147	667
17. नागालैंड	160	171	180	188	196	895
18. उड़ीसा	4625	4901	5172	5436	5667	25801
19. पंजाब	5111	5415	5715	6005	6261	28507
20. राजस्थान	16399	17904	18893	19856	20700	94252
21. सिक्किम	444	471	497	523	544	2479
22. तमिलनाडु	5602	5935	6263	6583	6863	31245
23. त्रिपुरा	424	449	475	499	520	2367
24. उत्तर प्रदेश	11809	12512	13203	13876	14467	65867
25. पश्चिम बंगाल	4844	5132	5416	5692	5933	27017
योग	113026	119755	126371	132815	138460	630427

विवरण-VI

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिये रा.आ.रा.को. से राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता तथा इससे निर्मुक्त की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं०	राज्य	1995-96 सहायता		1996-97 सहायता		1997-98 सहायता		1998-1999 सहायता		कुल सहायता	
		मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई 1995-99	निर्मुक्त 1995-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	675.26	21.00	2819.37	142.00	1159.28	42.00	–	–	4853.91	205.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.50	10.00	110.53	3.00	105.15	**			266.18	13.00
3.	असम			415.91	21.00					415.91	21.00
4.	बिहार	1102.28	21.00	168.92	7.00	428.82	10.00			1700.02	38.00
5.	गुजरात			282.01	**	664.33	88.90			946.34	86.90
6.	हरियाणा	588.09	39.41	102.00	**					690.09	39.41
7.	हिमाचल प्रदेश	481.96	12.49	458.37	10.56	609.78	24.80			1550.11	47.85
8.	जम्मू व कश्मीर	211.08	18.17	273.97	**					485.05	18.17
9.	कर्नाटक	256.23	**	621.54	**	723.00	22.00			1600.78	22.00
10.	केरल	151.12	**	342.00	**	1106.28	12.91	537.50		2136.88	12.91
11.	मध्य प्रदेश			256.19	**	2759.11	67.76			3015.30	67.76
12.	महाराष्ट्र					156.76	**			156.76	
13.	मणिपुर					59.13	$			59.13	$
14.	मेघालय	41.13	10.00							41.13	10.00
15.	मिजोरम	59.99	4.71							59.99	4.71
16.	उड़ीसा	564.00	30.75	570.70	54.00	151.50				1286.20	8475
17.	पंजाब	658.00	16.16			347.72	$			1005.72	16.16
18.	राजस्थान	612.99	21.00	321.00	**	51.18	$			985.17	21.00
19.	सिक्किम			43.92	5.52	107.39	7.00			151.31	12.52
20.	तमिलनाडु	630.00	**	621.55	25.00					1251.55	25.00
21.	त्रिपुरा	41.21	**		**			–		41.21	
22.	उत्तर प्रदेश	357.40	**	589.90	**	566.07	**			1513.37	
23.	पश्चिम बंगाल	631.99	21.00	309.00	**	177.00	**	89.46	$	1207.45	21.00
	योग	7313.23	225.69	8306.89	268.08	9172.48	273.37	626.96	0.0	25419.56	767.14

** अत्यंत गंभीर अथवा नहीं मानी गई।

$ प्रक्रिया के अधीन।

उच्च स्तरीय अमेरिकी शिष्टमंडल

*8. श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री आर. साम्बाशिवा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल रिचर्डसन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था तथा विभिन्न नेताओं के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या गौरी प्रक्षेपास्त्र की परीक्षण उड़ान तथा चीनी सहायता से पाकिस्तान द्वारा परमाणु शस्त्र युक्त 'गजनवी' के विकास का मामला भी वार्ता के दौरान उठाये गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो अमेरिकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या अमेरिकी शिष्टमंडल ने इस्लामाबाद के साथ यह मुद्दा उठाने का वायदा किया था;

(च) क्या भारत का विचार पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र के खतरे का मुकाबला करने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो ऐसा किस प्रकार किया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत बिल रिचर्डसन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 14 और 15 अप्रैल, 1998 को भारत की यात्रा पर आया। विदेश मंत्रालय में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस अमरीकी शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश राज्य मंत्री से भी मुलाकात की।

(ख) शिष्टमंडल की यह यात्रा उस व्यापक वार्ता के संदर्भ में थी जिसमें अमरीका और भारत पिछले कई महीनों में व्यस्त थे, दिल्ली में उनकी कई बैठकों के दौरान भारत-अमरीकी द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

(ग) से (ङ) चूंकि गौरी नामक मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने के पाकिस्तान के दावे के तुरन्त बाद अमरीकी शिष्टमण्डल यात्रा पर आया, इस घटना पर भी चर्चा की गई। अमरीकी पक्ष ने अपने वक्तव्य में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण पर खेद व्यक्त किया। उसने भारत से संयम बरतने का अनुरोध किया तथा कहा कि यह शिष्टमंडल अपनी इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान प्रक्षेपास्त्र परीक्षण के बारे में चर्चा करेगा। हमारे पक्ष ने यह अवगत कराया कि गौरी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कोई एक अकेली घटना नहीं है बल्कि यह विदेशी सहायता से प्रक्षेपास्त्र क्षमता प्राप्त करने के पाकिस्तान के सतत् कार्यक्रम का एक भाग है। पहले के अवसरों पर भी यह बताया गया है कि सरकार उन घटनाओं का जायजा लेती रहेगी जिनका भारत के सुरक्षा वातावरण पर प्रभाव पड़ता है।

(च) और (छ) भारत एक प्रभावी और समयबद्ध रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। विभिन्न दूरी के प्रक्षेपास्त्रों तथा क्षमताओं के संबंध में भारत का एक एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम है। इस दिशा में उच्च प्राथमिकता पर कार्य चल रहा है।

जल संकट

***9. प्रो० पी.जे. कुरियन :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र की हाल की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत जल-संकट की ओर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) एवं विश्वव्यापी प्राकृतिक निधि (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) द्वारा संयुक्त रूप से "भारत के बच्चों और प्रकृति के लिए ताजा जल" नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट (अप्रैल, 1998) में यह बताया गया है कि भारत में ताजे जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार ह्रास होने के कारण सन् 2003 तक जल की कमी हो जायेगी और सन् 2013 तक जल की तंगी हो जायेगी।

(ग) और (घ) प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से कम जल-उपलब्धता की कोई भी स्थिति कमी की स्थिति मानी जाती है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, भारत में कुल वार्षिक पुनर्भरणीय ताजा जल 1869 बिलियन घन मीटर उपलब्ध है और विभिन्न वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता इस प्रकार है :

वर्ष	प्रतिव्यक्तिजल-उपलब्धता (घन मीटर में)
1991	2213
1996	2000
2000	1875
2016	1479

इसलिए बढ़ती हुई आबादी तथा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में तीव्र गति से हो रही वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार गिरावट हो रही है। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है सन् 2016 के अंत तक देश में औसतन प्रति व्यक्ति कुल मिलाकर 1000 घन मीटर से अधिक जल उपलब्ध होगा और इस प्रकार भारत में सन् 2013 तक जल की कमी नहीं होगी। जल की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा देने वाली जल प्रबंधन पद्धतियों, विभिन्न पद्धतियों के जरिए जल संरक्षण पर बल देना और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के प्रबंध में लोगों को भागीदारी तथा चुनिंदा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। सरकार वर्षा जल को जमा करने और जल विभाजक प्रबन्धन को भी बढ़ावा दे रही है।

गेहूं का उत्पादन

***10. श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1998 के "दैनिक जागरण" में "आई.सी.ए.आर. को इस साल गेहूं उत्पादन का लक्ष्य

हासिल होने की उम्मीद नहीं'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और 1997-98 के दौरान गेहूं के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और तत्संबंधी पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो गेहूं के आयात सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कथित समाचार के अनुसार, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने आकलन के मुताबिक 1997-98 के लिये गेहूं का उत्पादन 67-68 मिलियन टन बताया था। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सरकारी अनुमानों के अनुसार नवीनतम उपलब्ध जानकारी के आधार पर गेहूं का उत्पादन 66.4 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिये गेहूं के उत्पादन के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(मिलियन टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	60.0	62.1
1996-97	65.0	69.3
1997-98	68.5	66.4

(ग) और (घ) निर्धारित न्यूनतम बफर मानदण्डों, देशों में अनाज के उत्पादन, खरीद के रुख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याणकारी स्कीम के लिये आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों आदि के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय पूल में अनाज के भण्डार की स्थिति की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है और परिस्थिति के अनुसार अनाज (गेहूं और चावल) के आयात के बारे में निर्णय लिये जाते हैं। वर्ष 1997-98 (रबी मौसम) के दौरान गेहूं उत्पादन की समीक्षा के उपरान्त सरकार ने 1998-99 के दौरान 2 मिलियन टन तक गेहूं के आयात का निर्णय लिया था। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं के आयात के लिये कार्रवाई हेतु राज्य व्यापार निगम को अधिकृत किया गया है। तद्नुसार, राज्य व्यापार निगम ने 1998-99 के दौरान आस्ट्रेलिया से 1.5 मिलियन टन गेहूं के आयात संबंधी अनुबंधों को अन्तिम रूप दे दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि 0.5 मिलियन टन की शेष मात्रा का आयात अभी न किया जाए।

खाद्यान्न उत्पादन

***11. श्री अशोक मानदेवराव मोडोल :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में हुए खाद्यान्न उत्पादन की कुल मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है और उसमें नकदी फसलों का कितना-कितना हिस्सा है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में हुए प्रति हेक्टेयर औसत खाद्यान्न उत्पादन का भी आकलन किया है तथा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में होने वाले प्रति हेक्टेयर औसत खाद्यान्न उत्पादन का क्या अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों (चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन और कुल खाद्यान्न) और नकदी फसलों (तिलहन, कपास, गन्ना और जूट और मेस्ता) के उत्पादन और उपज को दर्शाने वाले विवरण-I से IX संलग्न हैं।

खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से, सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, यथा गेहूं, चावल और मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के लिये समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, देश में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के मिनी किट्स कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ताकि विभिन्न फसलों के बीजों की स्थान विशिष्ट उच्च उत्पादक किस्मों/संकर बीजों को लोकप्रिय बनाया जा सके जिससे उत्पादकता में वृद्धि ला करके विभिन्न खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से किए जाने वाले उपायों में उच्च उत्पादक किस्मों/संकर किस्मों के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को लाना, कुछ फसलों के मामले में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाकर जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करना, बेहतर फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का समावेशन आदि शामिल है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु मूल्य समर्थन कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं।

विवरण-I

1994-95 से 1997-98 तक चावल के उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	9277	9014	9900	8043	2550	2441	2494	2463
असम	3309	3390	3328	3613	1350	1354	1336	1394
बिहार	6298	6640	7236	7089	1297	1318	1427	1414
गुजरात	942	827	946	1042	1543	1450	1474	1548
हरियाणा	2227	1847	2466	2385	2801	2225	2968	2833
हिमाचल प्रदेश	112	111	109	110	1358	1346	1329	1358
जम्मू व कश्मीर	585	509	431	615	2157	1863	1567	2204
कर्नाटक	3168	3024	3148	3169	2445	2390	2338	2434
केरल	975	953	838	1125	1937	2023	1941	2344
मध्य प्रदेश	6463	5839	6201	5695	1208	1093	1172	1054
महाराष्ट्र	2397	2563	2614	2424	1558	1689	1769	1631
उड़ीसा	6353	6226	4376	6351	1426	1375	981	1392
पंजाब	7703	6768	7338	7904	3383	3132	3397	3465
राजस्थान	173	118	174	190	1089	843	1184	1166
तमिलनाडु	7563	5290	6061	7356	3394	2712	2672	3130
उत्तर प्रदेश	10365	10363	11773	12163	1859	1862	2121	2148
पश्चिम बंगाल	12236	11887	12637	12600	2120	1997	2179	2154
अन्य	1669	1608	1736	1650	1748	1687	1761	1575
अखिल भारत	31814	76975	81312	83524	1911	1797	1879	1930

विवरण-II

1994-95 से 1997-98 तक गेहूं के उत्पादन व उत्पादकता के राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	8	8	6	6	764	729	685	667
असम	104	95	117	105	1290	1108	1332	1167
बिहार	4725	4239	4611	3992	2064	1986	2168	2031
गुजरात	1962	1124	1336	1495	2723	2220	2299	2471
हरियाणा	7303	7291	7832	7300	3677	3697	3879	3687
हिमाचल प्रदेश	599	537	531	600	1582	1410	1487	1630
जम्मू व कश्मीर	349	399	409	400	1461	1637	1689	1600
कर्नाटक	172	146	190	199	706	666	766	777
मध्य प्रदेश	7279	6667	7384	7417	1736	1658	1755	1702

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	1111	898	1167	668	1449	1279	1460	901
उड़ीसा	7	6	7	7	1367	1245	1320	1750
पंजाब	13542	12518	13679	13200	4090	3884	4235	4093
राजस्थान	5613	5493	6776	6457	2417	2501	2740	2670
उत्तर प्रदेश	22560	21816	24332	23500	2508	2245	2659	2594
पश्चिम बंगाल	745	725	839	900	2287	2147	2390	2400
अन्य	139	137	60	138	2697	2663	1260	2875
अखिल भारत	65767	62097	69275	66384	2559	2483	2671	2578

विवरण-III

वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक मोटे अनाज के उत्पादन व उत्पादकता के राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	1826	1873	2010	1810	1121	1186	1294	1302
असम	17	19	18	13	606	621	624	619
बिहार	1609	1514	1674	1542	1484	1681	1763	1787
गुजरात	1824	1696	2264	2382	926	925	1220	1295
हरियाणा	970	587	814	855	1240	765	1067	1098
हिमाचल प्रदेश	682	703	638	666	1914	2013	1817	1860
जम्मू एवं कश्मीर	486	550	467	607	1469	1659	1416	2176
कर्नाटक	4147	4788	5264	4785	1076	1243	1336	1247
केरल	6	6	6	7	632	625	655	778
मध्य प्रदेश	2033	2469	2263	2325	651	831	749	807
महाराष्ट्र	6319	6505	8772	5699	828	839	1071	743
उड़ीसा	129	139	153	129	595	697	705	655
पंजाब	481	436	466	448	2090	1986	2268	2207
राजस्थान	3959	2500	4012	4370	579	417	622	677
तमिलनाडु	1185	882	1174	1014	1270	1088	1111	968
उत्तर प्रदेश	3803	4000	3924	4107	1253	1323	1346	1396
पश्चिम बंगाल	164	131	107	130	2402	1846	1811	1940
अन्य	237	233	249	255	1205	1218	1267	2402
अखिल भारत	29876	29032	34274	31144	924	940	1068	980

विवरण-IV

1994-95 से 1997-98 तक कुल दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	673	771	768	562	420	479	477	362
असम	59	57	68	73	540	534	572	575
बिहार	790	561	613	666	823	608	671	763
गुजरात	519	457	663	781	575	543	721	737
हरियाणा	494	412	343	440	1064	974	823	944
हिमाचल प्रदेश	13	11	11	33	338	287	325	767
जम्मू व कश्मीर	231	16	17	22	520	483	545	710
कर्नाटक	621	688	669	485	377	453	382	277
केरल	19	15	15	19	895	719	716	864
मध्य प्रदेश	3654	3098	3715	3376	703	598	719	678
महाराष्ट्र	1698	1639	2037	1381	472	496	613	423
उड़ीसा	410	431	299	384	441	464	350	439
पंजाब	91	84	81	97	878	818	824	1010
राजस्थान	1966	1456	1876	1908	546	407	494	483
तमिलनाडु	340	233	410	391	492	404	430	488
उत्तर प्रदेश	2479	2189	2664	2231	875	774	924	791
पश्चिम बंगाल	135	141	156	173	594	671	672	665
अन्य	57	51	54	53	838	801	826	791
अखिल भारत	14048	12310	14460	13075	610	552	623	567

विवरण V

1994-95 से 1997-98 तक कुल खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	11784	11667	12684	10421	1713	1693	1776	1676
असम	3489	3561	3532	3804	1308	1306	1294	1344
बिहार	12971	12953	14134	13289	1446	1440	1560	1525
गुजरात	5247	4103	5209	5700	1249	1094	1303	1365

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	10994	10137	11455	10980	2730	2539	2843	2700
हिमाचल प्रदेश	1407	1362	1289	1409	1643	1602	1562	1658
जम्मू व कश्मीर	1443	1473	1324	1644	1630	1672	1508	1959
कर्नाटक	8107	8546	9271	8638	1152	1261	1272	1209
केरल	1000	974	858	1151	1873	1943	1863	2252
मध्य प्रदेश	19428	18073	19563	18813	1088	1032	1106	1068
महाराष्ट्र	11525	11604	14590	10172	852	874	1058	772
उड़ीसा	6899	6802	4834	6871	1231	1201	873	1219
पंजाब	21817	19806	21564	21649	3684	3471	3787	3729
राजस्थान	11710	9567	12838	12925	906	804	998	995
तमिलनाडु	9088	6405	7645	8761	2358	1918	1787	2086
उत्तर प्रदेश	39208	38368	42693	42001	1918	1886	2083	2051
पश्चिम बंगाल	13279	12885	13739	13803	2077	1960	2133	2107
अन्य	2101	2028	2099	2096	1653.734	1610.754	1620.157	1611
अखिल भारत	191495	180415	199321	194127	1546	1491	1601	1577

विवरण-VI

1994-95 से 1997-98 तक कुल तिलहनों के उत्पादन के राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (हजार टन में)				उपज (कि० ग्रा० / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2110	3040	2426	1447	681	967	810	590
असम	164	156	155	172	350	509	511	581
बिहार	144	142	161	143	631	633	697	675
गुजरात	3707	2164	3809	4056	1219	741	1340	1323
हरियाणा	803	783	1004	866	1392	1283	1481	1194
हिमाचल प्रदेश	8	10	10	11	387	470	480	379
जम्मू व कश्मीर	27	44	44	42	419	647	659	646
कर्नाटक	1542	1742	1714	1380	601	666	672	558
मध्य प्रदेश	3857	4950	4998	6041	764	879	851	985
महाराष्ट्र	1814	1981	2384	1971	682	775	880	763
उड़ीसा	244	243	177	180	535	531	422	419

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	264	306	310	303	1260	1214	1337	1289
राजस्थान	2834	3070	3525	3222	836	799	909	786
तमिलनाडु	1874	1593	1929	1468	1455	1458	1393	1288
उत्तर प्रदेश	1379	1424	1772	1668	833	883	894	1021
पश्चिम बंगाल	415	372	451	619	780	746	859	889
अन्य	92	88	94	100	1396	1395	1341	1239
अखिल भारत	21337	22106	24960	23689	843	851	931	897

विवरण-VII

1994-95 से 1997-98 तक कपास के उत्पादन के राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 170 कि0ग्रा0 की हजार गांठें)				उपज (कि0 ग्रा0 / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	1426	1610	1849	1169	286	259	312	221
गुजरात	2269	2202	2657	2758	320	265	304	317
हरियाणा	1373	1283	1504	1125	419	338	394	292
कर्नाटक	822	849	932	812	220	214	237	303
मध्य प्रदेश	346	424	437	907	123	140	141	301
महाराष्ट्र	2500	2796	3143	1860	154	155	173	101
पंजाब	1779	1950	1925	908	499	442	441	213
राजस्थान	875	1338	1363	1389	306	375	354	396
तमिलनाडु	440	339	373	411	293	221	145	315
उत्तर प्रदेश	12	15	7	8	188	177	159	151
अन्य	46	54	61	71	227	255	266	241
अखिल भारत	11888	12861	14252	11418	257	242	266	222

विवरण-VIII

1994-95 से 1997-98 तक गन्ने के उत्पादन के राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (मी0 टन में)				उपज (कि0 ग्रा0 / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	16046	15180	14945	14277	76702	70999	75103	74359
असम	1505	1490	1280	1400	42275	41513	39397	42424

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	5663	5485	6323	6320	45968	43843	45164	37176
गुजरात	10785	10511	11408	11150	69716	65045	68782	71935
हरियाणा	7010	8090	8960	8400	58417	56181	54969	60000
हिमाचल प्रदेश	54	67	70	70	17833	20938	20676	23333
कर्नाटक	33093	24918	21852	20983	95949	79559	85861	87066
मध्य प्रदेश	1377	1914	2211	2030	36917	39960	38055	38302
महाराष्ट्र	44260	46656	41805	34960	85527	80442	80986	76000
उड़ीसा	1199	1594	1419	1600	59044	58396	64509	53333
पंजाब	5160	8620	11040	8700	62169	65303	63815	65909
राजस्थान	987	1411	1290	1065	45068	50386	48322	53250
तमिलनाडु	36456	32944	26930	30470	111214	100994	99300	103993
उत्तर प्रदेश	110239	119830	124841	116245	59942	60692	59431	59430
पश्चिम बंगाल	649	1312	1810	1430	61217	76262	72703	71500
अन्य	1058	1077	1073	1060	108275	99021	97245	101058
अखिल भारत	2755399	2810005	2772541	260160	71254	67777	66523	66418

विवरण-IX

1994-95 से 1997-98 तक जूट और मेस्ता के उत्पादन का राज्यवार अनुमान

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 180 कि0ग्रा0 की 000 गांठें)				उपज (कि0 ग्रा0 / हैक्टेयर)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	630	630	717	589	1460	1420	1435	1233
असम	951	871	830	916	1777	1666	1501	1632
बिहार	1134	1167	1447	1460	1432	1543	1609	1602
कर्नाटक	11	10	9	9	285	284	270	270
मध्य प्रदेश	6	6	8	7	379	392	422	420
महाराष्ट्र	46	40	46	46	255	261	266	267
उड़ीसा	207	256	274	238	931	1137	1121	1127
पश्चिम बंगाल	5988	5743	7572	6466	2095	1969	2166	1850
अन्य	103	84	90	91	1244	1158	1171	1170
अखिल भारत	9076	8807	10992	9822	1760	1712	1835	1649

[हिन्दी]

चीन के साथ वार्ता

*12. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपुल लिबरेशन आर्मी के चीफ आफ जनरल स्टाफ ने अपनी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा हुई;

(ग) वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में हाल ही में निर्मित हैलीपैड सुविधाओं के बारे में बातचीत हुई;

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) चीन के साथ सीमा संबंधी अनिर्णीत मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल स्टाफ प्रमुख फू क्वान्यियू 27 अप्रैल, 1998 को प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले। वह ज्वांयट चीफ आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एअर चीफ मार्शल एस.के. सरीन के निमंत्रण पर 26 अप्रैल से 1 मई, 1998 तक भारत की यात्रा पर आए।

प्रधानमंत्री ने भारत-चीन संबंधों की सकारात्मक प्रवृत्तियों का स्वागत किया तथा उन्होंने हमारे संबंधों की गति कायम रखने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने जनरल फू से यह अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रपति ज्यांग जेमिन, प्रधान मंत्री झू रोंग्जी तथा एन पी सी के अध्यक्ष ली पेंग तक उनकी सद्भावना पहुँचा दें। प्रधानमंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि एक दूसरे की चिन्ताओं को देखते हुए तथा उनका सम्मान करते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होना चाहिए। इस दुनिया के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच एक दूसरे के आदर के आधार पर कायम समझबूझ से एशिया तथा विश्व में शांति और सुरक्षा में योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 1993 के सीमा शांति और प्रशांति करार तथा 1996 के विश्वासोत्पादक उपायों संबंधी करार पर विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया और यह कहा कि भारत के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में ध्यान देने के लिए स्थायी वातावरण चाहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में कुछ समस्याएं हैं क्योंकि यह रेखांकित नहीं की गई थी और यह कार्य मैत्रीपूर्ण वातावरण में होना चाहिए।

सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन सीमा प्रश्न के न्यायोचित, यथोचित और आपसी स्वीकार्य हल निकालने की दिशा में कार्य करने के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों देश भारत-चीन सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्यदल तथा भारत-चीन विशेषज्ञ दल के ढांचे के अन्तर्गत बातचीत कर रहे हैं। 1993 में हस्ताक्षरित सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना तथा प्रशांति करार और नवम्बर, 1996 में हस्ताक्षरित विश्वासोत्पादक उपाय करार सीमा क्षेत्र में शांति तथा प्रशांति बनाये रखने में अपना योगदान दे रहे हैं।

[अनुवाद]

परमाणु रिएक्टरों संबंधी सुरक्षा पहलू

*13. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु रिएक्टरों और परमाणु बिजलीघरों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कराया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पहलुओं के अध्ययन के लिए किसी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और इसे किस स्थान पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ अनुसंधान और व्यावसायिक विद्युत उत्पादन दोनों के लिए नाभिकीय रिएक्टरों और संबद्ध सुविधाओं के संबंध में डिजायन से लेकर उन्हें चालू किए जाने तक प्रत्येक चरण पर और प्रचालन में भी सुरक्षा पहलुओं की पूर्णतया जांच की गई और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा और सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरूआत से ही अपने स्थान पर रहे हैं और निरंतर किए जा रहे कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टरों और विद्युत संयंत्रों की प्रचालन संबंधी सुरक्षा को विशेषज्ञ समितियों द्वारा तीन स्तरों पर लगातार मानीटर किया जाता है, अर्थात् (i) यूनिट सुरक्षा समिति (ii) प्रचालन संयंत्र की सुरक्षा पुनरीक्षा समिति (सारकोप) और (iii) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ''सारकोप'' को यह प्राधिकार सौंपा हुआ है कि जहां भी आवश्यक हो काम कर रहे संयंत्रों पर नियामक प्रतिबंध लगाए।

(ख) और (ग) नाभिकीय सुविधाओं और विकिरण संस्थापनाओं के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करने के लिए एक नया सुरक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव फिलहाल संकल्पनात्मक अवस्था में है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलें

*14. श्री सोडे रमैया :
श्री के. येरननायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का वर्तमान व्यापक फसल बीमा योजना को संशोधित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में किन-किन फसलों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या उस योजना के अंतर्गत कुछ और फसलों और देश के सभी जिलों को शामिल करने को कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर भी क्रियान्वित करने का विचार है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) तथा (घ) से (छ) जी, हाँ। वर्तमान वृहत् फसल बीमा योजना में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समय वृहत् फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाली फसलें गेहूं, धान, कदन्न (मक्का सहित), तिलहन और दलहन हैं।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

*15. श्री रामपाल सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी होने के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि का रुख देखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत रही। तथापि, खासतौर से मानसून के विलम्ब से आने, अनेक स्थानों पर इसके आने के समय में असमानता और मानसून के बाद के महीनों में अभूतपूर्व अतिवृष्टि के कारण 1997-98 के दौरान उत्पादन में कमी होने की संभावना है। इसके अलावा यह भी सही है कि विशेष रूप से सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है।

(ख) और (ग) कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत एक नई ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गयी है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम वर्ष 1996-97 के दौरान शुरू की गयी थी, जिसमें चुनिन्दा वृहद एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को ऋण के माध्यम से सहायता देने के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

(घ) कृषि उत्पादन में वृद्धि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में निवेश के स्तर तथा कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित योजना परिव्यय पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

भूमि की क्षमता के ह्रास के कारण क्षति

* 16. श्री मोहन सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण के कारण भूमि की क्षमता में होने वाले ह्रास और फसल की बरबादी से देश में खाद्यान्न की वार्षिक हानि के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अत्यधिक क्षति होती है; और

(ग) इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) प्रदूषण के कारण भू-अवक्रमण तथा फ़सल खराब होने से देश में अनाज की वार्षिक हानि के आकलन के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं कराए गए हैं। बहरहाल, भू-अवक्रमण से मृदा उर्वरता और परिणामस्वरूप इसकी उत्पादकता अवश्य प्रभावित होगी।

(ग) जल तथा वायु अपरदन एवं अन्य स्थानीय विशिष्ट कारकों से उत्पन्न भू-अवक्रमण जोखिमों से निपटने के लिए सरकार द्वारा

अनेक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चलाई जा रही हैं जो इस प्रकार हैं : (i) नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (ii) बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (iii) क्षारीय मृदा का सुधार, तथा (iii) उत्तर-पूर्वी भारत के झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा प्रबंध स्कीम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। भू-अवक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है।

[हिन्दी]

आम की फसल की क्षति

*17. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे उत्तरी क्षेत्र में आम की फसल को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) फल उत्पादकों को आम की फसल की क्षति के कारण कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(घ) क्या सरकार का उन फल उत्पादकों को, जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, कोई मुआवजा देने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के कुछ भागों में आम की फसल का उत्पादन कम हुआ है। कम उत्पादन का कारण आम के फसल चक्र के एकान्तर वर्ष में "कम पैदावार" का वर्ष होना है जिसकी स्थिति फूल आने के मौसम के दौरान दीर्घावधिक शीत प्रकोप जैसी प्रतिकूल मौसम दशाओं तथा पुष्पन के बाद की अवधि में वर्षा तथा कभी-कभी ओला-वृष्टि के कारण और अधिक खराब हो गई।

(ग) हरियाणा तथा राजस्थान राज्य में उत्पादन में हुई हानि क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत रही है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 70 से 75 प्रतिशत हानि होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पंजाब से किसी हानि की जानकारी नहीं मिली है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) क्योंकि वृहद फसल बीमा योजना के अंतर्गत आम की फसल को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

*18. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निदेश दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आदि के निदेशकों की नियुक्ति एक चयन पैनल द्वारा की जाए और ये केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के नियंत्रणाधीन कार्य करें; और

(ख) यदि हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम० आर० अनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, सरकार ने पहले से ही केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो-चयन बोर्ड गठित कर लिया है।

[हिन्दी]

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु नीति

*19. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-पारंपरिक स्रोतों के संवर्धन और उपयोग हेतु किसी व्यापक नीति को स्वीकार किया है अथवा उस पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक विस्तृत अक्षय ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ की है, राज्य सरकारों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, उद्योगों, वित्तीय संस्थाओं और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें/परामर्श किए गए। इन आपसी विचार-विमर्श और अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार प अक्षय ऊर्जा नीति विवरण का एक मसौदा तैयार किया गया है।

अक्षय ऊर्जा नीति विवरण के मसौदे के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं: ग्रिड विद्युत आपूर्ति को बढ़ाना; ग्रामीण विकास के लिए ऊर्जा; विकेन्द्रित अनुप्रयोगों के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रतिस्थापन और पर्यावरणीय प्रदूषण और पतन के रोकना, इस नीति में संस्थागत

प्रबंधों, वित्तीय संसाधन जुटाने, उद्योग और मानव संसाधन विकास का संवर्धन, देश में अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक मुद्दों का समाधान करना भी है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देश

*20. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री रूपचन्द पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए किसी नयी नीतिगत पहल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निश्चित कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार की पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करने की नीति रही है। इस संबंध में जो देशवार विशेष पहलकदमियां की गई हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

पाकिस्तान

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से प्राप्त बधाई पत्र के प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्री ने सार्थक और व्यापक द्विपक्षीय बातचीत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति परस्पर विश्वास तथा सम्मान पर आधारित संबंधों का निर्माण करने की बात कही है।

जनवरी, 1998 में सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को दोनों देशों की बीच भावी बातचीत के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

बंगलादेश

23 मार्च, 1998 के अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने बंगलादेश की प्रधान मंत्री को बंगलादेश के साथ स्थायी, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया है।

बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बंगलादेश के विदेश मंत्री तथा बंगलादेश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत महामान्य श्री अब्दुस समद आजाद की 20 से 24 अप्रैल के बीच भारत यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया गया। इस यात्रा के दौरान सरकार ने बंगलादेश के साथ और अधिक घनिष्ठ संबंधों को संवर्धित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। बंगलादेश होकर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पारगमन अधिकारों के हमारे हित की भी पुष्टि की गई। विविधिता के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का संवर्धन करने में हमारी रुचि से भी उन्हें अवगत कराया गया।

श्रीलंका

प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष दूत और श्रीलंका के विदेश मंत्री महामान्य श्री लक्ष्मण कादिरगमर के समक्ष, जिन्होंने 21 से 23 मार्च, 1998 के बीच भारत की यात्रा की थी, श्रीलंका के साथ सहयोग को बढ़ाने की सरकार की इच्छा व्यक्त की।

म्यांमार

व्यापार और आर्थिक मामलों सहित म्यांमार सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ है। भारत ने परिवहन क्षेत्र में 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच पांचवीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक जो 26 से 29 अप्रैल, 1998 तक यांगोन में गृह सचिवों के स्तर पर हुई थी, में म्यांमार के साथ सहयोग का संवर्धन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक मिला-जुला व्यापारिक और आर्थिक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही म्यांमार की यात्रा करेगा। स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करने के क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

मालदीव

मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे। 2 से 4 जून, 1998 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम मौमून अब्दुल गयूम की भारत यात्रा पर आने की संभावना है।

नेपाल

सरकार ने भारत और नेपाल के बीच विद्यमान संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। यह दृष्टिकोण दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् हुए पत्रों के आदान-प्रदान में व्यक्त हुआ है।

सरकार नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। मार्च, 1998 में नई दिल्ली में आयोजित वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार एवं पारगमन के मसलों की समीक्षा की गयी। विचार-विमर्श के दौरान फुलवाड़ी के रास्ते नेपाल से बंगलादेश को अतिरिक्त पारगमन मार्ग के कार्य-प्रणाली पर भी बातचीत हुई और नेपाली सरकार द्वारा प्रचालन के तौर-तरीकों पर कुछ छूट देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

भारत के राष्ट्रपति 28 से 30 मई तक नेपाल की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नेपाल के महामहिम नरेश, प्रधान मंत्री तथा उस देश के अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं से बातचीत करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता और समझबूझ की जड़ें और अधिक गहरी होने की संभावना है।

उच्चस्तरीय कार्यबल, जो नेपाल से द्विपक्षीय संबंधों और विदेशों में भारतीय सहायता से प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है कि बैठक शीघ्र होने की आशा है। उच्चस्तरीय कार्यबल कुछ प्रमुख भारत-नेपाल विकास सहायता परियोजनाओं अर्थात्, कोल्हापुर-महाकाली राजमार्ग पर 22 पुलों के निर्माण, धरान में बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान की स्थापना, काठमांडु स्थित बीर अस्पताल में एक आपात एवं आघात केन्द्र इत्यादि के निर्माण की समीक्षा करेगा। यह किन्हीं नई परियोजनाओं पर भी निर्णय लेगा। जिनकी शुरूआत की जा सकती है। सरकार पंचेश्वर परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप को तैयार करने के उद्देश्य से महाकाली संधि पर भी यथाशीघ्र बातचीत जारी रखना चाहती है।

सरकार का इरादा दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्ठ सहयोग को सुदृढ़ एवं गहन बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की पहलकदमियों को जारी रखना है।

भूटान

प्रधान मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद प्रधान मंत्री और भूटान के महामहिम नरेश ने कई अवसरों पर पत्रों के आदान-प्रदान किया। इन पत्रों में उन्होंने भारत और भूटान के बीच विद्यमान घनिष्ठ सहयोग और मैत्री के परम्परागत और अनूठे सम्बन्धों को जारी रखने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार भारत और भूटान के बीच व्यापक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा उसमें और अधिक विस्तार करने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है।

भूटान ने भारत के नाभिकीय परीक्षण करने के निर्णय का परोक्ष रूप से समर्थन किया है। भूटान नरेश ने प्रधानमंत्री को इसी आशय का एक बधाई पत्र भेजा है।

भारत और भूटान का विस्तृत और पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक सहयोग का एक लम्बा इतिहास है। दोनों देशों के बीच पूर्णतः मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजूद है। भारत-भूटान व्यापार और वाणिज्य करार को मार्च, 1995 में नवीकृत किया गया था और यह 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। भारत भूटान के विकास में एक मुख्य अंशदाता रहा है। भूटान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत का अंशदान 900 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा, भारत भूटान में तीन प्रमुख परियोजना का वित्त-पोषण करेगा। ताला और कुरिचु जल विद्युत परियोजनाएं और पुंगसुम सीमेंट संयंत्र।

चीन

हाल के वर्षों में भारत, चीन के संबंध निरन्तर रूप में विकसित हुए है। उच्च स्तरीय वार्तालाप को गति प्रदान करना जारी रखा गया है और दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश 21वीं सदी की ओर उन्मुख रचनात्मक और सहयोगात्मक संबंधों की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। 1997 में द्विपक्षीय व्यापार 1.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

परस्पर हित के विभिन्न मसलों, जिनमें सीमा-प्रश्न भी शामिल है, पर भारत-चीन संयुक्त कार्यदल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया है। संयुक्त कार्यकारी दल की अन्तिम बैठक अगस्त 1997 में दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

1. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भूमिगत जल के स्तर में गिरावट के कारण पेयजल-उपलब्धता की समस्या से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन से आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। उत्तर प्रदेश सरकार को जल एकत्र करने की संरचनाएं बनाने के लिए अब तक 552.37 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है। भू-जल स्तरों में गिरते रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने के वास्ते राज्य सरकार को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तैयार किया गया भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी मैनुअल की प्रति भी दी गई है।

[अनुवाद]

समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए उपग्रह

2. श्री एस.एम. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए पहला देश में निर्मित उपग्रह कक्षा में स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक छोड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस उपग्रह से समुद्री सम्पदा के दोहन में भारत के प्रयासों को सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उपग्रह के छोड़े जाने से अन्य मुख्य लाभ क्या-क्या होंगे, विशेष रूप से तटीय राज्यों को क्या लाभ होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए प्रथम स्वदेशी उपग्रह, ओसनसैट-1 (आई.आर.एस.-पी4) का प्रमोचन वर्ष 1998 के अंत/1999 के प्रारंभ के लिए निर्धारित है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। ओसनसैट-1 (आई.आर.एस.-पी4) अपने साथ दो संवेदक, अर्थात् एक ओसन कलर मानीटर (ओ.सी.एम.) तथा एक बहु आवृत्ति क्रमवीक्षण माइक्रोवेव रेडियोमीटर (एम.एस.एम.आर.) ले जाएगा, जिसे मुख्य रूप में समुद्रविज्ञानीय उपयोगों के लिए इष्टतमी बनाया गया है। ओ.सी.एम. मछलियों के चारा (फाइटोप्लैंकटन) वाले क्षेत्रों के निर्धारण द्वारा समुद्री सम्पदा के दोहन में मदद करेगा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप में मत्स्य भण्डारों की उपलब्धता को सूचित करता है। यह सूचना मछलियों की संगावित उपलब्धता पर और अधिक शुद्धता से समेकित मत्स्य पूर्वानुमान प्रदान करने में उपयोगी होगी।

(ङ) ओसनसैट-1 (आई.आर.एस.-पी4) मिशन से प्राप्त होने वाले अन्य प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :

- फाइटोप्लैंकटन पुष्पों का संसूचन तथा मानीटरन एवं समुद्र तटीय जल में निलंबित अवसाद का वितरण;
- पवन गति, समुद्री सतह के तापमान, वायुमण्डलीय जलवाष्प तथा मेघ द्रव्य जल जैसे समुद्री प्राचलों की पुनः प्राप्ति द्वारा समुद्री अवस्था के पूर्वानुमान एवं मानसून प्रणालियों को समझने और चक्रवातजनित संबंधी अध्ययनों के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करना; और
- ग्लोबल कार्बन चक्र एवं जलवायु में समुद्र की भूमिका को समझने में उपयोग के लिए समुद्र तटीय तथा समुद्री प्राथमिक उत्पादकता अनुमानों का आकलन करना।

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

3. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी रिपोर्ट से अवगत है कि एक अमरीकी फर्म ने पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु प्रसार कार्यक्रम में मदद की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह मामला अमरीकी प्रशासन के साथ मिलकर उठाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) एक अमरीकी फर्म ह्योम्स एण्ड नश्वर की सहायता से पाकिस्तान में नये नाभिकीय हथियार परीक्षण सुविधा के निर्माण से संबंधित मीडिया में छपी खबर को सरकार ने देखा है। निजी उद्योग सूत्रों पर आधारित खबर में यह उद्घाटित किया गया है कि ह्योम्स एण्ड नश्वर 'कैलिफोर्निया की लारेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी (एल.एल.एन.एल.) में उपलब्ध सुविधा जैसे परन्तु उससे छोटे ब्लू प्रिंट पर आधारित 'कन्टेन्ड फायरिंग फैसिलिटी' का निर्माण कर रहे हैं। खबरों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान मूल के वैज्ञानिक इस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। कन्टेन्ड फायरिंग फैसिलिटी (सी.एफ.एफ.) से उपलब्ध डाटा का प्रयोग नाभिकीय हथियारों, चाहे वह बम्ब हों अथवा मिसाइल वार हैड, को सुधारने में प्रयोग किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार ह्योम्स एण्ड नश्वर' एक 65 वर्ष पुराना कार्पोरेशन है जो वास्तुकारिता, निर्माण और प्रोग्राम प्रबंधन, पर्यावरणीय, प्रचालन और रख-रखाव संगठन है। इस कार्पोरेशन के ग्राहकों में अमरीकी रक्षा विभाग तथा ऊर्जा विभाग शामिल हैं।

भारत हमारे क्षेत्र के देशों द्वारा नाभिकीय और मिसाइल संबंधी कार्यवाहियों की प्रवृत्तियों, अधिग्रहण तथा उनके विकास पर लगातार नजर रख रहा है। भारत का यह आंकलन है कि बहुत से देशों द्वारा उनके (पाकिस्तान के) अवैध और गुप-चुप प्रयत्नों को नियंत्रित करने के घोषित प्रयत्नों के बावजूद पाकिस्तान का गुपचुप नाभिकीय हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों का लक्ष्य लगातार अक्षुण्ण है। मीडिया में छपी ये खबरें हमारे इस दावे की और पुष्ट करती हैं कि पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार अधिप्राप्ति संबंधी प्रयत्नों को विदेशी स्रोतों से सहायता मिल रही है।

भारत और अमरीका द्विपीक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आपसी हित के मसलों पर उच्च स्तरीय बातचीत कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नाभिकीय पदार्थों तथा तकनीक के अप्रसार का मसला भी चल रही इस बातचीत का एक हिस्सा है।

दुग्ध उत्पादन

4. श्री टी. गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1998-99 के दौरान केरल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत केरल के किन जिलों को शामिल किया जाएगा; और

(ग) उक्त योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को मंजूरी

5. श्री मोतीलाल वोरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पुशपालन विभाग से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पास 1995 से स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों की स्वीकृति में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवंटन

6. डॉ. जयन्त रंगपी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान असम के पर्वतीय क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों) के लिए योजना आवंटन कितना था;

(ख) ऐसे आवंटन के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा किए ऐसे सभी आवंटन उन क्षेत्रों की स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषदों को जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव नाईक) : (क) से (घ) असम के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु योजना आवंटन में, राज्य योजना निधियां एवं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) शामिल है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का वितरण, नामित पर्वतीय क्षेत्रों के बीच, उनके क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है जिसमें इन दोनों मानदण्डों को समान महत्व दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु योजना आवंटन निम्नानुसार रहा है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल परिव्यय
1995-96	46.32	129.25
1996-97	46.32	138.32
1997-98	46.32	138.42

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्य सरकार को जारी की जाती है। आगे इसका क्षेत्र-वार तथा स्थानवार वितरण, संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

7. डा० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत हेतु 550 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) यह परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ईराक के खिलाफ प्रतिबंध

8. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबंध/व्यापार प्रतिबंध प्रतिषेध पर पुनर्विचार करने तथा इसे समाप्त करने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों से उत्पन्न होने वाली

ईराकी लोगों की मानवीय समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखती है। सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों के लिए प्रासंगिक ईराक के समर्थन के साथ प्रतिबन्धों को एक-एक करके हटाए जाने का समर्थन करती है। हमने सामूहिक विनाश के शस्त्रों की कतिपय श्रेणी को समाप्त करने में ईराक द्वारा अब तक की गई प्रगति को संतोष के साथ गौर किया है, प्रतिबन्धों को हटा लेने का निर्णय सुरक्षा परिषद को करना है।

गहन समुद्री मत्स्यन पोत

9. श्री के.पी. नायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में किराये पर कितने विदेशी गहन समुद्री मत्स्यन पोत कार्यरत हैं;

(ख) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत संयुक्त उद्यम के गहन समुद्री मत्स्यन पोतों की संख्या क्या है और उन्हें चलाने वाली कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में पट्टे के आधार पर कार्यरत विदेशी गहन समुद्री मत्स्यन पोतों की संख्या क्या है और उन्हें चलाने वाली कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, इन क्षेत्रों से कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में फिलहाल कोई चार्टर पोत काम नहीं कर रहा है।

(ख) संयुक्त उद्यम के अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 19 पोत काम कर रहे हैं। उनका संचालन करने वाली कंपनियों के नाम पर इस प्रकार हैं :

(1) मैसर्स न्यू ओरियंटल ट्रावलर्स प्रा० लिमिटेड

(2) मैसर्स इंडमार फिशरीज प्रा० लिमिटेड

(3) मैसर्स टिंग ताई इंडिया लिमिटेड

(4) मैसर्स मैरीन रिसोर्स इंटरनेशनल

(5) मैसर्स ड्रेगान फिशरीज लिमिटेड

(6) मैसर्स इंको फिशरीज प्रा० लिमिटेड

(ग) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 19 पोत पट्टे पर काम कर रहे हैं। उनका संचालन करने वाली कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं:

(1) मैसर्स पोर्ट ब्लायेर मुनिष-ए-ट्रेडिंग कंपनी प्रा० लिमिटेड

(2) मैसर्स सोविन सी फूड्स प्रा० लिमिटेड

(3) मैसर्स अंडमान मैरीन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट कम्पनी

(4) मैसर्स अंडमान फिशरीज प्रा० लिमिटेड

(5) मैसर्स ए.के. इंटरनेशनल

(6) मून मैरीन इंडिया

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (हजार मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1995-96	296.3	3501.11
1996-97	378.2	4121.36
1997-98	379.6 (अनन्तिम)	4642.93 (अनन्तिम)

तिलहन उत्पादन

10. श्रीमती कमला रानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तिलहन के उत्पादन का राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तिलहन उत्पादन की कोई संभावना है जहां इसका उत्पादन कम है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन (राज्यवार) के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पूर्वी राज्य नामतः बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य नामतः अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा की केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन शामिल किया गया है; ताकि तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की कार्य नीतियों में से एक क्षेत्र विस्तार है तथा इन राज्यों में तिलहन के अधीन क्षेत्र विस्तार के लिए कई स्थलों का चयन किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :- उचित मृदा संरक्षण उपाय सहित उड़ीसा राज्य के खरीफ की खाली भूमि में क्रमिक फसल तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में झूम क्षेत्र में सोयाबीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी राज्यों तथा असम के ब्रह्मपुत्र डेल्टा में धान के बीच की खाली भूमि में मूंगफली, पूर्वी राज्यों में अंतर्वर्ती फसल के रूप में तोरिया/पूर्वोत्तर पहाड़ी

राज्यों में उच्च भूमि में जल्दी काटे गये धान के बाद तोरिया अथवा लघु आवधिक सरसों की काफी क्षमता है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में धान, आलू आदि के बाद ग्रीष्म कालीन तिलापूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उच्च भूमि में लगाए गए धान के बीच सोयाबीन लगाए जाने की संभावना है बशर्ते इस क्षेत्र में पर्याप्त विपणन और प्रसंस्करण सुविधाएं सृजित की जाएं। खरीफ में, उड़ीसा तथा बिहार के उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में कम पैदावार देने वाले छोटे कदन्नों के बदले में मूंगफली लगाना तथा बिहार और उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में छोटे कदन्नों के बदले में मूंगफली और सोयाबीन लगाना। बिहार में कम पैदावार देने वाली वर्षा सिंचित गेहूं और कम सिंचित गेहूं के बदले सरसों लगाना। उड़ीसा में रबी/ग्रीष्म धान के बदले मूंगफली लगाना। पूर्वी राज्यों में नहरों के अंतिम सिरे पर गेंहू के स्थान पर सरसों लगाना।

इसके अलावा, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल बोर्ड ने असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के नए/गैर परंपरागत क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बोर्ड ने नौवी योजना के दौरान अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में भी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22 राज्यों के 361 जिलों को शामिल करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन, बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिट, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम पाइराइट उन्नत फार्म औजारों, पादप रक्षण उपस्करों, स्प्रिंकलर सैट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर राजसहायता के जरिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का राज्यवार विवरण

(मात्रा-लाख मी. टन में)

क्र० सं०	राज्य	तिलहन उत्पादन का लक्ष्य		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.00	24.75	29.61
2.	असम	1.90	1.94	1.85
3.	बिहार	1.80	2.06	4.32
4.	गुजरात	29.00	28.50	31.85
5.	हरियाणा	8.50	8.08	9.70
6.	जम्मू व कश्मीर	0.50	0.50	0.50
7.	कर्नाटक	18.70	17.87	17.60
8.	मध्य प्रदेश	42.00	46.42	52.90
9.	महाराष्ट्र	22.00	21.15	25.48
10.	उड़ीसा	7.50	7.38	6.06
11.	पंजाब	2.70	2.71	3.33
12.	राजस्थान	27.20	30.17	32.15
13.	तमिलनाडु	17.20	16.35	18.00
14.	उत्तर प्रदेश	15.50	15.64	16.15
15.	पश्चिम बंगाल	4.60	4.68	4.70
16.	अन्य	0.90	1.90	0.80
	योग	225.00	230.00	255.00

पेंशन की बकाया राशि का भुगतान

11. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अप्रैल, 1998 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''एन्डांस्ड ड्यूज ए मिराज़ फार पेंशनर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए एक पेंशनभोगी विशेषकर 70 तथा 80 के दशक में सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं परिवार पेंशनभोगी के परिवार सहित कोई पेंशनभोगी अपने बकाए के भुगतान से वंचित न रहे, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है और बैंकों के पास उपलब्ध संबंधित सूचना का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्पूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करते हुए सरकार ने 1.1.1986 से पहले सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन, 1.1.1986 से लागू वेतनमान में उनका वेतन सैद्धान्तिक रूप से निर्धारित किए जाने के आधार पर संशोधित किए जाने के क्रम में अपेक्षित आदेश पहले से ही जारी कर दिए हैं। इन अनुदेशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार 1986 से पहले के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों द्वारा अपनी पेंशन संशोधित करवाने के लिए उस विभागाध्यक्ष को आवेदन किया जाना अपेक्षित है, जिस विभाग में वह

(पेंशनभोगी/विवंगत सरकारी कर्मचारी) अपनी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से ठीक पहले सेवारत रहा हो। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा पेंशन के संशोधन के ऐसे मामलों के निबटाएं जाने के लिए एक निर्धारित समय-अनुसूची का भी प्रावधान किया गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से जोर देकर यह कहा गया है कि वे इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। सरकार ने ये आदेश भी जारी किए हैं कि 1986 से पहले के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन विधिवत् और उपयुक्ततः संशोधित किए जाने तक, उनकी मूल पेंशन 1.1.1996 के अनुसार, उस पर, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1510 अंकों तक देय महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत (i) एवं अंतरिम राहत (ii) तथा उपयुक्ततः निर्धारण संबंधी लाभ-स्वरूप मूल पेंशन की 40 प्रतिशत धनराशि जोड़कर उसे समेकित कर दिया जाए ताकि उन्हें दिनांक 27.10.1997 के आदेश के साथ लगी तालिका के आधार पर तत्काल राहत दी जा सके। पेंशन के उपर्युक्त समेकन के फलस्वरूप देय बकाया धनराशि की पहली किस्त के तौर पर 5000 रुपये की धनराशि और बाकी रहने वाली धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर दिए जाने के बारे में भी अपेक्षित आदेश 27.10.1997 को जारी कर दिए गए। उपर्युक्त धनराशि की दूसरी और अंतिम किस्त का भुगतान किए जाने के संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में, 1.1.1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों से संबंधित रिकार्ड के उपलब्ध नहीं हो पाने के मामलों में ऐसे पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को कम से कम कष्ट होने देने की दृष्टि से, विभागाध्यक्ष को जारी किए गए आदेशों में यह प्रावधान किया गया है कि वे ऐसे पेंशनभोगियों का वेतन, उनके द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व धारण किए गए पद के संबंध में 1.1.1973 से लागू वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाए।

बांध का निर्माण

12. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बैराज को पानी की आपूर्ति के लिए उत्तरी बंगाल में संकोशी नदी पर बांध बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बांध से वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों का क्या ब्यौरा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत-भूटान सीमा के निकट भूटान में संकोश नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 4600 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए 265 मीटर उच्च बांध और 63 मीटर उच्च लिफ्ट बांध बनाने की परिकल्पना है। सिंचाई के लिए प्रस्तावित नियमित जल 142 कि. मी. लम्बी गुरुत्व नहर के जरिए ले जाया जायेगा और उत्तरी बंगाल में तीस्ता बैराज के तालाब में डाला जायेगा।

(ग) इस परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से पता चलता है कि इसका वनस्पति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, जीव जन्तुओं पर सम्भावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं का सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों की आपूर्ति

13. श्री नरेन्द्र चुघानिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में फलों और सब्जियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनकी भारी मात्रा में आपूर्ति करने के प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में फलों और सब्जियों की दरों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा संगठित विपणन प्रणाली के जरिए दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों में बड़ी मात्रा में फलों और सब्जियों की सप्लाई करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे बाजार जिसके अग्र एवं पश्च संपर्क होंगे, की स्थापना के लिए व्यावहार्यता अध्ययन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा गया है। वर्तमान वर्ष (1998-99) के दौरान इस अध्ययन के लिए 1.6 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण देश के विभिन्न भागों में फलों और सब्जियों की दरें घट-बढ़ रही हैं। दरों को स्थिर करने के लिए भारत सरकार माल की अधिकता के समय मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना चला रही है। नैफेड अपने बिक्री कांउटरों पर नियंत्रित दर पर आलू और प्याज बेच रहा है। इसके अलावा, राज्यों में राज्य बागवानी उत्पाद और विपणन निगमें उचित दर पर फल और सब्जियां उपलब्ध करा रही हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं की लागत और निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि

14. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक लागत और निर्धारित समय सीमा में वृद्धि को रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा मंत्रालय-वार किन-किन परियोजनाओं की निगरानी की गई;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत और इनकी निर्धारित समय सीमा में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में समीक्षा, निगरानी करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या नीति बनायी गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) 30 सितंबर, 1997 को 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली 442 परियोजनाएं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रबोधन पर थीं। इन परियोजनाओं का विवरण परियोजना कार्यान्वयन स्थिति संबंधी तिमाही रिपोर्ट में दिया गया है जो संसद के दोनों सदनों के पुस्तकालयों में उपलब्ध है।

(ख) कार्यान्वयन की अवधि में परियोजनाओं को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कार्यान्वयन शीघ्र और सक्षम तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सही उपाय परियोजनाओं के सामने आ रही समस्याओं के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर किए जाने वाले प्रमुख उपाय निम्नवत् हैं :

- विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन प्रबोधन। इससे व्यवधानों का पता लगाने में प्रबोधन अभिकरण सक्षम होते हैं और साथ ही उपचारात्मक कदम उठाने में प्रबंधन के लिए सहायक होते हैं
- परियोजना अधिकारियों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहरी विवेचनात्मक समीक्षा।
- ठेका पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यबल/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।
- विलंब कम से कम हो इसके लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परियोजना प्राधिकरणों, उपकरणों के सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।
- अंतर-मंत्रालयीय समन्वय और संपर्क।
- परियोजना कार्यान्वयन के लिए यथार्थपरक योजना तैयार करने पर बल।
- अवरोधों वाली विशेष परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।

(ग) सामान्यतः सभी बड़ी परियोजनाएं जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, की हर महीने गहन समीक्षा की जाती है तथा विशिष्ट सुधारात्मक कार्रवाइयों के बारे में संबद्ध प्रशासनिक विभागों को सुझाव दिया जाता है। जिससे कि आगे और देरी तथा लागत वृद्धि से बचा जा सके।

खाड़ी में भारतीयों की स्थिति

15. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी में भारतीय लोगों की परेशानियों को समझने के लिए हाल ही में कोई समिति वहां गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने तथा वहाँ रह रह लोगों के सम्मुख पेश आ रही कठिनाइयों को समझने के लिए भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श करने के उद्देश्य को लेकर विदेशी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के नौ सदस्यीय एक शिष्टमंडल ने 17 से 25 अक्टूबर, 1997 तक खाड़ी देशों की यात्रा की।

(ख) और (ग) विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की टीका-टिप्पणियों एवं सिफारिशों से युक्त शिष्टमंडल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता

16. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को दी गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसानों ने उक्त अवधि के दौरान प्राप्त राजसहायता का लाभ उठा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कृषि विकास के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) कृषि क्षेत्र को दी गई सिंचाई तथा बिजली संबंधी राजसहायता का राज्यवार उपलब्ध विवरण संलग्न है।

उर्वरकों से संबंधित राजसहायता/रियायतें किसानों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती, अपितु वे विनिर्माताओं/आयातकों के माध्यम से दी जाती हैं। इस प्रकार कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। बहरहाल, अखिल भारतीय स्तर पर उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता/रियायतों की धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1995-96	6733/-
1996-97	7767/-
1997-98 (संशोधित)	10026/-

(ङ) और (च) उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, पटसन एवं मेस्ता, गन्ने तथा बागवानी फसलों से संबंधित अनेक फसल विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन व्यापक स्तर पर कर रही है।

विवरण

कृषि तथा विद्युत क्षेत्र को सब्सिडी का विवरण (राज्यवार तथा केन्द्रीय)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कृषि*			विद्युत**		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	56702	71606	79280	44	65	1495
2.	अरूणाचल प्रदेश	1260	1441	399			
3.	असम	1290	3263	1810			
4.	बिहार	11116	11457	12333	56769	42876	28646
5.	गोवा	536	510	635			
6.	गुजरात	54510	61476	74192	81144	70826	68604
7.	हरियाणा	18476	21120	22416	6087	45630	21154
8.	हिमाचल प्रदेश	2115	2952	3046	934	4024	3731
9.	जम्मू व कश्मीर	4258	4706	5546			
10.	कर्नाटक	33218	34034	36472	3881	14969	
11.	केरल	6222	8670	10661	116		
12.	मध्य प्रदेश	19120	17899	21692	68480	22273	32326
13.	महाराष्ट्र	82706	91282	111568	800	185	91
14.	मणिपुर	116	176	424		2	
15.	मेघालय	356	350	517			
16.	मिजोरम	67	197	202			
17.	नागालैण्ड	299	301	334			
18.	उड़ीसा	7111	8376	16034	7165	23884	24494
19.	पंजाब	16802	12335	13561	40	50	60

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	28897	29851	33896	485	586	751
21.	सिक्किम	189	403	598			
22.	तमिलनाडु	76969	92093	64361	13	345	586
23.	त्रिपुरा	998	950	1447			
24.	उत्तर प्रदेश	74847	87655	34406	8497		
25.	पश्चिम बंगाल	14873	20154	20068	4600	6846	
26.	दिल्ली	241	287	377			
27.	पाण्डिचेरी	435	383	513	15		
	कुल	513729	583927	566787	239100	232561	181938
28.	केन्द्रीय सरकार	-	-	-	879	1187	886
29.	अचल पूंजी की खपत के कारण समायोजित एवं परिकलित सिंचाई सब्सिडी***	186466	208400	238643			

* किसानों को सप्लाई किये जाने वाले पानी की दरें नीतिगत मामले के तौर पर कम रखी जाती है, परिणामतः सरकारी व्यवस्था को हानि होती है। सकल राजस्व की तुलना में प्रचालन लागत का अधिशेष का परिकलन सिंचाई सब्सिडी के रूप में किया जाता है।

** विद्युत में विद्युत मंडलों तथा निगमों को दी जाने वाली सभी सब्सिडियां शामिल हैं। खासतौर से कृषि से संबंधित विद्युत सब्सिडी के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

*** राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्न का उत्पादन

17. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का वर्ष-वार उत्पादन कितना रहा और देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) अगले पांच से दस वर्षों में खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों और किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान अनाज उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(मिलियन टन)
1994-95	191.5
1995-96	180.4
1996-97	199.3
1997-98 (संभावित)	194.1

नौवीं योजना के दस्तावेज के मसौदे में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 2001-2002 के लिये अनाज उत्पादन का लक्ष्य 231 मिलियन टन रखा गया है।

(ख) देश में अनाज का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये विभिन्न फसल विकास कार्यक्रम जैसे - आई.सी.डी.पी. - चावल, आई.सी.डी.पी. - गेहूं तथा आई.सी.डी.पी.-मोटे अनाज, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न फसलों की उच्च पैदावार देने वाली स्थानीय विशिष्ट किस्मों/वर्ण शंकर बीजों को लोकप्रिय बनाने संबंधी मिनिकिट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि उत्पादकता बढ़ सके और इस तरह विभिन्न खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ सके।

2. उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में उच्च पैदावार देने वाली किस्मों/हाइब्रिड्स के तहत क्षेत्र कवरेज में वृद्धि कुछ फसलों में छिड़काव सिंचाई प्रणाली अपनाकर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाना आदि शामिल है। अनाज की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ आने वाले पांच से दस वर्षों तक जारी रखे जाने की संभावना है। इसके अलावा, देश के पूर्वी भाग में नलकूपों तथा लिफ्ट प्वाइन्टों की स्थापना द्वारा छोटे सिंचाई स्रोतों के विकास के लिये नौवीं पंचवर्षीय योजना में "खेती में कुशल

जल प्रबन्ध'' नामक एक नयी केन्द्रीय प्रयोजित योजना का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय महासागर वर्ष

18. श्री कृष्णलाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष 1998 में पूरे विश्व में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महासागर वर्ष समारोह में शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महासागर गवेषण के क्षेत्र में शोध कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एस.आर. जनार्दनन) : (क) जी हाँ। श्रीमान्।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, दिसम्बर 1994 में अंगीकृत संकल्प के माध्यम से वर्ष 1998 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को का अन्तरसरकारी समुद्र वैज्ञानिक आयोग (आई.ओ.सी.) अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष की गतिविधियां समन्वित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष, सरकारों, संगठनों और जनता का ध्यान समुद्र जीवन सहायक संसाधनों व पर्यावरण तथा पृथ्वी पर जलवायु प्रणाली को सहयोग देने वाले संसाधनों की महत्ता की ओर केन्द्रित करने और उसे मजबूत बनाने के अवसर उपलब्ध करवाएगा। महासागर विकास विभाग ने अन्तर-विभागीय परामर्शों से, भारत में गतिविधियाँ शुरू करने का प्रस्ताव किया है :

(i) डाक सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष के संदेश की छपाई:

> अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष का सन्देश, अंग्रेजी व हिन्दी के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में डाक विभाग के माध्यम से 20 लाख अंतर्देशीय पत्रों पर छपवाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष के सन्देश वाली एक विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए भी डाक विभाग से अनुरोध किया गया है।

(ii) समुद्रों से संबंधित समस्त केन्द्रीय प्रयोगशालाओं और संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष से संबंधित समारोह आयोजित करने का परामर्श दिया गया है।

(iii) समुद्र विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए गोवा में स्कूलों के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या को देखने का अवसर उपलब्ध करवाए गए।

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समस्त संबद्ध स्कूलों और यूनस्को क्लबों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वर्ष मनाने की सलाह दी है।

(v) उष्णकटिबंधीय हिन्द महासागर पर विकिरण और एरोसॉल रसायन पर आंकड़ा इकट्ठे करने के लिए गोवा से पोर्ट लुईस तक समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा आयोजित करना। (पूर्ण)

(vi) भारत, लिस्बन एक्सपो-98 में, जिसका मुख्य विषय: ''समुद्र: भविष्य की विरासत है'', में भाग ले रहा है।

(vii) मौसम अनुकूलन और छोड़े जाने की सुविधा पर निर्भर करते हुए, अंतरिक्ष विभाग वर्ष 1998 के दौरान समुद्री उपग्रह छोड़ने पर विचार कर रहा है।

(ग) 9वीं योजना के दौरान समुद्र अन्वेषण में अनुसंधान के लिए महासागर विकास विभाग की कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) मध्य हिन्द महासागर बेसिन में उत्तरोत्तर अपघायक ग्रिड पर बहुधात्विक पिण्डिकाओं के निर्धारण व मूल्यांकन के लिए अन्वेषण। 12.5 कि.मी. ग्रिड पर प्रतिचयन पूरा हो गया है।

(ii) समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटेक) के सिद्धांत पर समुद्र से ऊर्जा उत्पादन के अन्वेषण के लिए प्रत्यक्षण संयंत्र का विकास।

(iii) विभाग के मात्स्यिकी व समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर सम्पदा को उपयोग में लाते हुए 70 मीटर गहराई से आगे समुद्री सजीव संसाधनों की खोज, और संसाधनों की प्रचुरता से समुद्र वैज्ञानिक प्राचलों का सहसंबंध तथा इष्टतम विदोहन नीतियां निर्धारित करना।

(iv) संसाधनों के सतत् विकास हेतु समुद्र व तटीय क्षेत्र की संभावनाओं के अन्वेषण के लिए समुद्र सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग।

(v) 500 मी. की गहराई तक उथला संस्तर खनन प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्षण जिसे भविष्य में बहुधात्विक पिंडिकाओं के गहरा समुद्र खनन हेतु समुन्नत किया जा सकता है।

केरल की लम्बित योजनाएं

19. श्री सुरेश कुरूप : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई ऐसी योजनाओं की संख्या कितनी है जो स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु कोई परियोजना लंबित नहीं है।

परियोजना की प्राक्कलित लागत को अद्यतन करना

20. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी उद्यमों द्वारा शुरू की गई 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं और योजनाओं की प्राक्कलित लागत को अद्यतन बनाने हेतु कोई एक समान कार्यप्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस विस्तृत योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सभी वित्त सलाहकारों को जारी किए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

डॉ0 अहमद मसूद
सलाहकार (पी.ए.एम.डी.)
दूरभाष : 3710474

अ.शा.सं.एम.-12016/5/97-पीएमडी
दिनांक : 27 अप्रैल, 1998

प्रिय

कृपया 12 जनवरी, 1998 के मेरे समसंख्यक अ.शा. पत्र का अवलोकन करें जो मंत्रिमंडल द्वारा उनकी 29 दिसम्बर, 1997 की बैठक में परियोजना लागत के वार्षिक अद्यतनीकरण (59 करोड़ रुपए तथा अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में) एक लिए गए निर्णय तथा उसके परिणाम की सूचना वार्षिक योजना संबंधी प्रक्रिया से पूर्व ही योजना आयोग को देने के संबंध में है।

2. उपर्युक्त पत्र को जारी करने के बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजना स्कीमों पर इस निर्णय की अनुप्रयोज्यता तथा अद्यतन करने की प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न किए गए हैं। जहां तक इस निर्णय की व्याप्ति का संबंध है, यह 50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली सभी केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमों/परियोजनाओं पर लागू होगा चाहे वे सरकार के स्वामित्व की हों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के स्वामित्व की।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतनीकरण के लिए एक समान कार्यविधि अपनायी जाए, हमने व्यय विभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के परामर्श से लागत अनुमानों के वार्षिक अद्यतनीकरण पर निर्देशक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनुबन्ध-I जहां किसी वर्ष विशेष में परियोजना लागत को अद्यतन करने संबंधी उपायों को दर्शाता है, वहां अनुबंध-II ऐसे अद्यतनीकरण के परिणामों को रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप प्रस्तुत करता है।

4. लागत अनुमानों को प्रतिवर्ष, (उस वर्ष के) अगस्त स्तर तक अद्यतन किया जाना होता है। परियोजना लागत को अद्यतन करने की प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष 1999-2000 से शुरू किया जाए। वर्ष 1999-2000 के लिए परियोजना लागत के अद्यतनीकरण को अक्टूबर, 1998 से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा आपके मंत्रालय/विभाग के वार्षिक योजना प्रस्तावों 1999-2000 में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए तथा इसे अनुबंध-II में दिए गए प्रपत्र में, योजना आयोग को वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्श के पूर्व ही अलग से सम्प्रेषित कर दिया जाना चाहिए ताकि योजना आयोग, वित्त मंत्रालय को योजना आबंटन हेतु सिफारिशें करते समय परियोजनावार फण्ड की उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख सके।

5. अद्यतनीकरण के परिणाम की एक प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए और उन परियोजनाओं/स्कीमों की सूची को, जिनके संशोधित लागत अनुमानों को ई.एफ.सी./पी.आई.बी./सी.सी.ई.ए. के नए अनुमोदन की आवश्यकता हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दिया जाए और उसकी एक प्रति व्यय विभाग (योजना वित्त-II प्रभाग) को भी भेजी जाए।

सादर,

आपका
ह0/-
(अहमद मसूद)

वित्तीय सलाहकार
सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :

1. डा. एम. एस. अहलूवालिया, वित्त सचिव, डी.ई.ए. नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2. श्री सी. रामचन्द्रन, सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

3. श्री एन.आर. बनर्जी, सचिव, डी.पी.आई. सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

(अहमद मसूद)

योजना आयोग
(परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग)

विषय : लागत अनुमानों के वार्षिक अद्यतनीकरण के लिए कार्यविधि

1.0 प्रस्तावना :

1.1 मंत्रिमंडल ने 29 दिसम्बर, 1997 को हुई अपनी बैठक में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति की ''परियोजनाओं का लागत अनुमान, मूल्यांकन और कार्यान्वयन'' रिपोर्ट पर विचार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी लिया था कि -

> ''संबंधित मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार, परियोजना लागतों (50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली) के वार्षिक अद्यतनीकरण के तथा इस प्रक्रिया के परिणाम को, वार्षिक योजना अभ्यास के पूर्व, योजना आयोग को संप्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, वे यह भी दर्शाएंगे कि क्या अद्यतन लागत, परियोजना को पूरा करने की लागत पर आधारित व्यय-चरणबद्धता से भिन्न है।''

1.2 तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों से 12 जनवरी, 1978 के अ.शा.सं. एम-12016/5/97-पीएएमडी (प्रति संलग्न) द्वारा उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी संबंधितों द्वारा लागत के अद्यतनीकरण के लिए एक समान कार्यविधि उपयोग की जाए। लागतों के वार्षिक अद्यतनीकरण के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाने का सुझाव दिया जाता है :

2.0 कार्यविधि

2.1 लागत के अद्यतनीकरण को आवश्यक बनाने वाले मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(क) मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि

(ख) विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन

(ग) व्याप्ति-क्षेत्र में परिवर्तन

(घ) समय-आधिक्य के कारण आईडीसी तथा लागत के अन्य घटकों में वृद्धि।

(ङ) शुल्क/करों / उगाही में परिवर्तन

(च) समग्र आधिक्य आदि के कारण चरणबद्धता में परिवर्तन, आदि

2.2 लागत के अद्यतनीकरण में, परियोजना/पूंजी लागत में आने वाले उपरोक्त सभी परिवर्तन-घटकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धांतों में केवल लागत-अद्यतनीकरण की कार्यविधि को बताया गया है। जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अलग से भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

2.3 समस्त पूंजी व्यय को, घरेलू मुद्रा में गणनयोग्य व्यय तथा विदेशी विनिमय से गणनयोग्य व्यय के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए। विभिन्न शीर्षों के लिए अद्यतनीकरण को, भारतीय रुपयों में व्यय तथा विदेशी मुद्रा में व्यय दोनों के लिए अलग-अलग रखा जाना चाहिए तथा किसी वर्ष के संबंध में कुल अद्यतन लागत दर्शाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

3.0 लागत सूचकांकों का उपयोग

3.1 सामान्यतः किसी परियोजना में शामिल पूंजीगत व्यय चार मुख्य व्यय-शीर्षों में व्यक्त होता है - (क) सिविल कार्य (ख) संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर (ग) श्रम, तथा (घ) अन्य इन चारों शीर्षों में से प्रत्येक के लिए लागत अद्यतनीकरण उपयुक्त लागत सूचकांकों का उपयोग करते हुए अलग-अलग किया जाना चाहिए और चारों घटकों में से प्रत्येक को तालिका रूप में जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि अनुबंध-I में बताया गया है।

(क) *सिविल कार्य* : सिविल कार्यों के शीर्ष के अंतर्गत मुख्य घटक सीमेंट और इस्पात हैं। सिविल कार्यों की लागत को उपयुक्त लागत सूचकांकों का प्रयोग करते हुए अद्यतन किया जा सकता है।

- यहां प्रयुक्त मुद्रास्फीति दर, इस्पात और सीमेंट के डब्ल्यूपीआई में महत्वपूर्ण औसत परिवर्तन के रूप में होगी, जैसाकि उनके अपने-अपने थोक मूल्य सूचकांकों द्वारा पाया गया है। संबंधित भार (मूल्य की दृष्टि से) प्रयुक्त इस्पात व सीमेंट के अनुपात के आधार पर एक क्षेत्रक से दूसरे में परस्पर भिन्न होंगे।
- निमार्ण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी और अन्य एसओआर सूचकांकों का, जहां प्रासंगिक हो, उपयोग किया जाना चाहिए।

(ख) *संयंत्र और मशीनरी*

- अनुमोदित लागत अनुमानों को, निविदाओं के आधार पर, जहां प्रासंगिक हो, अद्यतन किया जाना चाहिए।
- यदि आधार वर्ष में, संयंत्र और मशीनरी की लागत निविदाओं पर आधारित हो, तथा संयंत्र और मशीनरी को घरेलू मुद्रा में निश्चित मूल्य पर लिया जाना हो, तो किसी अद्यतनीकरण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि,

संयंत्र और मशीनरी को निश्चित मूल्य पर विदेशी मुद्रा में लिया जाना हो, तो एफ.ई.वेरिएशन को ध्यान में रखना होगा।

- यदि अनुबंध में मूल्य वृद्धि की बात हो तो अद्यतनीकरण, अनुबंध पैकेजों में दिए गए प्रावधानों के आधार पर करना होगा। जहां ऐसा कोई प्रावधान न हो तथा फर्म के कोटेशन उपलब्ध न हो, वहां मशीनरी की लागत को उपर्युक्त सूत्र का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है।

- यहीं, संयंत्र और मशीनरी के डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन को यथाप्रसंग उपयोग किया जा सकता है। विद्युत मशीनरी तथा गैर-विद्युत मशीनरी के लिए अलग-अलग सूचकांक उपलब्ध हैं और इसके अनुसार ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए।

(ग) *श्रम घटक*

- परियोजना लागत का श्रम घटक, उस क्षेत्र/प्रदेश, जहां कि परियोजना चल रही है, के औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हुए अद्यतन किया जाए।

(घ) *अन्य*

- इस घटक को सामान्य डब्ल्यूपीआई के साथ अनुबंध-I में दिए सूत्र द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। उन मामलों में जहां मजदूरी घटक पहले से ही प्रबल हो (66 प्रतिशत से अधिक हो) वहां अद्यतनीकरण, परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई के आधार पर किया जा सकता है।

3.2 श्रम के अलावा, लागत के अन्य सभी घटकों के लिए, थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य घटकों तथा लोहा तथा इस्पात और सीमेंट (सिविल कार्य) एवं विद्युतीय व मशीनरी के लिए, डब्ल्यूपीआई के संबंधित घटकों का भारित औसत प्रयुक्त किया जाए, अन्य मदों के लिए, सामान्य डब्ल्यूपीआई का उपयोग किया जाना चाहिए।

4.0 सांस्थानिक प्रबंध तथा अद्यतनीकरण का समय

4.1 चूंकि प्रस्तावित वार्षिक लागत अद्यतनीकरण का प्रयोजन, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की निधियों की वास्तविक आवश्यकता को परिलक्षित करता है, अतएव यह आवश्यक है कि यह अद्यतन आकलन, प्रतिवर्ष अक्टूबर में होने वाले वार्षिक योजना विमर्श की शुरूआत के पूर्व ही उपलब्ध हो जाएं, अतः इसके लिए परमावश्यक है कि ये आकलन, प्रतिवर्ष अगस्त के अंत तक तैयार हो जाएं और संबंधित प्रशासनिक/मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक योजना प्रस्तावों में उपयुक्त ढंग से शामिल किए जाएं।

4.2 इस प्रकार, परियोजना लागत का वार्षिक अद्यतनीकरण, उपुर्यक्त कार्यविधि से किया जाएगा तथा संस्वीकृत लागत, पूर्णता लागत तथा अद्यतन लागत पर आधारित व्यय की चरणबद्धता अनुबंध-II में दिए गए प्रपत्र में दर्शायी जाए।

अनुबंध-I

(अगस्त, 1988 से आरम्भ) "वर्ष टी 1" में लागत अद्यतनीकरण का उदाहरण)

स्थिर मूल्य पर कुल स्वीकृत लागत (आधार तिथि) (एफ ई दर)		वास्तविक खर्च लागत		+व्यय की जाने वाली अधिशेष लागत (आईडीसी को छोड़कर) वर्तमान मूल्यों पर अद्यतन		+संस्वीकृति के पश्चात् परियोजना व्याप्ति में परिवर्तन के कारण लागत भिन्नता अद्यतनीकरण लागत के मूल्य स्तर पर			+शुल्क/करों/उगाही में परिवर्तन से लागत में परिवर्तन		= कुल अद्यतन लागत		
										आईडीसी को छोड़कर-आईडीसी कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आईसी	एफसी रुपये के पदों में	कुल आईडीसी		आईसी+एफसी रुपये के पदों में		आई सी कालम (स्तंभ 5-1) xगुणित)	+एफसी (कालम 6-2 गुणित प्रचलित विनिमय दर/ कालम-2 में अभिकल्पित विनिमय दर	आईसी	एफसी	आईसीXX	5 से 11 कालमों का जोड़ +अद्यतन आईडीसी		

1. X गणना का स्वरूप : अद्यतनीकरण के समय (अर्थात अद्यतनीकरण के वर्ष के अगस्त (से संबंधित डब्लूपीआई/सीपीआई स्थिर मूल्य पर स्वीकृत लागत से संबद्ध आधार तिथि पर संबंधित डब्लूपीआई/सीपीआई

नोट : यदि अद्यतनीकरण बाद के वर्षों के लिए है, तो डिनोमिनेटर अंतिम अद्यतन समय बिन्दू के लिए सूचकांक होगा।

2. XX नवीनतम अद्यतनीकरण के बाद, यदि परियोजना को पहले ही अद्यतन किया जा चुका हो।
   X उगाही योग्य, अधिशेष व्यय की राशि द्वारा गुणा कर गणन-योग्य।

अनुबंध-II

व्यय का चरणवद्धीकरण (करोड़ रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृत लागत के अनुसार (स्थिर मूल्य)			पूर्णता लागत के अनुसार (संस्वीकृति के समय दिए गए अनुसार)			अद्यतन लागत के अनुसार अगस्त 19		
	मूल लागत	आईडीसी	कुल	मूल लागत	आईडीसी	कुल	मूल लागत	आईडीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
कुल									

पूर्णता तिथि : मूल ----------
अब प्रत्याशित ----------

नोट : 1. स्तंभ सं0 (5), (6) और (7) में दी गई पूर्णता लागत, परियोजना स्वीकृति के साथ दर्शाए अनुसार है।

2. स्तंभ (9) में संशोधित आईडीसी को, परियोजना शुरू करने की संभावित तिथि को ध्यानगत रखते हुए निर्धारित किया गया है।

परिवहन भत्ता

21. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता क्रमशः 800 रुपये, 400 रुपये और 100 रुपये प्रतिमाह की तीन भिन्न दरों से दिया जा रहा है;

(ख) क्या प्रत्येक श्रेणी में 400 रुपये का अंतर युक्तिसंगत है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 100 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में भारी असंतोष है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अंतर को व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण बनाने का विचार कर रही है; और

(च) परिवहन भत्ते की नई दरों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारत-सरकार के दिनांक अक्टूबर 3, 1997 के आदेश संख्या-21(1)/97/स्था0-11(ख) में निहित शर्तों के अधीन, केन्द्र-सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर परिवहन-भत्ता पाने के हकदार हैं :

वेतनमान	परिवहन-भत्ते की दर/प्रतिमाह (रुपये)	
	"ए-1"/"ए" श्रेणी के शहर में	अन्य स्थानों पर
8000-13500 रुपये तथा उससे अधिक	800 रुपये	400 रुपये
6500-6900 रुपये तथा उससे अधिक परन्तु 8000-13500 से कम	400 रुपये	200 रुपये
6500-6900 रुपये से कम	100 रुपये	75 रुपये

(ख) से (च) सौ रुपये प्रतिमाह की दर पर परिवहन-भत्ता प्राप्त करने वाले बहुत से कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार उपर्युक्त आदेश संशोधित करना प्रस्तावित नहीं करती क्योंकि उपर्युक्त दरें पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुदानों में वृद्धि

22. श्री विजय संकेश्वर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि करने की मांग है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह मांग कब तक पूरी किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कुछ संसद सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

23. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वर्ष 1997-98 में कृषि उत्पादन विशेषतः गेहूं के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) वर्ष 1997-98 से पहले के तीन वर्षों के दौरान चावल तथा गेहूं का कितना उत्पादन हुआ तथा इस वर्ष गेहूं और चावल के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) गेहूं के उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गेहूं के उत्पादन में आई गिरावट के मद्देनज़र इसका आयात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि उत्पादन तथा गेहूं का उत्पादन गत वर्ष के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में कम होने की संभावना है। बहरहाल, गेहूं का उत्पादन पिछले किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा।

(ख) वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	चावल	गेंहू
1994-95	81.8	65.8
1995-96	77.0	62.1
1996-97	81.3	69.3
1997-98 (संभावित)	83.5	66.4

(ग) गेहूं के उत्पादन में आई मामूली कमी का कारण गेहूं की खेती वाले प्रमुख राज्यों में नवम्बर तथा दिसम्बर के दौरान लगातार हुई भारी वर्षा है जिससे बुआई करने में विलम्ब हुआ और इससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(घ) और (ङ) वर्ष 1997-98 (रबी मौसम) के दौरान गेहूं उत्पादन की समीक्षा करने के बाद सरकार ने 1998-99 के दौरान दो मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया। राज्य व्यापार निगम को भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं के आयात के लिए कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार, राज्य व्यापार निगम ने 1998-99 के दौरान आस्ट्रेलिया से 1.5 मिलियन टन गेहूं के आयात के अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि 0.5 मिलियन टन की शेष मात्रा का आयात अभी न किया जाए।

जी-15 सम्मेलन

24. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतकवाद के संबंध में भारत के प्रस्ताव को जी-15 सम्मेलन में व्यापक समर्थन मिला है;

(ख) किन-किन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और किन-किन देशों ने विरोध किया है; और

(ग) भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) काहिरा में हुए जी-15 शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर आंतकवाद विषय पर चर्चा की गई। सम्मेलन में सभी प्रकार के आतंकवाद, उनके अपराधकर्ताओं तथा उन सभी को, जो इन्हें किसी भी रूप में समर्थन करते हैं, भर्त्सना की गई तथा इस संकट के निवारण तथा इससे लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का आह्वान किया गया।

(ख) सम्मेलन में भाग ले रहे सभी देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।

(ग) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यावहारिक सार्वभौमिक कार्रवाई के लिए जी-15 के देशों से एक साथ कार्य करने का आह्वान किया।

[अनुवाद]

सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारी

26. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं उनकी सेवानिवृत्ति के दो-तीन वर्ष बाद भी पुनर्नियोजित की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हाँ। नियमों में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के हो जाने पर सेवा-निवृत्त हो जाएंगे। तथापि, सेवा-काल बढ़ाए जाने/पुनर्नियोजन अथवा ठेके के आधार पर नियुक्ति सें संबंधित अनुदेशों के अनुसार, उन्हें लोक-हित में सेवा में बना रहने दिया जा सकता है। इस बारे में प्रत्येक मामले में निर्णय उसके गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है, परंतु प्राथमिकतः लोकहित ध्यान में रखा जाता है।

(ख) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती।

(ग) अधिवर्षिता की आयु के हो जाने के बाद, किसी भी हैसियत में, उनकी सेवा में बने रहने देने का मूल औचित्य लोकहित होता है। उनकी सेवाएं, उस प्रयोजन के पूरा होते ही समाप्त कर दी जाती हैं जिस प्रयोजन से वे रखे गए थे। उन सभी कर्मचारियों की सेवाएं एकाएक समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि कोई भी निर्णय लेते समय लोक-हित को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित होता है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

28. श्री भूपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह सहायता कितनी अधिक है; और

(घ) इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था को कितनी मदद मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली केन्द्रीय सहायता की प्रक्षिप्त धनराशि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

29. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बित अभ्यावेदनों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से प्रत्येक कार्यालय में इस समय लम्बित अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन सभी लम्बित अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वह नवीनतम तारीख 30 अप्रैल, 1998 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदन की तारीख से एक महीने से अधिक समय से

विचाराधीन पड़े पासपोर्ट आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकार इस प्रकार के बकाया आवेदनों की संख्या को कम रखने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि जन-साधारण को सक्षम सेवा दी जा सके। पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें प्रक्रिया कार्यविधियों का कम्प्यूटरीकरण, नए पासपोर्ट कार्यालय तथा संग्रहण केन्द्र खोलना, पासपोर्टों की वैधता अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष करना, जहां कहीं व्यवहार्य है, पासपोर्ट को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना, काफी समय से लम्बित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ देना आदि हैं।

विवरण

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	30.4.98 की स्थिति के अनुसार एक महीने से अधिक समय से बकाया पड़े आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	5632
2.	बंगलौर	4488
3.	बरेली	11950
4.	भोपाल	1765
5.	भुवनेश्वर	3302
6.	कलकत्ता	803
7.	चंडीगढ़	10210
8.	चेन्नई	15838
9.	कोचीन	1288
10.	दिल्ली	26900
11.	गाजियाबाद	3543
12.	गोआ	144
13.	गुवाहाटी	1699
14.	हैदराबाद	3277
15.	जयपुर	11199
16.	जालंधर	16164
17.	कोजिकोड	13985
18.	लखनऊ	20308
19.	मुम्बई	5953
20.	नागपुर	251
21.	पटना	2954
22.	थाणे	226
23.	त्रिची	20634
24.	त्रिवेन्द्रम	3300
25.	जम्मू	7784
26.	श्रीनगर	43717
27.	विशाखापट्टनम	5366

दिल्ली दुग्ध योजना

30. श्री राम टहल चौधरी :
डॉ0 मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरण करने का निर्णय दिनांक 24.6.1995 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। गृह मंत्रालय ने 10.7.97 को यह सूचित किया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली दुग्ध योजना को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छुक है। तब से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना, ''जैसा है जहां है'' के आधार पर सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तान्तरित की जाएगी।

[अनुवाद]

तीस्ता बैराज

31. श्री अमर राव प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता बैराज परियोजना से संबंधित कार्य में हुए प्रगति का जायजा लेने के लिए कोई मानीटरिंग सैल स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है और इस परियोजना द्वारा कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है;

(घ) क्या इस परियोजना से संबंधित कार्य में काफी धीमी प्रगति हुई है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार की तीस्ता बैराज परियोजना के मुख्य इंजीनियर के अधीन मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रभाग, परियोजना की मानीटरी कर रहा है। केन्द्र स्तर पर मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है।

(ग) 1.1.98 के अनुसार परियोजना के विभिन्न घटकों की निर्माण की अवस्था निम्न प्रकार है :

1.	तीस्ता बैराज	पूर्ण
2.	मझानन्दा बैराज	,,
3.	देउक नगर बैराज	,,
4.	तीस्ता मझानन्दा संपर्क नहर	,,
5.	मझानन्दा मुख्य नहर	,,
6.	देउक नगर बैराज	66%
7.	नगर टोनगोन मुख्य नहर	00%
8.	तीस्ता जलढ़का मुख्य नहर	55%
9.	वितरण प्रणाली	25%

जून, 1997 के अंत तक लगभग 90000 हेक्टेयर की क्षमता सृजित कर ली गई है।

(घ) और (ङ) भूमि अधिग्रहण समस्याओं, वन भूमि का उपलब्ध न होना, निधियों की कमी, परियोजना आदि के क्षेत्र में बदलाव के कारण, प्रगति धीमी रही है।

(च) परियोजना को पूरा किया जाना, राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विकास संबंधी पैकेज

32. डॉ० अशीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए समय-समय पर विकास संबंधी पैकेजों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये आर्थिक पैकेज इन राज्यों के सामान्य बजट योजनाओं के अलावा हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू तथा कश्मीर के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के बारे में 23 जुलाई, 1996 तथा 2 अगस्त, 1996 को संसद के सदन में घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं के ब्यौरे विवरण-I व विवरण-II में दिए गए हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 14 फरवरी, 1997 को जम्मू में भी एक वक्तव्य दिया जिसके ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई पहलों की घोषणा करते हुए 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहटी में भी एक वक्तव्य दिया। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दर्शाये गए हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पैकेज की कुछ अतिरिक्त विशेषताओं की घोषणा तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा मई, 1997 में की गई थी। इस घोषणा की एक प्रति विवरण-V में दी गई है। पैकेजों के विभिन्न भागों को, केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उपर्युक्त आवंटन करके तथा साथ ही राज्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान करके एवं यथा आवश्यक अतिरिक्त आवंटनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण-I

संसद में प्रधानमंत्री का जम्मू व कश्मीर पर वक्तव्य

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जम्मू व कश्मीर राज्य में युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी, राज्य में उग्रवाद को बढ़ाने में एक सहायक कारक रही है। इसी तरह, राज्य में विद्युत की कमी है जो उद्योगों के विकास और पर्यटन के लिए भी एक अनिवार्य आधार संरचना है। इसीलिए, सरकार का कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आरंभ करने तथा चालू परियोजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता आधार पर पूरा करने का प्रस्ताव है।

सरकार, रेलवे योजना से अलग भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उधमपुर से बारामूला तक 290 कि.मी. रेलमार्ग का निर्माण प्रारंभ करेगी। इस परियोजना पर 2500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा यह कश्मीर को शेष राष्ट्र के साथ एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। राज्य में ही रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त, यह रेल संपर्क, पूरा होने पर, राज्यों के लोगों को, रोजगार, शिक्षा एवं व्यापार हेतु देश के बाकी भागों में आने-जाने में सहायता प्रदान करेगा। उधमपुर से बनिहाल तक सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा बारामूला तक यह सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा, यह रेल लाइन कटरा रिआजी-बनिहाल-काजीगुण्ड-श्रीनगर से होकर जाएगी। रेलवे उधमपुर-कटरा खंड का निर्माण कार्य तुरन्त ही शुरू करेगा जिसे चार वर्षों के समय से पूरा किया जाना है। सरकार कार्य के इस चरण हेतु 200 करोड़ रुपये प्रदान

करे पर्याप्त वित्तपोषण से बारामूला तक की पूरी लाइन 8-10 वर्षों के समय में पूरी हो सकेगी।

मुगल सड़क परियोजना

कश्मीर घाटी एवं जम्मू के मध्य एकमात्र भूतल संपर्क, जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, इस समय, भूस्खलन एवं हिमस्खलन के फलस्वरूप, लगातार अवरोधों की समस्याओं से घिरा हुआ है। राज्य के दो क्षेत्रों के मध्य भरोसेमंद वैकल्पिक संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार "आर्थिक महत्व के मार्ग" की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मुगल सड़क परियोजना आंरभ करेगी। 85 कि.मी. लम्बी इस परियोजना पर 77.40 करोड़ (1994-95 की लागतों पर) (रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना की लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी। जम्मू को राजौरी-शापियन तथा पलवामा होते हुए श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग, जिसे 6 वर्ष में पूरा किया जाना है, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाले संपूर्ण क्षेत्र में बहुत अधिक रोजगार क्षमता सृजित करेगा। पूरा हो जाने पर यह मार्ग आर्थिक क्रियाकलाप सृजित करने के अलावा कश्मीर के लोगों में अलग-थलग होने की भावना को भी कम करेगा। यह कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया जाएगा।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का कार्य (3X130 मेगावाट) 1997 में फ्रांसीसी सिविल ठेकेदारों को वापस बुलाए जाने के साथ ही रुक गया था, फ्रांसीसी संघ के साथ संपूर्ण समझौते के संशोधन को जुलाई, 1995 में अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, जबकि मशीनों की आपूर्ति फ्रांसीसी संघ द्वारा की जा रही है, शेष सिविल निर्माण कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा शुरू किया जा सकते हैं, बकाया सिविल निर्माण कार्य हेतु निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा ठेका दिए जाने का निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिविल निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू किए जाएं तथा यह भी देखेगी कि शेष सिविल निर्माण कार्य हेतु निधियां सरकारी सहायता एवं बाजार उधारों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जुटायी जाएं।

उरी जल विद्युत परियोजना

माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य में एक अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजना नामतः उरी जल विद्युत परियोजना निर्माण प्रक्रिया में है। इस पर तपशुदा कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है तथा पहली यूनिट के, इसी साल के दौरान, दिसम्बर, 1996 में शुरू किए जाने की संभावना है, यह परियोजना विद्युत की कमी वाले इस राज्य को अति-आवश्यक राहत प्रदान करेगी।

विवरण-II

जम्मू और कश्मीर पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1. उग्रवाद से प्रभावित लघु व्यवसायों को ऋण राहत

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 23 जुलाई, 1996 को मैंने सदन में जम्मू व कश्मीर राज्य में संचार तथा विद्युत क्षेत्रकों में दीर्घावधिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि पर्यटन, बागवानी एवं हस्तशिल्प, जम्मू और कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। अन्य गतिविधियां जैसे लघु स्तर व्यापार और उद्योग, परिवहन तथा होटल पर्यटन क्षेत्रक में सहयोग देते हैं। यह क्षेत्रक पिछले 6-7 वर्षों के दौरान उग्रवाद से सबसे बुरा प्रभावित रहा है। घाटी में पर्यटकों का आगमन, 1986-87 में 7 लाख की उच्च संख्या से पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रायः धीरे-धीरे बहुत कम हुआ है। इससे पर्यटन तथा संबंधित कार्यों से आजीविका प्राप्त कर रहे हजारों परिवारों का जीवन यापन प्रभावित हुआ है। प्रभावित इकाइयां तथा व्यक्ति जिन्होंने बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लिए थे, वित्त प्रवाह न होने की वजह से उन्हें वापिस लौटाने में असमर्थ रहे हैं और ऋण-जाल में फंस गए हैं। राज्य सरकार ने लघु व्यापार एवं उद्योग, परिवहन, होटल और हाउस बोट व्यवसाय में लगे 31,000 ऋण लेने वालों की पहचान की है जिन्होंने 181.87 करोड़ रुपयों का ऋण ले रखा है, पिछले 6 वर्षों के दौरान शायद ही इन ऋणों को चुकाया गया हो तथा इन ऋणों की ब्याज राशि ही 212.79 करोड़ रुपये हैं। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि जबसे उग्रवाद ने पर्यटन को बाधित किया है, तब से इस हानि ने बेरोजगारी को बहुत बढ़ा दिया है तथा एक कुचक्र के रूप में बढ़ती बेरोजगारी ने उग्रवाद को ही बढ़ावा दिया है। अब चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्स्थापित किया जा रहा है तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के सार प्रयास किए जा रहे हैं, इन दुर्भाग्य पीड़ित लोगों, विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं को कुछ राहत प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। सरकार, इसलिए सभी उधारकर्त्ताओं जिनका मूल ऋण 50,000 रुपये या कम हैं, का बकाया ऋण और ब्याज माफ करने का प्रस्ताव करती है। इससे ये छोटे उधारकर्त्ता अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नये ऋण ले सकेंगे, जहां तक 50,000 रुपयों से ऊपर उधारकर्त्ताओं का सवाल है उनके ऋण स्थगन तथा भुगतान को पुनः अनुसूचित करने तथा ब्याज दरों में कमी लाने और दी जा सकने वाली अन्य राहत देने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की जा रही है।

2. 1996-97 के लिए जम्मू व कश्मीर को विशेष केन्द्रीय योजना सहायता

जम्मू व कश्मीर राज्य में उग्रवाद से उत्पन्न शोचनीय संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार जम्मू व कश्मीर राज्य को न केवल वार्षिक योजना को आगे बढ़ाने में, अपितु गैर-योजना पक्ष में आयी रिक्तियों को भरने के लिए भी विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए मदद करती रही है। इस प्रयास के

परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के बिगड़ते बजट में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिरता आई है। पिछले वर्ष 1995-96 में, ससंद ने राज्य की गैर-योजना रिक्ति को पूर्ण करने के लिए समुचित केन्द्रीय सहायता सहित एक संतुलित बजट पारित किया जिससे कि 1050 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना परिव्यय संरक्षित रह सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने पिछले वर्ष लगभग पूरी योजना के परिव्यय का उपयोग किया, वर्तमान वर्ष का परिव्यय पुनः 1050 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है। फिर भी, पिछले वर्ष के स्तर की केन्द्रीय सहायता के बाद भी, राज्य का वर्तमान वर्ष के दौरान, बजट चालू खाते में 352 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाता है, जो राज्य सरकार की विभिन्न मदों में अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं का परिणाम है। जब तक इस संसाधन-रिक्ति को समान राशि की एक विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा नहीं भरा जाता, राज्य सरकार के पास अपनी योजना के आकार को 698.00 करोड़ रुपये तक कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। योजना परिव्यय में किसी भी कमी से अब, जबकि राज्य पूर्ण सामान्य स्थिति की बहाली की ओर अग्रसर है बचे जाने की आवश्यकता है। अतएव, केन्द्र ने चालू वर्ष के दौरान, राज्य बजट को संतुलित करने के लिए 352 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है जिससे कि 1050 करोड़ रुपये के पूर्ण योजना परिव्यय का उपयोग, गैर-योजना रिक्ति पूरा करने में उसके किसी हिस्से को विचलित किए बिना, विकास स्कीमों के लिए किया जा सके।

3. जम्मू में विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं का विकास

माननीय सदस्यों को विदित है कि घाटी से विस्थापितों के 27000 परिवार जम्मू में अपनी स्वयं की व्यवस्था करके या फिर शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू के 13 शिविरों में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। ये हैं सफाई सुविधाओं जैसे शौचालयों और स्नानघरों की उपलब्धता, एक कमरे वाले अधिक आवासों का निर्माण, शिविर में चल रहे विद्यालयों की इमारत का निर्माण, शिविरों में जल निकास सुविधाओं का विकास इत्यादि। सरकार, शिविरों में उपरोक्त अतिरिक्त सुविधाओं को चालू वर्ष के दौरान पूरा करके उपलब्ध कराने के लिए 6.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी।

4. लेह जिले में पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास

चूंकि कश्मीर घाटी में एक पारंपरिक पर्यटन स्थल है, अतएव जम्मू, उधमपुर, लेह और कारगिल के जिलों में नए पर्यटक केन्द्र बन गए हैं और राज्य सरकार पहले ही जिले में स्मारकों के पुनरोद्धार के लिए एक योजना तैयार कर चुकी है। क्षेत्र में पर्यटन को अग्रिम प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं, लेह में एक अभिसमय/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना हेतु 2.40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

5. कारगिल में हवाई अड्डे का विकास

माननीय सदस्य जानते होंगे कि कारगिल, शीतकाल में जोजिला में भारी हिमपात से श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग बंद हो जाने के कारण, वर्ष में सात महीने राज्य के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। सरकार ने इसलिए कारगिल में 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक हवाई अड्डे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस कार्य को पहले ही सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा चुका है। जो हवाई-पट्टी के विकास के कार्य को दो वर्ष की अवधि में पूरा करेगा जिससे कि कारगिल में नियमित व्यावसायिक सेवाएं शुरू हो सकें। इस बीच, सरकार कारगिल में, शीतकाल में महीनों की वर्तमान पखवाड़ा-सेवा के बजाए साप्ताहिक हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखती हैं। इस वास्ते आवश्यक सब्सिडी सरकार वहन करेगी।

6. जम्मू शहर का स्तरोन्नयन

लम्बे समय से मांग रही है कि जम्मू शहर को बी-2 स्तर दिया जाए। बी-2 स्तर स्वीकृत करने की अवसीमा जनसंख्या-4 लाख है। तथापि, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि राज्य में 1991 की जनसंख्या नहीं हो सकी थी। भारत सरकार के महापंजीयक ने जम्मू शहर की जनसंख्या के 4.30 लाख होने का अनुमान किया है। अतएव, हमने जम्मू शहर का स्तर बी-2 शहर के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है।

7. मैं आशा करता हूं कि इन उपायों से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में काफी सहायता मिलेगी। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, राज्य के लिए यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय अत्यधिक महत्व के हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ इस कार्य में लगे व्यक्तियों और इकाईयों को सहायता देने के आवश्यक उपाय करेगी ताकि कश्मीर को उसके "पर्यटकों के स्वर्ग" होने का सम्मान अतिशीघ्र वापस दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

8. मैं इस अवसर पर राज्य को अधिकतम स्वायतत्ता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराना चाहूंगा। चुनी हुई सरकार होने पर हम उनके साथ सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी क्षेत्रों, नामतः, लद्दाख, कश्मीर घाटी और जम्मू की सारी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।

9. मैं, माननीय सदस्यों का इस संबंध में दिए गए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

विवरण-III

14 फरवरी, 1997 को जम्मू में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

मित्रो,

लगभग एक दशक के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना की गई है, पड़ौसी देश और उनके एजेंटों द्वारा चलाये गये परोक्षी युद्ध (प्राक्सी-वार) के कारण इन वर्षों में राज्य एवं इसके नागरिकों को जिन संकटों और परेशानियों से गुजरना पड़ा था मैं उनका विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहता। लोगों ने चुनाव में भारी संख्या में भाग लिया जिन्हें बड़े शान्तिपूर्ण

एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चुनावों की यथार्थता एवं निष्पक्षता को स्वीकार किया है। लोगों द्वारा इस सरकार को जो एक बड़ा जनादेश दिया गया है उससे लोगों की आशाओं को पूरा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक महान दायित्व इस सरकार पर आता है। मैं अत्यधिक स्पष्ट रूप से एवं विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एवं संपूर्ण राष्ट्र इस महान कार्य में जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा इसके लोगों के साथ है।

2. मैंने जम्मू एवं कश्मीर का पहले भी दो बार दौरा किया है और यह मेरा तीसरा दौरा है। मैंने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों और परियोजनाओं को देखा है जो राज्य के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं परन्तु निधियों की कमी के कारण इन में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। 2500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की ऊधमपुर-बारामुल्ला रेलवे लाइन जो बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर सकती है रेलवे द्वारा निधियों की कमी के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी। सारे मामले की पुनरीक्षा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि इसे ''राष्ट्रीय महत्व की परियोजना'' के रूप में चलाया जाए और रेलवे योजना से बाहर इसे आवश्यक निधियां प्रदान की जाये। इस परियोजना पर दोनों तरफ से एक साथ कार्य आरम्भ किया जाएगा। उरी पन-बिजली परियोजना जिसे कल राष्ट्र को समर्पित किया गया है, घाटी में अशांत एवं विघ्न बाधाओं की हालतों के बावजूद भी उचित समय पर पूरी कर दी गई है। उरी परियोजना के बकाया कार्य को पूरा करने के लिए हमने और 300 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। उरी यूनिट-1 से प्राप्त सारी बिजली राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण पन-बिजली परियोजना दुलहस्ती है, जिसका कार्य 1992 से बंद पड़ा हुआ था उसे पुनः चालू किया जा रहा है। इस बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिये आवश्यक बकाया 3000 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि प्रदान करने का भी हमने निर्णय लिया है।

3. इस बीच राज्य में बिजली की कमी को संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिये जम्मू एवं कश्मीर के लिये आबंटन बढ़ाकर 876 मे.वा. किया जा रहा है। बिजली के इस उपयोग के लिए राज्य को ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली सदृढ़ करनी चाहिए। निवेश संवर्धन के जरिये अपनी पन बिजली क्षमता का दोहन करने हेतु हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे।

4. राज्य सरकार ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ परियोजनाओं एवं प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। जिन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाने की आवश्यकता है। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों ने राज्य मंत्रिमंडल के साथ इन प्रस्तावों पर कल विस्तृत विचार-विमर्श किया है। सिद्धांत रूप से मैं इन प्राथमिकताओं से पूरी तरह सहमत हूँ और राज्य तथा केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयास की भावना के साथ इन्हें कार्यान्वित करने के लिये हमें इसके लिए उपाय तैयार करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित है। सरकार राज्य की नौवीं योजना को अंतिम रूप देने ही वाली है और राज्य तथा केन्द्र की नौवीं योजना में इन कुछ विकासात्मक परियोजनाओं को सम्मिलित करने की हमें आवश्यकता है।

5. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाहरी सहायता सहित विशेष निधि पोषण कार्य प्रणाली हम तैयार करेंगे जैसे (क) डल और दूसरी महत्वपूर्ण झीलों की सुरक्षा एवं विकास (ख) घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान और (ग) गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौसंचालन एवं पर्यावरणिक पहलुओं को सुधारने के लिए कार्य योजना।

6. राज्य वार्षिक योजना इस वर्ष 1250 करोड़ रुपये की एक उच्च रिकॉर्ड सीमा पर पहुंच गई है। राज्य सरकार को एक अच्छी 1997-98 की वार्षिक योजना से शुरू करते हुए उचित नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समर्थ बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे प्रत्येक वर्ष के लिए योजना परिव्यय का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा और संसाधनों में गैर-योजना अंतराल को पूरा करने के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जाएगी।

7. 1275 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण को माफ करने के लिए राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जल्दी ही एक निर्णय लिया जाएगा। निकट भविष्य में राज्य सरकार के साथ इसके बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक केन्द्रीय दल को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पुराने ओवर ड्राफ्ट की समस्या को धीरे-धीरे समाप्त करने में भी राज्य की सहायता की जाएगी।

8. राज्य में ग्रामीण विकास एवं बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय परिव्यय को काफी बढ़ा दिया गया है। नौवीं योजना में राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। आंतकवादियों (मिलिटैन्ट्स) द्वारा क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग को उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को 140 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा।

10. मुगल रोड़ को 150 करोड़ रुपये की लागत पर प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा और कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी।

11. विशेष वितरण के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के और अधिक कस्बों को प्रधानमंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।

12. जम्मू को बी-2 श्रेणी के शहर के रूप में घोषित करने के आदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल पहले ही भेज दिया है और राज्य सरकार ने परामर्श

से अगले वर्ष से जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय आरम्भ करने का निर्णय लिया जाएगा।

14. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुछ दूसरे ज्ञापन प्रस्तावों की भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ विस्तृत परामर्श करके जांच करने की आवश्यकता है और इन्हें परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। परन्तु मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि फंड की उपलब्धता मुख्य अड़चन या संवेदनशील मुद्दा नहीं है, आवश्यक यह है कि सावधानीपूर्वक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं तैयार की जाएं और उनका प्रभावकारी कार्यान्वयन किया जाए। ताकि इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंच सकें। मैं कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग पर भी जोर देना चाहूंगा ताकि आबंटित निधियों का उपयोग उद्देश्य के अनुरूप हो सके।

15. कुछ दूसरे प्रस्ताव भी हैं जो विस्थापितों को वापस बसाने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं आदि से संबंधित हैं। मुझे आशा है कि विस्थापितों में विश्वास पैदा करने के लिए उचित उपाय आरम्भ करने और स्थानीय लोगों की सहायता लेने में लोकप्रिय सरकार समर्थ होगी ताकि विस्थापित जल्दी से जल्दी घाटी में अपने घरों को वापस आ सकें। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके कार्यान्वयन के रास्ते में वित्तीय अड़चनों को नहीं आने दिया जाएगा।

16. राज्य के युवकों के लिए रोजगार के अवसरों के प्रावधान के बारे में राज्य सरकार की चिंता को केन्द्र सरकार भली-भांति समझती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय प्रतिष्ठानों और प्राइवेट सेक्टर में भी अधिक से अधिक यथा सम्भव इस राज्य के युवकों को नौकरियां दी जाएं, इसके लिए विशेष भर्ती अभियान जारी रखा जाएगा। परन्तु स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके उपलब्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु अधिक जोर देना होगा। पारम्परिक कौशल, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में बढ़ावा देने एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिये नये कार्यक्रम तैयार करना भी आवश्यक होगा। राज्य के युवक मार्केटिंग और बिक्री कार्यों के लिए अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के अंदर और उसके बाहर विशेष प्रकार की औद्योगिक संपदाओं और विपणन केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार कुछ भूमि निर्धारित करने की संभावनाओं का भी पता लगाएगी।

17. परन्तु जैसे-जैसे कानून एवं व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार होता जाता है उपर्युक्त कार्यों में भी प्रगति होगी और उनमें गति आएगी। कुछ असामाजिक तत्व बंद और हड़तालों का सहारा लेकर राज्य की आर्थिक प्रगति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार ऐसी गतिविधियों को चलने दे ऐसा नहीं हो सकता उसे इन पर रोक लगानी पड़ेगी। जब तक ऐसी गतिविधियों से सख्ती से न निबटा जाए आर्थिक प्रगति एवं लोगों का कल्याण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे तत्वों से निबटने के लिए कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनैतिक रूप से भी कार्यवाही करनी होगी।

18. मैं इस राज्य के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि केन्द्र और राज्य सरकार अलग-अलग नहीं है बल्कि एक है और जम्मू एवं कश्मीर की इन विशेष समस्याओं का यह एक साथ मिलकर निबटारा करेंगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राज्य की क्षत-विक्षत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं उसके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इस राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र आपके साथ है।

विवरण-IV

दिनांक 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहाटी में प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए घोषित नया पैकेज

उत्तर पूर्व के सात राज्यों की मेरी पहली यात्रा समाप्त होने को है। मेरे लिए यह बहुत ही प्रेरक अनुभव रहा है। लोगों का स्नेह मुझे यहां फिर लायेगा। मैं इस क्षेत्र में लोगों, उनकी आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आया हूँ कि वे कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। मैं खुले मन से आया हूँ। मैं एक सुखद अनुभव के साथ और इस पक्के इरादे से वापस लौट रहा हूँ कि इस क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत करने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करूं। मैं जहां कहीं भी गया, समाज के विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मित्रवत् और निडर होकर अपने विचारों, अपनी इच्छाओं अपनी आंशकाओ और अपनी आशाओं से मुझे अवगत कराया। मेरी यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ।

2. मैं पूरी तरह से आवश्स्त हूँ कि यदि हम सभी एक साथ मिलकर कार्य करें और अच्छे भविष्य की आशा रखें तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जितना प्रेम और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।

3. मैंने मंत्रियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा सुरक्षा सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी में, विभिन्न समुदाय के लोगों, जैसे राजनीतिक दल के नेताओं, स्वायत्त जिला परिषद के प्रमुखों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थी यूनियनों, महिला संगठनों, पादरी नेताओं, और प्रेस से भी मिला तथा इन राज्यों की स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की।

4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है। वास्तव में, 100-150 वर्ष पहले असम देश के आर्थिक विकास मै एक अग्रणी राज्य था यह एक अग्रगामी राज्य था और साहसी उद्यमियों ने चाय बागान, तेल, कोयला खनन, वानिकी, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में पूंजी निवेश किया। किन्तु, हाल ही के वर्षों में, पूंजी निवेशक इस क्षेत्र में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ राज्य अंतर्मुखी हो गए, जबकि कुछ राज्य उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावित हो गए। इससे यहां आतंकवाद का दुष्चक्र शुरू हो गया है, पूंजी निवेश तथा आर्थिक विकास हतोत्साहित हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है जिसके चलते आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। आज यहां न कोई बड़े उद्योग ही हैं और न

कोई आर्थिक कार्यकलाप हैं। जिसमें शिक्षित बेराजगारों को रोजगार दिया जा सके। इन सभी राज्यों में रोजगार का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी ही है। किन्तु सरकारी नौकरी में इतने अधिक लोगों को नहीं खपाया जा सकता है। साथ ही सरकारी नौकरी में बहुत अधिक लोगों को शामिल करने से अकार्यकुशलता आती है। बेरोजगारी अथवा उग्रवाद को दूर करने का एकमात्र रास्ता यह है कि क्षेत्र का चहुंमुखी आर्थिक विकास किया जाए ताकि समृद्धि लाई जा सके।

5. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा उद्वेलित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न विदेशी नागरिकों की पहचान से सम्बन्धित है। अखिल असम छात्र यूनियन तथा विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान मैंने इस मुद्दे की विस्तृत रूप से समीक्षा की है। मुझे यह बताया गया है कि विदेशियों की पहचान के लिए मौजूदा कानून, यथा आईएमडीटी (अधिनियम, 1983) यथा संशोधित, प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। हम राज्यों के साथ परामर्श करके अप्रभावी कानूनों को समाप्त करने और विदेशियों से संबंधित वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ बनायेंगे। इसके अलावा, उपयुक्त स्थानों पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

6. एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कुछ राज्यों में अशान्ति को बढ़ावा मिला है, विभिन्न जाति समूहों द्वारा पहचान समाप्ति की भावना है तथा यह भावना है कि केन्द्र इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये भावनाएं पूरी तरह से उचित हो सकती हैं या नहीं भी। लेकिन ऐसी भावना जरूर है। इस भावना को समाप्त करना और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकसित विद्यमान विकास को सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा। ताकि एक विशिष्ट समय अवधि में यह क्षेत्र देश के शेष भागों के स्तर तक पहुंच सके। मेरा विश्वास है कि पूरा भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों सहित प्रत्येक राज्य देश के शेष भाग के साथ-साथ न चलें।

7. काफी समय से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निरर्थक हिंसा फैली हुई है। काफी समय से कतिपय दिगभ्रमित तत्व अपने भाइयों, साथी नागरिकों की हत्यायें कर रहे हैं और लूटखसोट तथा अपहरण आदि का मार्ग अपना रहे हैं। हिंसा से किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं उन सभी लोगों से, जिन्होंने आतंकवाद का मार्ग अपनाया है, सही रास्ते पर आने की अपील करना चाहूंगा मेरा विश्वास है कि सभी समस्यायें आपसी विचार विमर्श से हल की जा सकती है। मैं उग्रवादियों सहित किसी भी वैयक्तिक दल को बिना किसी पूर्व शर्त के मुझसे मिलने तथा अपनी उचित शिकायतों पर चर्चा करने का आमंत्रण देता हूँ। मैं उनके विचारों को सच्चे मन से समझना चाहता हूँ कि उन्हें वस्तुतः क्या परेशानी है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंसा को बर्दास्त नहीं किया जायेगा, और उसका कड़ाई से सामना किया जायेगा। हम अपने सभी पड़ौसियों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं और आशा करते हैं कि वे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा अथवा भारत से उग्रवादी दलों को सहायता न दें।

8. बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र में उत्पादी निवेशकों की आवश्यकता होगी इस दृष्टि से पहले उपाय के रूप में मेरी सरकार निम्नांकित कदम उठायेगी।

(क) बुनियादी ढांचे में कमियों और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन

महत्वपूर्ण सेक्टरों, विशेषतया विद्युत, संचार, रेलवे, सड़क, शिक्षा, कृषि आदि में कमियों का पता लगाने के लिए 30 दिन के भीतर एक उच्चस्तरीय आयोग गठित किया जायेगा। आयोग, सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलॉग की गम्भीरता से जांच करेगा। आयोग, इन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् नीतियों, कार्यक्रम, तथा निधि आवश्यकताओं को सुझायेगा। ताकि सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचागत सेक्टरों में कमियों तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलाग को दूर किया जा सके। यह आयोग तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और योजना आयोग इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नौवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करेगा और वित्तीय व्यवस्था करेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना आवंटनों के अलावा वार्षिक आधार पर अतिरिक्त पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन को प्राथमिकता

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों के मध्य रोजगार को बढ़ावा देने के लए तत्काल विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए एक माह के अन्दर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा। उत्पादी रोजगार सृजन के लिए सुसंगत बुनियादी ढांचा व्यापक प्रशिक्षण एवं स्कीमें, विशेष रूप से प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य के संबंध में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए तैयार की जायेगी। उच्च स्तरीय समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और एक समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करेगी। राज्य सरकार तथा सम्बन्धित राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं/केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सिफारिशों को सीधे ही क्रियान्वित किया जायेगा। हम नौवीं योजना में उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन को भी उच्च प्राथमिकता देंगें।

ढांचागत तथा रोजगार सम्बन्धी इन दोनों समितियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से विशेषज्ञों को सहबद्ध किया जायेगा।

(ग) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में उत्तर पूर्वी उप योजना सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर पूर्वी राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगें कि कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किये जायें।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों/सचिवों द्वारा दौरे और गहन मानिटरिंग

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्री एवं सचिव, विशेष रूप से वे जो सामाजिक सेक्टरों, पेट्रोलियम, भूतल परिवहन, रेलवे, नागरिक विमानन, पर्यटन, जल संसाधन आदि के प्रभारी हैं। वे तीन माह में कम से कम एक बार सभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे और अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करेंगे।

(ङ) चालू परियोजनाओं की पूर्ण वित्त व्यवस्था

पर्याप्त निधियों के अभाव के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजमार्गों, रेलवे, विद्युत आदि से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नूमालीगढ़ रिफाइनरी सहित सभी चालू केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। गृह मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय तिमाही आधार पर इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करेंगे ताकि समय सारणी के अनुसार इनका पूरा होना सुनिश्चित कराया जा सके।

(च) व्यापक जल प्रबन्धन तथा बाढ़ नियंत्रण उपाय

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबन्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने हाल ही में अपने देश में व्यापक जल प्रबन्धन हेतु तात्कालिक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया है। यह आयोग उत्तर पूर्व बाढ़ नियंत्रण तथा व्यापक जल प्रबन्धन पहलुओं की जांच करेगा तथा सिफारिशें करेगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जायेगा ताकि बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन तथा जल प्रबन्धन से सम्बन्धित परियोजनाओं की सूची तैयार की जा सकें। जल निकासी तथा परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की और अधिक सुचारू बनाने के लिए ट्रेडिंग आपरेशन शुरू किए जायेंगें। सभी ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण परियोजना कार्यों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जायेगा।

(छ) रोजगार आश्वासन स्कीम के माध्यम से पूर्ण करवरेज

31.3.1997 तक रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) का उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी ब्लाकों में विस्तार कर दिया जायेगा।

(ज) सीमांत सड़कों/बीएडीपी कार्यक्रमों का विस्तार

कुछ राज्यों की मांग के अनुसार, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमांत सड़क कार्यक्रम को भारत म्यांमार सीमा पर कुछ और क्षेत्रों तक बढ़ाया जायेगा।

(झ) दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उत्तर-पूर्व का पूर्ण कवरेज

दूरसंचार/दूरदर्शन/आकाशवाणी कवरेज को आगे बढ़ाया जायेगा ताकि नौवीं योजना के अंत तक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और अरूणाचल प्रदेश की शत प्रतिशत आबादी को कवर किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ कम से कम 50 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किये जायेंगे।

(ञ) उत्तर पूर्व के लिए उन्नत ऋण प्रवाह

उद्योग, कृषि तथा स्वरोजगार स्कीमों के लिए और अधिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

(ट) नई औद्योगिक नीति

एक नई औद्योगिक नीति विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और इसकी आवश्यकताओं के लिए, पर विचार किया जायेगा। और 31.3.1997 तक इसे घोषित कर दिया जायेगा ताकि निजी निवेश (घरेलू तथा विदेशी) को बढ़ाया दिया जा सके।

(ठ) विकेन्द्रीकरण

इस क्षेत्र में, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर और अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है ताकि निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जा सके। भारत सरकार सक्रियता से ऐसे विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देगी।

(ड) पर्यटन का विकास

सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व के लिए एक एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार की जा रही है। इससे विभिन्न राज्यों में कुछ सर्किटों का विकास होगा।

(ढ) केन्द्रीय एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कृषि, व्यापार, उद्योग के प्रोत्साहन से सम्बन्धित कतिपय केन्द्रीय एजेंसियों, जैसे कि नाबार्ड, विभिन्न वस्तु बोर्डों आदि को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ण) निर्यात नीति

वाणिज्य मंत्रालय, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सीमान्त व्यापार सहित एक निर्यात नीति तैयार करेगा।

(त) *नारकोटिक्स तथा एड्स के नियंत्रण के उपाय*

केन्द्र, एड्स, नारको-ट्रेफिकिंग तथा नशे की आदत के नियंत्रण के लिए कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में संस्थागत व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के तात्कालिक उपाय करेगा तथा इन सभी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायेगा।

(घ) रेल सेवाओं में सुधार

क्षेत्र में रेलों के निष्पादन, नियमितता तथा सेवा को उन्नत बनाया जाएगा। चालू रेलवे परियोजनायें, जैसे कि नई लाईनें, गैज परिवर्तन आदि को पर्याप्त निधियों के जरिये शीघ्र पूरा किया जायेगा। राज्यों द्वारा बिना रेल हेड अथवा बहुत सीमित पहुँच की प्रस्तावित नई रेलवे लाईनों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जायेगा।

9. मैं उत्तर-पूर्वी राज्यों में वर्ष में कम से कम दो बार आने का इरादा रखता हूँ ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि इन राज्यों में विकास की योजनाएँ तथा कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

10. अन्त में जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रधान मंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ये सभी प्रतिबद्धतायें और कार्यक्रमों के पैकेज तथा शुरू की जा रही स्कीमें भी समय सारणी के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं और कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाए।

11. मेरी यात्रा के दौरान कई अन्य मुद्दे भी उठाये गये हैं। दिल्ली वापिस जाने पर मैं योजना आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करूंगा और अगले एक माह के अन्दर इन मामलों पर निर्णय ले लूंगा। बाद में मुख्य मंत्रियों से इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

12. उपर्युक्त प्रयास में मैं सभी मुख्य मंत्रियों, राजनैतिक दलों, छात्र संघों, संचार माध्यमों और इन राज्यों के सभी लोगों की पूरे मन से सहयोग देने का अनुरोध करता हूँ। समस्याग्रस्त राज्यों में शान्ति तथा सद्भावना के लिए अभियान शुरू करने हेतु हम सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए विश्वास तथा आशा का एक उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान संघर्ष के स्थान पर स्थायी शान्ति, घृणा के स्थान पर तालमेल और आपसी विश्वास का वातावरण तैयार करना जरूरी है। एक ही देश की सन्तान हैं हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमारा भविष्य तथा समृद्धि हम सभी के लिए समान हैं। हमें अपनी चिन्ताओं और समृद्धि को बांटना चाहिए। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी नौकरशाही के निष्पादन में सुधार करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं तथा सेवाओं के बेहतर निष्पादन के लिए सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करें। मुझे विश्वास है अपनी यात्रा के दौरान लोगों के अत्यधिक उत्साह को देखते हुए मुझे विश्वास है कि उत्तर पूर्व के सभी लोग मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे।

13. मेरे साथ विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जिनका क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। हमने सभी प्रस्तावों की जांच कर ली है। सरकार द्वारा आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न है।

मिजोरम

1. 425 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली तुईयल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना को इस वर्ष मंजूरी दे दी जायेगी।

2. 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली चुनिंदा विशेषताओं तथा 200 शयिकाओं के एक राज्य संदर्भ (रिफरल) अस्पताल की मंजूरी; राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है। 31.3.1997 से पूर्व मंजूरी के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से 31.12.1996 तक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी।

3. 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ सिवेज स्कीम सहित आइजोल शहरी पेय जल आपूर्ति स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी। केन्द्र 75 प्रतिशत निधियाँ उपलब्ध करायेगा, शेष 25 प्रतिशत निधियाँ राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। कार्य को तीन वर्षों में पूरा किया जाना है।

4. 30 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सीमांत सड़कों/बीएडीपी को 1997-98 के आगे क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी जायेगी।

5. 10 करोड़ रुपये के केन्द्रीय सब्सिडी के साथ इस वर्ष एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जायेगी।

त्रिपुरा

1. 525 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुमारघाट-अगरतल्ला रेल परियोजना के 3 से 5 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

2. 31.3.97 से पहले दो भारतीय रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 18 करोड़ रुपये)

3. अगरतल्ला विमानपत्तन पर सुविधाओं के उन्नयन के लिए 34 करोड़ रुपये मुहैया कराए जायेंगे।

4. एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जायेगा (15 करोड़ रुपये)

5. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र।

6. नौवीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रुपये की लागत पर अगरतल्ला से सबरूम तक राज्य राजमार्ग का उन्नयन।

मणिपुर

1. 31.3.97 से पहले 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीमा सड़क संगठन द्वारा एन एच 53 के उन्नयन/चौड़ा करने की मंजूरी 31.3.97 से पहले दी जाएगी और काम 1997-98 में शुरू होगा।

2. इम्फाल में राष्ट्रीय खेल 1997 के लिए आधारसंरचना सुविधाओं के हेतु 17.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी।

3. इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जाएगी।

4. मणिपुर के लिए एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट को मंजूरी दी जाएगी (15 करोड़ रुपये)

5. 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आर. आई. एम. एस. (रिम्स) इम्फाल के उन्नयन के लिए परियोजना के द्वितीय चरण को 31.3.97 तक मंजूरी दी जाएगी।

6. 426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस वर्ष लोकटाक डाउन स्ट्रीम एच ई पी को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

7. 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मरम्मत (एन एच 39) से फेबंग (59 कि.मी.) सीमा लिकिंग सड़कों के निर्माण कार्य को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

अरूणाचल प्रदेश

1. इटानगर और नहरलगुन (36 करोड़ की अनुमानित लागत) हेतु जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मंजूरी राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही दे दी जाएगी।

2. अरूणाचल प्रदेश में जैव विविधता अध्ययनों के लिए एक संस्थान संस्थापित किया जायेगा। (10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत)

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इटानगर में नये विमानपत्तन के निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि मुफ्त मुहैया कराई जाएगी।

4. भारत सरकार अरूणाचल प्रदेश में विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन और कृषि संसाधन के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश को बढ़ावा देगी।

5. 12.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लीलाबाड़ी विमान पत्तन के सुधार जिसमें रनवे आदि का विस्तार शामिल है को 31.3.97 से पहले मंजूरी दी जाएगी।

6. इटानगर से गोहपुर तक एन एच 52 ए के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और इसे नौवी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी जाएगी।

7. 31.3.97 तक अरूणाचल प्रदेश के लिए दो भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये)

8. केन्द्रीय सरकार इटानगर में नये असेंबली हाल के निर्माण के लिए 75% अनुदान मुहैया करायेगी जिसकी नींव 10 वर्ष पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा रखी गयी थी।

नागालैंड

1. दीमापुर एच ई पी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि (दो वर्ष में 127.80 करोड़ रुपये) मुहैया करायी जायेगी।

2. गुवाहाटी से दीमापुर और कोहिमा के बीच 75% केन्द्रीय सब्सिडी (15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) से हेलीकाप्टर सेवा मुहैया कराई जाएगी।

3. 38 करोड़ रुपये की लागत पर 17 कि.मी. के एन एच 39 के चार लेन किए जाने की मंजूरी दी जायेगी।

4. दीमापुर विमान पत्तन का विकास (रनवे का विस्तार) और आई एल एस की स्थापना (15 करोड़ रुपये)

5. नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त आधारसंरचना के लिए 10 करोड़ रुपये।

6. कोहिमा में भिजवाये जाने की सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल का उन्नयन (25 करोड़ रुपये)

7. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।

8. डिब्रूगढ़ से दीमापुर खण्ड के लिए गेज परिवर्तन कार्य को मंजूरी दी जाएगी।

9. आई.ए.वाई. के अन्तर्गत ग्राम विकास बोर्ड को आवासों के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

10. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस शुरू की जाएगी।

11. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक सप्ताह में तीन बार इण्डियन एयरलाइन सेवाएं चलेंगी।

असम

1. जोगीडोपा में रेल-सह-सड़क पुल पूरा करने के लिए 1996-97 में 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए 1997-98 में 120 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।

2. बोंगीग्रील में सड़क-सह-रेल-पुल के लिए प्रस्ताव। इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए जायेंगे और कार्य अगले वर्ष शुरू किया जायेगा और नौवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

3. उत्तर-पूर्व के लिए हब केन्द्र के रूप में गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन और इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करना (128 करोड़ रुपये)।

4. प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से (कुल 30 करोड़) तीन औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

5. केन्द्र केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ नियंत्रण कार्य शुरू करेगा और नौवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 करोड़ रुपये केन्द्रीय परियोजना के रूप में मुहैया कराएगा।

6. 24 करोड़ रुपये की लागत पर एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जायेगा।

7. भारत सरकार नवम्बर, 1996 के अंत तक तीन वर्ष 1996-1999 की अवधि के लिए ''ऑन एकाउन्ट'' रायल्टी दरों को अन्तिम रूप देगा और इन दरों पर भुगतान 1.4.96 से बकाया राशि सहित 31.12.96 तक असम सरकार को कर दिए जायेंगे।

8. गुवाहाटी मेडीकल कॉलेज के उन्नयन पर विचार किया जायेगा।

मेघालय

1. इन्दिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान, जिसकी नींव 1986 में रखी गई थी, को समयबद्ध, रूप से पूरी तरह पूरी किए जाने के कार्य को शुरू किया जायेगा।

2. शिलांग बाईपास सड़क के लिए 50 करोड़ रुपये मुहैया कराए जायेंगे और नौवीं योजना में इसके कार्यान्वयन में तीव्रता लाई जायेगी।

3. गुवाहाटी से बर्नीहार पर मेघालय के भीतर रेल हैड मुहैया कराया जायेगा और राज्य सरकार से अपेक्षित भूमि के प्राप्त होते ही इस पर कार्य शुरू हो जायेगा।

4. उमरोय विमानपत्तन का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार और उन्नयन किया जायेगा और भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू हो जायेगा।

5. बहारी वित्तीय स्रोतों से धनराशि प्राप्त करके नौवीं योजना अवधि के दौरान शिलांग के समीप नया सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित किया जायेगा।

6. लगभग 3.5 करोड़ रुपये की कुल लागत पर राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मेघालय में एक प्रादेशिक जैविक उत्पादन यूनिट स्थापित की जाएगी।

7. टूरा के समीप एन एच 51 को चौड़ा करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

8. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र को स्वीकृति दी जाएगी।

9. शिलांग में होटल मैनेजमैंट का एक संस्थान स्थापित किया जायेगा।

10. भारत सरकार की सहायता से मेघालय और बंगलादेश को जोड़ने वाले डौरी ब्रिज का निर्माण किया जायेगा।

विवरण-V

तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा मई, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान की गई घोषणाएं

1. पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की अक्टूबर, 1996 में अपनी यात्रा के दौरान घोषित ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नयी पहल'' में अभिहित स्कीमें/कार्यक्रम पूर्णतः क्रियान्वित किए जाएंगे।

2. असम सरकार द्वारा विद्रोह को दबाने में किया गया सुरक्षा संबंधी व्यय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। असम सरकार, गृह मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजेगी।

3. केन्द्रीय सरकार बोडो स्वायत्त परिषद् (बीएसी) को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएगी तथा राज्य सरकार को और अधिक निधि जारी की जाएगी। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार बी ए सी को तत्काल निधियां जारी करेगी।

4. गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक निकायों इत्यादि में रिक्त पदों की नवीनतम स्थिति का जायजा लेकर समीक्षा करेगा।

5. पूर्वोत्तर परिषद् के पुनर्गठन के लिए, प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग और पूर्वोत्तर राज्यों के सात मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेने की इच्छा व्यक्त की।

6. प्रधान मंत्री की इच्छा थी कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार के सुरक्षा से संबंधित व्यय के प्रस्ताव पर असम और त्रिपुरा की तर्ज पर ही विचार करे।

7. राष्ट्रीय राजमार्गों की पैट्रोलिंग के संबंध में, प्रधान मंत्री ने सूचना दी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों की पैट्रोलिंग के लिए अलग से एक विशेष स्कीम तैयार की जा रही थी। मणिपुर सरकार का प्रस्ताव उसमें शामिल होगा।

8. अगरतला और कलकत्ता के बीच उड़ानों की संख्या कम कर दी गई हैं प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि इस मुद्दे पर, नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ एक बैठक ली जाए। बाद में, मणिपुर की राज्य सरकार ने असम चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने भी ऐसे ही मुद्दे उठाए। गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ उड़ानों की बहाली के लिए एक बैठक आयोजित करेगा।

9. गैस के समुचित दोहन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा सरकार और पैट्रोलियम मंत्रालय के बीच एक बैठक की जानी है।

10. इस समय त्रिपुरा रबर उत्पादन में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। चूंकि रबड़ को वन जाति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अवनत वनों में रबड़ रोपण की अनुमति नहीं है।

11. पी.एम.आर.वाई. के लिए उम्र सीमा (इस समय यह 35 वर्ष है) बढ़ाने के वास्ते प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन दिये गये थे। प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले की शीघ्र जांच की जानी चाहिए।

12. चावल के पर्याप्त आवंटन हेतु मुख्यमंत्री, मणिपुर के अनुरोध के संदर्भ में प्रधान मंत्री ने उन्हें सूचित किया था कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें। खाद्य मंत्रालय से कहा गया है कि वह चावल/गेहूं का आवंटन कम न करे। गरीबी रेखा के नीचे के लिए आवंटन खाद्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा तथा खाद्यान्नों की शेष मात्रा सामान्य कीमत पर गरीबी स्तर के अनुसार राज्य के लोगों को दी जाएगी।

13. प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि डमरा-सिजुआ-बाघमारा राजमार्ग को जोड़ने वाली 130 कि.मी. लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा तथा भू-तल परिवहन मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा।

14. कुलपति, एन. ई. एच. यू. ने सूचित किया था कि वर्ष 1996-97 में यू.जी.सी. द्वारा एन.ई.एच.यू. को दिए गए अनुदान में सामान्य बजट कटौती के कारण कमी की गयी थी। प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि मानव संसाधन मंत्रालय को चाहिए कि वे इस पर यू जी सी को निर्देश जारी करें ताकि सामान्य कटौती पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू न हो।

15. जामिया मिलिया के अनुरूप एन. ई. एच. यू. के अंतर्गत एक जन संचार संस्थान की स्थापना की जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना है।

मुरारी समिति की रिपोर्ट

33. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुरारी समिति ने भारतीय समुद्र में विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ने के लिए दिए गए लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे लाइसेंसों को रद्द करने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) संयुक्त उद्यम, चार्टर, पट्टा और मछली पकड़ने वाले परीक्षण पोतों द्वारा मछली पकड़ने के लिए जारी सभी परमिटों को रद्द करने से संबंधित सिफारिशों के संबंध में, यथा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं की शर्त पर, यह फैसला किया गया है कि इन परमिटों को केवल एम.जैड.आई. अधिनियम, 1981 के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश और/अथवा प्रदान की गई स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के लिए ही रद्द किया जा सकता है। स्वीकृतियों को रद्द करने अथवा न करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर फैसला वैयक्तिक मामलों में विधि मंत्रालय के परामर्श से किया जाना होता है।

कर्नाटक में फसलों की बरबादी

34. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री विजय संकेश्वर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के विभिन्न जिलों को फसलों की बरबादी के कारण कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने फसलों की बरबादी की भरपाई करने के वास्ते केन्द्र सरकार को 400 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता देने हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जी, हाँ। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान तुमकुर, कोलार, चित्रदुर्ग, देवणगिरि, बीजापुर, बगालकोट, रायच, कोप्पाल, बेल्लारी, गुलबर्गा, बीदर, गंडमांउया और धारवाड़, जिले असामयिक वर्षा और कृमि आक्रमण के कारण फसलों के नुकसान से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 397 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतिरिक्त वित्तीय सहायता के प्रावधान पर, यदि कोई हो, यथावधि राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

तिब्बत संबंधी मामला

35. श्री अशोक अर्गल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 मार्च से जन्तर-मन्तर, दिल्ली में तिब्बत यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के संबंध में कोई पहल करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या त्वरित कार्रवाई बल के जवानों ने आमरण अनशन के 49वें दिन अनशनकारियों को गिरफ्तार किया था;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस मौजूदा मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष रखने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) 10 मार्च, 1998 से छः तिब्बती जन्तर-मन्तर के पास भूख हड़ताल पर थे। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए चिकित्सकों के एक दल ने छह भूख हड़तालियों की परीक्षा की तथा उनके निष्कर्षों के आधार पर 25 अप्रैल, 1998 को तीन भूख-हड़तालियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया तथा बाकी तीन को भी उसी प्रकार 27 अप्रैल, 1998 को हटा दिया गया। उसके बाद तिब्बतियों के एक-दूसरे दल ने दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने 19 मई, 1998 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त की।

[हिन्दी]

भूमिगत जल संबंधी कानून

36. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में भूमिगत जल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधेयक का मानक प्रारूप राज्य सरकारों को इनके सुझावों हेतु भेज दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विधेयक को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण भू-जल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून राज्यों द्वारा बनाये जाने हैं। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है। ताकि वे इसके लिए उपयुक्त कानून बना सकें। अभी तक इस संबंध में केवल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों ने कानून बनाये हैं। बिहार, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम ने इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा है। अन्य राज्यों को इस प्रकार के कानून कब बनाने हैं यह राज्य विशेष पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

37. श्री सुरेश चन्देल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली बिजली के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में उपलब्ध संभावित विद्युत क्षमता का आकलन कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 500 मेगावाट की विस्तृत संभावना का अनुमान लगाया गया है। लघु पन विद्युत परियोजनाओं (3 मे.वा. केन्द्र क्षमता तक) के विकास के लिए लगभग 164 मेगावाट की समग्र क्षमता वाले 158 स्थलों की अब तक पहचान की गई है। पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए राज्य में पवन संसाधन के आकलन का कार्य चल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

38. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 185 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने सभी प्रकाशनों में हर तरह के आतंकवाद की निंदा किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को 15.12.97 को स्वीकृत किए जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को बनाने और अपनाने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का ध्यान जम्मू-कश्मीर एवं देश के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान द्वारा आंतकवाद फैलाए जाने की ओर आकर्षित करने में भारत का क्या योगदान रहा; और

(ग) इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों विशेषकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारत सरकार ने आतंकवादी बमबारी के उन्मूलन

से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित वार्ता और उसको पारित करने का समर्थन किया है। सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर और भारत भूमि पर अन्यत्र कहीं आतंकवादी कार्यवाहियों को पाकिस्तान के समर्थन का उल्लेख किया है। भारत द्विपक्षीय बातचीत और वार्ताओं के माध्यम से पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों के समाधान के प्रति वचनबद्ध है। आतंकवाद के मसले पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बीच सर्वसम्मति बन रही है।

सेन्ट्रल स्टेट फार्म, अरालम

39. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल स्टेट फार्म, अरालम, केरल द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अर्जित/उठाई गई लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस फार्म के विस्तार और/या आधुनिकीकरण के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फार्म के विकास के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ (+)/	हानि (-)
1995-96	(+)	10.24
1996-97	(+)	154.10

केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम के 1997-98 के खाते पूरे नहीं किये गये हैं।

(ख) केन्द्रीय राज्य फार्म अरालम के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया है :

(i) बेसिन और ड्रिप सिंचाई के लिए सिंचाई परियोजना

(ii) वर्तमान सिंचाई स्कीमों पर नियंत्रण बांधों का निर्माण

(iii) बिल्डिंग पाइप और मशीनरी के साथ-साथ आधुनिक कोपरा शुष्कक का निर्माण

(iv) रेशा निष्कर्षक ईकाइयों की स्थापना

(v) ब्लाक नं० 11 से 13 तक बिजली की लाइन का विस्तार

(vi) ब्लाक नं० 11 से 14 में भुगतान चेकपोस्ट का निर्माण

(vii) वर्तमान आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का सुधार

(viii) फल संसाधन ईकाइयों, ड्राइंग यार्ड नं० 5 और 4 हेक्टेयर में मात्स्यिकी परियोजना।

(ग) इस फार्म के विकास के लिए 1997-98 में किये गये आबंटन इस प्रकार हैं :

	रुपये लाख में
(i) पौधरोपण	154.00
(ii) सिंचाई/जलनिकासी	15.00
(iii) अन्य	8.00

अफगानिस्तान के साथ संबंध

40. श्री नरेश कुमार चुन्नालाल पुगलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान के संबंध में भारत की नीति का गहन पुनर्मूल्यांकन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अफगान संकट के जारी रहने से भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग भी प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (घ) अफगानिस्तान की घटनाएँ हमारे राष्ट्रीय हितों, जिसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न भी शामिल है को प्रभावित करती हैं। उस देश में चल रहे नागरिक संघर्ष से इस क्षेत्र, जिसका भारत एक अंग है, की शांति, स्थायित्व और आर्थिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार अफगानिस्तान की गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रख रही है और राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की अध्यक्षता में अफगानिस्तान सरकार के सभी संघटक गुटों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

विदेश नीति

41. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सरकार के गठन के बाद विदेश नीति में परिवर्तन का विचार है;

(ख) क्या सरकार का स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुट-निरपेक्ष सिद्धांत के मूल आधार का पालन करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) हमारी विदेश नीति का उद्देश्य न्याय और समानता के साथ सभी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए एक बहुवादी लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में देश की प्रादेशिक अखंडता, सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण करना है। विचारों की स्वतंत्रता तथा कार्य स्वायतता हमारी विदेश नीति के प्रमाण-चिह्न रहे हैं जिसे स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में पहली भारतीय सरकार ने गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त में हमारे अटल विश्वास को व्यक्त किया था तथा जिस पर वर्तमान सरकार भी उसी प्रकार कायम है और इन सुस्पष्ट सिद्धान्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाकाली संधि

42. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के अन्तर्गत पंचेश्वर बांध के निर्माण के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में इस बांध के निर्माण के संबंध में कतिपय आपत्तियां उठाई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के अन्तर्गत पंचेश्वर बांध के निर्माण के लिए कोई अलग से करार नहीं किया गया है। तथापि, महाकाली संधि में स्वतः ही तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुरूप पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी करार मौजूद हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की

43. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की की वर्तमान स्थिति और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने विदेशी दौरे किए; और

(ग) इन विदेशी दौरों पर कुल कितना धन खर्च हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना दिसम्बर, 1978 में जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मूल तथा प्रायोगिक जल विज्ञान में अध्ययन व अनुसंधान करने और जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से की गई थी।

(ख) गत तीन वर्षों (1995, 1996 और 1997) के दौरान यू.एन.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत चल रहे "जल वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए विकसित हो रही क्षमताएं" में 26 वैज्ञानिकों ने फैलोशिप प्रशिक्षण लिया और 11 वरिष्ठ वैज्ञानिक/अधिकारी विदेश में अध्ययन दौरे पर गये।

(ग) तीन वर्षों के दौरान विदेश में फैलोशिप प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों पर कुल 3,05,104,44 अमेरिकी डालर व्यय हुए।

[हिन्दी]

माही परियोजना

44. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में माही परियोजना का मुख्यालय किस वर्ष में और कहां स्थापित किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इस सिंचाई परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या इस चालू परियोजना का कार्य बंद कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) माही परियोजना वर्ष 1979 में क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई थी। यह परियोजना मध्य प्रदेश में धार जिला में स्थित माही परियोजना मंडल द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) मार्च, 1998 तक इस परियोजना पर लगभग 42.99 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

(ग) इस परियोजना से मध्य प्रदेश के तीन जिलों को लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

46. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ''सरदार सरोवर'' परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में गुजरात सरकार और संसद सदस्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) गुजरात के मुख्यमंत्री तथा संसद सदस्यों ने सरदार सरोवर परियोजना को ''राष्ट्रीय परियोजना'' के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया है। तथापि, सिंचाई क्षेत्र में किसी परियोजना को ''राष्ट्रीय परियोजना'' घोषित करने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

47. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) शुरू की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि के साथ कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ, कृषि मंत्रालय ने वर्षा सिंचित खेती के क्षेत्र में 1990-91 से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है अर्थात् वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- एक निश्चित समय अवधि में पूर्वानुमानित जनसंख्या के पोषण हेतु सतत् रूप से खाद्यान्न उत्पादन का लक्षित स्तर हासिल करना।
- पारिस्थितिकी के लिये अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों (भूमि, पानी, जैविक संसाधनों आदि) के पारिस्थितिक निम्नीकरण को न्यूनतम करना तथा अनुकूलनतम उपयोग करना।
- क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के बीच के अन्तर को कम करना।
- रोजगार के अवसर सृजित करना।

इस परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिये धन आबंटन की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राज्य स्तर की समीक्षाएं करके इस परियोजना के कार्यान्वयन की कड़ी मानिटरिंग और समीक्षा की है जिससे कार्यान्वयन में राज्य विशिष्ट बाधाओं की ओर ध्यान देने तथा उन्हें दूर करने में मदद मिली है। विभिन्न समीक्षाओं से मिली जानकारी का उपयोग वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के लिए नौवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने में किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के लिये निर्मुक्त धन

(लाख रुपये में)

क्र. सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त धन 1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	320.00	700.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.000	–	10.000
3.	असम	512.000	–	–
4.	बिहार	–	–	–
5.	गोवा	46.000	–	–
6.	गुजरात	–	332.000	700.000
7.	हरियाणा	55.000	60.000	80.000
8.	हिमाचल प्रदेश	265.000	60.000	120.000
9.	जम्मू व कश्मीर	118.000	–	108.000
10.	कर्नाटक	476.000	1095.000	2100.000
11.	केरल	–	700.000	500.000
12.	मध्य प्रदेश	1977.000	3700.000	1434.000
13.	महाराष्ट्र	3290.000	2754.000	2500.000
14.	मणिपुर	75.000	100.000	250.000
15.	मेघालय	55.000	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	18.000	160.000
18.	उड़ीसा	1580.000	1000.000	1200.000
19.	पंजाब	–	–	40.000
20.	राजस्थान	2855.000	3016.000	2581.000
21.	सिक्किम	10.000	41.000	90.000
22.	तमिलनाडु	420.000	240.000	900.000
23.	त्रिपुरा	–	4.000	130.000
24.	उत्तर प्रदेश	2215.000	1000.000	1000.000
25.	पश्चिम बंगाल	11 000	–	10.000
26.	दादर व नगर हवेली	–	–	1.000
27.	अंडमान व निकोबार	50.000	50.000	25.000
	कुल	15236.000	14490.000	4864.000

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

48. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक अनुदान स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वित्त वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान हरेक योजना का नाम, तथा इनसे संबंधित बजटीय अनुदान, वास्तविक रूप से वितरित राशि और लाभान्वित संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त योजनाओं को जारी रखा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 के दौरान उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिसे समाप्त किए जाने की संभावना है और कौन-कौन सी नई योजनाएं हैं जिन्हें आरंभ किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्कीमें वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई और उस अवधि के दौरान कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई।

विवरण

उन योजनाओं का ब्यौरा जिसके अधीन वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता दी गई।

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1995-96 बजट अनुमान	निर्मुक्त रकम	लाभान्वित स्वैच्छिक संगठनों की सं०	1996-97 बजट अनुमान	किया गया खर्च	लाभान्वित स्वैच्छिक संगठनों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वैच्छिक संगठन के जरिए कृषि विस्तार	70.00	66.19	14	70.00	64.55	14

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास (प्रशिक्षण घटक)	760.00*	2.00	2	650.00*	5.75	9
3.	राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड						
(i)	जंगली खुबानी का समेकित विकास	7.74	6.49	8	9.00	9.00	12
(ii)	नए क्षेत्रों/मौसमों में तिलहन की खेती करना	13.69	11.37	8	28.60	25.73	12

*लाभान्वित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

49. श्री भीम डाडाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए नई योजना में कोई विशेष प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के कारण फैल रही विघटनकारी गतिविधियों पर किस तरह काबू पाया जा सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पर्वतीय राज्यों को, केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले के आधार पर, विशेष श्रेणी राज्यों में गिना जाता है जिससे उन्हें दो तरीकों से लाभ होता है :

(i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखने के पश्चात् शेष का 30 प्रतिशत इन राज्यों को दिया जाता है भले ही उनकी जनसंख्या का भाग काफी कम हो।

(ii) केन्द्रीय सहायता, अनुदान और ऋण सम्मिश्रण के रूप में उदारतापूर्वक उपलब्ध कराई जाती है; जो विशेष श्रेणी के लिए 90:10 तथा गैर-विशेष श्रेणी के लिए 30:70 है, इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों यथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना आदि के अन्तर्गत भी विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है।

पूर्वोत्तर के लिए एक नया दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित तीन कार्यनीतियों पर आधारित है- (i) उत्तर-पूर्वी परिषद् का पुनर्गठन करना जिससे कि इसे परियोजनाएं बनाने तथा समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन में और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना-दृष्टिकोण की वर्तमान तथा नवीन परियोजनाएं लक्ष्य-तिथि तक पूर्ण हो सकें; तथा (iii) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट व्यय न किए गए अधिशेष को परिवर्तित करके, संसाधनों के एक केन्द्रीय पूल का सृजन।

[अनुवाद]

आई.ए.एस. अधिकारी

50. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व संशोधित वेतनमान 2200-4000 रुपये, 3200-4700 रुपये, 3950-5000 रुपये, 4800-5700 रुपये, 5900-6700 रुपये, 7300-8000 रुपये, 5900-6700 रुपये, 7300-8000 रुपये उच्च वेतनमान और 8000 रुपये (निर्धारित) एवं 9000 रुपये (निर्धारित) उच्च प्रशासनिक वेतनमान में वर्तमान में कुल कितने आई.ए.एस. अधिकारी हैं;

(ख) इन वेतनमानों में से प्रत्येक वेतनमान में कौन से बैच के आई.ए.एस. अधिकारी कनिष्ठतम हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सेवा को अधिक आकर्षित बनाने के लिए इस सेवा में वरिष्ठ पदों का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे कि प्रतिभाशाली उम्मीदवार इस सेवा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले वरीयता दें, जो उदारीकरण के कारण देश में आ रही हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए निर्धारित संशोधित वेतनमान और केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता संबंधी सेवा विवरण-I में दी गई है। अपने-अपने राज्य के संवर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त सेवा के अधिकारियों को अपने अधीन तैनात करने के क्रम में उन्हें अधिसमय और उससे उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नत करने के प्रयोजन से उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करके उनके नामों का पैनल भी तैयार करती है। विभिन्न ग्रेडों में पदधारण किए हुए अधिकारियों की संख्या, केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती, क्योंकि वे इन पदों पर राज्य-सरकारों और केन्द्र-सरकार के अधीन सेवारत रहते हैं। और इन अधिकारियों की संख्या समय-समय पर इनकी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति हो जाने पर बहुधा बार-बार बदलती रहती है।

(ख) 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक ग्रेड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठतम अधिकारी के बैच का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) किसी संवर्ग में वरिष्ठ ड्यूटी वाले पदों की प्राधिकृत की जा सकने वाली संख्या का निर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर की जाने वाली संवर्ग-पुनरीक्षा के समय किया जाता है। यह निर्धारण राज्य-सरकारों की प्रशासनिक अपेक्षाओं, संवर्ग की अपेक्षित संवृद्धि और सरकार की नीतियों पर आधारित होता है।

विवरण-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संशोधित वेतनमान और भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता संबंधी सेवा

क्रम संख्या	संशोधित वेतनमान (संशोधन से पूर्व)	अपेक्षित पात्रता संबंधी सेवा
1.	8000-13500 रुपये (2200-4000 रुपये)	सेवा में प्रवेश
2.	10650-15850 रुपये (3200-4700 रुपये)	4 वर्ष
3.	12750-16500 रुपये) (3950-5000 रुपये)	9 वर्ष
4.	15100-18300 रुपये (4800-5700 रुपये)	13 वर्ष
5.	18400-22400 रुपये (5900-6700 रुपये)	16 वर्ष
6.	22400-24500 रुपये (7300-7600 रुपये)	25 वर्ष
7.	26000/- रुपये (नियत) (8000/-रुपये (नियत)	30 वर्ष
8.	30000/- रुपये (नियत) (9000/- रुपये (नियत)	30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा

विवरण-II

1.1.1998 की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठतम अधिकारियों के बैच का विवरण

क्र. संख्या	संवर्ग का नाम	26000 रुपये (नियत)	22400-24500 रु0	18400-22400 रु0	15100-18300 रु0	12750-16500 रु0	10650-15850 रु0
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ए.जी.एम.यू.टी.	1965	1969	1980	1983	1989	1993
2.	आंध्र प्रदेश	1966	1969	1982	1984	1988	1993
3.	असम-मेघालय	1966	1968	1982	1983	1988	1993
4.	बिहार	1966	1972	1980	1983	1988	1992
5.	गुजरात	1965	1971	1982	1983	1988	1992
6.	हरियाणा	1965	1967	1979	1984	1988	1993
7.	हिमाचल प्रदेश	1965	1971	1982	1985	1988	1994
8.	जम्मू और कश्मीर	1966	1970	1981	1984	1986	1993
9.	कर्नाटक	1965	1970	1981	1983	1987	1992
10.	केरल	1965	1972	1978	1984	1988	1992
11.	मध्य प्रदेश	1964	1972	1981	1983	1988	1993

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	महाराष्ट्र	1965	1968	1981	1983	1988	1993
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	1966	1966	1980	1984	1988	1993
14.	नागालैंड	1968	1970	1982	1985	1988	1993
15.	उड़ीसा	1965	1968	1980	1984	1980	1992
16.	पंजाब	1964	1970	1981	1984	1988	1992
17.	राजस्थान	1965	1969	1980	1984	1988	1993
18.	सिक्किम	–	1971	1979	1983	1988	1990
19.	तमिलनाडु	1965	1971	1981	1984	1988	1993
20.	उत्तर प्रदेश	1965	1972	1982	1984	1989	1991
21.	पश्चिम बंगाल	1964	1967	1980	1982	1986	1992

टिप्पणी : 30,000 रुपये के ग्रेड में एक पद है, जो कि भारत-सरकार के मंत्रिमंडल-सचिव का है। इस समय इस पद पर 1963 बैच के एक अधिकारी कार्यरत है।

कर्नाटक में कुएं खोदना

51. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक में किसानों के लिए सिंचाई हेतु 10,000 कुएं खोदने के लिए धनराशि मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनसे कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने तथा कितनी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह धनराशि कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विविधीकरण कार्यक्रम

52. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज ने विवधीकरण का कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काजू विपणन के लिए हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड ने पूरक पोषक आहार, केक उत्पादन तथा विपणन और काजू विपणन क्षेत्रों में विविधीकरण किया है।

(ग) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड तथा पियर्स लेज्ली (इं0) लि0 के बीच एक करार हुआ है। यह करार ब्रांड नाम के काजू का कमीशन आधार पर विपणन करने के लिए है। शुरू में करार एक फरवरी, 1995 से 5 वर्षों के लिए है।

[हिन्दी]

बारगी बांध के विस्थापित

53. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बारगी बांध से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार और कार्यान्वित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक जलाशयों के नवीनीकरण की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक तैयार और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जी, हाँ। परियोजना प्राधिकारी द्वारा 10.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रभावित निवासियों के पुनर्वास की एक स्कीम

तैयार की गई है। इसमें से 0.70 लाख रुपये धार्मिक स्थानों के विकास तथा 13.50 लाख रुपये प्राकृतिक जल कुण्डों (पूल्स) के लिए अलग रखे गए हैं। दिनांक 30.3.1998 तक लगभग 6.40 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वास कार्यों पर खर्च की जा चुकी है। आवासीय भूखण्डों के आवंटन के पात्र कुल 4008 परिवारों में से 2402 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं (30.3.98 तक)।

[अनुवाद]

आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना

54. श्री खारवेल स्वाइन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इंडो-डैनिश कामप्रिहैंसिव वाटरशेड (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये का दुर्विनियोग हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरापुट और मलेनगिरी के पिछड़े जिलों में आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना के अंतर्गत धनराशि का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सी.बी.आई. जांच कराने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं, इसके विपरीत डैनिडा से सहायता प्राप्त योजना के अधीन दिए गए धन का उचित उपयोग किया गया है। इसके साथ-साथ, कोरापुट में नियुक्त एक पूर्णकालिक डैनिडा सलाहकार द्वारा इस परियोजना की कड़ी मानिटरिंग की गयी है, आवधिक रूप से डैनिडा मिशन ने दौरे किए हैं तथा हाल ही में डेनमार्क के माननीय राजदूत ने दौरा किया है। इसके अलावा 85 ग्राम समितियों के माध्यम से इस परियोजना में लोगों की सक्रिय सहभागिता है, तथा इसमें गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता है, ताकि इस प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद मिल सके।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) इसकी आवश्यकता नहीं है।

सेवानिवृत्ति आयु

55. श्री तथागत सत्पथी :
श्री रतिलाल काळीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इससे रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा वित्तीय कठिनाईयों का विवरण क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार ने सेवा-निवृत्ति की आयु और केन्द्रीय सरकार के पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु बढ़ाने का निर्णय, पांचवें वेतन आयोग द्वारा सेवा-निवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी किए जाने से संबंधित सिफारिशों, और देर से शादी करने की बढ़ती प्रवृत्ति और शिक्षार्जन में व्यतीत हो जाने वाली अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों/उम्मीदवारों की प्रत्याशाओं और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति जैसे अन्य सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात् लिया है।

(ग) रक्षा और वित्त मंत्रालयों का यह अनुमान है कि सिविल कर्मचारियों, सशस्त्र सेनाओं और केन्द्रीय पुलिस-संगठनों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु में दो वर्ष की बढ़ोत्तरी किए जाने से, दो वर्ष प्रतिवर्ष लगभग 5,200 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय राहत मिलेगी। सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोत्तरी से समग्र-रोजगार-क्षेत्र प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार के एक-तिहाई कर्मचारी पहले से ही 60 वर्ष की आयु के हो जाने पर सेवानिवृत्त होते हैं, अतः नयी भर्ती के किए जाने के प्रयोजन से इन संवर्गों में रिक्तियां उपलब्ध रहा करेंगी जिससे बेरोजगारी पर पड़ने वाला किसी तरह का प्रभाव और कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र का विस्तार किए जाने से, दूरसंचार, विद्युत, पत्तनों आदि जैसे आधारभूत क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में और वृद्धि होगी।

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

56. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक उदारीकरण के पहले और बाद में सकल घरेलू उत्पाद की औसतन विकास दर कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की क्या भागीदारी रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि की औसत दर 1984-85 से 1990-91 की सुधार पूर्व अवधि के संबंध में 5.91 प्रतिशत वार्षिक और 1991-92 से 1997-98 की सुधारोत्तर अवधि के संबंध में 6.48 प्रतिशत वार्षिक है।

(ख) जीडीपी में 1984-85 से 1997-98 तक कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रकीय हिस्सों को निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्रकीय हिस्से (1980-81 की कीमतों पर)
(जीडीपी का प्रतिशत)

सुधार-पूर्व	कृषि	उद्योग	सेवाएं
1984-85	35.94	27.47	36.59
1985-86	34.63	27.61	37.76
1986-87	32.63	28.41	38.96
1987-88	31.40	28.98	39.62
1988-89	33.01	28.58	38.41
1989-90	31.40	29.48	39.11
1990-91	30.93	30.01	39.06
सुधारोत्तर			
1991-92	29.96	29.38	40.66
1992-93	30.19	29.08	40.73
1993-94	29.50	29.28	41.22
1994-95	28.79	29.89	41.33
1995-96@	26.04	31.39	42.57
1996-97*	26.13	31.07	42.80
1997-98**	24.38	31.28	44.35

@ अनंतिम अनुमान

* त्वरित अनुमान

** अग्रिम अनुमान

राजस्थान में बीसलपुर बांध

57. **श्री द्वारका प्रसाद चैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बीसलपुर बांध (राजस्थान) के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या इस बांध का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस बांध के पूरा हो जाने के बाद इसके दायरे में राज्य की कितनी भूमि के आने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य के टोंक जिले के समीप एक बांध बनाने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इस बांध के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 430.26 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में मार्च, 1998 तक 262.31 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) आनुषंगिक कार्यों को छोड़कर इस बांध का लगभग सारा कार्य पूरा हो गया है।

(ग) केन्द्र सरकार ने अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई निधियां स्वीकृत नहीं की हैं।

(घ) परियोजना के पूरा होने पर उससे 49890 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई सहित 69290 हैक्टेयर कुल्य कमान क्षेत्र शामिल होगा।

(ङ) बीसलपुर बांध टोंक जिला में बीसलपुर गांव के निकट बानास नदी पर बनाया जा रहा है।

(च) राज्य सरकार का इस परियोजना को नौवीं योजना के दौरान पूरा करने का विचार है।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

58. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक में विशेषकर कोलार जिले में किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। फिर भी, मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों/सहकारिताओं/गैर-सरकारी संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। कोलार जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते वर्ष 1998-99 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक राज्य से प्रशीतन भंडारों की स्थापना के वास्ते दो प्रस्ताव, चलती-फिरती फल संस्करण यूनिट की स्थापना और मसाले का तेल निकालने हेतु एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो कि इस समय मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण

59. श्री ए. सिवराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण अपनी अंतिम रिपोर्ट कब देगा।

पांचवां वेतन आयोग

60. श्री के.एस. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें अब भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा वेतन के ढांचे, केन्द्रीय सरकार में देय संशोधन-पूर्व वेतनमानों के अनुरूप वेतनमानों के प्रतिस्थापना, कुछ एक जैसी श्रेणियों के कर्मचारियों और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संघ राज्य-क्षेत्रों में समूह ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के विशिष्ट पदों के संबंध में उनके मौजूदा वेतनमानों से उच्चतर वेतनमानों के प्रतिस्थापित किए जाने, अधिवर्षिता की आयु, मकान किराया-भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, परिवहन-भत्ता, दौरे/स्थानांतरण पर यात्रा-भत्ता, पेंशन तथा कुटुम्ब पेंशन आदि के बारे में की गई ऐसी प्रमुख सिफारिशें कार्यान्वित करते हुए आवश्यक आदेश पहले से ही जारी कर दिए गए हैं जो केन्द्रीय सरकार के बहुसंख्यक कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं और उनके लिए संगत हैं। कुछ ऐसी सिफारिशें जिन पर अभी आवश्यक आदेश जारी किए जाने हैं वे, स्थान-विशेष या विभाग-विशेष से संबंधित भत्ते और विशेष समूह ''क'' पदों के संबंध में उच्चतर वेतनमानों की मंजूरी/समूह ''क'' पदों का दर्जा बढ़ाए जाने, दिल्ली अंडमान, निकोबार द्वीप सिविल सेवा और दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप पुलिस सेवा के सदस्यों के वेतनमान के बारे में निर्णय, सुनिश्चित आधार पर समय बद्ध पदोन्नति की योजना पर लागू किए जाने, संवर्गों की पुनर्संरचना आदि से संबंधित हैं। ये सिफारिशें संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में चल रही हैं। मौजूदा संवर्गों के वेतनमानों और पुनर्संरचना से संबंधित कुछ विभाग-विशेष संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन सरल बनाने के क्रम में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से विशिष्ट प्रस्ताव भी प्रतीक्षित हैं।

(ख) और (ग) सभी मंत्रालय/विभाग पांचवें वेतन-आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। और अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा टिशू कल्चर पर अध्ययन

61. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा ''टिशू कल्चर'' को अपनाने के बारे में एक अध्ययन कराया गया था ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के ढेरों वन क्षेत्रों को बचाया जा सके जो खतरे में हैं;

(ख) क्यां पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले बांस, यूकेलिप्टस, सागवान, चीड़, बांज, तेजपात के पेड़ों को बड़ा होने में समय लगता है जिससे पौधों संबंधी उत्पादों की कमी हो जाती है और पारम्परिक बहुलीकरण तकनीक अपनानी पड़ती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या टिशू कल्चर से प्रचुर मात्रा में पौधे उगाने की सामग्री वर्ष भर प्राप्त की जा सकती है;

(घ) क्या जड़ी-बूटी उत्पादन जो समान रूप से लाभकारी है को टिशू कल्चर के साथ संयोजित किया जा सकता है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोगात्मक फार्म लगाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। टाटा ऊर्जा अनुसंधान का एक क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वोत्तर में स्थित है ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके। बांस सहित बहुत सी पादप प्रजातियों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकसित होती हैं, के समूह बहुलीकरण के लिए ऊतक संवर्धन अध्ययन कराये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के बहुलीकरण के लिए पारम्परिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। फिर भी, पादप ऊतक संवर्धन विधि पारम्परिक विधियों के अनुपूरक के रूप में अपनाई जा सकती है। पादप ऊतक संवर्धन का उपयोग करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में पादप सामग्री को जो किसी प्रकार विशेष के हैं, कम समय में उत्पादन किया जा सकता है तथा रोपण मौसम के अनुसार उत्पादन के समय को विधिवत समायोजित करते हुए समूचे वर्ष भर इसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

(घ) विशिष्ट जड़ी-बूटी संबंधी पादप प्रजातियों की रोपण सामग्री का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए पादप ऊतक संवर्धन विधि का उपयोग किया जा सकता है।

(ङ) जैव प्रौद्योगिक विभाग क्षेत्रीय विशेषज्ञों से परामर्श लेते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय पादप प्रजातियों सहित विशिष्ट पादप सामग्री के बहुलीकरण के लिए पादप ऊतक संवर्धन के अनुप्रयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

बीहड़ क्षेत्र

62. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुल बीहड़ क्षेत्रों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सर्वेक्षण किस तारीख को किया गया था और देश में राज्यवार बीहड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) इन बीहड़ क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं/किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में कुल बीहड़-क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे, गृह मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार देश में 36.69 लाख है बीहड़ क्षेत्र है जो 9 राज्यों में फैला हुआ है जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए मृदा और जल संरक्षण संबंधी कार्य दल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में सीमांत और उथले बीहड़ों के सुधार हेतु एक योजना आरंभ करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में बीहड़ों के स्थिरिकरण पर एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजना अनुमोदित हो चुकी है तथा इस वर्ष से इसका कार्यान्वयन आरम्भ हो जाएगा।

विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य	बीहड़ क्षेत्र
1.	उत्तर प्रदेश	12.30
2.	मध्य प्रदेश	6.83
3.	राजस्थान	4.52
4.	गुजरात	4.00
5.	महाराष्ट्र	0.20
6.	पंजाब	1.20
7.	बिहार	6.00
8.	तमिलनाडु	0.60
9.	पश्चिम बंगाल	1.04
	योग	36.69

[हिन्दी]

यमुना नदी द्वारा भूमि कटाव

63. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यमुना नदी द्वारा भूमि कटाव रोकने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में यमुना नदी द्वारा भूमि कटाव रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) मृदा कटाव के मूल्यांकन सहित मृदा कटाव को रोकने की स्कीमों का अन्वेषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता देता है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने वर्ष 1990 के अन्त तक गंगा बेसिन के लिए विस्तृत योजना तैयार की है जिसमें यमुना उप-बेसिन भी शामिल है। विस्तृत योजना में बाढ़ प्रबंध तथा यमुना उप-बेसिन सहित गंगा नदी के उप-बेसिनों में मृदा कटाव को रोकने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया गया है। यह विस्तृत योजना उत्तर प्रदेश सहित सभी गंगा बेसिन राज्यों को विस्तृत स्कीमें तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं।

[अनुवाद]

केरल में खाद्य प्रसंस्करण एकक

64. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षों में केरल में विदेशी सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता। फिर भी केरल समेत देश में ऐसी यूनिटों की स्थापना को आसान बनाने के लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 की अवधि के दौरान केरल राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 33 करोड़ (लगभग) के विदेशी निवेश वाले 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

पशुधन और डेयरी विकास

65. **श्री मोती लाल वोरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी बहुल पिछड़े जिलों में पशुधन और डेयरी विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में कोई महत्वपूर्ण योजना तैयार कर रही है;

(ख) इस योजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किन जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना की लागत कितनी है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि मुहैया कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) नौवीं योजना में इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों को बेहतर बीजों की आपूर्ति

66. **श्री आर. सांम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मात्रा में कपास की फसल के उत्पादन को रोकने के लिए उत्तम बीजों के आयात का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या ''कॉटन मिल फेडरेशन'' अच्छे प्रमाणिक बीजों और बेहतर कीटनाशी प्रबन्धन की मांग कर रही है;

(ग) क्या उक्त फेडरेशन ने सरकार से कपास की फसल और कृषकों को बर्बाद करने वाली नकली कीटनाशकों की आपूर्ति को रोकने की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में, खरीफ, 1997 के दौरान तथा खरीफ, 1998 के दौरान भी कपास के बीजों की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक थी। इसलिए कपास की फसल को बरबाद होने से बचाने के लिए क्वालिटी बीजों के आयात का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) ऐसी कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

67. **डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यक मरम्मत तथा रख-रखाव के कार्य के संबंध में एक कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा उनके स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार और उनके स्वयं के संसाधनों में से किए जाते हैं। ऐसे कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्बाध आवागमन

68. श्री अमर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योग-आधारित उत्पादों और किसानों के उप-उत्पादों के निर्बाध आवागमन के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) किसानों के किसी कृषि उत्पाद तथा उप-उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर सामान्यतया कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने देश में खाद्यान्नों यथा गेहूं, मोटे अनाज, दालें तथा कर-मुक्त चावल के मुक्त परिवहन पर लागू सभी सांविधिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों जैसे आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू व कश्मीर ने चावल की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खाद्यान्नों की तस्करी रोकने के लिए धान/चावल को राज्य के बाहर ले जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया है।

गन्ना के मामले में भी सरकार द्वारा इसके परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है सिवाय इस मामले के, जब किसान चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में रहता हो। ऐसे मामलों में भी किसान अपना गन्ना आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ व खण्डसारी निर्माताओं को बेच सकता है। केवल महाराष्ट्र के मामले में ही किसान अपना गन्ना, भले ही वह किसी चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में स्थित हो, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्यात परमिट के माध्यम से कहीं भी बेच सकते हैं। अन्य सभी राज्यों में आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा सही साबित हो रही है।

[अनुवाद]

दुग्ध आपूर्ति

69. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए दुग्ध आपूर्ति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी आपूर्ति की मात्रा और दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकारी प्रयासों का लक्ष्य सामान्यतया डेयरी विकास का है ताकि समाज को अधिक दूध उपलब्ध हो सके।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

70. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर ये क्रियान्वित की जा रही हैं तथा इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से कुछ पुनर्प्रयोज्य परियोजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) विश्व बैंक सहायता से भारतीय अक्षय ऊर्जा संसाधन विकास परियोजना (आई. आर. आर. डी. पी.) नामक परियोजना का कार्यान्वयन देश में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा किया जा रहा है।

(ख) भारत अक्षय ऊर्जा संसाधन विकास परियोजना (आई. आर.आर.डी.पी.) के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता के लिए दाता-संस्थाओं के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) से साफ्ट लाइन-115 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(ii) डैनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (डानिडा) से साख लाइन-15 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(iii) ग्लोबल इनवायरमेंट फेसिलिटी (जी ई एफ) से अनुदान-26 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(iv) स्विस विकास कोऑपरेशन (एस डी सी) से अनुदान-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

भारत अक्षय ऊर्जा संसाधन विकास परियोजना (आई.आर. आर.डी.पी.) के अंतर्गत पवन फार्म, लघु पन बिजली तथा सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है, इन्हें देश में कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है।

(ग) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से कोई अक्षय ऊर्जा परियोजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का निर्यात

71. श्री बी.एम. बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत सरकार से भारत को होने वाले उसके चीनी के निर्यात हेतु सड़क मार्ग की सुविधा की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब किया गया था;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके बारे में सरकार का निर्णय क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पाकिस्तान की सरकार ने बाघा/अटारी चैक पोस्ट पर सड़क मार्ग को खोले जाने के एक प्रस्ताव के साथ भारत सरकार से संपर्क किया है, ताकि पाकिस्तान से भारत को चीनी का निर्यात किया जा सके। पाकिस्तानी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पेंशन सुविधाएं

72. डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन भोगियों के लिए पेंशन, उपदान, एकमुश्त अदायगी आदि का अभी तक संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) पेंशन सुविधाओं का त्वरित संशोधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) सरकार ने, पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में पेंशन, निवृत्ति-उपदान, सारांशीकरण इत्यादि को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने की सीमा तक संशोधित किए जाने के क्रम में अपेक्षित आदेश पहले से ही जारी कर दिए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भू-जल

73. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से और कर्नाटक में विशेष रूप से भू-जल स्तर में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में भूमिजल के घटते हुए स्तर को रोकने के लिए संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदम में शामिल हैं :-

(i) महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ एवं गौरीबीदनौर तथा कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के मुलबगल तालुक के कुल भागों, जहां विभिन्न प्रकार के भूजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया गया था जिसमें पुनर्भरण कुएं, गांव के कुओं का परिस्रवण टैंकों में परिवर्तन तथा जल विभाजक उपचार उपाय करना शामिल हैं, का भूजल पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों पर केन्द्र क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करना है।

(ii) भूजल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(iii) कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ शासन क्षेत्रों के मॉडल बिल जारी करना ताकि भूजल विकास के नियमन एवं नियंत्रण के लिए वे उचित कानून बना सकें।

(iv) कर्नाटक सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तर में कमी के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

सूरजमुखी की खेती

74. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्रफल में सूरजमुखी की खेती होती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1994-95 से 1996-97 तक देश में सूरजमुखी की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सूरजमुखी सहित तिलहनों की खेती में वृद्धि के लिए राजस्थान में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सूरजमुखी की फसल एक नई फसल है तथा राज्य में लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र इस फसल के अंतर्गत है। नई फसल होने के कारण राज्य में अभी तक इसकी खेती ज्यादा नहीं की गई है। तथापि, आने वाले वर्षों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से लिए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप फसल के क्षेत्र और उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (1994-95 से 1996-97) देश में सूरजमुखी की खेती का राज्यवार कुल क्षेत्र

क्षेत्र (000 हेक्टेयर)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
खरीफ	97.0	154.0	111.0
रबी/ग्रीष्म	305.6	238.6	187.4
योग	402.6	392.6	298.4
बिहार			
रबी/ग्रीष्म	10.7	6.9	7.5
हरियाणा			
ग्रीष्म	34.4	29.8	61.6
कर्नाटक			
खरीफ	353.3	524.9	442.0
रबी/ग्रीष्म	486.2	487.3	434.0
योग	839.5	1012.2	876.0
मध्य प्रदेश			
खरीफ	92	7.0	8.1
ग्रीष्म	3.8	2.9	2.2
योग	13.0	9.9	10.3
महाराष्ट्र			
खरीफ	210.4	201.7	221.2
रबी	299.7	294.6	316.7
योग	510.1	496.3	537.9
गुजरात			
खरीफ	0.0	1.0	0.8
ग्रीष्म	1.5	1.0	2.0
योग	1.5	2.0	2.8
उड़ीसा			
खरीफ	0.7	0.8	0.0
रबी/ग्रीष्म	1.2	1.3	2.0
योग	1.9	2.1	2.0
पंजाब			
ग्रीष्म	95.0	103.0	120.0
राजस्थान			
रबी/ग्रीष्म	3.7	3.1	2.0
तमिलनाडु			
खरीफ	23.8	13.4	21.7
रबी	21.2	13.0	21.1
योग	45.0	26.4	42.8
उत्तर प्रदेश			
रबी/ग्रीष्म	39.5	35.7	32.7
पश्चिम बंगाल			
ग्रीष्म	0.4	1.1	1.1
अखिल भारत			
खरीफ	694.4	902.8	804.8
रबी/ग्रीष्म	1302.9	1218.3	1190.3
योग	1997.3	2121.1	1995.1

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

75. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी लागत बढ़ चुकी है और जिनके पूरा होने का समय भी बीत चुका है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वृहद् परियोजनाओं के पूरा होने की सामान्य अवधि 10-15 वर्ष की है तथा मध्यम परियोजनाओं की 5-10 वर्ष की है। इस मापदण्ड के अनुसार उड़ीसा में चल रही निम्नलिखित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे हैं।

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना का प्रारम्भ	मूल अनुमोदित लागत	अद्यतन (वार्षिक योजना वर्ष 1997-98)
वृहद परियोजनाएं				
1.	अपर इन्द्रावती बांध (सिंचाई भाग का 50)	1978-80	34.92	193.59
	सिंचाई	-तदैव-	42.74	779.32
2.	अपर कोलाब बांध (सिंचाई भाग का 50%)	V	58.97	48.81
	सिंचाई	V	24.05	255.83
3.	रेंगाली बांध (सिंचाई भाग का 50%)	iV	57.93	40.77
	सिंचाई	V	253.64	2402.39
4.	पोट्टेरू सिंचाई	iV	14.81	148.07
मध्यम परियोजनाएं				
1.	हरिहरजोर	1978-80	7.26	84.09
2.	बदनाला	Vi	13.36	121.75
3.	हरभंगी	78-80	9.01	146.60
4.	अपर जोंक	78-80	12.78	125.43
5.	बघुआ चरण-II	78-80	6.35	94.83
6.	देवो	Vi	19.45	60.11

खाड़ी युद्ध पीड़ितों को मुआवजा

76. श्री एन.एम. कृष्णदास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा खाड़ी युद्ध में वापस भेजे गए कितने केरलवासियों की मुआवजा दिए जाने के लिए पहचान की गई है; और

(ख) अब तक कितने केरलवासियों को मुआवजा प्राप्त हुआ है तथा उनको कितनी राशि वितरित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विदेश मंत्रालय (विशेष कुवैत सैल) में केरल राज्य से 32704 वैयक्तिक दावे प्राप्त हुए हैं। इन दावों को संयुक्त राज्य मुआवजा आयोग (यू एन सी सी) जेनेवा के पास भिजवा दिया गया है।

(ख) मुआवजा राशि से वितरित करने वाले प्राधिकृत बैंकों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल राज्य के जिन व्यक्तियों को अब तक मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। उनकी संख्या 5511 है। लगभग 1,37,77,000 अमरीकी डालर (एक करोड़ सैंतीस लाख और सतहत्तर हजार अमरीकी डालर) की राशि संवितरित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

बिहार में जल भराव

77. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में जल भराव से 9 लाख हेक्टेअर भूमि प्रभावित हुई;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई मल-वयन योजना वर्षों से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो विलम्ब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जल भराव की इस समस्या को कब तक हल किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर बिहार में लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित है।

(ख) लगभग 6 लाख हेक्टेयर गण्डक कमान में है, 1.4 लाख हेक्टेयर कोसी कमान और लगभग एक लाख हेक्टेयर घाघरा कमान में है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग में बिहार सरकार से ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्वी कोसी नहर परियोजना चरण-II में गण्डक परियोजना चरण-II के संबंध में सिंचाई के दो प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त हुए थे जिसमें उत्तर बिहार में जल निकास के पहलू भी शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण इन परियोजनाओं को फरवरी, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित परियोजनाओं की सूची में से निकाल दिया गया था।

वर्ष 1997-98 के दौरान, मंत्रालय में गण्डक और कोसी सिंचाई कमानों में शामिल 12792 हेक्टेयर जल जमाव क्षेत्रों के पुनरुद्धार के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। चूंकि इन प्रस्तावों में कुछ कमियां थी, इसलिए बिहार सरकार से इन्हें संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जल जमाव की समस्या को हल करने के लिए निवारात्मक और सुधार के उपाय किये गये हैं। इस समस्या को सुलझाने में जितना समय लगेगा यह राज्य सरकार द्वारा आंवटित निधियों की राशि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

78. **प्रो० पी.जे. कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पवन ऊर्जा की कुल कितनी क्षमता है;

(ख) कुल ऊर्जा उत्पादन कितना है, तथा पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केरल राज्य में पूर्ण क्षमता का उपयोग किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) केरल के लिए 175 मेगावाट पवन ऊर्जा संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। अब तक इस राज्य में नौ संभाव्यता स्थलों की पहचान की जा चुकी है।

(ख) और (ग) कोजीकोड में एक 2.025 मेगावाट की प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजना स्थापित की गई है जिसने 31 मार्च, 1998 तक 6.53 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया है। पवन विद्युत विकास के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहनों के उपलब्ध होने के बावजूद राज्य में अभी वाणिज्यिक विकास होना बाकी है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए आकर्षक नीति लागू करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है और भी उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है जिनमें पवन वाले स्थलों पर भूमि का जल्दी आवंटन तथा पहचान किए गए संभावित स्थलों पर पर्याप्त विद्युत निकासी सुविधा का सृजन करना शामिल है।

लौंग का समर्थन मूल्य

79. **श्री ए.सी. जोस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सरकार हर वर्ष मुख्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है ताकि कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। सरकार विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों संबंधी निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की राय पर विचार करके लेती है। लौंग सेब, आलू, फलों, सब्जियों जैसे बागवानी उत्पाद तथा अन्य छोटी फसलें, जिनका उत्पादन स्थानिक होता है तथा जो जल्द खराब होने वाली किस्म की होती हैं, वे मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत आती हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें, मूल्यों के लाभकारी स्तर से गिर जाने पर विशिष्ट प्रस्ताव भेजती हैं। यह योजना एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट मात्रा की खरीद हेतु एक निश्चित अवधि के लिए चलाई जाती है। यदि कोई हानि हो जाए तो उसका वहन अधिकतर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर किया जाता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग

80. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग संसद सदस्य द्वारा विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) वर्तमान में सभी उपायुक्तों/जिलाधिकारियों को किसी भी कार्य हेतु ब्याज की राशि का उपयोग न करने के निदेश दे दिए गए हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर मिलने वाले ब्याज के उपयोग के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

81. श्री सुशीलचन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में कुओं एवं नलकूपों में जल की उपलब्धता हर वर्ष कम हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भूमिगत जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में वृद्धि और गिरावट की स्थिति पाई गई। देश के कुछ अति-दोहित क्षेत्रों में भूजल के स्तर में कमी से कुओं/नलकूपों में जल की उपलब्धता में कमी आई है।

(ख) और (ग) भू-जल के विकास और उपयोग की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा भू-जल के स्तर में कमी को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

(i) महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से भूजल पुनर्भरण अध्ययनों से सम्बद्ध एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

(ii) भूजल प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियन्त्रण के वास्ते पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक माडल बिल परिचालित किया जाना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियन्त्रण के वास्ते उपयुक्त कानून बना सकें।

(iv) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल परिचालित किया जाना ताकि भूजल स्तरों में कमी के रुख को रोकने के लिए वे क्षेत्र विशेषीकृत कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें बना सकें।

[अनुवाद]

मुल्ला पेरियार बांध

82. डॉ0 सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री वी. एम. सुधीरन :
श्री एन. एन. कृष्णदास :
प्रो0 पी.जे. कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुल्ला पेरियार बांध का मरम्मत और प्रचालन कार्य पूरा हो चुका है और इसे केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर तमिलनाडु और केरल की सरकारों के बीच कोई विवाद है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। कुछ सुधारात्मक कार्य अभी पूरे किये जाने हैं।

(ख) मार्च, 1998 तक 7.20 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत की तुलना में 4.27 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ग) और (घ) जी, हाँ। केरल सरकार को सुदृढ़ीकरण उपायों के बाद भी बांध की सुरक्षा के बारे में आशंकाएं हैं और जलाशय को 136 फुट के स्तर से ऊपर भरे जाने पर सहमत नहीं है।

(ङ) यह मामला केरल और तमिलनाडु सरकारों के बीच है और उन्हें यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। तथापि, केन्द्र सरकार भी सौहार्दपूर्ण समझौते की कोशिश कर रही है।

विषाणु की समस्या

83. श्री मुकुल वासनिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए किस्म के उस विषाणु की जानकारी है जिससे पंजाब में पशुओं में पैरों और मुंह की बीमारी हो रही है और जिससे हजारों किसानों की जीविका प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषाणु से कितने पशु मरे हैं; और

(ग) सरकार ने इस विषाणु से छुटकारा पाने और जिन किसानों के पशु इस विषाणु से मरे हैं उन्हें मुआवजा देने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब में हाल ही के खुरपका और मुंहपका रोग के लिए टाइप "ओ" से संबंधित खुरपका और मुंहपका रोग वायरस उत्तरदायी है जो कि नई बात नहीं है।

(ख) बताया गया है कि उक्त रोग के कारण लगभग 29040 पशु प्रभावित हुए थे जिनमें से लगभग 2059 पशु मर गए।

(ग) इस रोग की खबर मिलने के बाद ''खुरपका और मुंहपका रोग'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से के रूप में 25 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा पशुचिकित्सकों और अर्द्ध-पशुचिकित्सा कर्मचारियों के दलों का गठन किया गया था। खुरपका और मुंहपका रोग तथा हेमियोरेहेजिक सेप्टीसेमिया को रोकने के लिए भारी संख्या में टीके लगाए गए थे। वायरस के नमूनों और उप नमूनों के लिए प्रयोगशाला सामग्री एकत्र की गई थी। सरकारी अधिसूचना के जरिए राज्य में पशुओं की आवाजाही तथा पशु मेले आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि इस रोग को और फैलने से रोका जा सके। अभी तक उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जिनके गोपशु मर गए थे।

राष्ट्रीय कुक्कुट पालन विकास बोर्ड

84. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 से 1996-97 तक के बजट आवंटनों में 13.50 करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद एक राष्ट्रीय कुक्कुट पालन विकास बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कुक्कुट पालन बोर्ड कब तक स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के दौरान राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड के गठन के लिए बजट में निम्नलिखित राशि उपलब्ध करायी गई थी :

(करोड़ रुपए में)

1992-93	0.20
1993-94	3.50
1994-95	4.00
1995-96	2.60
1996-97	2.60

बोर्ड के गठन के प्रस्ताव की जांच करने के बाद विभाग ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में कृषि का विकास

85. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कृषि के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत किन-किन जिलों को शामिल किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय किया गया और इसके क्या परिणाम रहे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जम्मू व कश्मीर में कृषि विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची विवरण-I में दी गई है। इन स्कीमों के तहत निधियां राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं जो इसे जिला सहित कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को अन्तरित कर देते हैं। जिलों के संबंध में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसे सतत बनाने में राज्य की मदद करने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को 1219.51 लाख रुपये 1312.72 लाख रुपये तथा 1528.60 लाख रुपये (अनन्तिम) की केन्द्रीय सहायता वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जम्मू व कश्मीर में कार्यान्वित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

क्रम संख्या	स्कीमों का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं
2.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
4.	त्वरित मक्का विकास परियोजना
5.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
6.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उर्वरक उपयोग विकास परियोजना

1	2
7.	उर्वरकों का सन्तुलित तथा समेकित उपयोग
8.	सकेकित बीज विकास स्कीम
9.	राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम
10.	महत्वपूर्ण अभिज्ञात की गई सब्जी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को कारगर बनाना
11.	समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के तहत राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
12.	कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
13.	छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
14.	देश में किसानों के पारस्परिक दौरे
15.	कृषक-वैज्ञानिक सम्पर्क
16.	राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
17.	नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
18.	औषधीय व सुगन्धित पादपों का विकास
19.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
20.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास
21.	खुम्बी का विकास
22.	शीतोष्ण, शुष्क तथा उष्ण कटिबन्धीय फलों का समेकित विकास
23.	पान की बेल का विकास
24.	सब्जियों का विकास
25.	समेकित मसाला विकास
26.	भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों पर निवेश
27.	समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना
28.	फसल सांख्यिकी में सुधार
29.	पशुधन संगणना
30.	कृषि संगणना

विवरण-II

1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जम्मू व कश्मीर में प्रमुख फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के प्राक्कलन

क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में) उत्पादन (हजार टन में)

क्र. सं.		क्षेत्र			उत्पादन		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1.	चावल	273.00	275.30	279.00	508.50	431.40	615.00
2.	गेहूं	243.80	242.10	250.00	399.20	408.80	400.00
3.	मक्का	303.90	304.90	301.00	536.00	454.40.	587.00
4.	कुल मोटे अनाज	331.40	329.60	279.00	549.80	466.80	607.00
5.	कुल दालें	32.90	31.20	31.00	15.90	17.00	22.00
6.	कुल खाद्यान्न	881.10	878.20	839.00	1473.40	1324.00	1644.00
7.	तोरिया एवं सरसों	58.90	58.90	59.00	41.10	41.10	40.00
8.	कुल तिलहन	67.40	66.50	65.00	43.60	43.80	42.00

भुखमरी के कारण मौतें

86. श्री अजीत जोगी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान 20 अप्रैल, 1998 तक देश में भुखमरी के कारण अनेक मौतों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशेषकर उड़ीसा में भुखमरी के कारण हुई मौतों के कारणों की जांच की है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में इस आयोग की क्या सिफारिशें हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) इस प्रकार की मौतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भुखमरी से मौतों के संबंध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी अंतरिम सिफारिश में अन्य बातों के साथ-साथ 30 अप्रैल, 1998 तक (सितम्बर, 1997 तक प्रचलित पद्धति के आधार पर) आपात आहार कार्यक्रम को जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार उड़ीसा सरकार से इस कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

जनता दरबार

87. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जनता दरबार" में जनता की शिकायतों की सुनवाई के प्रति जनता और प्रेस की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) 19 मार्च, 1996 से अब तक कितने जनता दरबार आयोजित किए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जनता दरबार में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया तथा वे किन-किन स्थानों से आए थे तथा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की गई;

(घ) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या प्रति सप्ताह में दो दिन लोगों से मिलने, उनकी शिकायतों को व्यक्तिगत आधार पर प्राप्त करने और सुनने और इसके समय को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कदम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) प्रेस-रिपोर्टों तथा सम्पादक के नाम लिखे पत्रों के अवलोकन से, प्रेस तथा जनता की, जनता-दरबार में शिकायतें सुने जाने की प्रथा में ली जा रही गहरी रुचि का पता चलता है।

(ख) 1996

जनता-दरबार 7 दिन अर्थात् 19.06.96, 20.06.1996, 21.06.96, 24.06.1996, 25.06.1996, 08.07.1996 तथा 09.07.1996 को लगाया गया।

1997

जनता-दरबार 8 दिन अर्थात्, 30.05.1997, 20.06.1997, 27.06.1997, 04.07.1997, 11.07.1997, 18.07.1997, 08.08.1997 तथा 07.11.1997 को लगाया गया।

1998

जनता-दरबार अब तक 7 दिनों अर्थात्, 02.04.1998, 07.04.1998, 09.04.1998, 16.04.1998, 21.04.1998, 30.04.1998 तथा 14.05.1998 को लगाया गया।

(ग) जनता-दरबार लगने के दिनों प्रधानमंत्री के आवास में जनता को निर्बाध और निर्बन्ध रूप से प्रवेश की अनुमति दिए जाते रहने के कारण, प्रत्येक जनता-दरबार में सम्मिलित हुए लोगों की संख्या के बारे में, प्रधानमंत्री के आवास पर कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता, अतः प्रत्येक जनता-दरबार में सम्मिलित हुए व्यक्तियों की संख्या तथा उन स्थानों के संबंध में सूचना प्रदान करना संभव नहीं है, जहां से वे संबंध रखते थे/आए थे।

प्राप्त हुई शिकायतों तथा व्यक्तिगत रूप से सुनी गई शिकायतों की संख्या के संबंध में वर्ष-वार सूचना नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1996	1225
1997	1982
1998 (14.05.1998 तक)	2328

(घ) सभी याचिकाओं/शिकायतों की, किसी भी प्रकार के अपवाद के बिना अच्छी तरह जांच-पड़ताल की जाती है तथा उन्हें समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

(ङ) और (च) जनता-दरबार, प्रधानमंत्री की अन्य प्रतिबद्धताएं ध्यान में रखते हुए लगाए जा रहे हैं। जनता-दरबार लगाए जाने की आवृत्ति (बारम्बारता) तथा इनमें लगने देने वाले समय का निर्धारण, तद्नुसार किया जाता है। साधारणतः हाल ही में, जब कभी जनता-दरबार लगाया गया है, यह लगभग तीन घंटे तक चला है।

[अनुवाद]

भूमिहीन किसान

88. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री माधवराव पाटील :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार भूमिहीन किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमिहीन किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को कब तक तैयार कर लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि संगणना, 1990-91 के अनुसार भूमिहीन किसानों (जो पूर्णरूप से पट्टा वाले क्षेत्र पर खेती कर रहे हैं और अन्यथा पूर्ण रूप से प्रचालित भूमि पर खेती कर रहे रहे हैं) की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) सरकार आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई., ई.ए.एस, आई.ए.वाई., टी.आर.वाई., एस.ई.एम., डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. जैसी कोई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जो भूमिहीन कृषकों/श्रमिकों सहित ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए बनाई गई हैं।

विवरण

कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार देश में भूमिहीन किसानों की राज्यवार संख्या

(संख्या 1,000 यूनिट में)

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोतों में पुर्णरूपेण पट्टे पर	अन्यथा पूर्णतया (प्रचालित जोत)	भूमिहीन किसान (कालम 3+ कालम 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	18	22
2.	असम	67	27	94
3.	बिहार	18	23	41
4.	गुजरात	2	4	6
5.	हरियाणा	46	6	52
6.	हिमाचल प्रदेश	14	2	16
7.	जम्मू व कश्मीर	12	149	161
8.	कर्नाटक	-	नका.	नका.
9.	केरल	2	25	27
10.	मध्य प्रदेश	14	160	174
11.	महाराष्ट्र	8	15	23
12.	मणिपुर	8	नका.	8
13.	मेघालय	9	9	18
14.	नागालैंड	3	-	3
15.	उड़ीसा	10	22	32
16.	पंजाब	10	-	10
17.	राजस्थान	7	44	51
18.	सिक्किम	7	नका.	7
19.	तमिलनाडु	33	11	44
20.	त्रिपुरा	3	64	67
21.	उत्तर प्रदेश	56	44	100
22.	पश्चिम बंगाल	105	36	141
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	नका.	नका.	नका

1	2	3	4	5
24.	अरूणाचल प्रदेश	नका.	-	नका.
25.	चण्डीगढ़	नका.	नका.	नका.
26.	दादर व नगर हवेली	-	-	-
27.	दिल्ली	-	-	-
28.	गोवा	23	4	27
29.	लक्षद्वीप	-	-	-
30.	मिजोरम	-	-	-
31.	पाण्डिचेरी	3	नका.	3
32.	दमन और दीव	नका.	नका.	नका.
	योग	464	663	1127

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना

89. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा देश में विशेषकर बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यरत हैं; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान मानदण्ड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास और इस क्षेत्र में इसमें बिहार शामिल है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 2630 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले और 2870 लोगों को रोजगार देने वाले 33 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान बिहार राज्य के लिए सरकार द्वारा 593 लोगों को रोजगार देने वाले और एक करोड़ रुपये के विदेशी निवेश समेत 33 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश वाले संयुक्त उद्यम/शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना संबंधी 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ग) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी विभाग) द्वारा प्रकाशित वर्ष 1994-95 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में देश में कुल 29407 फैक्ट्रियां थी। इन फैक्ट्रियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत लागू फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जनवरी, 1990 तक फल उत्पाद आदेश के तहत् 4932 फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस दिए गए हैं उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) अल्कोहल पेयों के विनिर्माण और लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस मुक्त उद्योगों के मामले में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश करना होता है। संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योग आदि को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

विवरण-I

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1994-95) के अनुसार फैक्ट्री क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य-वार संख्या

क्र0सं0	राज्य का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10183
2.	असम	734
3.	बिहार	433
4.	गोवा	34
5.	गुजरात	1270
6.	हरियाणा	600
7.	हिमाचल प्रदेश	46
8.	जम्मू एवं कश्मीर	69
9.	कर्नाटक	1221
10.	केरल	1170
11.	मध्य प्रदेश	1302
12.	महाराष्ट्र	2420
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	3
15.	नागालैण्ड	5

1	2	3
16.	उड़ीसा	425
17.	पंजाब	1196
18.	राजस्थान	515
19.	तमिलनाडु	3792
20.	त्रिपुरा	22
21.	उत्तर प्रदेश	2652
22.	पश्चिम बंगाल	1089
23.	चण्डीगढ़	36
24.	दमण एवं दीव	5
25.	दिल्ली	125
26.	पांडिचेरी	42
27.	अन्य	9
	कुल	29407

विवरण-II

फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंसशुदा फल और सब्जी-यूनिटों का राज्यवार विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	300
2. असम	25
3. बिहार	58
4. गुजरात	260
5. हरियाणा	151
6. हिमाचल प्रदेश	90
7. जम्मू एवं कश्मीर	83
8. कर्नाटक	253
9. केरल	387
10. मध्य प्रदेश	104
11. महाराष्ट्र	934
12. मेघालय	14
13. मणिपुर	9
14. नागालैण्ड	5
15. उड़ीसा	43
16. पंजाब	309
17. राजस्थान	110
18. सिक्किम	3
19. तमिलनाडु	152
20. त्रिपुरा	4
21. उत्तर प्रदेश	494
22. पश्चिम बंगाल	298
23. अंडमान एवं निकोबार	3
24. अरूणाचल प्रदेश	3
25. चण्डीगढ़	54
26. दादर एवं नगर हवेली	7
27. दिल्ली	302
28. गोवा, दमण-दीव	160
29. मिजोरम	3
30. पांडिचेरी	14
कुल	4932

असिंचित भूमि

90. श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भूमि का एक बड़ा भाग अभी भी असिंचित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त भूमि की सिंचाई के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 (अद्यतन) के भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सम्बन्ध में देश में कुल निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 28.8 प्रतिशत है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक असिंचित क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए विशिष्ट स्कीमें तैयार नहीं की जा रही हैं। तथापि, चुनिंदा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके सिंचित भूमि में वृद्धि करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1996-97 से "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" (ए आई बी पी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है जो 500 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक लागत की हैं और जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और अन्य परियोजनाएं जो निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं तथा जिनसे अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यों को ए आई बी पी के तहत क्रमशः 500 करोड़ रुपये और 952.19 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारें और अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए अपनी स्वयं की योजना निधियों में से बहुत सी वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

विवरण

राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (एन आई ए) कुल कृष्य क्षेत्र (टी.सी.ए.) और कुल कृष्य क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत

(हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	कुल कृष्य क्षेत्र	निवल सिंचाई क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र में निवल सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15862	3959	24.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	268	36	13.43
3.	असम	3228	572	17.72
4.	बिहार	10980	3535	32.19
5.	गोवा	198	23	11.62
6.	गुजरात	12355	3002	24.30
7.	हरियाणा	3733	2719	72.84
8.	हिमाचल प्रदेश	809	100	12.36
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1049	305	29.08
10.	कर्नाटक	12895	2325	18.03
11.	केरल	2431	358	14.73
12.	मध्य प्रदेश	22777	5822	25.56
13.	महाराष्ट्र	21176	2567	12.12
14.	मणिपुर	234	65	27.78
15.	मेघालय	1077	45	4.18
16.	मिजोरम	584	8	1.37
17.	नागालैंड	639	62	9.70
18.	उड़ीसा	8049	2090	25.97
19.	पंजाब	4255	3944	92.69
20.	राजस्थान	25704	4858	18.90
21.	सिक्किम	114	16	14.04
22.	तमिलनाडु	8343	2902	34.78
23.	त्रिपुरा	310	35	11.29
24.	उत्तर प्रदेश	20831	11670	56.02
25.	पश्चिम बंगाल	5847	1911	32.68
	कुल राज्य	183748	52929	28.81
	कुल संघ शासित क्षेत्र	208	70	33.65
	कुल योग	183956	52999	28.81

नोट : यह आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 (अद्यतन) में प्रकाशित भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार हैं और अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

कपास के लिए समर्थन मूल्य

91. श्री सोडे रमैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान कपास के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि लागत और मूल्यों के लिए आयोग लागत उत्पादन से संबंधित अप्रचलित आंकड़ों का उपयोग कर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य को और अधिक युक्तियुक्त तथा किसानों के लिए लाभकारी बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास की दो मूल किस्मों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मूल किस्म	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये/प्रति क्विंटल)
1995-96	एफ-414/एच-777	1150
	एच-4	1350
1996-97	एफ-414/एच-77	1180
	एच-4	1380
1997-98	एफ-414/एच-777	1330
	एच-4	1530

इन दो मूल किस्मों के मूल्य अन्तरों के आधार पर कपड़ा मंत्रालय अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

(ख) और (ग) कपास के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अंतर्गत सृजित उत्पादन लागत के आंकड़ों को हिसाब में रखता है। इस योजना के अंतर्गत सृजित लागत के नवीनतम आंकड़ों को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अद्यतन बनाया जाता है जिसके लिये परिवर्तनीय आदानों के मूल्यों में परिवर्तनों को हिसाब में रखा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संस्तुत करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें उत्पादन की लागत सम्मिलित हो तथा किसानों को कृषि में पूंजी निवेश तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये लाभ की गुंजाइश भी मिले।

[हिन्दी]

भारत-न्यूजीलैंड सहयोग

92. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों की खेती के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के कब तक लागू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और न्यूजीलैंड के हॉर्टीकल्चर एंड फूड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (हॉर्ट रिसर्च) के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए 17 मार्च, 1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अदला-बदली, जनन द्रव्य व प्रजनन सामग्री का विनिमय, वैज्ञानिक साहित्य, सूचना एवं कार्यपद्धति का विनिमय तथा पारस्परिक सहमति के अनुसार सामान्य हित के किसी भी कार्यक्रम के लिए वांछित और उपलब्ध वैज्ञानिक उकरण का आयात और निर्यात करना।

(ग) यह समझौता तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने की इच्छा का नोटिस नहीं देता है। यह समझौता ज्ञापन द्विवार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करके क्रियान्वित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के तहत पहले दो वर्ष 1998-1999 के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार करके अनुमोदन के लिए हॉर्ट रिसर्च को भेजा गया है।

कृषि उपकरणों पर राजसहायता

93. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपकरणों और कीटनाशकों पर राजसहायता बहाल करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजसहायता समाप्त कर देने से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के अधीन आठवीं योजनावधि के दौरान कृमिनाशकों पर से सब्सिडी वापस ले ली गई थी। यह परिस्थितिकी-सह-समेकित कृमि प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस समय नौवीं योजनावधि के दौरान इस सब्सिडी को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि औजारों पर सब्सिडी वापस नहीं ली गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

94. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संतोषप्रद नहीं होने के कारण रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के ऐसे वर्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) हालांकि पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार पर भारी वित्तीय बोझ है, फिर भी, उपर्युक्त वेतन-आयोग की, भारी वित्तीय भार वाली कई सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दी गई हैं। वेतन तथा सम्बद्ध मामलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारी-संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वेतनमानों, भत्तों इत्यादि के संबंध में उपुर्यक्त वेतन-आयोग की सिफारिशें, कर्मचारी-पक्ष द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) में कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों से हुए समझौते के अनुसार, कार्यान्वित की गई हैं। विसंगति की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अन्य मुद्दों पर विचार, राष्ट्रीय/विभागीय स्तर की विसंगति-समितियों द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

पोर्टेबल चूल्हे

95. श्री पंकज चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पोर्टेबल चूल्हों से राज-सहायता वापिस लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे किस तारीख से प्रभावी किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र योजना-'राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम' के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान, सफरी उन्नत चूल्हों पर आर्थिक राजसहायता देना केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अधिसूचित मरूस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जारी है।

[अनुवाद]

शुक्ला आयोग

96. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस.पी. शुक्ला की अध्यक्षता वाले एक उच्चस्तरीय आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर 7 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय से संबंधित अन्य सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री एस.पी. शुक्ला के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के लिए उच्च स्तरीय आयोग (एचएलसी) ने अपनी रिपोर्ट 7 मार्च, 1997 को तत्कालीन प्रधान मंत्री को सौंप दी। इस उच्च स्तरीय आयोग ने न्यूनतम बुनियादी सेवाओं में बैकलॉग की तथा आधार संरचना विकास जैसे विद्युत, संचार, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि में अंतरालों की सूक्ष्मता से जांच की तथा इन अंतरालों को भरने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सांस्थानिक सुधारों, अतिरिक्त संसाधन जुटाव तथा विकास गतिविधियों में जनभागीदारी हेतु उपायों के साथ-साथ नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों की सिफारिश की। पूर्वोत्तर राज्यों को न्यूनतम बुनियादी सेवाएं प्रदान करने तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में आधार संरचना विकास हेतु निधियों की निर्देशात्मक आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुल लागत का भी अनुमान लगाया। उच्च स्तरीय आयोग की रिपोर्ट में दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों के एक केन्द्रीय पूल के सृजन हेतु दिसम्बर, 1997 में, सिद्धांत रूप में, एक निर्णय लिया गया था। यह भी कहा गया कि पूर्वोत्तर हेतु संसाधनों के केन्द्रीय पूल के सृजन के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और इसलिए 12वीं लोक सभा के गठन की प्रतीक्षा करनी होगी। वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय सरकार के बजट प्रस्तावों में पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में विशिष्ट परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल का सृजन करने हेतु बजट शीर्ष खोलने का प्रस्ताव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

प्रक्षेपास्त्र स्पर्धा

97. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू.एस.पान्डर्स कर्ब अगेंस्ट इंडिया एण्ड पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आयेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) भारत ने निरन्तर एकपक्षीय और भेदभावपूर्ण तकनीकी व्यवस्थाओं का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सहित ऐसी व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले सभी देशों को यह अवगत करा दिया गया है। सरकार स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

पार-पत्र परामर्शदात्री समिति

98. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पार-पत्र परामर्शदात्री समिति का संगठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय तथा राज्य पासपोर्ट सलाहकार समितियों का गठन सरकार के विचाराधीन है। पासपोर्ट सलाहकार समितियों के गठन, अवधि, कार्य आदि के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

99. श्री के. येरननायडू :
श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्य-वार लघु सिंचाई और ट्रेक्टरों व अन्य कृषि यंत्रों के लिए दिए गए ऋण और राजसहायता से काफी किसानों को लाभ पहुंचा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई कृषि नीति

100. डॉ० असीम बाला:
श्री माधव राव पाटील:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई कृषि नीति तैयार करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में योजना आयोग और राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हाँ, तो किन मुद्दों पर सहमति हुई है; और

(घ) इसे कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) एक विस्तृत राष्ट्रीय कृषि नीति का निरूपण किया जा रहा है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

101. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना ने निधियों की कमी के कारण वांछित परिणाम हासिल नहीं किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य की स्वीकृत धनराशि को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कुल कितनी राशि जारी की गई और राज्य-वार अब तक उनके द्वारा कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है;

(छ) क्या सरकार को संसद सदस्य द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य को राज्य प्रशासन द्वारा पूरा न किए जाने के लिए संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा योजना को सफल बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1993-98 के दौरान सरकार द्वारा अवमुक्त कुल राशि में से 75.5% ही स्वीकृत किया गया है। अतः निधियों की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि कुछ सांसदों द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि में वृद्धि करने हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं। निधियों के अवमुक्त किए जाने एवं उपयोग की स्थिति को दर्शाने हेतु एक विवरण संलग्न किया गया है।

(छ) और (ज) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के अनुचित कार्यान्वयन के बारे में कुछ शिकायतें सरकार के सामने आई हैं। जब भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, मामला संबंधित राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने हेतु भेज दिया जाता है। योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत फरवरी 1997 में संशोधित किए गए थे।

विवरण

लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में निर्मोचित राशि/हुए व्यय का संक्षिप्त विवरण (30.4.98 तक)

क्रम सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-98				
		भारत सरकार द्वारा जारी राशि (लाख रु०)	स्वीकृत राशि (लाख रु०)	जारी राशि की तुलना में स्वीकृति का%(लाख रु०)	किया गया व्यय (लाख रु०)	जारी राशि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत (लाख रु०)
0	1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	21795.0	17441	80.0	12261.6	56.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1065.0	809.9	76.0	641.7	60.3
3.	असम	7555.0	5579.4	73.9	4066.5	53.8
4.	बिहार	27210.0	22154	81.4	18138.9	66.7
5.	गोवा	1015.0	469.3	46.2	361.1	35.6
6.	गुजरात	13435.0	9334.2	69.5	5468.4	40.7
7.	हरियाणा	5425.0	4356.1	80.3	3262.0	60.1
8.	हिमाचल प्रदेश	2635.0	1426.7	54.1	1186.0	45.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1350.0	711.7	52.7	315.5	23.4
10.	कर्नाटक	15650.0	11352	72.5	8135.9	52.0
11.	केरल	10495.0	8428.2	80.3	4952.2	47.2
12.	मध्य प्रदेश	20875.0	15935	76.3	12223.5	58.6
13.	महाराष्ट्र	25925.0	21490	82.9	13977.6	53.9
14.	मणिपुर	1215.0	858.3	70.6	792.4	65.2
15.	मेघालय	1165.0	525.7	45.1	493.8	42.4
16.	मिजोरम	760.0	660.0	86.8	638.0	84.0
17.	नागालैण्ड	810.0	555.9	68.6	555.9	68.6

0	1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	11350.0	8078.8	71.2	5355.9	47.2
19.	पंजाब	7305.0	4379.0	59.9	3551.9	48.6
20.	राजस्थान	12525.0	8998.8	71.8	6302.9	50.3
21.	सिक्किम	710.0	681.6	96.0	510.0	71.8
22.	तमिलनाडु	21585.0	14991	69.5	11866.3	55.0
23.	त्रिपुरा	915.0	621.9	68.0	399.2	43.6
24.	उत्तर प्रदेश	45095.0	36371	80.7	29586.9	65.6
25.	पश्चिम बंगाल	19685.0	13661	69.4	10301.6	52.3
26.	अण्डमान और निकोबार	305.0	157.8	51.7	132.7	43.5
27.	चण्डीगढ़	355.0	216.7	61.1	151.3	42.6
28.	दादर एवं नागर हवेली	355.0	356.0	100.3	164.6	46.4
29.	दमन एवं दीव	405.0	227.9	56.3	216.9	53.5
30.	दिल्ली	3645.0	3168.9	86.9	1835.6	50.4
31.	लक्षद्वीप	305.0	65.0	21.3	22.3	7.3
32.	पांडिचेरी	610.0	132.2	21.7	22.1	3.6
	कुल योग	283530.0	214196.4	75.5	137891.1	55.7

गौरी प्रक्षेपास्त्र

102. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किए गए गौरी प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण की जानकारी है; और

(ख) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हाँ। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा मध्य दूरी के प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने के बारे में सरकारी तौर पर किए गए दावे के संबंध में समाचार पत्र की रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम सहित सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है। भारत पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और इस क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति चिंतित है। भारत सरकार अपने ऊपर खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के सुरक्षोपायों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

प्याज का भाव

103. श्री सी.पी.एम. गिरिजप्पा :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो माह पूर्व देश के अधिकांश हिस्से में प्याज 25 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी;

(ख) यदि हाँ, तो प्याज के मूल्य में इतनी भारी वृद्धि के जिम्मेवार कारक कौन-कौन से हैं;

(ग) आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जनवरी तथा फरवरी 1998 के दौरान देश में प्याज के मूल्य प्रति कि.ग्रा. 12 रुपये से 27 रुपये के बीच में थे।

(ख) प्याज के मूल्यों में वृद्धि के लिये जिम्मेवार प्रमुख कारक प्याज उत्पादन क्षेत्रों में अत्यधिक तथा असमय वर्षा द्वारा प्याज की फसल को नुकसान, पादप रोग की घटनाएं तथा इसके परिणामस्वरूप खरीफ फसल के मण्डी में पहुंचने में विलम्ब थे।

(ग) और (घ) सरकार ने आवश्यक जिंसों के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये बहुत से उपाय किये थे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सहकारी भण्डारों के माध्यम से ऐसी जिंसों का वितरण तथा देश में इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उपाय शामिल थे।

[हिन्दी]

सोयाबीन की फसल को नुकसान

104. **श्री अशोक अर्गल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन की फसल "रस्ट डिज़ीज़" से प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बीमारी को रोकने के लिए क्या अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं और वर्ष 1997-98 के दौरान इस बीमारी से राज्यवार कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) "फाकोप्सोरा पैकीराइजी" नामक फफून्द द्वारा होने वाली सोयाबीन रस्ट चिन्ता का विषय है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में देश में सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख क्षेत्र में इसका प्रकोप बहुत बढ़ गया है। *यह रस्ट ऑब्लिगेट परजीवी है अर्थात् यह* केवल जीवित पौधों जैसे सोयाबीन तथा कुछ अन्य इसी तरह के पौधों (कोलेटरल होस्ट) को ही खाता है।

वर्ष 1994 तक यह रस्ट केवल उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तक ही सीमित था और सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख क्षेत्रों में इसकी इतनी समस्या नहीं थी कि इसे प्रजनन से जुड़े अनुसंधान के लिये प्राथमिकता दी जाये। 1994 के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल से सोयाबीन रस्ट के माध्यम से गंभीर प्रकोप की सूचना मिली है।

सोयाबीन की पैदावार में मध्य प्रदेश में 30-100 प्रतिशत, कर्नाटक में 20-80 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 50-70 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 90-100 प्रतिशत हानि की सूचना प्राप्त हुई है।

वर्ष 1997-98 के दौरान प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सोयाबीन में रस्ट रोग की रोकथाम के लिये किये गये अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित शामिल है :

(i) प्रजनन कार्यक्रमों में सोयाबीन रस्ट की प्रतिरोधी किस्मों के विकास को प्राथमिकता देना। यह कार्य राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के परामर्श से किया जा रहा है।

(ii) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ द्वारा महामारी विज्ञान तथा समेकित सोयाबीन प्रबन्ध पर अध्ययन। यह परियोजना 9,92,360 रुपये के परिव्यय से 2.4.98 से तीन वर्ष के लिये शुरू की गयी है।

(iii) जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर के विशेषज्ञ दल द्वारा अक्टूबर, 1997 में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा "सोयाबीन रस्ट महामारी एवं प्रबंध" नामक एक परियोजना प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् उपकर निधि के अन्तर्गत अनुदान हेतु प्राप्त हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस परियोजना पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

105. **श्री सुरेश चंदेल** :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री जयसिंहजी चौहान :
श्री ए. वैंकटेश नायक :
श्री माधवराव पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके संभावित स्थान कौन-कौन से हैं और राज्य-वार ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों को विशेष रूप से पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में खोलने के लिए मानदण्ड में ढील देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों का उपयोग करके फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ऐसे केन्द्रों की उपलब्धियों और कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा कमी, यदि कोई है को दूर करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। सरकार ने पहले ही 255 जिलों में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। इसके अलावा, 53 जिलों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि वे कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को कर सकें। शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना इस प्रायोजना के लिए प्रर्याप्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) से (घ) मौजूदा 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तावित 53 जिलों की अवस्थिति संलग्न विवरण-I तथा II पर दी गई है।

ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कम उत्पादकता तथा अधिक संभावना वाले जिलों, तटवर्ती तथा पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी जिलों तथा अधिक उत्पादकता वाले सिंचाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त जिलों को मानदंड माना गया है।

(ङ) से (छ) कृषि विज्ञान केन्द्रों को सौंपी गई गतिविधियों में किसानों को व्यावसायिक कुशलता पर आधारित प्रशिक्षण देना अग्रपंक्ति के प्रदर्शन करना, खेतों पर परीक्षण करना और विस्तार कार्यकर्ताओं को फलों तथा सब्जियों सहित आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में उनकी जानकारी तथा दक्षता को अद्यतन बनाने के लिए सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण देना शामिल है। अब तक मौजूदा कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 1977-78 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान 30.76 लाख किसानों के लाभ के लिए 1.35 लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इनमें से करीब 24 हजार प्रशिक्षण कार्यक्रम 4.89 लाख किसानों के लिए बागवानी (फल और सब्जियों) के क्षेत्र में आयोजित किये गये हैं। आठवीं योजना के दौरान स्थापना के लिए अनुमोदित 78 कृषि केन्द्रों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान बीस कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ज) और (झ) वर्ष 1993 में कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन नौ पंचवर्षीय समीक्षा दलों द्वारा किया गया था। इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इन समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

विवरण-I

कृषि विज्ञान केन्द्रों (कृ.वि.के.) की सूची

क्रम संख्या	कृ.वि.के. का नाम व पता	संयोजक का नाम	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
अंडमान निकोबार (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर-744101	निदेशक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर-744101 अंडमान निकोबार	1992
आंध्र प्रदेश (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्ण मंदिर के सामने यू.एन.डी.आई. रयालम भीमावरम्, प0 गोदावरी-534208 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृ.वि.के. राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030	1995

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मलयाल फार्म, गांव मलयाल, वारंगल-506101	कुलपति आंध्र प्रदेश कृ० वि० के० राजेन्द्र नगर, हैदराबाद 500030	1984
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीकाकुलम-532423	-वही-	1984
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डी.सी.एम.एस. बिल्डिंग, कमला नगर, अनंतपुर, (आंध्र प्रदेश)	-वही-	1983
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रस्ताकुताबाई, विजयनगरम-535523 (आंध्र प्रदेश)	-वही-	1984
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नन्दयाल, एम.सी.फार्म-डाकखाना, कुरनूल-518503	-वही-	1992
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्यलता धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा, येलामंचिली, विशाखापट्नम-531005 (आंध्र प्रदेश)	मंत्री भाग्यलता धर्मार्थ ट्रस्ट येलामंचिली, विशाखापट्नम-531005	1995
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.ओ. बगरनापल्ली यगानतीपल्ली-513524, कुरनूल (आं० प्र०)	सचिव, श्री हनुमंतराय, शैक्षिक तथा धर्मार्थ सोसायटी, रैंडकांति पब्लिक स्कूल इल्लूरू कोथापेट, आंध्र प्रदेश	1989
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.बा.214, जडीराबाद मेडक-502220	अध्यक्ष दक्कन विकास सोसायटी ए-5, मीरा अपार्टमेंट, बशीरबाग, हैदराबाद	1992
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आर.ए.एस.एस. वनस्थली गांव, करकनबाड़ी चित्तूर-517501	अध्यक्ष रायल सीमा सेवा समिति, 9, पुराना हुजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	1992
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गद्दीपल्ली-508201, नालगोंडा	सचिव, श्री अरविन्दो ग्रामीण विकास संस्थान, गद्दीपल्ली-508201	1983

1	2	3	4
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मीकुंठा, करीमनगर-505122, आंध्र प्रदेश	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, मकान सं0 1-9-639/1, विद्यानगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	1992
13.	प्रशिक्षण संयोजक एन.जी.रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनय-आश्रम, कावूर, गंतुर-522309	अध्यक्ष विनयाश्रम, कावूर, गुंतूर आंध्र प्रदेश	1992
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.आर.ओ. आफिस के पीछे, कोठा, मदनपुर महबूबनगर आंध्र प्रदेश	कार्यकारी निदेशक, यूथ फॉर एक्शन 1-8-702/26/1, पदमा कालोनी, हैदराबाद-500044	1992
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कलवाचेरला, राजमुन्द्री, पू0 गोदावरी-533105 आंध्र प्रदेश	निदेशक केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुन्द्री-500659	1983
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्रीडा, हैयातनगर रंगा रेड्डी, आंध्र प्रदेश	निदेशक क्रीडा काम्पलेक्स, साइदाबाद, पो.आ. संतोषनगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	1976
अरूणाचल प्रदेश (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बसार, प0 सियांग-791101, अरूणाचल प्रदेश	निदेशक उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का परिसर, उमराव रोड़, बड़ापानी-793101, मेघालय	1979
असम (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, खुआनटेल, गोलाघाट-785601	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम-785013	1993
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अरूणाचल सिलचर-788025 काछार, असम	-वही-	1994
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नापाम, सोनितपुर, तेजपुर, मार्फत, पो.बा. 51, तेजपुर, मुख्य पोस्ट आफिस, असम	-वही-	1979

1	2	3	4
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चिलीपारा गोसाई गांव-783360 कोकराझार, असम	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम	1985
बिहार (21)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दरभंगा, बिहार	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर-848125, बिहार	1996
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाजीपुर फार्म, वैशाली, बिहार	-वही-	1996
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर, सहरसा-859901	-वही-	1979
4.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंगेर, पो.आ. शंकरपुर मुंगेर-811201, बिहार	-वही-	1979
5.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. विजयनगर, बांका-813101	-वही-	1979
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. मेघोल, खुदावानपुर, बेगूसराय	-वही-	1992
7.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़, जिला-पटना, बिहार	-वही-	1992
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हरनौत, जिला-नालंदा-848125	-वही-	1992
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शेखपुरा, बिहार	-वही-	1996
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरइया फार्म, मुज्जफरपुर, बिहार	-वही-	1997

1	2	3	4
11.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. जगन्नाथपुर, जिला-सिंहभूम	कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची, बिहार-834006	1983
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती, खादीग्राम, पो.ऑ. जमुई-811313	चैयरमैन, खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम जमुई-811313, बिहार	1994
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी.ओ. बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी-874102	चैयरमैन एस.के. चौधरी शिक्षा ट्रस्ट नई दिल्ली	1994
14.	प्रशिक्षण संयोजक राम किशन मिशन आश्रम पो.आ. मोराबादी, जिला-रांची-834008, बिहार	सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र, राम किशन आश्रम, मोराबादी, रांची-834008 बिहार	1977
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, पो. आ. धोरलाश देवधर-814152, बिहार	मंडासचिव संथाल पहाड़िया सेवा मंडल देवधर-814152, बिहार	1985
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होली क्रास वी.टी.आई., हजारीबाग-825301 बिहार	निदेशिका होली क्रास वी.टी.आई., होली क्रास हजारीबाग-825301 बिहार	1984
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. शोखोदेवरा नवादा-805106, बिहार	मंडासचिव ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, शोखोदेवरा, नवादा-805106 बिहार	1979
18.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पो.आ. अधोरा भभुआ-821116	अध्यक्ष वनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा, भभुआ-821116, बिहार	19 ?
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, स्कैडा पो.आ. आरा भोजपुर-802301, बिहार	चैयरमैन सोन कमाड क्षेत्र विकास एजेंसी सोन भवन, पटना, बिहार	1993
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद, बिहार	-वही-	1997
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सिन्दरी, धनबाद-828122	चैयरमैन, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन नई दिल्ली	1994

1	2	3	4
दिल्ली (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उलवा, नई दिल्ली-110073	निदेशक, एन.एच.आर.डी.एफ., जनकपुरी नई दिल्ली	1995
गोवा (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आई.सी.ए.आर. कांप्लैक्स, एला ओल्ड, गोआ-403202	निदेशक आई.सी.ए.आर. रिसर्च कांम्पलैक्स एला ओल्ड, गोवा-303202 गोवा	1984
गुजरात (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दीसा जिला-बनासकंठा-385535 (गुजरात)	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय अहमदाबाद, गुजरात	1976
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय पर्वतीय कोदो अनुसंधान केन्द्र, वघाई, डॅग (गुजरात)	-वही-	1985
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवगढ़बरिया, पंचमहल-389380 (गुजरात)	-वही-	1976
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवताज (सोजितरा) जिला- खेड़ा-387240	-वही-	1985
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ौच	चैयरमैन, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे (महाराष्ट्र)	1994
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारतीय गोलागामड़ी बड़ोदरा, गोवांगमंडी	चैयरमैन, मंगल भारती, बडासुरपुर, बड़ौदा-391125	1994
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रन्धेजा, गांधीनगर-383630	कुलपति गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	1977
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ.अम्बेटी आश्रम, बलसाड़ (गुज.)	-वही-	1992

1	2	3	4
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, समोदा, सिद्धपुर, मेहसाना-384130	निदेशक, सरस्वती ग्राम विद्यापीठ समोदा, मेहसाना	1992
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंद्रा, कच्छ-370421	चैयरमैन, ग्रामीण तथा कृषि अनुसंधान सोयायटी जुहू, बम्बई	1992
हरियाणा (12)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सीमा थियेटर कामर्शियल काम्पलैक्स कोर्ट रोड, पानीपत-132103	कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1993
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, प्लाट नं0 82, अटोमार्केट, सादलपुर, हिसार-125052, हरियाणा	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	1989
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. पेवड़ा कैथल - 130207	-वही-	1992
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं0 2131, अर्बन एस्टेट जीन्द-126102 (हरियाणा)	-वही-	1992
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 430/13, शक्ति संपदा कुरूक्षेत्र-132118 (हरियाणा)	-वही-	1992
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सेक्टर-14, मकान नं0 449, सोनीपत-131001 (हरियाणा)	-वही-	1992
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं0 604, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	-वही-	1992
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं0 269-4, माडल टाउन यमुनानगर-135001 (हरियाणा)	-वही-	1992

1	2	3	4
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नं0. 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला (हरियाणा)	अध्यक्ष, सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन आन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1993
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्रीभगवत भारतीय आश्रम रामपुरा, रिवाड़ी-12340 (हरियाणा)	मंत्री भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी-123401	1983
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शिकोह, गुड़गांवा-122001	निदेशक, भा.कृ.अनु.सं., पूसा नई दिल्ली-110012	1983
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एन.डी.आर.आई., करनाल-132001 (हरियाणा)	निदेशक एन.डी.आर.आई., करनाल-132001 (हरियाणा)	1976
हिमाचल प्रदेश (8)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामपुर, ऊना-174303 हिमाचल प्रदेश	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि वि. वि., पालमपुर, (हिमाचल प्रदेश)	1993
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंडी, हिमाचल प्रदेश	-वही-	1993
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु.के. धौला कुंआ, सिरमौर-173001, हिमाचल प्रदेश	-वही-	1982
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृ.अनु.के., बजौरा, कुल्लू-175125, हिमाचल प्रदेश	-वही-	1985
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बारा, हमीरपुर-177044 हिमाचल प्रदेश	-वही-	1989
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर सुल्तानपुर, बालू, चम्बा-176314, हिमाचल प्रदेश	-वही-	1991

1	2	3	4
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शारबो एट रेकोंग पिओ किन्नौर-171107	कुलपति वाई.एस.पी.यू.एच. एंड एफ., सोलन, हिमाचल प्रदेश	1995
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पैट्रोल पम्प के निकट, रोहरू, शिमला	-वही-	1995
जम्मू एवं कश्मीर (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लेह (जे. एंड के.)	कुलपति, एस.के. कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1993
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मलंगपुरा, अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर	-वही-	1983
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृ.अनु.के., आर.एस.पुरा जम्मू-181102 (जम्मू एवं कश्मीर)	-वही-	1992
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर)	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर)	1993
कर्नाटक (11)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डेगारी, बेलारी (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रायचूर (कर्नाटक)	-वही-	1994
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हनुमानमती-581135 जिला-धारवाड़ (कर्नाटक)	-वही-	1977
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनु. केन्द्र, जानवाड़ा बीदर (कर्नाटक)	-वही-	1985

1	2	3	4
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु. केन्द्र, मुदिगेर-577132 चिकमगलूर (कर्नाटक)	कुलपति कृषि विज्ञान वि.वि. बंगलौर (कर्नाटक)	1985
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कांडली, हासन (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान वि.वि.	1992
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुत्तुर, मैसूर	अध्यक्ष, जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिकाबल्लापुर, कोलार (कर्नाटक)	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकाबल्लापुर (कोलार)	1994
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तुकानाती, गोडाक, बेलगांव-591319 (कर्नाटक)	कुलपति, बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगांव	1994
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा के.एच.पाटिल कृषि विज्ञान फांउडेशन, गदक, ताल्लुक, धारवाड़ (कर्नाटक)	अध्यक्ष, के.एच.पाटिल कृषि विज्ञान फांउडेशन, हुलकोटि-582205 धारवाड़	1985
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनीकोप्पल-571213 जिला-कोदगू (कर्नाटक)	निदेशक, आई.आई.एच.आर.-255, अपरपैलेर, आर्चड, बंगलौर-560079 (कर्नाटक)	1976
केरल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सदानंद पुरम, क्विलान	कुलपति, केरल कृषि वि.वि., मनुथी, त्रिशूर (केरल)	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु. केन्द्र, पटम्बी-679306 पालघाट	कुलपति, केरल कृषि वि.वि. मन्नुथी-680651	1979
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु. केन्द्र, अम्बालवयाल-673593, वायानद (केरल)	-वही-	1984

1	2	3	4
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाथेनामथिता	चैयरमैन, ईसाई ग्रामीण विकास समिति थिरूवल्ला, पाथेनामथिता (केरल)	1994
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चाकूपल्लम, इदुकी	अध्यक्ष बापूजी सेवक समाज चाकूपल्लम, इदुकी (केरल)	1994
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्र निकेतन, वेल्लानद, तिरूअंतपुरम (केरल)	अध्यक्ष मित्र निकेतन, वेल्लानद-696543 तिरूअंतपुरम	1979
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनु. संस्थान का अनुसंधान केन्द्र, नरक्कल, एर्नाकुलम-682505	निदेशक, केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनु. संस्थान, कोचीन (केरल)	1976
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय बागवानी फसल अनु. संस्थान, कासरगोड़-671124	निदेशक, केन्द्रीय बागवानी फसल अनु. संस्थान, कासरगोड-671124	1991
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पेरूवन्नामुजी, कालीकट-673012 कोझीकोड़े	निदेशक, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट (केरल)	1992
लक्षद्वीप द्वीपसमूह			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय मात्स्यिकी अनु. संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र, मिनीकाय द्वीपसमूह (लक्षद्वीप)	निदेशक, भारतीय मसाला अनु. संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र) कालीकट, (केरल)	1996
मध्य प्रदेश (20)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ब्लाक आफिस कंपाउंड, सिओनी (म.प्र.)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, ललितपुर नाका के पास, टीकमगढ़-472001 (म.प्र.)	-वही-	1994

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय बारवाड़ी फार्म, पूर्वी-निमाड़ (खंडवा) मध्य प्रदेश	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (म० प्र०)	1994
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, काठी बाग, रायगढ़	-वही-	1994
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर-आरोन, गुना, मध्य प्रदेश	-वही-	1994
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि अनु. केन्द्र, चन्दन गांव, छिंदवाड़ा-480001 मध्य प्रदेश	-वही-	1983
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जे.एन.के.वि.वि. फार्म, मचुआ-457661, मध्य प्रदेश	-वही-	1984
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोवियाना साइट, पो.बा-7, सिंधी-486661, मध्य प्रदेश	-वही-	1992
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरूलिया फार्म, शहडोल, मध्य प्रदेश	-वही-	1992
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जे.एन.के.वि.वि. कैम्पस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	-वही-	1997
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा, मध्य प्रदेश	कुलपति आई.जी.के.वि.वि., रायपुर	1994
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरकंडा फार्म, अनु. स्टेशन सरकंडा फार्म बिलासपुर-495001, मध्य प्रदेश	-वही-	1984
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव ब्लाक, किरनपुर पो.ओ.-पाला, बालाघाट-481115 मध्य प्रदेश	-वही-	1992

1	2	3	4
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, गोकुलन, जी.ई. रोड़, अंजोरा दुर्ग-491001, मध्य प्रदेश	कुलपति आई. जी. के वि. वि., रायपुर	1992
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जौरा, कालुकेड़ा, रतलाम-457340 मध्य प्रदेश	अध्यक्ष कालुकेड़ा शिक्षा समिति रतलाम, मध्य प्रदेश	1994
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत माता रूकमणि सेवा संस्थान, वाया धीमरापाल, जगदलपुर, बस्तर-494001, मध्य प्रदेश	मंत्री, माता रूकमणि सेवा संस्थान, पी.ओ. जगदलपुर, बस्तर, (मध्य प्रदेश)	1992
17.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री मालवा महिला विकास समिति, पी.ओ. सिरोन्नी, विदिशा-464228 मध्य प्रदेश	अध्यक्ष, मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर, शाहजहांबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश	1992
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर, मध्य प्रदेश	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर-450020 मध्य प्रदेश	1976
19.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगांव, सतना-485331 मध्य प्रदेश	चैयरमैन, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992
20.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.आई.ए.ई., नबीबाग बेरसिया रोड़, भोपाल-462018 मध्य प्रदेश	निदेशक सी.आई.ए.ई. (भा.कृ.अनु.प.) नबीबाग बेरसिया रोड़, भोपाल-462018 मध्य प्रदेश	1979
महाराष्ट्र (23)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सेलसुरा, वर्धा (महाराष्ट्र)	कुलपति, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला (महाराष्ट्र)	1976
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पैथान रोड, औरंगाबाद-431005 महाराष्ट्र	कुलपति, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय परभनी-415712 महाराष्ट्र	1983

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिरगांव, रतनागिरी महाराष्ट्र	कुलपति, कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, रतनागिरी, महाराष्ट्र	1983
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, धुले-424004 (महाराष्ट्र)	कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी-413712 महाराष्ट्र	1983
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत वाई.सी. महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, नासिक-422005 (महाराष्ट्र)	कुलपति, वाई.सी. महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय नासिक-(महाराष्ट्र)	1994
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्यनगर, परभणी-431401 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, जीवन ज्योति धर्मार्थ न्यास परभणी (महाराष्ट्र)	1994
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.ओ.-तलसाड़ी कोल्हापुर-416012, महाराष्ट्र	अध्यक्ष, डी.वाई. पाटील शिक्षा समिति, तलसाड़ी, कोल्हापुर महाराष्ट्र	1994
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव, जमोद, बुलढ़ाणा-443402 (महाराष्ट्र)	चैयरमैन, सतपुड़ा शिक्षा समिति, जलगांव, जमोद, बुलढ़ाणा-443402 (महाराष्ट्र)	1994
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, घटलेड़ अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, श्रम साधना न्यास, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती-444602 (महाराष्ट्र)	1995
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गपुर, अमरावती, महाराष्ट्र	अध्यक्ष, श्रम साफल्य फाउंडेशन, मधुबनी कालोनी कैम्प अमरावती-444602, महाराष्ट्र	1995
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एच.आई.जी. कालोनी, आई.टी.आई. के पास, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	चैयरमैन, ज.ला.नेहरू शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	1994
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 51, रेलवे लाइन्स, शोलापुर-413001 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, शबरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर (महाराष्ट्र)	1994

1	2	3	4
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अकोला-444106 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष एस.यू.वी.आई.डी.ई. फाउंडेशन, रिसोद, अकोला (महाराष्ट्र)	1994
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोइप आदर्श कृषि सिंधु दुर्ग-416622, महाराष्ट्र	अध्यक्ष, पोइप फलोत्पादन शहाकार समिति, सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र	1995
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत गोखले शिक्षा समिति कोवाद डिल-401703 थाणे (महाराष्ट्र)	सचिव, गोखले शिक्षा समिति, बी.वाई.के. कामॅर्स कॉलेज नासिक (महाराष्ट्र)	1976
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत सतपुड़ा विकास मंडल पाल, रावेर, जलगांव-425508 महाराष्ट्र	चैयरमैन, सतपुड़ा विकास मंडल, पाल, रावेर, जलगांव-425508 महाराष्ट्र	1984
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आदर्श कालोनी, गांव-अंबाजोगई जिला - बीड़-431517	चेयरमैन, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालावड़ी, कारद,. सतारा-415110	चेयरमैन, कल्याणी गोरक्षा न्यास कोरेगांव रोड, पुणे (महाराष्ट्र)	1992
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कृषि विकास न्यास शारदा नगर, बारामती, पुणे-413115 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, कृषि विकास न्यास शारदा नगर, बारामती, पुणे-413115 (महाराष्ट्र)	1992
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभीश्वर, श्रीरामपुर, अहमदनगर-413736 महाराष्ट्र	चेयरमैन, प्रावरा इंस्टी. ऑफ रिसर्च एजूकेशन इन नेचुरल एण्ड सोशल सांइस प्रवर नगर, अहमदनगर महाराष्ट्र	1992
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी-13, वंसत दादा सहकारी सखर कारखाना, सांगली-416416 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, वसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, सांगली (महाराष्ट्र)	1992

1	2	3	4
22.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत मराठवाड़ा सेवी सहाय मंडल, पो.बा.नं. 45, एस.पी. रोड, जैना-431203	सचिव, मराठवाड़ा सेठी सहाय मंडल, पो.बा.नं.45, एस.पी.रोड, जैना-431203	1992
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.आई.सी.आर. पो.बा. नं0-225, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र)	निदेशक, केन्द्रीय कपास अनु. संस्थान, पो.बा. नं0 225, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र)	1994
मणिपुर (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ0 पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. कॉम्पलैक्स, लामफेलपत इम्फाल-795004 (मणिपुर)	निदेशक उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. काम्पलैक्स, उमरोई रोड, बड़ापानी-793103 मेघालय	1979
मेघालय (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.पू.प.क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. कॉम्पलैक्स, सनसान गिरी बोवासिपारा, तुरा वेस्ट गारो डिल-794005 (मेघालय)	निदेशक, उ.पू.प.क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. कॉम्पलैक्स, उमरोई रोड़, बड़ापानी-793103 (मेघालय)	1979
मिजोरम (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विभाग, डेनाथियल, लुगई मिजोरम	कृषि निदेशक, मिजोरम सरकार एजावल (मिजोरम)	1995
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फार्म विज्ञान केन्द्र, कोलासिब-796081 (मिजोरम)	कृषि निदेशक मिजोरम सरकार एजावल (मिजोरम)	1976
नागालैंड (1)			
1.	प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.पू.प.क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. कॉम्लैक्स, झरनापानी, मेदजीफेमा, नागालैंड-797106	निदेशक उ.पू.प.क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. कॉम्पलैक्स, उमरोई रोड, बड़ापानी-793103 (मेघालय)	1977

1	2	3	4
उड़ीसा (12)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रापारा	कुलपति, ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सिमिलीगुड़ा, पो.बा. 10, सुनाबेडा-763002, कोरापत (उड़ीसा)	-वही-	1982
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु. केन्द्र, जुडया फार्म पो.आ. क्यूनझर-758002 (उड़ीसा)	-वही-	1982
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ. देवागोविआसिंगिला, बलियापाल, जिला-बालासौर-756026 (उड़ीसा)	कुलपति, उड़ीसा कृ.एवं.प्रौ. विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1983
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर बेनाकुंडा पो.आ. विलतापटल, गंजाम-761126	कुलपति उड़ीसा कृ. एवं प्रो. विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	1985
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गंभरीपल्ली, पो.आ.-लाराम्मा, सबलपुर-768102	कुलपति उड़ीसा कृ.एवं प्रौ. विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	1992
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.आ.-उदयगिरी फूलबनी-762100	कुलपति, उड़ीसा कृ. एवं. प्रौ. विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	1982
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, नार्थ कैंपस, भवानी पटना, कालाहांडी, (उड़ीसा)	कुलपति उड़ीसा कृ. एवं प्रौ. विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	1992
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धैनकेन्नाल (उड़ीसा)	निदेशक केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा)	1994

1	2	3	4
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अंगुल, (उड़ीसा)	निदेशक केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक (उड़ीसा)	1994
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कटक-753006 (उड़ीसा)	-वही-	1992
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जल जीव संवर्द्धन संस्थान, कौशल्यागंज, धौली, भुवनेश्वर-751002 (उड़ीसा)	निदेशक केन्द्रीय ताजा जल जीव संवर्द्धन संस्थान, कौशल्यागंज, धौली, भुवनेश्वर-751002	1976
पांडिचेरी (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मादुर कुराईकाल पांडिचेरी	मुख्य सचिव पांडिचेरी सरकार मुख्य सचिवालय बिल्डिंग, पांडिचेरी-605009	1994
2.	प्रशिक्षक संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुसुंबपेट, पांडिचेरी	मुख्य सचिव पांडिचेरी सरकार मुख्य सचिवालय बिल्डिंग, पांडिचेरी-605009	1974
पंजाब (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खेडी जिला-संगरूर (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	1993
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, फरीदकोट-151203 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	1994
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र लांगरोया, जिला-जालंधर (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	1994
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डरदेवाचानी रोड़, पुराना गुरू नानक कालेज भवन, गुरदासपुर-143521 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	1982
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मलवल फार्म जी.टी. रोड फिरोजपुर-152001 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 (पंजाब)	1988

1	2	3	4
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खेती भवन के सामने, डबवाली रोड़, भटिंडा-151001, पंजाब	कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 पंजाब	1989
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाडोवल, होशियारपुर-145105, पंजाब	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 पंजाब	1989
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.बा.नं0 22, ग्राम रोनी, पटियाला-147001, पंजाब	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 पंजाब	1989
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुल्तानपुर रोड, नई ग्रेन मार्केट के नजदीक, कपूरथला-144601, पंजाब	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004 पंजाब	1989
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आबोहर, पंजाब	निदेशक सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना, पंजाब	1992
राजस्थान (31)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, डोइन्दा राजसमंद-313342, राजस्थान	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001, राजस्थान	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेशन रोड़, अंता बारों-325202 राजस्थान	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001, राजस्थान	1994
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टीचर्स कालोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा-303303 (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1994
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बी-33, मेन नगर, झुनझुनु (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1989
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोझात कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा-327001 (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1983

1	2	3	4
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर शेखावती, सिकार-332301 राजस्थान	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 राजस्थान	1976
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फोडर फॉर्म, गांव-बीचवाल, बीकानेर-334002, राजस्थान	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001, राजस्थान	1983
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जेलोर-342001 राजस्थान	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 राजस्थान	1985
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, किशन विद्यापीठ, संरग गेस्ट हाउस के सामने, कुम्हेर, भरतपुर-321001 (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1988
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलार फार्म, अंबेसवेजी-गेट, पो.ओ. पालरी, सिरोही-307001 (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1989
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेरा, दीपक भवन, डाबला रोड़, कोटपुतली-303108, जयपुर (राजस्थान)	कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1989
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौरगढ़-312001, राजस्थान	-वही-	1992
13.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, करमोड़ा, पो.बा.नं0-16, सवाईमाधोपुर-322001 राजस्थान	-वही-	1992
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा फार्म, कोटा-324001 राजस्थान	-वही-	1992
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.बा.नं0-46, जैसलमेर-345001 (राजस्थान)	-वही-	1992

1	2	3	4
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम-नवगांव, अलवर (राजस्थान)	कुलपति, राजस्थान कृषि वि.वि., बीकानेर-334001 (राजस्थान)	1992
17.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनु. केन्द्र, आमजा फार्म, गांधी नगर, भीलवाड़ा-311001 (राजस्थान)	-वही-	1992
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रपुरा रोड़, बून्दी राजस्थान	-वही-	1992
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनु. केन्द्र, तावीजी फार्म, एन.एच.08, अजमेर-305001, राजस्थान	-वही-	1992
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ओल्ड सिटी, धौलपुर राजस्थान	-वही-	1992
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बावट मठ के पास, शास्त्री कालोनी, डूंगरपुर-314001 (राजस्थान)	-वही-	1992
22.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 9-ए, गोदम की तलाई, पो.बा.नं. 16, झालावाड़-326001 राजस्थान	-वही-	1992
23.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, संजय कालोनी, नागौर राजस्थान	-वही-	1992
24.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी. तंकवरा, चोमू, जयपुर, राजस्थान	सचिव, प्रगति ट्रस्ट, चोमू, जयपुर, राजस्थान	1992
25.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वनस्थली विद्यापीठ टोंक-304022 (राजस्थान)	सचिव, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, टोंक (राजस्थान)	1992

1	2	3	4
26.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बदगांव, उदयपुर-313001, राजस्थान	अध्यक्ष, विद्या भवन सोसायटी, बदगांव, उदयपुर-313001, राजस्थान	1983
27.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदार शहर, चुरू-311401 राजस्थान	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, चुरू-311401 राजस्थान	1992
28.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शक्ति पीठ, बाड़मेर-344001, राजस्थान	सचिव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु सोसायटी, बाड़मेर, राजस्थान	1992
29.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, संगारिया, श्रीगंगानगर (राजस्थान)	अध्यक्ष केशवानन्द स्मारक न्यास, संगारिया, श्रीगंगानगर, राजस्थान	1989
30.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.ए.जैड.आर.आई. (आई.सी.ए.आर.) जोधपुर-342003 राजस्थान	निदेशक, सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर-342003 राजस्थान	1983
31.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सी.ए.जैड.आर.आई., पाली-मारवाड़-306401, राजस्थान	-वही-	1992
सिक्किम (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.पू.पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर सारामासा, रानीपूल-737135, पूर्वी सिक्किम, सिक्किम	निदेशक, उ.पू.प. क्षेत्र भा.कृ.अ.प. परिसर उमराव रोड, बड़ापानी-793103 मेघालय	1982
तमिलनाडु (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सलेम (तमिलनाडु)	कुलपति, तमिलनाडु कृषि वि.वि., कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि वि.के., कुमार पालमल फार्म, विज्ञान सुरंगम, त्रिची-639115 तमिलनाडु	-वही-	1977

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, वृद्धाचलम-606001, जिला-दक्षिण अरकाट-तमिलनाडु	कुलपति तमिलनाडु कृषि वि० वि० कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1985
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कट्टूपक्कम-603203, चंगाई, जिला-एम.जी.आर. तमिलनाडु	-वही-	1985
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुन्नकुदी, जिला-पी.एम.टी., तमिलनाडु	कुलपति तमिलनाडु प.वि. एवं प.वि.वि.वि., मद्रास-600051 तमिलनाडु	1996
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मापुरी, तमिलनाडु	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, टी. नगर, मद्रास-500012, तमिलनाडु	1994
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तेंकोसी नेलई कट्टाबोमन-627852, (तमिलनाडु)	चैयरमैन, आर.वी.एस. शिक्षा न्यास, डिंडीगुल, अन्ना (तमिलनाडु)	1994
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कांचीपुरम, वाया थेनी, मदुराई-626520, तमिलनाडु	चैयरमैन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेनी, मदुरै-626520, तमिलनाडु	1994
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीकुलम, मुंद्रादाईप, पी.ओ.करियापट्टी, कामराजर-626102 तमिलनाडु	चैयरमैन, मेयर न्यास, मदुरै, तमिलनाडु	1995
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आर.वी.एस. परिसर, उसीलामपट्टी, तंजावुर, तमिलनाडु	अध्यक्ष, भक्तवा स्मारक न्यास, 596, ए-1, एंड ए-2, टी.एन.एच.बी. कालोनी, पेरियार नगर, कोरनधुर, मद्रास-600080 (तमिलनाडु)	1995
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वेगेकुलम, थिदम्बरनार (तमिलनाडु)	चेयरमैन, एस.सी.ए.डी. चेरनदेवी, तिरूनेवेल्लई (तमिलनाडु)	1995
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा श्री अविवाशीलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्दपुरम, करमावेई ब्लॉक, कोयम्बटूर-641113, तमिलनाडु	सचिव, श्री अविवाशीलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्द-पुरम, करमावेई ब्लॉक, कोयम्बटूर-641113 तमिलनाडु	1979

1	2	3	4
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा यू.पी.ए.एस.आई., ग्लेनव्यू, कुनूर-643101, जिला-नीलगिरी	सचिव, यू.पी.ए.एस.आई., ग्लेनव्यू, कुनूर-643101, जिला-नीलगिरी	1983
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम-624302 डिंडीगुल, अन्ना, तमिलनाडु	सचिव, गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम-624302, डिंडीगुल, अन्ना, तमिलनाडु	1989
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.वाई.आर.ए.डी.ए. का तालामलाई केन्द्र, तालावड़ी ब्लॉक, सत्यमंगलम तालुक, पेरियार-638461, तमिलनाडु	कार्यकारी निदेशक, एम.वाई.आर.ए.डी.ए., प्रीमियर लेआऊट, बंगलौर-560071 तमिलनाडु	1991
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, किलनेली गांव, वेम्बक्कम ब्लॉक, थिरूवन्नामलाई, समाबुवरयार, तमिलनाडु	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड सं० 13, क्रिसेन्ट पार्क गली, टी.नगर, मद्रास-500017, तमिलनाडु	1991
त्रिपुरा (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विव्योवया, विवानंदपली, छेबर, खोवाई सब स्टेशन, पश्चिमी, त्रिपुरा-799207	महासचिव, श्री रामाकृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर.एन. मुकर्जी रोड कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	1979
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.पू.प. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बीरचन्द्र मनु, मनपाथर-799144, दक्षिणी त्रिपुरा	निदेशक, उ.पू.प. क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, उमरोई, रोड बड़ापानी-793103 (मेघालय)	1984
उत्तर प्रदेश (30)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बचत भवन, कलक्टरेट कंपाउंड, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)	कुलपति, जी.बी. पंत कृ. एवं प्रौ. वि.वि. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)	1994
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी.ओ. गुलछोर (लोहाघाट) पिथोरागढ़-262524, उत्तर प्रदेश	-वही-	1994

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रानीचौरी, टेहरी गढ़वाल-249199 उत्तर प्रदेश	कुलपति जी.बी. पंत कृ. एवं प्रौ.वि.वि., पंतनगर, उत्तर प्रदेश	1983
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चावल अनुसंधान स्टेशन, नगीना, बिजनौर-246762 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चन्द्र नगर, सहारनपुर-247001	-वही-	1992
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बदायूं-243601, उत्तर प्रदेश	-वही-	1992
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 243, विकास भवन, न्यू कलेक्टोरेट, राज नगर, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश	-वही-	1992
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला पंचायत भवन, रामपुर-244901, उत्तर प्रदेश	-वही-	1992
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फसल अनुसंधान स्टेशन, बेडरार्इच, उत्तर प्रदेश	कुलपति, एन.डी.यू.ए. एंड टी. कुमारगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	1983
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., बलिया, डाकघर सोहान, बलिया-277504 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1984
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर हल्दापुर, मऊ-221705, उत्तर प्रदेश	-वही-	1989
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एस-4/50 ए, महावीर रोड, अर्दली बाजार, वाराणसी-221001 उत्तर प्रदेश	-वही-	1989

1	2	3	4
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्ती, बंजारिया फार्म, डाकघर कप्पा, बस्ती-272302, उत्तर प्रदेश	कुलपति एन. डी. यू. ए. एंड टी. कुमार गंज, फैजाबाद (उ० प्र०)	1989
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, भरारी, डाकघर भोजला, झांसी-284003, उत्तर प्रदेश	कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृ. एवं प्रौ. वि.वि., कानपुर उत्तर प्रदेश	1984
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डेयरी फार्म, पशु चिकित्सा कॉलेज, मथुरा-281001, उत्तर प्रदेश	-वही-	1984
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दरियापुर फार्म, डाकघर मुंशीगंज, रायबरेली-229405 उत्तर प्रदेश	-वही-	1984
17.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, थारो फार्म, इलाहाबाद, जी.टी.रोड फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-	1989
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	-वही-	1992
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कानपुर रोड, दरोगा खेड़ा, कानपुर, डाकघर अनवरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	चेयरमैन, रा.कृषि संस्थान, कानपुर रोड, दरोगा खेड़ा, कानपुर, डाकघर अनवरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1994
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष, स्वामी कल्याण देव न्यास जबलपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	1994
21.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत भारत ग्रामीण विकास संस्था, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	मंत्री भारत ग्रामीण विकास संस्था, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	1996

1	2	3	4
22.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा कमला नेहरू स्मारक न्यास, सुल्तानपुर-228118, उत्तर प्रदेश	मंत्री कमला नेहरू स्मारक न्यास, सुल्तानपुर-228118 उत्तर प्रदेश	1976
23.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एटा-टुंडला रोड, अवागढ़-207301, एटा, उत्तर प्रदेश	प्राचार्य, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, बिचपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश	1982
24.	कार्याधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, जय-प्रभा, ग्राम-गोपालग्राम, स्वर्गु चांदपुर गांधी पार्क, गोंडा-271001, उत्तर प्रदेश	चैयरमैन, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	1989
25.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गानीवन, बांदा-210206 उत्तर प्रदेश	-वही-	1992
26.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा इलाहाबाद कृ.सं. नैनी, इलाहाबाद-211007, उत्तर प्रदेश	निदेशक, इलाहाबाद कृ.सं., नैनी, इलाहाबाद-211007 उत्तर प्रदेश	1992
27.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सोडना, सिद्धार्थनगर-272193 उत्तर प्रदेश	मंत्री, लिओड तेल क्षेत्र विकास सोसायटी, सोडना, सिद्धार्थनगर-272193 उत्तर प्रदेश	1992
28.	प्रशिक्षण संयोजक, स्वामी कल्याण देव कृ.वि.के., हस्तिनापुर, मेरठ-250404 उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष गांधी पोलिटेक्नीक, कृषि मंत्रालय, सोसायटी, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	1992
29.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., चरकाछा, मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश	कुलपति, बनारस हि.वि.वि., वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	1984
30.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, इज्जत नगर, बरेली-243122 उत्तर प्रदेश	निदेशक, भा.प.अ. संस्थान, इज्जतनगर, बरेली-243122 उत्तर प्रदेश	1985
पश्चिम बंगाल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृ.वि.के., कलिमपोंग, दार्जीलिंग-737301 पश्चिम बंगाल	कुलपति, विधान चन्द्र कृ.वि.वि. घट्टा, मोहनपुर, पश्चिम बंगाल	1992

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा श्री रामकृष्ण आश्रम, डाकघर-नीमपीठ आश्रम, साऊथ-24 परगना-743338 पश्चिम बंगाल	चेयरमैन श्री रामकृष्ण आश्रम, डाकघर - नीमपीठ आश्रम, साऊथ-24 परगना-743338 पश्चिम बंगाल	1979
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कापगरी, मिदनापुर-721505 पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष, सेवा भारती, कापगरी मिदनापुर-721505, पश्चिम बंगाल	1976
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रमसाई, जलपाईगुड़ी-735219 पश्चिम बंगाल	मंडासचिव, श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, आर.एन. मुकर्जी रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	1983
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानंद नगर पुरूलिया-723147 पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष कल्याण पी.ओ. विवेकानन्द नगर, पुरूलिया-723147 (पश्चिम बंगाल)	1992
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर, बुर्दवान-713212 पश्चिम बंगाल	चैयरमैन, हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर क.लि., नई दिल्ली	1994
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीनिकेतन, बीरभूम-731236 पश्चिम बंगाल	कुलपति विश्व भारती शांति निकेतन, बोलेपुर पश्चिम बंगाल	1994
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर-सोनामुखी बंकुरा-722207 (पश्चिम बंगाल)	कार्यकारी कुलपति, प.बं.स. क्षेत्रीय विकास निगम, 6-ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, कलकत्ता, (पश्चिम बंगाल)	1983
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खारा जल परीक्षणात्मक मछली फार्म, डाकघर-काकद्वीप-743347, उत्तरी 24-परगना पश्चिम बंगाल	निदेशक के.अ. स्थलीय प्र.म.अ. संस्थान, बैरकपुर-743101, पश्चिम बंगाल	1979

विवरण-II

कृषि विज्ञान केन्द्रों (कृ.वि.के.) के कार्यकरण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए पता लगाये गये जिले

चरण-1

क्र. सं.	राज्य	कृ0वि0 के0के बिना जिलों की संख्या	पता लगाये गये जिलों की संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	जिले	उत्पादन प्रणाली
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	1	ए. एन. जी. आर. यू. हैदराबाद	1. नेल्लोर	कृषि बागवानी तथा मछली एवं पशुधन (तटीय)
2.	असम	18	1	ए. ए. यू. जोरहट	2. नवगांव (शिलोगंनी)	कृषि बागवानी तथा पशुधन (पहाड़ी तथा पर्वत)
3.	बिहार	31	1	आर.ए.यू., पूसा	3. रोहतास (बिकरागंज)	चावल, गेहूं, (सिंचित) कृषि योग्य खेती (बारानी)
4.	गुजरात	9	1	जी.ए.यू.	4. जूनागढ़	कृषि योग्य खेती, पशु उत्पादन (बारानी)
5.	हरियाणा	4	1	एच.ए.यू. हिसार	5. सिरसा	कृषि योग्य खेती, (बारानी)-पशुधन (बारानी)
6.	हिमाचल प्रदेश	3	1	एच.पी.के.वी.वी.	6. लाहोल स्पीति (कुमकुमसेरी) (स्मीती में टाको)	कृषि बागवानी, पशु उत्पादन (पहाड़ी तथा पर्वत)
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1	एस.के.यू. तथा ए.टी.	7 कारगिल	-वही-
8.	कर्नाटक	10	2	यू.ए.एस. बैंगलौर,	8. शिमोगा	कृषि योग्य खेती, पशु उत्पादन (आर.एफ.)
				यू.ए.एस. धारवाड़	9. गुलबर्गा	कृषि योग्य खेती, कृषि वानिकी, पशुधन उत्पादन (बारानी)
9.	मध्यप्रदेश	26	1	जे.एल.के.वी.वी. जबलपुर	10.मुरेना	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) चावल-गेहूं (सिंचित) पशु उत्पादन (बारानी)
10.	महाराष्ट्र	9	3	पी.के.वी., अकोला	11. यवतमाल	कृषि योग्य खेती, पशु उत्पादन कृषि वानिकी (आर.एफ.)
				के.के.वी. डपोली	12. रायगढ़ रोहा, (कारजात)	कृषि योग्य खेती, पशु उत्पादन कृषि वानिकी (आर.एफ.)
				एम.ए.यू. परभनी	13. उस्मानाबाद (तुलजापुर)	कृषि योग्य खेती, पशु उत्पादन (आर.एफ.)
11.	उड़ीसा	16	1	ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर	14. भदराक	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) पशुधन उत्पादन (आर.एफ.)
12.	पंजाब	5	1	पी.ए.यू., लुधियाना	15. रोपड़	चावल-गेहूं (सिंचित) मछली पालन (सिंचित)
13.	राजस्थान	1	1	आर.ए.यू., बीकानेर	16. श्रीगंगानगर	कपास आधारित खेती (सिंचित) कृषि योग्य खेती (बारानी)

1	2	3	4	5	6	7
14.	तमिलनाडु	7	1	टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर	17. कन्याकुमारी	कृषि बागवानी तथा मछली एवं पशुधन (तटीय)
15.	उत्तर प्रदेश	36	2	जी.बी.पी.यू.ए.टी.	18. नैनीताल (मझेरा)	कृषि बागवानी, पशु उत्पादन (पहाड़ी तथा पर्वत)
				एन.डी.यू.ए. तथा टी., फैजाबाद	19. गौरखपुर	चावल-गेहूं (सिंचित) कृषि योग्य खेती (आर.एफ.)
16.	पश्चिमी बंगाल	9	1	बी.सी.के.वी.वी., मोडनपुर	20. कूचबिहार	कृषि योग्य खेती, पशुधन उत्पादन (आर.एफ)

कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) के कार्यकरण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए पता लगाये गये जिले

चरण - II

क्रम सं	राज्य	के.वी.के.के बगैर जिलों की संख्या	पहचाने गए जिलों की संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	जिले	उत्पाद प्रणाली
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	2	एन.ए.जी.आर.ए.यू., हैदराबाद	1. प्रकाशम 2. अदिलाबाद	कृषि बागवानी (तटवर्ती) कृषि योग्य खेती पशुधन उत्पादन (आर.एफ.)
2.	असम	18	4	ए.ए.यू. जोरहट	3. लखिमपुर 4. करबी आंग-लांग (दीप्पू) 5. करीम गंज 6. गोलपाड़ा	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) कृषि वानिकी (आर.एफ.) कृषि बागवानी (पहाड़ी पर्वत) पशुधन उत्पादन (पहाड़ी और पर्वत)
3.	बिहार	31	2	बी.ए.यू. रांची, (पमुका) आर.ए.यू.पूसा	7. संथाल परगना खेती (झुमका) 8. भागलपुर (सबौर)	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) चावल-गेहूं (सिंचित)
4.	गुजरात	9	2	जी.ए.यू.	9. सूरत (व्यारा) 10. राजकोट (तरघडिया)	कृषि योग्य खेती, पशुधन, (आर.एफ) पशुधन उत्पादन (आर.एफ.) कृषि वानिकी (आर.एफ.)
5.	हरियाणा	4	2	एच.ए.यू. हिसार	11. रोहतक 12. महेन्द्रगढ़	गन्ने पर आधारित, कृषि योग्य खेती पशुधन उत्पादन (आर.एफ)
6.	हिमाचल प्रदेश	3	2	एच.पी.के.वी.वी. पालमपुर वाई.एस.पी.यू एवं एफ.	31. बिलासपुर 32. कुंडाघाट (सोलन)	कृषि बागवानी (पहाड़ी एवं पर्वत) कृषि बागवानी (पहाड़ी एवं पर्वत)
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1	एस.के.यू.एवं ए.टी.	13. राजौरी	कृषि बागवानी, पशुधन उत्पादन (पहाड़ी + पर्वत)

1	2	3	4	5	6	7
8.	कर्नाटक	10	5	यू.ए.एस. बंगलौर	14. बंगलौर (ग्रामीण) (डेसरघट्टा)	कृषि योग्य खेती, कृषि वानिकी गोपशु फार्मिंग (आर.एफ.)
					15. तमकुर	
					16. उटटार कन्नड़	मत्स्य एवं गोपशु (तटीय) कृषि बागवानी (तटीय)
					17. मंड्या	यन्त्रे पर आधारित (सिंचाई)
				यू.ए.एस. धारवाड़	18. चित्रदुर्ग	कृषि योग्य खेती, कृषि वानिकी पशु उत्पादन (आर.एफ.)
9.	केरल	5	1	के.ए.यू. त्रिचूर	33. कोट्टायम	कृषि बागवानी एवं मछली उत्पादन
10.	मध्यप्रदेश	26	4	ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर	19. होसंगाबाद (पावरखेड़ा)	कृषि योग्य खेती (बारानी) गोपशु फार्मिंग (आर.एफ.)
					20. प. निमार (खारगांव)	चावल-गेहूं (सिंचाई)
					21. सागर	-वही-
11.	महाराष्ट्र	9	1	पी.के.वी. अकोला	22. चन्द्रपर (सिंधवाही)	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) कृषि वानिकी (आर.एफ.) पशु उत्पादन (आर.एफ.)
12.	उड़ीसा	18	1	ओ.यू.ए.टी. भुवनेश्वर	23. नवरंगपुर	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.) गोपशु उत्पादन (आर.एफ.)
13.	तमिलनाडु	7	1	त.ना.कृ.वि. कोयम्बटूर	24. पुडुकोटाई	कृषि योग्य खेती (आर.एफ.)
					25. रामानन्द	गोपशु उत्पादन (आर.एफ.)
14.	उत्तर प्रदेश	36	5	जी.बी.पी.यू.ए.टी. पंतनगर	26. देवरिया (सिंचित)	चावल-गेहूं (सिंचित) डेयरी फार्मिंग
				सी.एस.ए.यू.ए. एवं टी., कानपुर	27. मैनपुरी	चावल-गेहूं (सिंचित)
				एन.डी.यू.ए. एवं टी., फैजाबा	28. माडीबाद (बेलताल)	डेयरी फार्मिंग (सिंचित)
					29. कानपुर-देहात (दलीपनगर)	कृषि योग्य खेती (बारानी)
					30. आजमगढ़	चावल-गेहूं (सिंचित)

विवरण-III

वर्ष 1995 से 1997 के दौरान स्थापित कृषि वि.के. की सूची

क्रम संख्या	कृ.वि.के. का नाम व पता	मेजबान संगठन	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, राम कृष्ण मंदिर के सामने, उन्डी, रायलम भीमावरम, पश्चिम गोदावरी-534208 आंध्र प्रदेश	कुलपति, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030	1995

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य तुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामनचली, विशाखापटनम-5	मंत्री, भाग्य तुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामनचली, विशाखापट्टनम-531005 आंध्र प्रदेश	1995
बिहार			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दरभंगा, बिहार	कुलपति राजेन्द्र कृषि वि.वि., समस्तीपुर-848125, बिहार	1996
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हाजीपुर फार्म, वैशाली, बिहार	-वही-	1996
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शेखपुरा, बिहार	-वही-	1996
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरईया फार्म, मुज्जफ्फरपुर, बिहार	-वही-	1997
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद, बिहार	अध्यक्ष, सोन कमांड एरिया डैवलपमेंट एजेन्सी, सोन भवन, पटना, बिहार	1997
दिल्ली			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा, नई दिल्ली-110073	निदेशक, एन.एच.आर.डी.एफ., जनकपुरी, नई दिल्ली	1995
हिमाचल प्रदेश			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सर्चो एट रिकॉंग पी.ओ. किन्नौर-171107, हिमाचल प्रदेश	कुलपति, वाई.एस.पी.यू.एच. एंड एफ.सोलन हिमाचल प्रदेश	1995
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक पेट्रोल पम्प, रोडरू, शिमला-171207, हिमाचल प्रदेश	कुलपति, वाई.एस.पी.यू.एच. एंड एफ. सोलन (डि0 प्र0)	1995
मध्य प्रदेश			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जे.एन.के.वी.वी. कैम्पस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	कुलपति, जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर, मध्य प्रदेश	1997

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, घटखेड़, अमरावती, महाराष्ट्र	अध्यक्ष, श्रम साधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती-444602 महाराष्ट्र	1995
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृ.वि.के., दुर्गापुर, अमरावती, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष, श्रम सफल्या फाउंडेशन, मधुबन कॉलोनी कैम्प, अमरावती-444602 (महाराष्ट्र)	1995
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोइप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग-416622	अध्यक्ष पोइप फलोत्पादन सहकरी समिति, सिंधुदुर्ग-(महाराष्ट्र)	1995
मिजोरम			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि राज्य विभाग, हनथियाल, लुंगलेई, मिजोरम	कृषि निदेशक मिजोरम सरकार आइजवाल, मिजोरम	1995
तमिलनाडु			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुन्दराकुड़ी, जिला-पी.एम.टी., तमिलनाडु	कुलपति, तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि.वि., मद्रास-600051, तमिलनाडु	1996
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीकुलम, मुद्रारावाइपु, पो.बा. करापट्टी, कामराजर-2	चेयरमैन, मेयर ट्रस्ट, (मदुरई)	1995
3.	प्रशिक्षण संबोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आर.वी.एस. कैम्पस, उसीलाम्पट्टी, तन्जावूर (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, भक्तवा मेमोरियल ट्रस्ट, 596, ए-1, एवं ए-2, टी.एन.एच.वी. कालोनी पेरियार नगर, कोराथूर, मद्रास-600080 (तमिलनाडु)	1995
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वेगाईकुलम, चिदम्बरनार, तमिलनाडु	चैयरमैन एस.सी.ए.डी. चेरानदेवी, तिरूनेलवेली, (तमिलनाडु)	1995
उत्तर प्रदेश			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फ़त भारत ग्रामीण विकास संस्था, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	मंत्री भारत ग्रामीण विकास संस्था, बाराबंकी, (उत्तर प्रदेश)	1996

वर्ष 1995 से 1997 के दौरान स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	राज्य	कृ.वि. केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	5
3.	दिल्ली	1
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	3
7.	मिजोरम	1
8.	तमिलनाडु	4
9.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	20

[अनुवाद]

नेपाल में आई.एस.आई. की गतिविधियां

106. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के तराई क्षेत्रों में आई.एस.आई. की बढ़ती हुई गतिविधियों तथा भारत-नेपाल सीमाओं पर चरस, सोना और चांदी की बढ़ती हुई तस्करी के संबंध में आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। सरकार ने ऐसी रिपोर्ट देखी हैं जिनमें पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने भारतीय हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए नेपाली प्रदेश का दुरुपयोग किया है। सरकार को भारत-नेपाल सीमा से भारत में सोने की तस्करी होने की भी खबरें मिली हैं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। सरकार ने नेपाल के महामहिम नरेश की सरकार के सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। ऐसी अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नेपाल सरकार अपना सहयोग देती है।

परमाणु विद्युत उत्पादन

107. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु बिजली उत्पादन संबंधी सरकार की नवीनतम नीति क्या है;

(ख) क्या परमाणु बिजली उत्पादन के लिए देश में कोई विदेशी स्वामित्व वाली/सहायता प्राप्त परियोजना चल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए सरकार की नीति स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) किस्म के परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कार्य जारी रखना और भारत के तीन चरण वाले परमाणु विद्युत कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इसके अलावा भारत सरकार परमाणु विद्युत के क्षेत्र में निजी फर्मों, भारतीय अथवा विदेशी द्वारा सहभागिता किए जाने के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर तकनीकी दृष्टि से उनके उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जाएगा। यह प्रावधान करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने की जरूरत होगी।

(ख) और (ग) रूसी परिसंघ के तकनीकी सहकार और वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम में लगाए जाने वाले 2X1000 मेगावाट विद्युत क्षमता के वी.वी.ई.आर. किस्म के हल्का पानी रिएक्टरों वाले परमाणु बिजलीघर को स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस समय बातचीत चल रही है। रूसी-प्राधिकारियों द्वारा ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने संबंधी अनुबंध की शर्तों पर भी बातचीत चल रही है।

जल बंटवारे पर विवाद

108. श्री नरेश कुमार पुगलिया :

श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायालय से बाहर जल बंटवारे के विवाद के समाधान के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बत संबंधी मामला

109. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक अमरीकी दल ने नई दिल्ली का दौरा किया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दल ने भारत में रह रहे तिब्बती नेताओं से भेंट की थी; और

(ग) इस दल के साथ किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा इस दौरे के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी हाँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नेतृत्व में एक अमरीकी शिष्टमंडल नवम्बर, 1997 में नई दिल्ली आया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलब्राइट की यह यात्रा एकीकृत और व्यापक पैमाने पर वार्तालाप का एक हिस्सा थी जिसमें भारत और अमरीका जुड़े हुए थे। इस शिष्टमंडल के साथ बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के व्यापक मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस यात्रा के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टैट ने एक निवेश करार तथा भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच को स्थापित करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए। भारत में रह रहे तिब्बती नेताओं के साथ कोई बैठक करने का कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं था।

[हिन्दी]

भारतीय इलेक्ट्रानिकी उद्योग

110. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में विदेशी कम्पनियों के अबाध प्रवेश के कारण भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग मन्दी की चपेट में है और क्या इसके परिणामस्वरूप कई भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी कम्पनियाँ बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बचाने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (चावल)

111. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (चावल) के अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत इसके हिस्से की धनराशि केन्द्र द्वारा जारी किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त धनराशि राज्य सरकार को कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित "चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम" के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान क्रमशः 3411.96 लाख रुपये तथा 4141.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिये किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने 1998-99 में केन्द्रीय अंश के रूप में 4.93 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव भारत सरकार को मंजूरी हेतु भेजा है। योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखकर, अब तक केन्द्रीय अंश के रूप में 3.45 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

आतंकवादी गतिविधियां

112. डॉ0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मार्च, 1998 में जिनेवा में अपने भाषण के दौरान यह आरोप लगाया था कि उनके देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों में भारतीय एजेंसियों का हाथ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त आरोप को किस प्रकार प्रतिकार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हाँ। 18 मार्च, 1998 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के चौवनवें सत्र में अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री गौहर अयूब खान ने विदेशों द्वारा प्रायोजित आंतकवाद के कारण पाकिस्तान में लोगों के मारे जाने तथा विश्व के तथाकथित सबसे बड़े लोकतंत्र के उसमें शामिल होने के कारण की ओर संकेत किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, ''आज पाकिस्तान को जिस आंतकवाद का शिकार बनाया जा रहा है उससे ऐसी वार्ताओं की संभावना में सुधार नहीं आ सकता। विदेश समर्थित आंतकवाद के कारण पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में 1995 के बाद से 600 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं.....इस संबंध में पाकिस्तान निर्णायक प्रमाण पेश कर सकता है जो तथाकथित सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर संकेत करते हैं। स्व निर्णय के लिए संघर्षरत लोगों के विरूद्ध अथवा अन्य राज्यों के विरूद्ध विदेश समर्थित आतंकवाद मानवाधिकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।

(ग) प्रत्युत्तर में हमने ''उत्तर देने का अधिकार'' के रूप में एक वक्तव्य दिया जिसमें निम्नलिखित संदर्भ शामिल थे।

पाकिस्तान में हिंसा में भारतीय संलग्नता सहित उनके (पाकिस्तानी विदेश मंत्री) द्वारा उठाये गये सभी दावों और आरोपों को हम तिरस्कार के लिए उनकी योग्यता के अनुसार खंडन करते हैं।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का प्रयोग

113. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.टी., पैराक्वैट, लिण्डेन्स और अन्य कीटनाशकों का फसल को नुकसान पहंचाने वाले कीटों पर अब कोई असर नहीं होता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण को किस प्रकार से खतरा पहुंचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत में अब 31 नाशीजीव प्रजातियों में प्रतिरोधिता का पता चला है जिनमें से 19 नाशीजीव चिकित्सा एव पशु-चिकित्सा सम्बंधी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सात नाशीजीव भंडारित जिन्सों के हैं तथा पांच नाशीजीव खेत में होने वाली फसलों से संबंधित हैं। सभी नाशिकीटमारों (पेस्टीसाइड) के प्रमुख समूहों, जिनमें डी.डी.टी., बी.एच.सी. लिन्डेन और इन्छोसल्फान, जैसे आर्गेनोक्लोराइंस मैलाथियॉन, डाइक्लोरॉज और क्विनालफास जैसे आर्गेनो फास्फेट और साइपरमेथीन और डेल्टामेथ्रीन जैसे सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स शामिल हैं, के प्रति कीटनाशी प्रतिरोधिता की सूचना है।

(ग) रासायनिक नाशीकीटमारकों के अविवेकपूर्ण और अनुपयुक्त प्रयोग से अनेक पर्यावरण संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो इस प्रकार है :

i. प्रयोगकर्त्ता पर विषाक्तता का सीधा असर होना;

ii. नाशीकीटमारकों के प्रतिरोधी नाशीजीवों की प्रजातियों का विकास होना;

iii. अलक्षित जीवों का विनाश जैसे नाशीजीवों के परजीवी और शिकारी कीट, मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ता, मछलियां, पक्षी और अन्य वन्य जीव;

iv. प्राकृतिक शत्रुओं की अनुपस्थिति में नाशीजीवियों का पुनरूत्थान जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में असाधारण रूप से वृद्धि होना;

v. गौण नाशीजीवों की उत्पत्ति होना जिन पर उनके प्राकृतिक शत्रुओं का नियंत्रण अब नहीं रह गया है;

vi. फसलों, पौधों, मनुष्य, घरेलू जानवरों, वन्य जीवों और पर्यावरण पर हानिकारक अपशिष्टों का जमाव होना।

एन.सी.ई.एस. संबंधी कार्यदल

114. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपयोज्य ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने और विभागीय स्तर पर उक्त कार्यक्रम का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर किसी कार्यदल के गठन पर विचार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यदल का गठन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कार्यदल द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते। तथापि अपारंपरिक ऊर्जा

स्रोत मंत्रालय विकास कार्यक्रमों विशेषकर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

भू-स्खलन

115. श्री भीम वाघाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर होने वाले भू-स्खलनों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को भू-स्खलनों से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो समय पर सुरक्षोपाय न अपनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 1991 के दौरान हुए भू-स्खलन की घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सतलुज-व्यास घाटी, हिमाचल प्रदेश, कुमायुं हिमालय, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल-हिमालय, उत्तर प्रदेश पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र और दक्षिण सिक्किम में कुछ परीक्षण स्थलों का चयन किया गया है। भू-स्खलन विप्लव क्षेत्र के मानचित्र की तैयारी से संबंधित कई अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। नियंत्रणकारी उपायों और ''मास मूवमेण्ट माडल्स'' के विकास पर कुछ सीमित अध्ययन भी किए गए हैं। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की, केन्द्रीय रोड़ अनुसंधान संस्थान दिल्ली, आई.आई.टी., मुम्बई, आई.आई.टी., कानपुर, डिफेन्स तराइन रिसर्च लैबोरेटरी दिल्ली और वाडिया इंस्टीट्यूट का हिमालयन जियोलोजी देहरादून जैसे कुछ अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इन अध्ययनों में संलग्न हैं।

[अनुवाद]

समयोपरि भत्ता मानदेय

116. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता समाप्त किए जाने के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके समयोपरि भत्तों और मानदेय की दर में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो समयोपरि भत्ते और मानदेय की नई दरें कब से लागू किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) समयोपरि भत्ते के भुगतान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय, समयोपरि भत्ते की पात्रता को अपेक्षाकृत अधिक सीमित करने और इसे सरकारी कार्य के हितों के अनुरूप बनाए जाने के प्रयोजन से इस भत्ते के भुगतान संबंधी मामले की समीक्षा किए जाने की शर्त पर किया गया है। तद्नुसार, इस बारे में अगले आदेश होने तक, संबंधित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान, मौजूदा आदेशों में, यथा-निर्धारित संशोधन पूर्व वेतन/वेतन-श्रेणियों में अनुमत्य, सैद्धान्तिक वेतन के आधार पर मौजूदा आदेशों के अनुसार किया जाना जारी रखा गया है। जहां तक मानदेय की दरों का संबंध है, मूल नियम 46 (ख) के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों को अधिकतम 5000/- रुपये प्रति वर्ष तक मानदेय स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और सामान्यतः, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा कुछ विशेष कर्त्तव्यों का निर्वाह करने वाले/विशेष कार्यों का निष्पादन करने वाले कुछ विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानदेय के भुगतान की कोई दरें निर्धारित नहीं की जाती। मानदेय की ऐसी दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। तथापि, इस समय मानदेय की दरों में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

दुग्ध की मांग और आपूर्ति

118. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान दुग्ध की मांग और आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा दुग्ध की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना की दुग्ध दर में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दूध की आवश्यकता और उत्पादन के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की योजनाओं के अलावा भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा टोण्ड दूध का बिक्री मूल्य अंतिम बार 1.9.1992 को बढ़ाया गया था। तब से दिल्ली दुग्ध योजना के टोण्ड दूध के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, हालांकि दूध की अधिप्राप्ति की लागत सहित उत्पादन लागत में निरन्तर वृद्धि होती रही है। इस मामले में विचार करने के लिए उत्पादन लागत के संबंध में एक गहन अध्ययन किया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश		दुग्ध आवश्यकता (000 मी.टन)				दुग्ध उत्पादन (000 मी.टन)			
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	93-94	94-95	95-96 अनंतिम	96-97 अनंतिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5592	5687	5782	5876	3766	4221	4261	4470
2.	अरूणाचल प्रदेश	74	76	78	78	21	22	23	44
3.	असम	1905	1946	1966	2026	676	698	855	740
4.	बिहार	7343	7502	7660	7817	3215	3250	3315	3399
5.	गोवा	99	101	103	105	33	36	37	39
6.	गुजरात	3476	3537	3598	3660	3935	4459	4608	4831
7.	हरियाणा	1400	1429	1458	1487	3850	4062	4100	4162
8.	हिमाचल प्रदेश	436	444	453	462	654	663	676	698
9.	जम्मू एवं कश्मीर	657	672	687	701	780	841	862	900
10.	कर्नाटक	3761	3817	3672	3927	2736	3003	3184	3460
11.	केरल	2425	2457	2490	2524	2001	2118	2246	2269
12.	मध्य प्रदेश	5601	5711	5820	5928	4975	5048	5125	5224
13.	महाराष्ट्र	6668	6799	6931	7063	4250	4812	4991	5127
14.	मणिपुर	157	160	164	168	84	64	60	61
15.	मेघालय	151	155	158	162	53	54	55	57
16.	मिजोरम	60	62	64	66	9	9	9	9
17.	नागालैंड	105	109	112	116	45	43	45	44
18.	उड़ीसा	2667	2715	2764	2812	565	584	625	650
19.	पंजाब	1693	1716	1741	1767	5970	6215	6424	6755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	3736	3813	3890	3964	4958	5103	5200	5350
21.	सिक्किम	35	37	38	39	30	32	33	34
22.	तमिलनाडु	4603	4648	4691	4735	3524	3695	3791	3977
23.	त्रिपुरा	235	240	246	252	35	38	39	40
24.	उत्तर प्रदेश	11699	11903	12105	12305	10991	11321	11878	12388
25.	पश्चिम बंगाल	5715	5812	5907	5999	3095	3250	3341	3387
संघ शासित प्रदेश									
26.	अंडमान निकोबार	25	26	27	27	25	25	25	21
27.	चंडीगढ़	58	60	63	66	38	39	41	42
28.	दादर नागर हवेली	12	12	13	13	7	8	5	4
29.	दमन एवं दियू	9	9	9	9	1	1	1	1
30.	दिल्ली	828	858	888	919	252	257	261	264
31.	लक्षद्वीप	4	4	5	5	1	1	1	1
32.	पांडिचेरी	68	70	71	72	32	33	33	37
	योग	71295	72587	73874	75152	60607	63805	66150	68485

टिप्पणी :- दूध की आवश्यकता, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पौषणिक मानदंडों की सिफारिशों पर आधारित है।

[अनुवाद]

नकली उर्वरक की बिक्री

119. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में नकली और घटिया सूक्ष्म पोषक उर्वरक की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार और विशेषकर बिहार का ब्यौरा क्या है;

(ग) नकली उर्वरक के व्यापार में संलिप्त पाई गई कंपनियों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मिलावटी सूक्ष्मपोषक उर्वरकों की बिक्री से संबंधित कोई विशिष्ट रिपोर्ट भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। लेकिन, केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान तथा इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार से सूक्ष्मपोषक उर्वरकों के नमूने लेकर उनका विश्लेषण किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी गुणवत्ता की जांच के लिये नमूने लेती हैं। 13 राज्यों से प्राप्त कुल 1860 नमूनों के विश्लेषण में से 190 नमूने गैर-मानक पाए गए और इससे गैर-मानक नमूनों की प्रतिशतता 9.8 बैठती है। बिहार के मामले में 23 विश्लेषित नमूनों में से 19 नमूने गैर-मानक पाये गये। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) 16 सूक्ष्म पोषक विनिर्माताओं के नमूने गैर-मानक पाए गए। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) संबंधित विनिर्माताओं/वितरकों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्यों को विश्लेषण रिपोर्टें भेज दी गई हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत राज्य सरकारों

को उर्वरकों के विनिर्माण/आयात/वितरण/बिक्री में अनियमितताएं बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विनिमिति किए जा रहे तथा किसानों को बेचे जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता की नियमित जांच करें।

विवरण-I

केन्द्रीय दल तथा लिये गये सूक्ष्मपोषक उर्वरकों के नमूने, विश्लेषण हेतु राज्यों से प्राप्त नमूने तथा 1997-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विश्लेषित नमूने

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लिये गये/ विश्लेषित नमूने	गैर-मानक पाये गये
1.	मध्य प्रदेश	8	1
2.	महाराष्ट्र	50	4
3.	राजस्थान	2	1
4.	हरियाणा	168	22
5.	पंजाब	484	22
6.	उत्तर प्रदेश	405	73
7.	आंध्र प्रदेश	601	22
8.	कर्नाटक	16	0
9.	केरल	2	1
10.	तमिलनाडु	77	11
11.	बिहार	23	19
12.	गुजरात	13	5
13.	पश्चिम बंगाल	11	9
		1860	190

विवरण-II

उन कम्पनियों के नाम जिनके नमूने गैर-मानक पाये गये

क्र. सं.	राज्य का नाम	कम्पनी का नाम
1	2	3
1. उत्तर प्रदेश	(i)	दयाल फर्टीलाइजर, मेरठ।
2. महाराष्ट्र	(i)	भारत एग्रो सर्विसज, कोल्हापुर।
	(ii)	साईनाथ एग्रोवेट इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद।
3. पश्चिम बंगाल	(i)	सुपर एग्रो इंडस्ट्रीज, कलकत्ता (2 नमूने)
	(ii)	पायनियर एग्रो इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
	(iii)	एग्रो गेविड लेब, कलकत्ता।
	(iv)	सेल्सिस इंडिया लिमिटेड, बंगलौर।
	(v)	न्यूव इंडस्ट्रियल केमिकल कन्सरन, सोरनपुर।
	(vi)	कर्नाटक एग्रो केमिकल्स, बंगलौर। (2 नमूने)
	(vii)	केमि प्लस इंडिया, कलियानी।
4. बिहार	(i)	एग्रोटेक इंडिया, नई दिल्ली।
	(ii)	एराइस एग्रोवेट इंडस्ट्रीज, मुम्बई।
5. गुजरात	(i)	एराइस एग्रोवेट इंडस्ट्रीज, मुम्बई।
	(ii)	ओसन एग्री इंडस्ट्रीज, नव्सारी (2 नमूने)।
	(iii)	सिंधी एग्रो केमिकल, कलोल।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के स्रोत

121. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने हेतु एक दीर्घकालिक व्यापक योजना तैयार करने का है;

(ख) क्या यह योजना तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस दीर्घकालिक योजनावधि के दौरान निवेश की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के स्रोतों से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की वृद्धि की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कार्यदल के नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया था। मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण में भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) इस कार्यदल ने नौवीं योजना के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 3000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की थी। इन कार्यक्रमों के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की सिफारिश की गई थी। निधियों की शेष धनराशि को, वाणिज्यिक परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से जुटाए जाने की आशा थी।

इस मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण में यह भी विचार किया गया था कि देश में वर्ष 2012 तक कुल संस्थापित क्षमता की 10 प्रतिशत तक की ग्रिड क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बढ़ाई जाए।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

122. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के टोंक तथा जयपुर जिलों में कितने किसानों को ओलावृष्टि के कारण हानि हुई है तथा इस ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि वितरित की गई तथा कितने किसानों को यह धनराशि अभी दी जानी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान के सभी किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से हाल ही में टोंक तथा जयपुर जिलों में ओले पड़ने और इससे किसानों को हुए नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही राज्य के सभी किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाने के बारे में भी कोई विशिष्ट प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में समुद्र से भूक्षरण

124. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में बढ़ते हुए समुद्री भूक्षरण से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में इस समय समुद्री भूक्षरण से प्रभावित गांवों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्री भूक्षरण को रोकने तथा प्रभावित गांवों को फिर से बसाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। उड़ीसा राज्य अपनी तट-रेखा के साथ कुछ पहुंचों में कटाव का सामना कर रहा है।

(ख) उड़ीसा में 18 स्थान की समुद्री कटाव से असुरक्षित होने की सूचना मिली है। ये क्षेत्र गंजाम, पुरी, केन्द्र पारा और बालासौर जिलों में हैं।

(ग) प्रभावित गांवों का पुनर्वास करने सहित समुद्री कटाव को रोकने के उपायों की आयोजना करने और उनके कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्रीय सरकार ने तटीय राज्यों को समुद्र कटावरोधी उपायों सहित तटीय समस्याओं के प्रभावी और मितव्ययी समाधान के लिए सलाह देने के वास्ते तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकारी समिति गठित की है। इस समिति द्वारा किए गये निर्णय के अनुसार, केन्द्र सरकार ने सभी तटीय राज्यों को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। उड़ीसा सरकार से उपरिलिखित जिलों की असुरक्षित पहुंचों में समुद्री दीवारों का निर्माण करने के लिए हाल में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

125. श्री टी. गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिकतम पूंजीगत ब्याज राज सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार हिमाचल के सभी पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी/पूर्वी घाट के क्षेत्रों को यह रियायत देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जम्मू एवं कश्मीर के हिमालयी व उप-हिमालयी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम; उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 3 मेगावाट तक के केन्द्र क्षमता वाली लघु पन विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 1.12 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक की पूंजीगत ब्याज

आर्थिक राज सहायता की पेशकश कर रहा है। पश्चिमी/पूर्वी घाटों सहित देश के अन्य क्षेत्रों में लघु पन विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 38.3 लाख रुपये तक की पूंजीगत व्याज आर्थिक राज सहायता की पेशकश की गई है।

हिमालयी तथा उप-हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लघु पन विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा आर्थिक राज सहायता इस क्षेत्र के कठिन भू-भाग तथा भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि इनके कारण उनकी एस.एच. पी. परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी होती है।

तम्बाकू और कपास उत्पादक

126. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में तम्बाकू और कपास उत्पादकों की दुर्दशा के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत कराया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री से तत्काल दखल देने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा तम्बाकू और कपास उत्पादकों की मांगों को पूरा करने हेतु राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने की सहमति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मत्स्य पालन संवर्द्धन

127. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में खारा पानी मत्स्यन की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) तटवर्ती उड़ीसा में झींगा पालन के लिए लगभग 34013 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से लगभग 13530 हैक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन हो रहा है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	उपलब्ध कराई गई सहायता (लाख रुपए में)
1995-96	42.65
1996-97	25.05
1997-98	3.07

अंतर-राज्यीय जल-विवाद

128. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं अंतर-राज्यीय जल-विवाद के अंतर्गत हैं;

(ख) इन विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विवादों के निपटाए जाने के बाद इन परियोजनाओं को लागू करने में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उड़ीसा की अंतर्राज्यीय जल विवाद वाली कोई भी सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

नारियल का लाभकारी मूल्य

129. प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरी और नारियल तेल के आयात के कारण नारियल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं

संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के आधार पर की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत शामिल हो और किसानों को कृषि में निवेश तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु लाभ की गुंजाइश की हो। 1997 मौसम के लिये खोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2925 रुपये प्रति क्विंटल तथा मिलिंग खोपरे के लिये 2700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

1997 में खोपरे के थोक मूल्य केरल में कोचिन मंडी में 2960 रुपये, 4215 रुपये प्रति क्विंटल एवं कोचिक्कोड मंडी में 3300-4700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इससे मालूम होता है कि केरल में 1997 में खोपरे का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहा।

नारियल तेल का आयात सरणीकृत है। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान नारियल तेल का आयात खाद्य तेलों के कुल आयात का क्रमशः 0.37% तथा 0.42% था। चूंकि खोपरे का आयात नगण्य है, अतः मूल्यों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा होगा।

नारियल का प्रसंस्करण

130. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल के विविधीकरण और प्रसंस्करण जिसकी लागत 43.20 रुपये है, की सहायता के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना पर कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को नारियल के प्रसंस्करण हेतु केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे कृषि मंत्रालय को केरल सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने केरल सरकर को परामर्श दिया था कि वह एक संशोधित प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करें। संशोधित प्रस्ताव ''केराफेड'' द्वारा तैयार किया जा रहा है।

शांति और मैत्री

131. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने 1950 की शांति और मैत्री संधि में संशोधन हेतु कोई विशेष प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूध उत्पादन

132. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आने वाले डेयरी फार्मों का दूध का वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के डेयरी फार्मों में दूध उत्पादन में कमी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई/योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के अंतर्गत डेयरी फार्मों का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार से था :

दुग्ध उत्पादन

वर्ष	सम्पूर्ण भारत (000 मीटरी टन)	एन.डी.आर.आई. करनाल (मीटरी टन)
1995-96	66150 (अनन्तिम)	1429
1996-97	68485 (" ")	1484
1997-98	70852 (" ")	1479

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में दुग्ध उत्पादन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई थी जबकि 1997-98 में इसमें मामूली गिरावट आई है।

(ग) दुग्ध उत्पादन में मामूली उतार-चढ़ाव का कारण मौसम की परिस्थिति हो सकती है विशेषकर कड़ी सर्दी, लम्बा बादलों वाला मौसम और 1997-98 की सर्दियों में निरन्तर वर्षा। देश में

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार और संतति परीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम, राज्यों में आहार और चारा विकास के लिए सहायता, राज्यों को पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता और गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाओं जैसे विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

आतंकवादी गुट

133. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में पाकिस्तान पर पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाने वाले हरकत-उल-अंसार सहित अनेक आंतकवादी संगठनों, जो कश्मीर में सक्रिय हैं, को समर्थन देने का आरोप लगाया था;

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्वव्यापी आतंकवाद की पद्धति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में गृह युद्ध में रत अनेक गुट भी अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण शिविर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इन आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अमरीकी राज्य विभाग ने अमरीकी कानून के अन्तर्गत पाकिस्तान आधारित संगठन हरकत उल अंसार को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

(ख) आतंकवाद संबंधी अमरीकी राज्य विभाग की रिपोर्ट सार्वभौमिक आंतकवाद की प्रतिकृति 1996 में उपलब्ध साक्ष्यों तथा आंतकवाद के संज्ञान के बावजूद पाकिस्तान की सरकार यह कहती रही है कि हरकत-उल-अंसार उसके क्षेत्र से कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है तथा देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

134. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें काम बन्द कर दिया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कोणार सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों में से किया जाता है। बिहार की चल रही सिंचाई परियोजनाओं का विवरण-I में संलग्न है जिसमें उनकी अनुमानित लागत, मार्च 92 तक व्यय, आठवीं योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय और आठवीं योजना के अंत तक कुल प्रत्याशित व्यय बताया गया है। केन्द्रीय सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार को वर्ष 1996-97 में तीन परियोजनाओं के लिए 13.5 करोड़ रुपये, वर्ष 1997-98 में दस परियोजनाओं के लिए 14.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की थी।

(घ) कोंनार सिंचाई परियोजना की अद्यतन लागत 312.49 करोड़ रुपये है। जिसमें से राज्य सरकार द्वारा मार्च 1997 तक लगभग 89.48 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु0)	मार्च 1992 तक (व्यय) करोड़ (रु0 में)	आठवीं योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय (करोड़ रु. में)	आठवीं योजना तक/ का कुल प्रत्याशित व्यय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
वृहद					
1.	अजॉय बैराज	199.24	67.53	18.87	86.40
2.	सुवर्णरेखा	2367.13	561.19	125.00	686.19
3.	औरंगा	699.36	14.71	6.53	21.24
4.	बरनार	226.24	29.08	9.19	38.27

1	2	3	4	5	6
5.	बटेश्वरनाथ पम्प फेज-1	175.85	17.92	5.76	23.68
6.	बैगमैन	154.73	35.76	0.74	36.50
7.	बाणसागर	118.09	35.76	0.00	35.76
8.	दुर्गावती	266.97	54.96	17.26	72.22
9.	गण्डक फेज-II	578.27	42.09	37.23	79.32
10.	कोणार	312.49	72.61	16.87	89.48
11.	कोसी पूर्व नहर फैज-II	156.32	25.77	49.33	75.10
12.	उत्तर कोयल	572.71	346.08	73.15	419.23
13.	पुनासी	219.05	33.61	8.55	42.16
14.	तिल्लैया	278.12	11.80	12.36	24.16
15.	कोसी नहर पश्चिमी	693.88	199.13	58.21	257.34
	कुल	7027.47	1548.00	439.05	1987.05
मध्यम					
1.	बताने	39.95	28.08	2.10	30.18
2.	बिलीसी	18.53	7.66	3.99	11.65
3.	भैरवा	40.90	10.08	4.93	15.01
4.	बटेश्वरनाथ पम्प फैज-II	37.97	4.58	0.01	4.59
5.	बासुकी	27.04	0.16	0.00	0.16
6.	धनसिंह तोली	23.51	11.17	3.36	14.53
7.	ढकारनाला पम्प फैज-I	70.58	44.13	9.73	53.86
8.	ढकारनाला पम्प फैज-II	11.48	5.43	0.00	5.43
9.	गुमानी	69.82	23.98	3.96	27.94
10.	झारडारा	39.42	1.96	0.00	1.96
11.	काटरी	39.46	19.04	3.98	23.02
12.	कानसजोरे	36.90	19.13	3.11	22.24
13.	कन्स	43.06	9.42	6.43	15.85
14.	केसो	19.75	4.49	2.01	6.50
15.	लतरातू	45.10	36.28	3.21	39.49
16.	मलिया	19.98	1.54	1.48	3.02

1	2	3	4	5	6
17.	नाटकी	32.43	11.95	1.55	13.50
18.	ओरनी	48.31	27.34	5.60	32.94
19.	पॉच सेरा	24.82	4.44	1.59	6.03
20.	राम रेखा	29.09	3.46	1.40	4.86
21.	सकरीगली	11.07	7.21	2.07	9.28
22.	सुरंगी	26.50	10.07	2.29	12.36
23.	सोनुआ	59.05	21.30	2.72	24.10
24.	सिन्धवरनी	34.10	5.96	4.45	10.41
25.	सुरू	21.42	3.53	2.65	6.18
26.	सलिया	22.71	0.11	0.00	0.11
27.	सातपोतका	26.71	0.15	0.00	0.15
28.	तोरई	56.45	17.25	2.42	19.67
29.	अपर शैंक	38.26	10.97	1.57	2.54
	कुल	1013.37	350.95	76.61	427.56

विस्तार नवीकरण

आधुनिकीकरण स्कीमें

1.	कदवान और जमानिया सहित सोन आधुनिकीकरण	304.07	34.41	51.16	85.57
	कुल	304.07	34.41	51.16	85.57

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटित धनराशि

135. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेय जल के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) इन शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग आंवटित धनराशि का कितना प्रतिशत व्यय हुआ; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र को, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 16.1.1997 को हुई इसकी बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था; योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में तैयार किए गए प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002 को, योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 1 मार्च, 1998 को जारी किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नौवीं योजना पर अभी विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे शासन हेतु राष्ट्रीय कार्यसूची में यथाघोषित बदली हुई प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान आवंटित/व्यय की गई राशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्रक	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	कालम 1 की तुलना में कालम 2 का प्रतिशत
1.	शिक्षा - केन्द्र	7443.00	8523.64	114.51
	राज्य/सं0 रा0 क्षेत्र	12156.73	13710.10*	112.77
	जोड़	19599.73	22233.74	113.43
2.	स्वास्थ्य - केन्द्र	1800.00	2758.95	153.28
	राज्य/सं0 रा0 क्षेत्र	5782.20	5941.02	102.75
	जोड़	7582.20	8699.97	114.74
3.	पेयजल - केन्द्र	5213**	4328**	83.02
	राज्य/सं0 रा0 क्षेत्र	10743@	11079	103.13
	जोड़	15956	15407	96.56

* सम्भावित व्यय दर्शाता है क्योंकि राज्यों के लिए वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है।

** एचयूडीसीओ के आईईबीआर को छोड़कर

@ सफाई सहित (8-10 प्रतिशत)

[अनुवाद]

असम में जलस्तर में गिरावट

136. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के अधिकांश जिलों में भूजल के स्तर में चार मीटर की गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या उपरावात्मक उपाए किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए भू-जल स्तर के दीर्घ-कालीन प्रेक्षणों से असम के बोनगई गांव, कछार, दरंग, धीवाजी, धुवरी, गोलपाड़ा, गोलाघाट, डेलाकांडी, जोरहट, कामरूप, कबरी, अगलांग, करीमगंज, मोरेगांव, नलबारी, सोनितपुर, तिनसुकिया और सिवासागर में स्थानीय पॉकेटों में भूजल के स्तर में 4 मीटर की गिरावट का पता चला है।

(ग) भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :

(i) भू-जल प्रबन्ध और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण का गठन।

(ii) असम सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान बना सकें।

(iii) असम सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भू-जल स्तरों के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय एजेंडा

137. श्री के.सी. कोंडप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उसके राष्ट्रीय एजेंडा में सूचीबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किसी कार्य योजना को तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में सूचीबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्य योजनाएं शुरू की जा रही हैं :

(क) खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करना और 10 वर्षों में भारत को भुखमरी से मुक्त करना।

(ख) सामाजिक आधार संरचना का विस्तार और सुधार - पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और सफाई - 5 वर्षों के भीतर देश में प्रत्येक बस्ती के लिए पेयजल का प्रावधान।

(ग) भौतिक आधार : संरचना का तेजी से विस्तार और सुधार - विद्युत, तेल, पेट्रोलियम और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, सड़कें, परिवहन, पत्तन, विमानपत्तन, संचार और वित्तीय सेवाएं।

(घ) एक राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा ताकि पानी बिल्कुल बर्बाद न हो और हमारे जल संसाधनों को साफ किया जा सके।

(ङ) 10 वर्षों के भीतर भारत को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति और साफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बनाना।

सब्जियों का उत्पादन

138. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार सब्जियों और बागान-फसलों का उत्पादन कितना-कितना रहा; और

(ख) किन-किन राज्यों ने सब्जियों और बागान-फसलों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सब्जियों और बागवानी फसलों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I से IV में दिया गया है।

(ख) सुसंगत सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न राज्यों में सब्जियों और बागवानी फसलों के उत्पादन में हासिल आत्मनिर्भरता के स्तर का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान सब्जियों का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(उत्पादन मी. टन में)

क्र. सं	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	उत्पादन 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1420029	2341204	2444295
2.	अरूणाचल प्रदेश	80117	80117	80117
3.	असम	1931874	1970007	2484536
4.	बिहार	13610198	11726318	12284700
5.	दिल्ली	463897	551232	6113113
6.	गोवा		65000	65000
7.	गुजरात	1869900	1729800	2089089
8.	हरियाणा	1155000	1275000	1420000
9.	हिमाचल प्रदेश	537800	544000	569000
10.	जम्मू व कश्मीर	353706	353706	353706
11.	कर्नाटक	5035203	5668400	5705142
12.	केरल	2789555	2789555	2789555
13.	मध्य प्रदेश	2551300	2241000	2353000
14.	महाराष्ट्र	2737625	2809022	2957335
15.	मणिपुर	33000	35000	36250
16.	मेघालय	238071	199845	211452
17.	मिजोरम	45102	76648	79251
18.	नागालैण्ड	107643	87104	87147
19.	उड़ीसा	7983536	7896400	8705654
20.	पंजाब	1721379	1721379	1774102
21.	राजस्थान	363164	283357	356908
22.	सिक्किम	46911	28792	50640
23.	तमिलनाडु	4389043	4397932	4397932
24.	त्रिपुरा	320850	320850	358480
25.	उत्तर प्रदेश (पर्वतीय)	717850	774408	790530
	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	8359928	11911660	13082540
26.	पश्चिम बंगाल	4858500	5340000	5391000
27.	अण्डमान व निकोबार	18872	16380	15850
28.	चण्डीगढ़	8720	-	-
29.	दादरा व नगर हवेली	13565	13565	13500
30.	दमन व दीव	869	1029	1029
31.	लक्षद्वीप	127	132	138
32.	पांडिचेरी	23379	32075	33573
		65786713	67265917	71591564

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान हुए काजू के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(उत्पादन मी. टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
केरल	1,40,200	1,19,200	1,40,000
कर्नाटक	31,540	28,400	37,600
गोवा	15,210	10,960	17,800
महाराष्ट्र	46,660	24,960	69,000
तमिलनाडु	19,200	22,000	30,930
आंध्र प्रदेश	46,570	58,700	71,700
उड़ीसा	43,420	37,200	43,000
पश्चिम बंगाल	3,990	3,280	8,960
अन्य	380	300	840
योग	3,48,150	3,21,640	4,17,830

विवरण-III

नारियल 1995-96 का अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्पादन (मिलियन गिरी) 1993-94 (संशोधित)	उत्पादन (मिलियन गिरी) 1994-95 संशोधित	1995-96
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1103.5	1181.4	1231.4
असम	116.5	117.6	126.2
गोवा	116.0	118.0	119.0
कर्नाटक	1308.0	1364.1	1406.5
केरल	5197.0	5335.1	5905.7
महाराष्ट्र	148.5	178.6	169.1
उड़ीसा	219.5	234.5	234.5
तमिलनाडु	3311.4	4345.7	4345.7
त्रिपुरा	4.7	4.7	4.7
पश्चिम बंगाल	310.3	274.4	279.4
अण्डमान व निकोबार	85.3	85.4	85.4
लक्षद्वीप	26.3	26.0	26.5
पाण्डिचेरी	27.7	34.1	33.8
अखिल भारत	11974.7	13299.6	13967.9

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के दौरान हुए सुपाड़ी के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(उत्पादन हजार टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आंध्र प्रदेश	0.1	0.1	0.1
असम	54.4	57.1	57.8
गोवा	1.5	1.5	1.7
कर्नाटक	101.1	105.8	113.4
केरल	79.5	90.5	91.2
महाराष्ट्र	3.6	3.7	3.8
मेघालय	9.4	10.2	11.1
मिजोरम	0.1	0.1	0.1
तमिलनाडु	4.3	3.1	3.1
त्रिपुरा	2.5	2.5	2.5
पश्चिम बंगाल	9.5	9.9	9.8
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4.9	5.0	5.0
पाण्डिचेरी	0.2	0.2	0.2
योग :	271.1	289.7	299.8

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हेतु आवंटन

139. श्री एस.एस. ओबेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा (स्रोतों) हेतु राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान इस क्षेत्र को कम आवंटन किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी इससे बहुत कम लाभ हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ रही है और भारतीय ऊर्जा नवीकरण विकास एजेंसी की भूमिका कम हो रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस क्षेत्र में वांछित परिणाम हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/स्थापित प्रणालियों/किए गए आवंटन/जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 के 246 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान 333 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) योजना/परियोजनाओं के परिणाम जारी की गई निधियों के अनुरूप रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था मुख्यतः निजी क्षेत्र को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) दोनों की भूमिका में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्थापित प्रणालियों/किए गए आवंटन/जारी की गई धनराशि के राज्यवार विवरण

		बायोगैस		*सीवीपी/एनवीपी/आईवीपी		उन्नत चूल्हा बायोमास गैसीफायर			
		संस्थापित (सं)	जारी निधि लाख रु० में	संस्थापित (सं)	जारी निधि लाख रु० में	संस्थापित (सं)	जारी निधि लाख रु० में	संस्थापित/स्वीकृत (सं)	जारी निधि लाख रु० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	48000	1540.46	7	0.63	749304	368.50	105	211.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	160	68.38	–	–	2578	2.50	–	–
3.	असम	3400	75.17	3	3.16	21803	48.31	1	2.30
4.	बिहार	1250	14.00	1	2.37	38030	–	–	0.05
5.	गोवा	270	7.53	–	–	24504	16.20	–	–
6.	गुजरात	51000	1157.71	15	32.20	232581	62.38	11	5.08
7.	हरियाणा	52000	173.00	13	–	77244	70.03	–	26.55
8.	हिमाचल प्रदेश	3600	194.00	2	–	107785	65.83	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	300	2.95	–	–	65000	8282	–	–
10.	कर्नाटक	57500	1237.79	17	4.98	245626	92.85	10	61.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	केरल	4200	73.93	10	2.96	201177	139.07	-	1.45
12.	मध्य प्रदेश	54000	1263.00	22	41.40	846750	400.56	23	27.11
13.	महाराष्ट्र	32500	1473.80	74	82.61	511207	267.16	6	-
14.	मणिपुर	550	22.15	-	-	13235	25.23	-	0.60
15.	मेघालय	275	5.53	-	-	500	10.57	-	2.20
16.	मिजोरम	420	27.60	-	-	8950	7.50	-	-
17.	नागालैंड	700	26.80	-	9.62	2607	9.00	-	-
18.	उड़ीसा	29500	714.00	3	-	516293	294.78	-	-
19.	पंजाब	14000	294.00	70	238.10	196000	105.88	-	-
20.	राजस्थान	3000	192.00	3	1.27	492661	197.99	-	-
21.	सिक्किम	600	34.15	3	-	15439	12.66	-	-
22.	तमिलनाडु	15000	317.40	38	167.99	637602	326.31	13	3.45
23.	त्रिपुरा	200	10.06	-	-	18996	21.50	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	33000	685.00	130	299.18	755871	352.02	-	-
25.	प0 बंगाल	25000	650.00	17	6.62	540864	386.07	6	57.85
26.	अंडमान व निकोबार	20	-	-	-	5749	-	-	-
27.	चंडीगढ़	30	-	-	-	2550	1.33	-	-
28.	दादर व नागर हवेली	16	-	-	-	3199	-	-	-
29.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	24	113.60	15	-	23739	25.29	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	896	-	-	-
32.	पांडिचेरी	20	-	-	-	10385	2.35	-	-
33.	अन्य	-	-	-	-	2489982	1298.35	-	257.62

*सीबीपी - सामुदायिक बायोगैस संयंत्र

एनबीपी - विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

आईबीपी - संस्थागत बायोगैस संयंत्र

विवरण-II

सी 40 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/संस्थापित प्रणालियों/किए गए आवंटनों/जारी की गई निधियों के राज्यवार विवरण।

		आईआरईपी* संस्थापित (सं)	जारी निधि लाख रु में	एसएडीपी* संस्थापित (सं)	जारी निधि लाख रु में	सौर कुकर संस्थापित (सं)	जारी निधि** लाख रु में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	32	49.11	10	16.17	3491	8.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	7.44	4	0.60	198	-
3.	असम	21	39.91	3	1.33	-	-
4.	बिहार	56	58.50	9	1.35	-	-
5.	गोवा	5	13.90	1	0.15	527	0.50
6.	गुजरात	25	36.00	3	6.60	7810	17.06
7.	हरियाणा	38	91.60	5	10.10	2878	-
8.	हिमाचल प्रदेश	45	150.93	3	2.48	3664	4.00
9.	जम्मू व कश्मीर	28	42.00	-	-	259	-
10.	कर्नाटक	42	129.20	9	15.48	250	0.40
11.	केरल	44	125.87	11	23.56	6	-
12.	मध्यप्रदेश	85	242.87	9	15.87	40196	23.98
13.	महाराष्ट्र	37	140.90	10	16.50	6053	9.97
14.	मणिपुर	19	50.96	7	1.05	165	-
15.	मेघालय	16	121.29	-	-	200	1.15
16.	मिजोरम	11	28.71	3	1.10	-	-
17.	नागालैण्ड	25	20.98	-	-	-	0.29
18.	उड़ीसा	45	67.48	4	5.56	756	4.95
19.	पंजाब	40	135.97	11	16.40	6231	5.51
20.	राजस्थान	36	64.59	3	8.31	2292	-
21.	सिक्किम	4	10.74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	21	52.50	7	5.48	8	0.56
23.	त्रिपुरा	6	5.23	3	2.90	35	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	115	471.54	3	10.78	7780	10.50
25.	पश्चिम बंगाल	34	63.29	3	5.18	2022	6.48
26.	अंडमान व निकोबार	5	10.08	3	0.39	–	–
27.	चंडीगढ़	1	8.57	2	0.30	165	2.58
28.	दादर व नागर हवेली	1	1.44	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	1	1.44	–	–	–	0.50
30.	दिल्ली	5	72.36	8	5.38	446	–
31.	लक्षद्वीप	1	2.39	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	6	18.60	2	0.30	74–	
33.	अन्य	–	–	–	–	–	–

* आईआरईपी – एकीकृत ग्राम उर्जा कार्यक्रम, एसएडीपी--विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम।

** सौर कुकर कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियां, उसके संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए हैं।

विवरण-III

सी 40 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/संस्थापित प्रणालियों/किए गए आबंटनों/जारी की गई निधियों के राज्यवार विवरण

		लघु जल विद्युत		पवन विद्युत*		बायोमास विद्युत/ सहउत्पादन		सौर तापीय/ एसपीवी विद्युत परियोजना	
		स्वीकृत जारी निधि		जारी निधि	संस्थापित	जारी निधि		संस्थापित	जारी निधि
		(चालू)x(सं0)		लाख रु में	(सं0)	लाख रु में		(संxकिवा0)	लाख रु0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	आंध्र प्रदेश	8	–	96.93	18	8.95	–	–	
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	1464.00	–	6	1.75	–	–	
3.	असम	–	–	4.00	–	–	–	–	
4.	बिहार	3	155.45	–	–	–	–	–	
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	
6.	गुजरात	–	–	120.65	18	108.35	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1	-	1.00	4	2.00	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	6	357.20	2.88	-	-	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	1.50	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	-	-	144.68	5	8.36	1X100	50.00
11.	केरल	-	-	123.16	3	0.20	1X25	9.00
12.	मध्य प्रदेश	6	-	8.88	13	280.00	1X100,1X25	63.50
13.	महाराष्ट्र	1	34,00	365.24	12	10.70	-	-
14.	मणिपुर	2	61.00	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	2	25.65	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	4	2058.50	-	-	-	-	-
17.	नागालैंड	2	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	8	107.80	-	3	0.03	1X50	19.00
19.	पंजाब	4	165.64	7.20	19	7.40	-	-
20.	राजस्थान	-	-	3.00	-	-	-	15.00
21.	सिक्किम	1	420.67	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	4	201.00	185.28	18	297.761	2X25	90.00
23.	त्रिपुरा	1	2.00	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	18	132.83	-	12	158.55	1X100,1X25	64.50
25.	पं0 बंगाल	3	134.00	6.16	6	1.25	1X25	45.00
26.	अंडमान व निकोबार	1	54.00	-	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
28.	दादर व नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
29.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	1.50	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	-	-	0.50	-	-	-	-
33.	अन्य	-	-	-	-	-	-	-

* इसमें 1995-96 से पहले स्वीकृत वायु परियोजनाएं भी शामिल हैं।

** कोई प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई।

विवरण-IV

सी 40 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/संस्थापित प्रणालियों/किए गए आबंटनों/जारी की गई निधियों के राज्यवार विवरण

		पीवीएलएस* (सं)	एसपीवी* कार्यक्रम विद्युत संयंत्र (केडब्लयूपी)	सौर प्रकाशवोल्टीय जारी निधि (लाख रु में)	जल पंपिंग** स्थापित (सं)	संस्थापित (सं)	पवन पंप जारी निधि (लाख रु में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15050	3.00	54.00	236	3	9.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	4036	–	23.90	–	–	–
3.	असम	800	4.50	31.35	25	–	–
4.	बिहार	32696	–	208.50	81	–	19.34
5.	गोवा	50	–	–	12	–	–
6.	गुजरात	9200	–	61.37	19	98	23.42
7.	हरियाणा	16734	–	186.07	20	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	17300	–	273.53	6	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	18780	83.70	304.13	12	–	–
10.	कर्नाटक	2900	–	7.13	153	21	9.11
11.	केरल	25815	–	199.41	284	70	8.17
12.	मध्य प्रदेश	4308	–	59.90	35	–	–
13.	महाराष्ट्र	2600	–	23.25	90	28	5.00
14.	मणिपुर	2534	–	9.25	12	–	–
15.	मेघालय	1600	3.00	21.50	42	–	–
16.	मिजोरम	550	–	7.84	28	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	11590	–	71.30	1	–	–
19.	पंजाब	7430	21.00	64.35	80	–	–
20.	राजस्थान	17400	–	415.51	188	150	33.97
21.	सिक्किम	50	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	9282	–	43.46	412	25	6.51
23.	त्रिपुरा	4087	–	89.24	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	56500	-	1446.40	97	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	8150	103.00	421.67	32	-	-
26.	अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	2	0.48
27.	चंडीगढ़	1175	-	3.47	7	-	-
28.	दादर व नागर हवेली	-	-	-	-	-	-
29.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	5300	-	58.23	42	-	-
31.	लक्षद्वीप	700	-	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	1500	-	2.59	-	-	-
33.	अन्य	-	-	-	-	-	-

* पीवीएलएस - प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणाली; एसपीवी-सौर प्रकाशवोल्टीय।

** सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन कार्यक्रम का कार्यान्वयन इरेडा द्वारा किया जा रहा है।

युद्धबंदी

140. श्री अमरपाल सिंह :
डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की जेलों में युद्धबंदियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा 1995 से 1997 के दौरान उन्हें छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में किन नए कदमों को उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले को पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर उठाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार समझा जाता है कि 1965 और 1971 के युद्धों में लापता 54 भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस प्रकार के भारतीय रक्षा कार्मिक उसकी हिरासत में नहीं हैं।

1995 से 1997 की अवधि के दौरान इस मामले पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री स्तर की बातचीत शामिल हैं। सरकार इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रहेगी।

(घ) पाकिस्तान में सांविधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है इसलिए हमारे आयोग का पाकिस्तानी समकक्ष नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अलसी के लिए समर्थन मूल्य

141. श्री अशोक अर्गल :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अलसी का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष अलसी के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष के दौरान अलसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आतंकवादी गिरोह

142. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि ने अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के नाम पर आंतकवादी गिरोह द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का दुरूपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय प्रतिनिधि द्वारा किस परिप्रेक्ष्य में उक्त बयान दिया गया; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत सरकार ने आंतकवादी गिरोहों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तथा अल्पसंख्यकों के प्रति भेद-भाव को रोकने तथा उन्हें सरंक्षण प्रदान करने संबंधी इसके उप-आयोग सहित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मंचों का दुरूपयोग करने के मसले को उठाया है।

(ख) अगस्त, 1997 में जब यह पता चला कि अल्फा-क्रियावादियों ने एक गैर-सरकारी संगठन के झंडे तले अल्प संख्यकों के प्रति भेदभाव को रोकने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग में भाग लेने के लिए अपने आपको पंजीकृत करा लिया था तब जेनेवा स्थित हमारे मिशन ने इस मामले को उप-आयोग के अध्यक्ष और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र हाईकमीश्नर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी जो उप आयोग और आयोग के लिए सचिवालय सेवाएं उपलब्ध कराता है के सम्मुख उठाया था। मिशन ने इस मसले को मानवाधिकार आयोग की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने पर विचार-विमर्श के दौरान भी उठाया था।

(ग) इन उपायों और अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप, जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठकों में फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए गए और उनके पहचान तथा प्रत्यापन पर कड़ी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। संबंधित गैर-सरकारी संगठन ने भी क्षमायाचना की है इसी बीच न्यूयार्क में आर्थिक और सामाजिक परिषद की गैर-सरकारी संगठन की समिति में, गैर सरकारी संगठनों द्वारा, जो आपराधिक गिराहों को अपने झण्डे का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं, इकोसोक परामर्शी स्तर के दुरूपयोग की जागरूकता के बारे में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के उत्तरदायित्व को इस संबंध में युक्तिसंगत बनाया गया है। इस संबंध में गैर सरकारी संगठन से एक विशेष रिपोर्ट भी मांगी गई है जो जेनेवा में अपने प्रत्यायन का इस प्रकार दुरूपयोग करने की अनुमति देते हैं। गैर सरकारी संगठन की समिति में गैर सरकारी संगठनों द्वारा आचार-संहिता के लिए गैर सरकारी संगठन के छत्र संगठन के साथ परामर्श करते हुए विचार-विमर्श आंरभ किया गया है। ये कदम उठाते समय हमने गैर सरकारी संगठनों के उन वैध प्रतिनिधियों के प्रति पूर्ण सम्मान को दोहराया है जिनकी मानवाधिकार निकायों तक पहुंच होती है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

143. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1997-98 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कोई दीर्घावधि नीति बनाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय ली गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इन विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं;

(घ) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र को प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार कृषि उत्पादों तथा उनके व्यापार पर लगाए गए घरेलू प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) चालू वर्ष में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 1996-97 के लिए कृषि में निवेश का प्रतिशत कुल निवेश का 9.4% बनता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मध्यम अवधि निर्यात नीति के बारे में एक पत्र निकाला गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से भारत के निर्यात कार्य निष्पादन के आधार पर रिपोर्ट में एक नीति का सुझाव दिया गया है जिसमें अभिवृद्धि क्षेत्रों, मण्डियों, निर्यात क्षेत्र विविधीकरण को शामिल किया गया है और इसके अलावा उत्पादन के आधार को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा में सुधार करने तथा देश में त्वरित निर्यात वृद्धि हासिल करने को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) कृषि उत्पादों तथा उप-उत्पादों की आवाजाही तथा घरेलू व्यापार पर सामान्यतः कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट जिंसों के सिवाय अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्रतापूर्वक आवाजाही तथा व्यापार से सभी सांविधिक प्रतिबंध हटा लिये हैं।

[अनुवाद]

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी की बिक्री

144. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचना मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी बेचने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चीन को अंतरिक्ष विशेषज्ञता के हस्तान्तरण से चीन का अग्रेय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम आगे बढ़ेगा;

(ग) क्या पाकिस्तान ने केवल चीन की ही सहायता से "गौरी" प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारत ने अमेरिकी सरकार को यह बताया है कि एक ओर तो वे भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रक्षेपास्त्र बनाने में चीन और पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने औपचारिक रूप से प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो अग्नि सहित सभी प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण और रक्षा सेनाओं में उनकी तैनाती कब तक की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने विश्वसनीय मीडिया खबरें देखी हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने चीन द्वारा छोड़ने के लिए फरवरी, 1988 में लोराल कामर्सियल उपग्रह के निर्यात का अनुमोदन कर दिया है। इस सौदे तथा इसके अनुवर्ती परिणामों से अन्तरित प्रौद्योगिकियों के संवेदनशील स्वरूप के बारे में विवाद पैदा हो गया है और अमरीका में इस मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) से (च) जी, हाँ। बाह्य सहायता से प्रक्षेपास्त्र क्षमता हासिल करने के पाकिस्तान के चालू कार्यक्रम के बारे में भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को अमरीका तथा अन्य देशों के ध्यान में लाया गया है।

भारत का एकीकृत गाईडेड मिसाइल कार्यक्रम जिसमें अग्नि भी शामिल है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार जारी है।

केरल की सिंचाई परियोजनाएं

145. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) इन सभी परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) इस समय केरल में 7 वृहद्, 5 मध्यम और 2 विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण अर्थात् नौवीं योजना के दौरान केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय और इन परियोजनाओं के पूरा होने का संभावित समय संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

क्र. सं	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत वार्षिक योजना 1997-98	चरम क्षमता	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय (नौवीं योजना)	परियोजना के पूरा होने की संभावित अवधि
1	2	3	4	5	6
	वृहद्				
1.	कन्हीरापुझा	82.00	21.85	15.00	नौवीं योजना
2.	पाझासी	100.00	16.25	33.45	नौवीं योजना
3.	कालाड़ा	457.80	92.80	30.00	नौवीं योजना
4.	मुवत्तपुझा	388.00	34.74	175.00	
5.	इदुमालायम	107.00	43.19	90.00	नौवीं योजना से आगे
6.	वियपोरापुझा (चेलियार)	645.00	108.04	-	नौवीं योजना से आगे
	मध्यम				
1.	अट्टापाड़ी	83.67	8.38	-	नौवीं योजना से आगे
2.	कारापुझा	125.00	9.30	50.00	नौवीं योजना
3.	वामनपुरम	152.50	18.01	-	नौवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6
4.	मीनाचिल	89.50	14.51	–	नौवीं योजना से आगे
5.	वाणासुरसागर	28.26	4.80	–	नौवीं योजना से आगे
विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.)					
1.	कनक्कानकड़ाऊ में पुल एंव नियंत्रक	5.43	–	4.26	नौवीं योजना से आगे
2.	चामरवट्टम में पुल एवं नियंत्रक	70.00	8.66	–	नौवीं योजना से आगे

हज तीर्थस्थल

146. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1988 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया, मुम्बई संस्करण में 'बैड मैनेजमैंट कॉज्ड हाजीज हार्डशिप्श और मैनी इंडियन हाजीज स्ट्रेन्डेड एट जेद्दाह' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित दो रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है;

(ख) हाजियों द्वारा तीर्थस्थल से मक्का तक मुख्यतः किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) इन समस्याओं में अन्य बातों के साथ-साथ परिवार के सदस्यों से विछोह, खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की समस्याएं, चिकित्सा से संबंधित कठिनाईयों सहित आवास की कठिनाइयों के साथ-साथ तकनीकी बाधाओं के कारण उनकी उड़ानों में हो रहे विलंब की वजह से जद्दाह में हज टर्मिनल पर कई दिनों तक हज यात्रियों के असहाय हो जाने की समस्या का उल्लेख किया गया है।

(ग) सरकार हमारे हज यात्रियों द्वारा उठाई जा रही परेशानी पर समुचित ध्यान देती है और उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं में निरन्तर सुधार लाने के प्रति वचनबद्ध है। हज 99 के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है ताकि हजयात्री हज के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह भी प्रस्ताव है कि हजयात्रियों की विभिन्न शिकायतों को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए सउदी अरब भेजे जाने वाले स्टाफ, स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए स्टाफ को, दिए जाने प्रशिक्षण को भी उन्नत बनाया जाएगा।

हज 99 के लिए हज यात्रियों के परिवहन संबंधी समस्याओं के संबंध में अच्छी गुणवत्ता वाले विमान पट्टे पर लेने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि बाधाओं तथा तकनीकी खराबियों से जहां तक संभव हो बचा जा सके।

आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप

147. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक विभिन्न अंतर्राज्यीय मंचों पर अथवा पाकिस्तान को देश के विभिन्न भागों में गड़बड़ी फैलाने तथा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के संबंध में अपना विरोध दर्ज किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार ने सीमा पार के आंतकवाद को पाकिस्तान का समर्थन और भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के इसके प्रयासों की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान और प्रभावकारी तरीके से खींचा है। सरकार ने सभी स्तरों पर सरकारी स्तर की बातचीत के दौरान पाकिस्तान को इन गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं से भी अवगत कराया है खेद की बात है कि पाकिस्तान ने हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं किया है और भारत के विभिन्न भागों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को सरकारी स्तर पर पाकिस्तानी समर्थन जारी है। सरकार अपनी सुरक्षा के सुरक्षापायों के लिए सभी आवश्यक उपायों को उठाने के अपने संकल्प पर दृढ़ रही है।

आपसी व्यापार को प्रोत्साहन

148. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ढाका, बंगलादेश में आयोजित सार्क सम्मेलन के दौरान, सदस्य देशों में आपसी व्यापार के प्रोत्साहन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई;

(ख) क्या सार्क देशों द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 25-26 अप्रैल 1998 को ढाका, बंगलादेश में आयोजित सार्क सूचना मंत्रियों की प्रथम बैठक में सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की कार्यसूची में सार्क सदस्यों के बीच आपसी व्यापार संवर्धन मसला नहीं था अतः उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया।

सभी सार्क सदस्य देशों ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार किया है। प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया है कि यह लक्ष्य 2002 से 2005 के बीच प्राप्त कर लिया जाए। माले में नौवें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के नेता इस बात से सहमत थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने वाला लक्ष्य वर्ष 2001 होना चाहिए, सार्क अन्तर सरकारी दल ने उन मसलों की पहचान कर ली है। जिन पर दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) तक एक सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करना

149. डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट और वीजा नियमों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पासपोर्ट और वीजा के जारी करने से संबंधित नीतियों में परिवर्तन करने के बारे में सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फलों/सब्जियों का समर्थन मूल्य

150. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेब, आलू और फलों और सब्जियों हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान पर्वतीय राज्यों के फल उत्पादकों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार हर वर्ष मुख्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है ताकि कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। सरकार विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों संबंधी निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की राय पर विचार करके लेती हैं। सेब, आलू, फलों, सब्जियों जैसे बागवानी उत्पाद तथा अन्य छोटी फसलें, जिनका उत्पादन स्थानिक होता है तथा जो जल्द खराब होने वाली किस्म की होती हैं, वे मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत आती हैं। मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें, मूल्यों के लाभकारी स्तर से गिर जाने पर विशिष्ट प्रस्ताव भेजती हैं। मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट मात्रा में खरीद हेतु एक निश्चित अवधि के लिये चलाई जाती है। यदि कोई हानि हो जाए तो उसका वहन अधिकतर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर किया जाता है।

(ग) मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के कार्यान्वयन के लिये राज्यवार आबंटित कोई धनराशि नहीं है। यह योजना राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, जिन्हें केन्द्र द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, के आधार पर कार्यान्वित की जाती है।

[अनुवाद]

किसानों के लिए विपणन एवं भंडारण की सुविधाएं

151. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष बिहार में आलू का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था; मगर विपणन और भंडारण की बेहतर सुविधा न होने के कारण आलू खराब हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के किसानों को हुई हानि का आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसानों को समुचित विपणन एवं भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हाँ। भण्डारण/विपणन सुविधाओं की कमी के कारण हुई हानि 5-7 प्रतिशत आंकी गयी है।

(ग) भविष्य में ऐसी हानियों को रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना की प्रक्रिया को उदार बनाने के अलावा 11 नये कोल्ड स्टोरेजों के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण तथा किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं देने के लिये सहायता प्रदान करती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का दुरूपयोग

152. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का दुरूपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाना सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दुरूपयोग का कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत फरवरी 1997 में जारी किए गए थे। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विकासात्मक प्रकृति के कार्य, जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हों एवं जिनसे स्थायी परिसंपत्तियां बनती हों, को ही इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादन

153. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भा.कृ.अ.प. ने एक योजना तैयार की है :

- पौध-आनुवंशिक संसाधनों के संग्रह, स्वस्थाने संरक्षण, गुण विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए आनुवंशिक विविधता के अल्प-अन्वेषित और बिना अन्वेषित क्षेत्रों की खोज।

- अपेक्षित स्तर तक जैविक और अजैविक दबाओं के प्रति प्रतिरोधिता पैदा करके सिंचित-पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रमुख फसलों की वर्तमान समय में उपलब्ध अधिक पैदावार वाली किस्मों में संभावित उपज के प्राप्त करने योग्य संघटकों का समेकन।

- फसल प्रजनन में मोलेकुलर-तकनीकों/उपकरणों का विकास और उपयोग। इसमें उत्पादकता, स्थिरता, उन्नत क्वालिटी और जैविक तथा अजैविक दबाओं से संरक्षण हेतु उत्कृष्ट जीन वाले फसली-पौधों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

- संकर फसलों पर अधिक जोर देते हुए नाभिक प्रजनक-बीज का उत्पादन और आपूर्ति।

इसके अलावा, कृषि पर आधारित जिंसों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - एक, जहां घरेलू उत्पादन-घरेलू मांग से काफी कम है, दो - जहां फसलों का उत्पादन आने वाले विभिन्न वर्षों में घटता-बढ़ता रहा है। देश की कृषि की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति को दोनों क्षेत्रों का ध्यान रखना होगा। इस तरह यह जरूरी हो जाता है कि जहां तक संभव हो सके मूल, नीति संबंधी और व्यावहारिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण अंतर को समाप्त करने के लिए एन.ए.आर.एस. के महत्वपूर्ण प्रयासों में सभी तरह के प्रोत्साहन और धन संबंधी सहायता उपलब्ध करायी जाएं। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :

(i) दालें, तिलहन, मोटे अनाज (मक्का, ज्वार और बाजरा) और गन्ना अनिवार्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे जहां निर्धारित अवधि के अंतर्गत निश्चित सफलता के लिए पृथक टेक्नोलॉजी मिशन जरूर होंगे। इसके अलावा गेहूं, चावल, चारा और अन्य फसलों के अधिक उत्पादन और टिकाऊपन के लिए मिले-जुले प्रयास आवश्यक होंगे।

(ii) पैदावार में वृद्धि के लिए संकर किस्मों में अभूतपूर्व क्षमता है, चाहे इसके लिए किसी भी उत्पादन प्रणाली, यांत्रिकी तथा परागण पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए, संकरों के अनुसंधान और विकास के लिए मिले-जुले प्रयासों की जरूरत होगी। पिछले वर्षों में हमने चावल और गेहूं जैसी फसलों के पौधों की नई किस्मों से लाभ उठाया है, लेकिन हमें उन फसलों से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है जहां निवेश परक उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विभिन्न सस्य पद्धतियों में इस्तेमाल किया गया है और उत्पादकता पर उसके प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे गए हैं।

(iii) आनुवंशिक प्रतिरोध को समाप्त करने में जैव प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आई है, इसलिए इसमें जीन का स्थानांतरण संभव है। जैविक और अजैविक दबाओं के विशेष संदर्भ में परिवर्ती जीनों के विकास द्वारा इससे लाभ उठाया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी जन्य फसल सुधार पर कम ध्यान देने के कारण असंभव होता जा रहा है।

(iv) नई फसलें और नए पौधे गहन कृषि के रूप में विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जैसे कैच क्राप, रिले-क्राप और पेरा/उत्तेरा फसल के रूप में ये फसलें और पौधे कृषि उत्पादन के क्षैतिज (समतल) प्रसार के लिए काफी महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं। इसलिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस्म संबंधी सुधार राष्ट्र के सर्वाधिक हित में होंगे।

- फलों/सब्जी, बागानी फसलों, औषधीय और शोभाकारी पौधों की उन्नत किस्मों/संकरों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों तथा जैविक और अजैविक दबाओं को अच्छी तरह से सहन कर लेती हों। सूक्ष्म सिंचाई और उर्वरीकरण सहित कारगर जल प्रबंध पर अनुसंधान।

- महत्वपूर्ण फलों और सब्जियों को अधिक मूल्यवान बनाने तथा उत्पादों की विविधता सहित कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी।

- किस्मों के गुण, पैदावार और नमी की कमी को सहन करने की अपेक्षित क्षमता पैदा करने के लिए आनुवंशिक परिवर्तन हेतु उपकरणों, जैव तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना। अच्छी किस्म की रोपण सामग्रियों के सामूहिक संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बागानी फसलों का सूक्ष्म संवर्धन।

- आम की कुरूपता, अमरूद के मुरझान रोग, नीबू वर्गीय फल, आम के स्पंजी, टिशू, नारियल के जड़गलन रोग विभिन्न बागवानी फसलों का फाइटीफथोरा बीमारी जैसे राष्ट्रीय बीमारी संबंधी समस्याओं पर अग्रिम अनुसंधान।

- महत्वपूर्ण बागवानी फसलों के पोषक तत्वों तथा कीटव्याधियों का समेकित प्रबंध करना जिससे कि निवेश की लागत, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को कम किया जा सके तथा कीटनाशक अवशिष्ट की समस्या को समाप्त किया जा सके।

- विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में जैव भौतिक संसाधनों (मृदा, जल, जलवायु, वनस्पति और पौधे) की सूची तैयार करना तथा उनका गुण विश्लेषण मूल्यांकन एवं संरक्षण।

- अधिक वर्षा वाले वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों (बाढ़-प्रभावित क्षेत्र, अम्लीय मृदा और विघटित भूमि (और अस्थिर-इकोसिस्टम (पर्वतीय, तटवर्ती और द्विपीय इकोसिस्टम) के संसाधनों के संरक्षण तथा क्षेत्र विशेष से लाभ उठाने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना।

- न केवल जैवभौतिकी पहलुओं बल्कि सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों/उपक्षेत्रों/इलाकों के लिए आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके कृषि पद्धति में स्थिर भूमि उपयोग पद्धति का विकास करना।

- जैविक पदार्थों के प्रयोग पर बल देते हुए समेकित पोषण प्रबंध।

- संसाधन प्रबंध तथा ऋणात्मक प्रभावों में सुधार से संबंधित पर्यावरण संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन।

- जी.आई.एस., दूरवर्ती संवेदनशीलता, पोषण और जल प्रबंध के लिए अनुरूपण मॉडलिंग, फसल मौसम मॉडल, निर्णय समर्थित पद्धति जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अग्र क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास।

- कपास और फल तथा सब्जी के यांत्रिकीकरण के लिए उपकरणों का डिजाइन तैयार करना और विकास करना, कृषि कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और आराम के लिए मानव मशीन पद्धति पर कृषि जन्य अध्ययन, इसमें महिला भी शामिल हैं, पर्वतीय कृषि का यांत्रिकीकरण, बारानी कृषि के लिए शक्तिचालित उपकरणों का विकास, गन्ने का रोपाई का विकास, अंतःकृषि, छिड़काव और कटाई यंत्र।

- चावल की यांत्रिकी पर नेटवर्क प्रायोना की स्थापना-मछली के तालाब के लिए वायु ऊर्जा का इस्तेमाल, ऊर्जा का विकास तथा विभिन्न कृषि जिंसों पर उत्पादन के लिए ऊर्जा सह-गुणांक का ब्यौरा तैयार करना।

- छोटे जल संभरों के लिए पानी के बहाव की क्षमता के निर्धारण के लिए जलीय प्रक्रियाओं का नमूना तैयार करना तथा नाली के डिजाइन में इसका उपयोग, सतही जल निकास के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम नालियों में दूरी का निर्धारण, कंप्यूटरयुक्त नालियों के डिजाइन के लिए साफ्टवेयर का विकास, वातावरण में प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान का अध्ययन, पूर्वानुमान और भूमि सुधार नीतियों के लिए नालियों की कार्यक्षमता का नमूना तैयार करना, सूक्ष्म सिंचाई के लिए हार्डवेयर का विकास और सिंचाई उपकरणों के लिए जांच की सुविधायें।

- दूध, मांस, बीज, रेशे, अंडा तथा ब्रायलर के लिए चयन/संकर प्रजनन/जैवे प्रौद्योगिकी के द्वारा मवेशी, भैंस, भेड़, सुअर और ऊंट के आनुवंशिक संसाधनों में वृद्धि करना।

- आहारों और चारों की क्वालिटी में सुधार, नये आहार की खोज और पूर्ण आहार को तैयार करना, पशु उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व, फसल पर आधारित पशु उत्पादन पद्धति और आहार विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना। पशुओं के बोझ ढोने की शक्ति, उसकी मात्रा मूलकता और उसमें सुधार, पुनर्उत्पादन तक वृद्धि के लिए भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी।

- रोग नैदानिक तकनीकों/पद्धतियों, महत्वपूर्ण पशुधन और मुर्गी के रोगों के जैविक विधि से उपचार के लिए नयी तकनीकों का विकास करना। पशुओं के रोगों के आंकड़ों का आधार आदि तैयार करने के लिए प्रबोधन और सतर्कता पद्धति को सुदृढ़ करना। टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए जैविक छीजनों के पुनर्चक्रण के साथ समेकित कृषि पद्धतियों, फेस कल्चर, पैनकल्चर, बहते पानी में जल जीव कृषि जैसे नयी तकनीकों का विकास।

- विभिन्न कृषि उद्यमों में ठेकेदारी के विकास के लिए टेक्नालॉजी के मूल्यांकन' परिष्करण तथा साझेदारी प्रणाली के स्थानांतरण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को संस्था का रूप देने पर विशेष जोर देना।

- नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के अलावा पिछड़े पर्वतीय वर्षा पर निर्भर और जनजातीय क्षेत्रीय में अग्रिम पंक्ति के विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान उपयुक्त संस्थानों को फिर से कार्यभार सौंपना।

- टेक्नोलोजी तथा प्रणाली विज्ञान दोनों रूपों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को कारगर तकनी की सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों को नया रूप प्रदान करना और सुदृढ़ करना होगा।

- भा.कृ.अ.प. को अतिरिक्त कोष उपलब्ध हो जाने पर उपरोक्त नीतियों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका मैत्री

154. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका के साथ अपने राजनयिक संबंधों पर पुनः विचार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में और विशेषरूप से भारत-श्रीलंका मैत्री को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत-श्रीलंका संबंध निरन्तर मैत्री पूर्ण, घनिष्ठ एवं सहयोगपूर्ण बने हुए हैं। सरकार भारत और श्रीलंका के बीच विद्यमान विस्तृत सहयोग को दृढ़ करने तथा उन्हें संवर्धित करने की इच्छुक है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जब मार्च, 1998 में विशेष दूत के रूप में भारत आए थे तो इस बात की उच्चतम स्तर पर पुनः पुष्टि कर दी गई थी।

पोखरण में परमाणु परीक्षण

155. श्री के.एस. राव :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोखरण में मई, 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परीक्षणों के बारे में पाकिस्तान तथा अन्य देशों ने प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ग) यदि हाँ, उनके दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य देशों द्वारा की गई आलोचनाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गयी प्रतिक्रियाओं से देश में विदेशी निवेशों और औद्योगिक देशों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहायता के प्रभावित होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) मई 11 से 13, 1998 के बीच पोखरण में पांच परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला पूरी की गई। 11 मई को हुए तीन परीक्षणों में 12 किलोटन के टी.के. और विखण्डन डिवायस के 43 किलो टन के थर्मोन्यूक्लियर डिवायस के तथा एक सब किलो टन डिवायस के परीक्षण किए गए थे। 13 मई, 1998 को एक किलो टन से कम के दो परमाणु परीक्षण किये गये। एक किलो टन से कम डिवायस वाले परीक्षण .02 से .05 किलो टन रेंज के थे।

(ख) और (ग) जी, हाँ। कुछ राष्ट्रों ने इन परीक्षणों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने भारतीय परीक्षणों की भर्त्सना की। गुप-8 देशों के नेताओं ने परीक्षणों की भर्त्सना की है तथा भारत से और परीक्षणों से परहेज करने के लिए कहा है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के कुछ सदस्य देशों की प्रतिक्रिया तटस्थता और हमारी स्थिति की समझबूझ पर आधारित रही है।

(घ) सरकार ने इन परीक्षणों को प्राधिकृत करने के अपने निर्णय का तर्क देते हुए विदेशों को यह स्पष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाये कि ये परीक्षण भारतीयों को आश्वस्त करने के लिये किए गये कि सरकार भारत के सुरक्षा हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया

कि मित्र राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को तीव्रतर और विविधतापूर्ण बनाने का भारत का सच्चा प्रयास होगा।

(ङ) हम विदेशों की प्रतिक्रियाओं, विदेशी निवेश पर संभावित प्रभाव, औद्योगिक राष्ट्रों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्राप्त सहायता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की समीक्षा कर रहे हैं तथा इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा यथोचित कदम उठाये जा रहे हैं।

मत्स्य पालक विकास एजेंसी

156. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कुल कितनी मत्स्य पालक विकास एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में मत्स्य क्षेत्रों का विकास करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा क्या कार्य किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उड़ीसा राज्य में 30 मत्स्य पालक विकास एजेंसियां काम कर रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसियों ने 6790 हैक्टेयर जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया है और कुल 7028 पालकों/मछुआरों को प्रशिक्षित किया है। इस अवधि के दौरान 14404 लोगों को लाभ पहुंचा।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को निम्नानुसार केन्द्रीय सहायता दी गई :

(लाख रुपए में)

1995-96	1996-97	1997-98
40.50 रुपए	160.00 रुपए	120.00 रुपए

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

157. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में विदेशी एजेंसियों द्वारा निधियां प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है;

(ख) हाल के वर्षों में बैंक ऋण द्वारा आरम्भ की गयी सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या राज्य में सिंचाई की क्षमता के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई मास्टर योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उड़ीसा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) से अनुदान के अलावा विश्व बैंक, ओ.ई.सी.एफ., जापान, के. एफ.डब्ल्यू. -जर्मनी और आस्ट्रेलिया से ऋण लेकर विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलियन दाता करेंसी में राशि)

	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	सहायता राशि	समझौते की तारीख/वितरण समापन की तारीख	31.3.98 को उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	270.578 अमेरिकी डालर	05.11.1996/ 30.09.2002	74.999 अमेरिकी डालर
2.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	ओ.ई.सी.एफ. जापान	3769.00 येन	15.12.1988/ 20.07.1998	2700.9 येन
3.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	ओ.ई.सी.एफ. जापान	3744.00 येन	15.12.1988/ 20.01.1999	3045.5 येन
4.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	ओ.ई.सी.एफ. जापान	7760.00 येन	12.12.1997/ 05.02.2003	141.5 येन
5.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	55.00 ड्यूशमार्क	19.02.1993/ 30.12.2000	22.146 ड्यूशमार्क

1	2	3	4	5	6
6.	लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी. (अनुदान)	10.70 ई.सी.यू.	03.07.1995/ 31.12.2004	0.099 ई.सी.यू.
7.	भू-जल-ट्रैंच-II अतिदोहन	आस्ट्रेलिया	8.097 अमेरिकी डालर	31.7.1992/ 31.7.1998	7.735 अमेरिकी डालर

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विकास

158. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी में जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि विकास दर अनुमानित 0.5% से कम होगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1997-98 में गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन में गिरावट के संबंध में रिपोर्ट आई है; और

(ग) यदि हाँ, तो कृषि विकास में आई गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं तथा इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी, 1998 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में (-) 2.0 प्रतिशत वृद्धि आंकी गई है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र पिछले वर्ष की 25.93 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में कुछ कम अर्थात् 25.75 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि वृद्धि में आई गिरावट के मुख्य कारण हैं। देश के विभिन्न भागों में मानसून देर से आना, मानसून के समय के दौरान आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और आसपास क्षेत्रों में कम वर्षा नवम्बर/दिसम्बर, 1997 में लगातार भारी वर्षा होना, जिसके परिणामस्वरूप रबी फसल की बुआई में विलम्ब, विशेष रूप से कपास आदि पर कीटों/बीमारियों का हमला।

विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित फसल विशिष्ट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

पुष्प कृषि

159. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक पुष्प कृषि के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और वह प्रस्ताव राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड और ए.पी.ई.डी.ए. के पास मंजूरी हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों का निष्कासन

160. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त के कितने अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है;

(ख) उन पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही की है और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के कुछ अधिकारियों को निष्कासित किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) अप्रैल, 1995 से अप्रैल, 1998 के दौरान सरकार ने पाकिस्तान को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से इसके 8 अधिकारियों को उनके सरकारी पद के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने के कारण वापस बुला लेने के लिए कहा था। सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर इन अधिकारियों ने भारत छोड़ दिया।

उसी अवधि के दौरान सरकार ने पाकिस्तान के अनुरोध पर इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग से 8 अधिकारियों को वापस बुला लिया। पाकिस्तान द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध अपने सरकारी पद के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने के झूठे और आधारहीन आरोप लगाये गये। इनमें से 6 मामलों में पाकिस्तान द्वारा निष्काषन प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति के थे।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास

161. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि संबंधी अनुसंधान तथा विकास पर किया जा रहा व्यय अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारत में कृषि संबंधी अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। भारत में कृषि अनुसंधान तथा विकास पर किया जाने वाला व्यय कई विकासशील देशों की तुलना में कम है। कृषि अनुसंधान पर व्यय के सूचक संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) संसाधनों संबंधी बाधाओं के कारण अधिक आवंटन करना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) तथा (घ) कृषि संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों तथा कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए यथार्थपरक संसाधन मांगों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा गठित कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नवीं योजना संबंधी कार्य दल ने योजना आयोग से सिफारिश की है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कम से कम कृषीय सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इस मामले पर योजना आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

विवरण

कृषि संबंधी अनुसंधान खर्चों का सूचक

क्षेत्र/देश (वर्ष)	स.घ.उ.का कृ.अनु. के लिए अंश (%)	सार्वजनिक खर्च का कृ.अ. के लिए अंश (%)	क्षेत्र/देश (वर्ष)	स.घ.उ. का कृ. अनु. के लिए अंश (%)	सार्वजनिक खर्च का कृ० अ० के० लिए अंश (%)
1	2	3	4	5	6
एशिया	.11	.60	अफ्रीका (1991)	.3	.7
बंगलादेश (92)	.10	.66	बोत्स्वाना	.2	.4
चीन (93)	.09	.54	बुरकीना फासो	.3	1.6
भारत (90)	.15	.66	कोटे द लवायर	.3	1.0
इण्डोनेशिया (91)	.06	.29	इथोपिया	.3	.8
मलेशिया (92)	.16	.57	घाना	.3	1.4
पाकिस्तान (92)	.11	.41	कीनिया	.5	1.6
श्रीलंका (92)	.08	.29	लेसोथो	.1	.2
थाइलैण्ड (93)	.17	1.1	मेडागास्कर	.2	1.4
			मलावी	.6	2.6
			मॉरीशस	.2	.9
लैटिन अमेरिका					
(1992-1993)	.05	.23			
अर्जेन्टीना	.05	.23	नाइजर	.2	1.3

1	2	3	4	5	6
ब्राजील	.09	.29	नाइजीरिया	.1	.2
बोलिविया	.02	.13	रवान्डा	.2	1.1
कोलम्बिया	.04	.17	सेनेगल	.3	1.5
इक्वाडोर	.03	.21	दक्षिण अफ्रीका	.1	.5
एल सेल्वाडोर	.02	.14	सूडान	.1	.4
गौटेमाला	.04	.31	स्वाजीलैंड	.3	.8
मैक्सिको	.03	.12	तंजानिया	–	–
पनामा	.08	.30	टोगो	.4	1.5
पैरागुवे	.05	.35	जाम्बिया	1.5	3.0
पेरू	.10	.81	जिम्बाब्वे	.4	1.0
उरूगुवे	.11	.39			
वेनेजुएला	.03	.14			

(स्रोत : कृषि अनुसंधान के लिए वित्त प्रबंध : ए सोर्सबुक, आई.एस.एन.ए.आर., अप्रैल, 1998)

[अनुवाद]

मीना में भगदड़

162. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री मोहन सिंह :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्यवार कितने हज यात्री मक्का तीर्थ यात्रा पर गए;

(ख) क्या मीना में हुई भगदड़ के कारण अनेक भारतीय तीर्थयात्री मारे गए/घायल हुए;

(ग) यदि हाँ, तो उस स्थान पर मरने वालों/घायल हुए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या है;

(घ) इन हज यात्रियों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए;

(ङ) इन पीड़ित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) सऊदी सरकार के अनुसार 17 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार 93,119 भारतीय हज यात्री हज के लिए गए थे जिसमें से कुल 63,583 हज यात्री हज समिति, मुम्बई के माध्यम से गए थे। उनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

11 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से, 1966 आन्ध्र प्रदेश से, 601 असम से, 912 बिहार से, 2 चण्डीगढ़ से, 12 दमन और द्वीप से, 2,568 दिल्ली से, 34 दादर तथा नागर हवेली से, 13 गोवा से, 5650 गुजरात से, 12 हिमाचल प्रदेश से, 10410 महाराष्ट्र से, 116 मणिपुर से, 3955 मध्य प्रदेश से, 190 उड़ीसा से, 152 पंजाब से, 52 पाण्डिचेरी से, 3450 राजस्थान से, 3333 तमिलनाडु से, 5 त्रिपुरा से, 14239 उत्तर प्रदेश से और 1734 पश्चिम बंगाल से।

(ख) और (ग) 9 अप्रैल, 1998 को मीना भगदड़ में 32 भारतीय राष्ट्रिकों की मृत्यु हुई। कुछ को मामूली चोटें आई और उन्हें कुछ ही दिनों में अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

(घ) घायलों को तथा मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को सभी संभव सहायता देने के लिए भारत के कौंसलावास, जद्दाह को तुरन्त निर्देश भेजे गए।

(ङ) कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(च) सऊदी सरकार जो प्रति वर्ष हज प्रबंधों में सुधार करती है, के साथ हम निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। उसने 1994 की घटना (जिसमें 270 हज यात्रियों की मृत्यु हुई थी) के बाद और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए जमारत क्षेत्र का विस्तार

किया है। हज यात्रियों को उनकी हज संबंधी धार्मिक औपचारिकताओं को सुरक्षित तौर पर पूरा करने के लिए हमने हाजियों के लिए प्रशिक्षण सुधार तथा अभिमुख कार्यक्रमों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

163. श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करने और उससे गाद हटाने के लिए हाल ही में कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त नदी द्वारा भूमि कटाव को नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाव के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को शामिल करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ प्रबंधन के लिए मास्टर योजना तैयार की है। जिसमें ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियों पर मध्यम से ऊंचे बांधों का निर्माण करने तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन के एकीकृत विकास को ध्यान में रखते हुए कटाव एवं जल निकास संकुलता को रोकने के लिए योजना शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र में जल संसाधन क्षेत्र के लिए आंबटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

मत्स्यन बंदरगाह

164. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में कुछ मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इनके निर्माण के लिए कौन-कौन सी जगहों का चयन किया गया है और प्रत्येक मत्स्यन बंदरगाह की अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ग) इन बंदरगाहों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भद्रक जिले में धामरा चरण-2 में छोटी मछली पकड़ने के बंदरगाह को मार्च, 1998 में प्रशासनिक स्वीकृति दी जिसकी लागत 640.00 लाख रुपए है।

(ग) परियोजना को हाल ही में मंजूर किया गया है तथापि, इस परियोजना के लिए 23.3.1998 को जारी प्रशासनिक स्वीकृति में यह व्यवस्था है कि यह परियोजना प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

विदेश सचिव स्तर की वार्ता

165. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ठप्प पड़ी विदेश सचिव स्तर की वार्ता पुनः शुरू होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है; और

(घ) अगले दौर की वार्ता किस स्थान पर तथा किस तिथि को होगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (घ) भारत की पहल पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता 1997 में विदेश सचिव स्तर पर पुनः आरंभ हुई। विदेश सचिवों की बातचीत के तीन दौर हो चुके हैं। बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में 28-31 मार्च, 1997 तक और दूसरा दौर इस्लामाबाद में 19-23 जून, 1997 तक हुआ था। बातचीत के इस दौर की समाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। वक्तव्य में जिन विषयों पर चर्चा की जानी थी, बताया गया था, वे इस प्रकार हैं:

(क) शांति और सुरक्षा, विश्वासोत्पादक उपाय सहित, (ख) जम्मू और कश्मीर, और (ग) सियाचिन, (घ) तुलबल नौवहन परियोजना (ङ), सरक्रीक (च) आंतकवाद और मादक पदार्थों का अवैध व्यापार (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, और (ज) विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का सवंर्द्धन

दोनों पक्ष इन सभी मसलों को सुलझाने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने पर भी सहमत हो गए हैं।

बातचीत की तीसरा दौर नई दिल्ली में 15-18 सितम्बर, 1997 को हुआ। संयुक्त वक्तव्य में जिस तंत्र की स्थापना की गई थी उस पर दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान-प्रदान चल रहा है। यह महसूस किया गया कि अपेक्षित मसलों पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए दोनों पक्षों ने यह फैसला किया कि फिलहाल इसे स्थगित कर दिया जाए और बाद में परस्पर सुविधाजनक तारीखों को दोबारा मिला जाए।

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से ढाका में जनवरी, 1998 में मुलाकात की। इस अवसर पर भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को विचार-विमर्श के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रस्तावों का एक सैट दिया

था। अब पाकिस्तान को हमारे प्रस्तावों का जवाब देना है। उसके पश्चात् ही स्थगित दौर को दोबारा शुरू करने के संबंध में निर्णय लेना संभव होगा।

मछुआरों और मजदूर संघों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की मांग

166. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछुआरों और उनके मजदूर संघों द्वारा मानसून के दौरान महासागर में मोटर बोट और छोटी नौकी द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की मांग की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने मछुआरों द्वारा मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की मांग के कारणों का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मत्स्य संसाधनों को परिरक्षित करने और छोटी मछलियों को मारने से रोकने के उद्देश्य से कुछ तटवर्ती राज्य मानसून अवधि के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए थे कि वह भी इस अवधि के दौरान ई.ई.जैड. में इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए तथापि, मछुआरों और ट्रेड यूनियनों से इस प्रयोजन के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिपोली में गोलीकांड

167. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवंबर, 1997 को इंडियन एक्सप्रैस में '3 इन्डियन्स किल्ड 60 हार्ट इन त्रिपोली फायरिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने उस देश के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) मैसर्स स्ट्रेथ एंड सपोर्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (एस.एस.बी.) नामक एक भारतीय कम्पनी लीबिया की मैसर्स अरब यूनियन कॉन्ट्रेक्टिंग कम्पनी के उप-ठेकेदार के रूप में कार्य कर रही है। 25 अक्टूबर, 1997 को हुई एक दुर्घटना, जिसमें एक निर्माणधीन भवन की आठवीं मंजिल से गिर जाने से एक कामगार की टखने की हड्डी टूट गई थी, के बाद मैसर्स एस.एस.बी. द्वारा नियोजित भारतीय कामगार हड़ताल पर चले गए थे। इसके तुरंत बाद, भारतीय कामगारों ने प्रदर्शन किए और काम बंद कर दिया। 28 अक्तूबर 1997 को कामगारों ने लीबिया की कम्पनी में कार्यरत लीबिया के कुछ कर्मचारियों को पीट दिया जो उन्हें बातचीत के लिए भारतीय राजदूतावास के अनुरोध को मान लेने के लिए समझा रहे थे। लीबियाई कम्पनी ने पुलिस को बुला लिया और उन कामगारों को गिरफ्तार करने को कहा जो अपने साथियों को हड़ताल जारी रखने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। कामगारों ने पुलिस से मार-पीट करके, पत्थर फेंक कर और पुलिस की गाड़ियों और कारों को नुकसान पहुंचा कर प्रतिरोध किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। भारतीय राजदूतावास से प्राप्त खबरों के अनुसार गोलीबारी में दो कामगारों की मृत्यु हो गई और उनमें से बहुत से घायल हो गए इसके बाद विशेष रूप से लीबिया में हड़तालों के अवैध होने के कारण भारतीय राजदूतावास द्वारा बार-बार हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद कामगार हड़ताल जारी रखे। अन्ततः भारतीय मिशन के हस्तक्षेप से मामला सुलझ सका और 26 जनवरी 1998 को कामगारों ने अपना कार्य शुरू किया।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का परिहार करने की दृष्टि से कामगारों की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र निपटान और कामगारों के शिविर में निर्वाह योग्य संतोषजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कामगारों की सभी नियोक्ता कम्पनियों को भारतीय राजदूतावास के सम्पर्क में रहने के लिए कहा गया। निर्वाह योग्य स्थिति की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने तथा हमारे कामगारों के सामने आ रही किन्हीं समस्याओं की स्वयं जानकारी लेने के लिए हमारे मिशनों से शिविरों का नियमित दौरा करने को भी कहा गया। लीबिया के प्राधिकरणों से भारतीय कामगारों से संबंधित विवादों के निपटान के समय संयम और धैर्य से काम लेने की सलाह दी गई है।

प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

168. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सचिव मई, 1998 में अमरीकी दौरे पर गये थे और वहां उन्होंने अमरीका के साथ पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की चर्चा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रक्षेपास्त्रों और पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र विकसित करने में चीनी, कोरियाई और अमरीकी फर्मों की मदद की खबर के संबंध में भारत की चिन्ता से अमेरिका को अवगत करा दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इन वार्ताओं के परिणाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में अमरीकी सरकार ने भारत को क्या आश्वासन दिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी, हाँ। विदेश सचिव की यात्रा अमरीका के साथ चल रही व्यापक बातचीत के परिप्रेक्ष्य में हुई थी।

(ख) से (घ) विदेशी सहायता से चलाए जा रहे पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के संबंध में सरकार की चिन्ता से अमरीका सहित सभी संबंधित देशों को अवगत करा दिया गया है। विदेश सचिव ने अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान अमरीका के समक्ष अपनी चिन्ता को एक बार फिर से दोहराया है। अमरीका ने सूचित किया है कि उसने पाकिस्तान और अन्य देशों की सरकारों के साथ विचार-विमर्शों के दौरान इस मामले को उठाया है।

"बोवाईन ग्रोथ हारमोन"

169. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादन, को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम "बोवाईन ग्रोथ हारमोन" (बी.जी.एच.) की व्यवसायिक बिक्री की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस हारमोन का उत्पादन विपणन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हारमोन के उपयोग से होने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गोपशु और भैंसों पर सीमित और नियंत्रित चिकित्सीय प्रयोगों के प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि दुग्ध उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। तथापि, दीर्घकालिक प्रभावों का आंकलन करने के लिए निरन्तर प्रयोगों की सिफारिश की गई है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

170. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किसी योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) वित्तीय सहायता मांगने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अन्य योजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपरोक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इन परियोजनाओं की मंजूरी के बाद धनराशि का आवंटन कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग राज्य को, पिछड़े क्षेत्रों सहित, उसके सम्पूर्ण विकास के लिए निधियां आवंटित करता है। सरकार पिछड़े क्षेत्रों और समाज के गैर लाभान्वित वर्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है और राज्य सरकार को इस आशय के निदेश समय-समय पर जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 5721.63 करोड़ रुपए, 6774.03 करोड़ रुपए तथा 7481.33 करोड़ रुपए हैं। पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन से संबंधित सूचना, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

(घ) तथा (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई स्कीमें निम्नलिखित से संबंधित हैं - गोवर्धन नाले की क्षमता की बढ़ाली, उत्तर प्रदेश में पुलों का निर्माण, रामगढ़ ब्लॉक के मनरसा ग्राम में लिफ्ट सिंचाई, नैनीताल के भाबर क्षेत्र में 4 ट्यूबवैलों का निर्माण, नैनीताल झील से संबद्ध निर्माण कार्य, लखनऊ शहर में जल-आपूर्ति में सुधार, बिरला अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान भीमताल (नैनीताल) में बी.टेक पाठ्यक्रम, उत्तरांचल के जिला हस्पतालों में कैंसर का पता लगाने की पैथालाजी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण, पुरवा (बैजनाथ) में बागेश्वर में सी-मैप बाढ़ स्टेशन का विकास, अल्मोड़ा में खाद्यभण्डारण क्षमता में वृद्धि, नगरपालिका/पंचायतों द्वारा कूड़ा उठाने के लिए डाइड्रोलिक ट्रकों की व्यवस्था, उत्तरांचल में पुलों का निर्माण, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी परिसर में सड़क निर्माण इत्यादि।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य को 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान स्वीकृति की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता क्रमशः 19.125 करोड़ रुपए तथा 9.76 करोड़ रुपए थी।

सीमा पार से आतंकवाद

171. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी विदेश मंत्री सुश्री अल्ब्राइट के नेतृत्व में इस वर्ष नवम्बर में भारत की यात्रा पर आए दल के साथ पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भी चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किस संदर्भ में; और

(ग) इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) जी, हाँ, सरकार जम्मू तथा कश्मीर और भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मसले पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करती रही है। इस मामले पर अमरीकी अधिकारियों के साथ कई अवसरों पर जिसमें नवम्बर, 1997 में अमरीका की सेक्रेट्री आफ स्टेट-अलब्राईट की भारत यात्रा का अवसर भी शामिल है, चर्चा की गई।

(ग) अमरीकी पक्ष ने अवगत कराया है कि वे भारत की चिन्ताओं को समझते हैं तथा अमरीका ऐसी आंतकवादी गतिविधियों को गम्भीरता से लेता है। इस संदर्भ में उन्होंने अमरीकी कानून के तहत हरकत-उल-अंसार को एक आतंकवादी संगठन करार देने का उल्लेख किया।

परमाणु परीक्षण

172. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान में किये गये पहले तीन परमाणु परीक्षणों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, ब्रिटेन तथा जापान जैसी प्रमुख शक्तियों के अलावा पाकिस्तान और अन्य एशियाई देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) इन प्रतिक्रियाओं पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या इस कारण प्रमुख शक्तियों के साथ देश के संबंधों में कोई परिवर्तन आने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत के हाल के भूमिगत नाभिकीय परीक्षणों के प्रति अमरीका, चीन, ब्रिटेन तथा जापान की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक रही है। भारत के निर्णय की भर्त्सना करते हुए पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अन्य एशियाई देशों ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है तथा कुछ देशों ने चिन्ता भी व्यक्त की है।

(ख) सरकार ने इन प्रतिक्रियाओं पर गौर किया है और इन परीक्षणों के पीछे प्राधिकृत करने के युक्ति-युक्त निर्णय को विदेशों में स्पष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य भारत के लोगों को इस बात से पुनः आश्वस्त करना है कि सरकार भारत की सुरक्षा चिन्ताओं का समाधान निकालने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है।

(ग) और (घ) हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की चिन्ता संभावित दिशा में रही है तथापि सरकार प्रमुख शक्तियों के साथ देश के संबंधों पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की प्रत्याशा नहीं करती है। तथापि सरकार संयम बरतने की हमारी बेजोड़ मिसाल तथा सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के उद्देश्य की दिशा में एक रचनात्मक वार्तालाप में सक्रियता से लगे रहने की हमारी गंभीरता परिलक्षित करने के लिए, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर विभिन्न देशों के साथ सक्रियता से जुड़े रहने का इरादा रखती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक कोष

173. श्री के. एस. राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक व्यपगत न होने वाले कोष के सृजन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को उक्त कोष के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में विकास के लिए इन राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजनाएं/स्कीम आरम्भ करने हेतु संसाधनों के खत्म न होने वाले एक केन्द्रीय पूल का सृजन करने का निर्णय लिया है। पूल की पद्धतियों को तय किया जाना है।

आणविक ऊर्जा संयंत्र

174. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव लम्बित है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 880 मेगावाट की कुल विद्युत क्षमता वाली चल रही परियोजनाओं, जिसमें कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 और 2 (2X220 मेगावाट) और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 और 4 (2X220 मेगावाट) शामिल हैं, को पूरा करने और चालू करने के अलावा नवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत के विकास संबंधी प्रस्तावों में रूसी सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2X1000 मेगावाट के परमाणु बिजलीघर के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को कमीशन करने के अतिरिक्त तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टी.ए.पी.पी.) की दो यूनिटों, यूनिट-3 और 4 (2X500 मेगावाट), कैगा यूनिट-3 और 4 (2X220 मेगावाट) पर काम शुरू करना और नवीं योजना के अंत तक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) (1X500 मेगावाट) पर प्रारम्भिक कार्य शुरू करना शामिल है।

(ग) उड़ीसा पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य उत्पाद

175. श्री ए० सी० जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर केरल में काली मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या काली मिर्च उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान देश तथा केरल में काली मिर्च के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(उत्पादन हजार मीटरी टन)

वर्ष	अखिल भारत	केरल
1994-95	60.74	59.26
1995-96	61.58	59.94
1996-97	55.37	53.77

(ख) से (घ) केरल सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने चार मिनी मिशन रिपोर्टों नामतः अनुसंधान उत्पादन, स्टोरेज विपणन तथा गुणवत्ता सुधार एवं निर्यात प्रोत्साहन के तहत एक मुश्त कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की सिफारिश की। केरल सरकार ने 221.62 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से सात वर्ष के लिये राज्यीय कार्यकलाप के रूप में कार्यान्वयन हेतु काली मिर्च के लिए प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है। इस मिशन में काली मिर्च के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों एवं प्रयासों को एकजुट करना तथा इस फसल के विकास में जुटे इस राज्य में स्थित सभी राज्यीय एवं केन्द्रीय संस्थानों/एजेंसियों के कार्यकलापों को समेकित करना प्रतिपादित है। कृषि मंत्रालय द्वारा मामलों के विकास संबंधी चल रही केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत केरल सरकार को 1997-98 के दौरान 1349.92 लाख रुपये जारी किये गये। इसमें से 9.24 करोड़ रुपये काली मिर्च के विकास के लिये आबंटित किये गये जिसमें प्रस्तावित मिनी मिशन-2 (उत्पादन) के अधिकांश घटक शामिल हैं।

केरल सरकार द्वारा काली मिर्च संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (मैक्रो तथा मिनी मिशन) से संबंधित एक रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी थी। योजना आयोग ने इस रिपोर्ट की जांच की है। चूंकि काली मिर्च कार्यकलापों में अन्तरसरकारी तथा अंतर मंत्रालयीन समन्वयन निहित है, अतः योजना आयोग द्वारा संबंधित विभागों से टिप्पणियां मांगी गयी थी। विभिन्न सहयोगी एजेन्सियों/विभागों की वित्तीय भागीदारी के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि योजनाओं में गैर-सरकारी संगठन

176. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''कृषि में महिलाएं'' और ''कृषि विस्तार'' योजनाओं की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं; और

(घ) इन योजनाओं में प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ। केन्द्र सरकार समय-समय पर ''कृषि में महिलाएं'' और ''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार'' नामक योजनाओं की समीक्षा करती रही है।

(ख) इन स्कीमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा क्षेत्रों के भीतर समीक्षा, वार्षिक बैठकों एवं कार्यशालाओं अंत विषयी दलों के दौरों और अंत परामर्श अध्ययनों के माध्यम से की जाती है।

(ग) इस समय ''कृषि में महिलायें'' नामक योजना के क्रियान्वयन में कोई भी गैर-सरकारी संगठन शामिल नहीं है। ''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार'' नामक योजना के क्रियान्वयन में 14 गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं जिसमें 8 राज्य कवर होते हैं। एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख कार्यों में कृषि पद्धति का दस्तावेजीकरण, श्रव्य एवं दृश्य सहायता की तैयारी एवं सहकारी प्रदर्शनों की आयोजना, कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे शामिल हैं।

विवरण

''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार''-योजना के क्रियान्वयन में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों के नाम

1. श्री अरविन्दो संस्थान,
ग्रामीण विकास, गद्दापल्ली 508 201,
जिला नालगोंडा
(आन्ध्र प्रदेश)

2. यूथ फार एक्शन,
1-8-702/26/1,
पद्मा कालोनी,
हैदराबाद-500 044
आन्ध्र प्रदेश

3. रामकृष्ण आश्रम,
मोराबड़ी, रांची-834008
बिहार

4. ग्राम निर्माण मंडल,
सर्वोदय आश्रम,
सोधोदेओरा,
नवादा-850 106 (बिहार)

5. श्रेष्ठ धर्मशालास्थल,
(ग्रामीण विकास ब्रांच),
धर्मशेष्ठलया, दक्षिण कानारा-574 216.

6. मर्यादा दामलूर, लेआउट,
कोलर जिला, बंगलोर-560 071
कर्नाटक

7. रामाकृष्ण मिशन आश्रम,
नारायणपुर, पी.ओ. बस्तर-494 661,
मध्य प्रदेश

8. कस्तूरबा गांधी मिमोरियल राष्ट्रीय मिमोरियल ट्रस्ट,
कस्तूरबा ग्राम, इंदौर-452 020
मध्य प्रदेश

9. मणिपुर रामाकृष्णा सोसाइटी,
प्रजातंत्र बिल्डिंग्स,
इम्फाल-795 001
मणिपुर

10. रामाकृष्णा सेवा केन्द्र,
धेबरी, खोवई-700 001,
पश्चिम त्रिपुरा।

11. जनवासी सेवा आश्रम,
वाया तुर्रा गोविन्दपुर,
सोनभद्रा, मिर्चापुर,
उत्तर प्रदेश-231 221

12. रामकृष्ण मिशन आश्रम,
नरेन्द्रपुर-743 508
24, परगना (एस)
पश्चिम बंगाल

13. कल्यान,
द्वारा रामाकृष्ण मिशन आश्रम,
नरेन्द्रपुर - 743 508
जिला - पूर्णिया,
पश्चिम बंगाल

14. हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर,
744, इंदिरा नगर, फेस-2,
पी.ओ. न्यू फोरेस्ट,
देहरादून - 248 006
उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

परमाणु नीति

178. प्रो० पी.जे. कुरियनः
श्री माधवराव सिंधियाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी परमाणु नीति की, जिस का वह अब तक पालन करती रही है, समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार की तरह भारत सरकार भी आणविक शस्त्रों के विकास में चीन द्वारा पाकिस्तान को सतत् दी जा रही मदद को लेकर चिंतित है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का क्या-क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 11 और 13 मई, 1998 को पोखरन में हाल के नाभिकीय परीक्षण करने के पश्चात् सरकार, देश की परमाणु नीति की समीक्षा की प्रक्रिया कर रही है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) पास-पड़ोस में हो रही घटनाओं और सार्वभौमिक

नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से संबंधित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत की सुरक्षा स्थिति की निरन्तर रूप से समीक्षा की जा रही है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के सम्मुख आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

179. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार तथा बाहरी एजेंसियों द्वारा पृथक-पृथक प्रत्येक परियोजना हेतु दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक इन परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान आज की तारीख तक मंजूर किए गए उड़ीसा की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कार्यान्वित की जा रही वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संघ सरकार द्वारा केवल पोट्टेरू सिंचाई परियोजना को 104.83 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

(घ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 में उड़ीसा की किसी भी वृहद और मध्यम परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है।

विवरण

क्षमता हैक्टेयर में/राशि करोड़ रुपये में

क्र० सं	परियोजना का नाम	शुरू की गई योजना	नवीनतम अनुमानित लागत (वार्षिक योजना 1997-98)	3/97 तक संचयी व्यय (संभावित)	चरम सिंचाई क्षमता	वार्षिक योजना 1996-97 की समाप्ति तक सृजित संचयी क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
	चल रही वृहद परियोजनाएं					
1.	अपर इन्द्रावती बांध (50% सिंचाई हिस्सा)	1978-80	193.59	126.84	218.60	41.31
	सिंचाई	-तदैव-	779.32	217.50		
2.	अपर कोलाब परियोजना बांध (50% सिंचाई हिस्सा)	V	48.81	52.81		
	सिंचाई	V	258.83	182.05	88.76	74.06
3.	सुबर्णरेखा (790.52 रुपये के लिए 27.8.93 को)	vii	1232.45	308.86	190.96	-
4.	रेंगाली बांध (50% सिंचाई हिस्सा)	V	40.77	41.01		
	सिंचाई	V	2402.39	242.68	423.60	-
5.	महानदी चित्रोक पलाइलैण्ड सिंचाई परियोजना	1990-91	135.79	74.46	34.88	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	पोट्टेरू सिंचाई परियोजना	iv	148.07	131.00	109.88	54.17
चल रही मध्यम परियोजनाएं						
1.	हरिहरजोर	1978-80	53.59	52.40	13.70	10.60
2.	बड़ानाला	vii	91.75	87.02	13.74	11.00
3.	बिरूपाधुनगंटी	vii	11.46	12.99	6.03	3.59
4.	हरभंगी	1978-80	93.82	91.49	15.97	6.95
5.	अपर जोंक	1978-80	83.13	78.61	16.40	8.70
6.	भाघुआ चरण-II	1978-80	40.80	32.49	3.39	2.89
7.	देव	vii	52.23	27.15	15.64	–
8.	बागालती	vii	45.44	11.32	6.05	–
9.	सपुआ बड़ाजोर	vii	23.21	22.11	3.75	–
10.	तितलागढ़	viii	21.13	3.94	2.95	–
11.	तेलांगिरि	viii	53.80	0.50	13.78	–
12.	कटरा	viii	23.22	–	–	–
13.	मन्जोर	viii	37.70	6.89	10.42	–
14.	रूकुरा	viii	24.34	1.22	7.64	–

घटिया कीटनाशक

180. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फर्मों द्वारा लाये गये घटिया कीटनाशकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है और इससे बड़ी संख्या में किसानों का जीवन बर्बाद हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे कृषि उत्पादन में दो प्रतिशत कमी हुई है और इन कीटनाशकों के उपयोग के फलस्वरूप जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं वे आत्महत्या कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो घटिया कीटनाशकों के प्रयोग की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने इस मामले को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ उठाया है और इसकी जांच करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) इस विभाग को घटिया कीटनाशी दवाइयां भारत लाये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। किसी भी घटिया आयातित कीटनाशी दवा के उपयोग के परिणामस्वरूप किसानों की मृत्यु होने के बारे में भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कीटनाशी दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन का दायित्व संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कीटनाशी दवा निरीक्षकों द्वारा विनिर्माण परिसरों, वितरण/बिक्री केन्द्रों से नमूने एकत्र करके उन्हें राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु भेजा जाता है। यदि कीटनाशी दवाइयां घटिया स्तर की पायी जाती हैं, तो राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा घटिया कीटनाशी दवा के विनिर्माताओं/सप्लायरों के विरुद्ध अभियोजन कायम किया जाता है।

क्षेत्रीय आदान सम्मेलनों तथा खरीफ/रबी संबंधी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनों में गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थाओं तथा मिलावटी कीटनाशी दवा व्यापारियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

राज्य कीटनाशी दवा निरीक्षकों तथा कीटनाशी दवा विश्लेषकों की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कीटनाशी दवाओं के अनुचित प्रयोग से फसलों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए किसानों को कीटनाशी दवाओं के युक्तियुक्त उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसानों से पारिस्थितिक हितैषी समेकित कीट प्रबन्ध अपनाने के लिए कहा जा रहा है।

(घ) और (ङ) जहां तक कीटनाशियों का संबंध है कृषि एवं सहकारिता विभाग और रसायन और उर्वरक मंत्रालय पारस्परिक निकट संबंध बनाये हुए हैं।

गेहूं का समर्थन मूल्य

181. डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसमें 55 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी शामिल है;

(ग) क्या हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने सरकार से गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) 1998-99 में बिक्री के लिये 1997-98 की फसल के लिये भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 455 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। हरियाणा और पंजाब सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः 600 रुपये प्रति क्विंटल और 610 रुपये प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है। बढ़ती हुई सरकार ने यह निर्णय लिया कि 1 अप्रैल, 1998 से 10 जून, 1998 तक केन्द्रीय पूल में गेहूं की अधिप्राप्ति के लिये किसानों को 455 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 55 रुपये प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस दिया जाए।

भारत-अमरीका संबंध

182. श्री तथागत सत्पथी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत की नई सरकार के साथ कार्य करने में अत्यधिक रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नई सरकार के गठन के पश्चात् भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन आया है;

(ग) क्या नई सरकार ने भारत के साथ संबंधों में सुधार लाने की संयुक्त राज्य अमरीका की इच्छा का स्वागत भी किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो संबंधों में कितना सुधार किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अमरीका के साथ अच्छे, स्थायी संबंधों की दिशा में कार्य करने की भारत की दीर्घकालिक नीति रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने इस बात का स्वागत किया है कि अमरीका और भारत हमारे पारस्परिक लाभप्रद संबंधों को व्यापक तथा गहन बनाने और सहयोग के क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए व्यापक आधारित वार्तालाप करने में जुटे हुए हैं।

(घ) अमरीका द्वारा अपने नाभिकीय प्रसार निवारक अधिनियम 1994 के अधीन आर्थिक प्रतिबंधों की ढाल की घोषणा हमारे द्विपक्षीय सहयोग के विकास को प्रभावित कर सकती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मान्यवर कांशी राम को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।..... *..(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*.....(व्यवधान)**

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी मद लिया जाना है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के माननीय नेता बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए, फिर पूछिए। अपना प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है। अपना प्रश्न पूछने की यह कोई जगह नहीं है। यह ठीक नहीं है। पहले आप अपने स्थान पर जाइए फिर अपना प्रश्न पूछिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद कपूर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मायावती जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए।.....*(व्यवधान)* उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देंगे।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, मायावती अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। वे अपने स्थान पर वापिस जा रही हैं। इसलिए उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप पहले अपने स्थान पर जाइए फिर जो आप कहना चाहते हैं कहिए। परन्तु पहले अपने स्थान पर जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : मायावती जी को आप बोलने का मौका दीजिए, वे अपनी जगह पर जाकर बैठेंगी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय कुमारी मायावती और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : अब उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है तो उनको बोलने की अनुमति दी जाये। यह तात्कालिक महत्व का मामला है, वहां गोली चल गई है और कांशी राम जी राष्ट्रीय नेता हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, : नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : तो उनकी बात को हम लोगों को सुनना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आप पहले यह बताइये कि गोली चली है या नहीं चली है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सरकार यह बयान दे कि गोली चली है या नहीं चली है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सबसे पहले, हमें अगली मद सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करनी चाहिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1995 के संबंध में अधिसूचना

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1995 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 6 जुलाई, 1995 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538 (अ) में प्रकाशित हुई थी का कतिपय शुद्धि-पत्र जो दिनांक 1 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 166 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 152/98]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : हम नहीं चलने देंगे। *.....(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मौका दूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

अपराह्न 12.11 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

भारतीय रेलवे—कुछ विषय और विकल्प संबंधी स्थिति पत्र

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

भारतीय रेलवे--कुछ विषय और विकल्प सम्बन्धी स्थिति पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 153/98]

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.12 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : ये दलितों की बात कहना चाहती हैं, इनको मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, उन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.13 बजे

इस समय कुमारी मायावती तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर कुछ महत्वपूर्ण पत्र रखे जाने हैं। मैं अब श्री राम नाईक जी का नाम पुकारता हूँ।

संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत जारी अध्यादेश, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत

निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 5)

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 154/98]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 155/98]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित वाणिज्य पोत (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 156/98]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 157/98]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 158/98]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 159/98]

(7) राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 11)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 160/98]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 12)

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 161/98]

(9) राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1988 का संख्यांक 13)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 162/98]

(10) राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 14)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 163/98]

(2) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 164/98]

[अनुवाद]

स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, के कार्यकरण की समीक्षा, उसका वार्षिक प्रतिवेदन, पत्रों को रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण, इत्यादि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 165/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपरोक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 166/98]

(5) गुजरात राज्य बीमा निगम लिमिटेड का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 167/98]

(6) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 168/98]

(7) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 169/98]

(9) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नेशनल कांउसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10. उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 170/98]

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं तथा संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक-प्रतिवेदन इत्यादि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम.आर. अनार्थनन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर की संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम 1997 जो 12 जुलाई, 1997 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 284 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1997 जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम 1997 जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1997 जो 12 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कॉडर संख्या का नियतन)

चौथा संशोधन विनियम 1997 जो 9 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 304 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम 1997 जो 9 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम 1997 जो 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 310 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम 1997 जो 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम 1997 जो 4 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1997 जो 4 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम 1997 जो 4 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 346 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम 1997 जो 4 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 171/98]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सैंघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1996-97 का सैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय आठ में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 172/98]

श्री के.एस. राव (मछलीपट्टनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। मुझे एक घोषणा करनी है।

.....*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री के.एस. राव : महोदय, अभी-अभी श्री राम नाईक ने अनेक अध्यादेश सभा-पटल पर रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे बताइए कि किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : यह अनुच्छेद 123 (1) के अन्तर्गत है। इसमें कहा गया है कि :-

"उस समय को छोड़कर जब कि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तुरंत कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"
..... *(व्यवधान)*

महोदय, आपके पूर्वाधिकारी आदरणीय श्री मावलंकर ने जनवरी, 1947 में कहा था कि समय के अभाव में अध्यादेश जारी करना एक वांछित परम्परा नहीं है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने यह भी कहा था कि अत्यावश्यक तथा आपात मामलों के अतिरिक्त अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक है और इसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

समय के अभाव में मैं दस में से केवल एक अध्यादेश का उल्लेख करना चाहूंगा वह है, 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 की संख्या 13) जिसे 25 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था।.....*(व्यवधान)* कुछ मिनट पहले सैकड़ों कृषकों द्वारा की गई आत्महत्याओं के संबंध में सभा में काफी शोर-शराबा था। कृषकों द्वारा की गई आत्महत्या का एक कारण कीटनाशकों तथा उर्वरकों में मिलावट होना भी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम इतना अधिक सख्त था कि यदि कोई व्यापारी अथवा व्यवसायी मिलावट का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अब, इस संशोधन द्वारा सजा की अवधि को कम कर के दो वर्ष कर दिया गया है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह क्या है?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एस. राव जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। और वे इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा के लिए भी सहमत हो गए हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, एक घोषणा करनी है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें?

.....(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : महोदय, सात वर्ष की सज़ा को कम करके दो वर्ष करना अत्यावश्यक कहां है? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार उन व्यापारियों और व्यवसायियों को बढ़ावा देना चाहती है जो कि काले धंधे और मिलावट में लिप्त हैं। सामान्यतः देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक धारणा कि वह व्यापारियों और व्यवसायियों का पक्ष लेती है.....*(व्यवधान)* इस अध्यादेश से उनके इरादे तथा उनकी सामान्य छवि का पता चलता है।

महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बात के लिए कहें कि ऐसे अध्यादेशों को प्रोत्साहित न किया जाए जैसा कि उनके पूर्वाधिकारी ने विगत में अनेक बार ऐसा किया है।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

सभापति तालिका के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत, मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ:

1. श्री पी.एम. सईद
2. श्री खगपति प्रधानी
3. डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
4. प्रो० रीता वर्मा
5. श्री के. येरननायडू
6. श्री वी. सत्यमूर्ति
7. श्री वसुदेव आचार्य
8. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
9. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

अध्यक्ष महोदय : अब कुमारी मायावती कृपया अपना भाषण दें। कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहें। आज हमें एक महत्वपूर्ण विषय लेना है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : कोई भी हाउस को चलने नहीं देगा तो क्या आप उसको टाइम दे देंगे?.....*(व्यवधान)* क्या बाकी लोग समान नहीं हैं? अगर कोई भी हाउस को चलने नहीं देगा तो क्या आप उसे टाइम दे देंगे?.....*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : यह आप वहां कहिए न।.....*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, ये आपकी रूलिंग पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं।.....*(व्यवधान)* आप गौर तो करिए कि कैसे कर रहे हैं? .....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : इनकी बात को आप किसलिए सुनेंगे? .....*(व्यवधान)* यह टाइम देने का कोई तरीका नहीं है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, आप श्री विजय गोयल जी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

.....(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : महोदय, यह प्रथा गलत है। वे यहां से बोलें। चेयर के समीप जाने की क्या जरूरत थी?

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, गलत या सही का इन्होंने

क्या ठेका ले रखा है? अगर रोक सकते हैं, तो रोक लें। हम बार-बार कहेंगे।.....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सदन की मर्यादा को भंग करके आपसे समय ले लेते हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, क्या सभा की कार्यवाही का संचालन वे कर रहे हैं?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहती हूँ कि दलित शोषित, पिछड़े वर्ग और अकलियत समाज के लोगों की आवाज को आज सदन में दबाया जा रहा है और सत्ता पक्ष के लोग दबा रहे हैं।. .....*(व्यवधान)* इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि संसद के बाहर इन लोगों के साथ कितने बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही होगी। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह मामला पार्लियामेंट के परव्यू में आता है। उत्तर प्रदेश में.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि राज्यों से संबंधित विषयों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। वे उत्तर-प्रदेश में कानून और व्यवस्था की समस्या के बारे में बोल रही हैं। हम किसी भी राज्य की कानून और व्यवस्था की सपस्या पर यहां चर्चा नहीं कर सकते, तो हम उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की समस्या पर कैसे चर्चा कर सकते हैं? अतः आपको इसे यहां उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस मामले को यहां कैसे उठाया जा सकता है? .....*(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : महोदय, इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति नही दी जा सकती.....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, केन्द्र में सत्ता दल, इस राज्य में भी सत्ता में है। कुछ माननीय सदस्य इस राज्य से संबंधित कुछ समस्याओं को उठा रहे हैं। उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल कुमारी मायावती को बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : सर्वप्रथम, उन्हें अपने रवैये में परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब अध्यक्ष महोदय उन्हें बोलने की अनुमति दे चुके हैं, तो उनका दायित्व है कि वे उन्हें बोलने दें.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती, आप अपना भाषण जारी रखें। पहले ही अपराह्न में 12.30 बज चुके हैं। कृपया पीठाध्यक्ष को सहयोग दें। कुमारी मायावती, कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ब्रीफ में नहीं, बल्कि असलियत आज सदन के सामने रखूंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगी। आज उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है, पिछड़ों की आवाज को दबाया जा रहा है, अकलियतों की आवाज को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकतन्त्र की हत्या हो रही है और भारतीय संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। भारतीय संविधान के रचयिता, बाबासाहब डॉ० अम्बेडकर की याद में हमारी सरकार ने अम्बेडकर स्थल का निर्माण किया था। हजरतगंज चौराहे पर एक तरफ बाबा साहब का स्टेचू लगा है और दूसरी तरफ गांधी जी का लगा है। लखनऊ में परिवर्तन चौक है। यह चौक हमने बाबासाहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले और छत्रपति साहूजी महाराज की याद में बनाया। उसके नजदीक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्टेचू है। वहीं पंडित दीनदयाल स्थल है और लक्ष्मण पार्क है। पंडित दीनदयाल स्थल पर लाइट जलती है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के स्टेचू पर लाइट जलती है। लक्ष्मण पार्क में लाइट जलती है और गांधी जी के स्टेचू पर लाइट जलती है, लेकिन बाबासाहब अम्बेडकर के स्टेचू पर लाइट नहीं जलती।

महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, शोषितों और पिछड़ों के ऊपर जुल्म हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग 21 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीसफुली प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, भारतीय संविधान के खिलाफ काम किया। उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेट्री ने, ...*(व्यवधान)* आप इनको पहले चुप कराएं, नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : 21 मई को, जब हम अपने महान पुरूषों के अपमान के खिलाफ और गरीबों, मजदूरों पर जो जुल्म, ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ पीसफुली प्रदर्शन करने के लिए निकलने वाले थे तो उससे दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के होम सेकेट्री ने राइटिंग

में यह सर्कुलर जारी किया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स जाएं उन्हें रोक दिया जाए। उनकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह डायरेक्शन दी कि अगर बी.एस.पी. का कोई भी वर्कर लखनऊ के लिए निकलता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह लोकतंत्र के खिलाफ है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इन माननीय महिला सदस्य को आपने मुख्य मंत्री के रूप में नामांकित किया था लेकिन आप उन्हें यहां बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आपने दो बार उन्हें वहां मुख्य मंत्री बनाया.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई उसे गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में संविधान के खिलाफ कार्य हुआ ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : वहां संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। आज मान्यवर कांशी राम जी के नेतृत्व में लोग पार्लियामेंट के बाहर, इस प्रदर्शन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। बी.जे.पी. की सरकार जो कार्य उत्तर प्रदेश में कर रही है, वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे महान पुरूषों का अपमान हो रहा है, जब इसके खिलाफ मान्यवर कांशी राम जी प्रदर्शन करने के लिए निकले तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गईं।.....*(व्यवधान)* पार्लियामेंट के बाहर मान्यवर कांशीराम जी को गिरफ्तार किया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केन्द्र में आपकी सरकार है, वे कहती हैं कि राजभवन पर अब प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन क्या आपको अधिकार है ? जब रोमेश भंडारी जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनका घेराव किया, उनका पुतला जलाया। इतना ही नहीं माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर के खिलाफ खुद वहां पर आमरण-अनशन पर बैठे थे, क्या वह संविधान के खिलाफ नहीं था ? जब दलित, शोषित समाज के लोग पीसफुली तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं तो मुझे गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को गिरफ्तार किया। जब लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज मान्यवर कांशीराम जी प्रदर्शन करने के लिए निकले तो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, कांशी राम जी को गिरफ्तार किया गया।

हमें माननीय प्रधान मंत्री जी बताएं कि क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है ? क्या यह संविधान के खिलाफ कार्य नहीं है ? पार्लियामेंट के बाहर पीसफुली तरीके से अपनी बात कहने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो संविधान के खिलाफ कार्य हो रहा है, हमारे महापुरूषों का अपमान हो रहा है, हम बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दलितों, शोषितों के ऊपर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि रोक क्यों लगाई गई ?.....*(व्यवधान)* आप चुप क्यों हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह पूर्णतः राज्य से संबंधित विषय है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तक आप जवाब नहीं देंगे,.....*(व्यवधान)* नेतागण रिजाइन नहीं करेंगे, हम देखते हैं तब तक हाउस कैसे चलता है ?

जब तक आप जवाब नहीं देंगे और हमारे नेताओं को रिहा नहीं करेंगे, हम देखते हैं हाउस कैसे चलता है। हम हाउस नहीं चलने देंगे।.....*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी हमें बताएं ..... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, मायावती जी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि आज उनकी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहां पर कोई प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के संदर्भ में मुझे यहां पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन यहां पर कोई प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन पर, आपका कहना है कि गोली चली। लेकिन अभी तक मुझे जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार कोई गोली नहीं चली है। ..... *(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : यह बिल्कुल गलत है.....*(व्यवधान)* कांशी राम जी को गिरफ्तार किया गया.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। .....*(व्यवधान)* एक एक्स एम.पी. खून में लथपथ.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उनकी बात सुनें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आप देश के प्रधान मंत्री हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि 21 तारीख को एक्स एम.पी. को गिरफ्तार किया गया था। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, पहले आप उनकी बात सुनिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इन्होंने तीन बार कहा है कि वे सदन नहीं चलने देंगे।.....*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप तो संविधान नहीं चलने दे रहे हैं.....*(व्यवधान)* हम इस देश के संविधान को चलवाएंगे। .....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दिल्ली के प्रदर्शन के संदर्भ में अगर कोई घटना किसी प्रकार की हुई होगी तो उसके पूरे तथ्य प्राप्त करके मैं इस सदन के सामने रखूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ मेरी बात सुनी जाए।.....*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जुल्म हुआ है। पांच सौ के करीब गिरफ्तारियां की गयी हैं और संगीन केसों में उनको गिरफ्तार किया गया है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो अब माननीय प्रधान मंत्री हाल ही में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के बारे में एक वक्तव्य देंगे। इसके बाद कल नेतागणों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित की जाएगी। सभा के पुनः समवेत होने के तत्काल बाद प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 143 के अन्तर्गत चर्चा होगी, जिसके लिए श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री वी.वी. राघवन के नाम स्वीकार किए गए हैं।

एक अन्य टिप्पणी भी करनी है। अपराह्न 2.00 बजे से 2.30 बजे तक दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन प्रसारित होंगे। इसलिए सभा के मध्याह्न भोजन का समय अपराह्न 1.30 बजे से 2.30 बजे तक होगा।

अब, माननीय प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.34 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, मैं सदन को उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो घटनाएं सत्रावसान के दौरान घटी हैं। 11 मई, 1998 को भारत ने तीन भूमिगत नाभिकीय परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किए। 13 मई को दो और भूमिगत परीक्षण करके परीक्षणों की योजनाबद्ध श्रृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूंगा कि यह सदन उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षा कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जिनकी अद्वितीय सफलता ने हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, अपने इस वक्तव्य के अलावा, मैं 'भारत की नाभिकीय नीति का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था तब नाभिकीय युग की शुरूआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हमने शीत युद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार कर दिया तथा गुट-निरपेक्षता के और कठिन रास्ते को चुना। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि नाभिकीय शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत की सुरक्षा अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारस्तंभ था और है।

पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी नाभिकीय शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान करने की पहल की। 2 अप्रैल, 1954 को लोकसभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ने कहा था, 'नाभिकीय, रासायनिक और जैविक उर्जा तथा शक्ति का उपयोग सामूहिक विनाश के हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने नाभिकीय हथियारों के निषेध और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से नाभिकीय परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। इस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया।

1965 में गुट-निरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा था जिसके अन्तर्गत नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश अपने शस्त्रागारों का परित्याग करने के लिए सहमत हों, बशर्ते अन्य देश भी इस प्रकार के हथियारों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने में संयम बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया गया। 60 के दशक में 'हमारी सुरक्षा चिंताएं' और बढ़ गईं। हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी मांगी लेकिन जिन देशों से यह मांग की गई थी वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं।

5 अप्रैल, 1968 को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारा आत्म-ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ही पूर्णतः हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे। यह संक्रांति काल था और उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था।

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में, हमने अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के नाभिकीय विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उस निर्णय का भी सर्वसम्मति से स्वागत किया था।

इसी बीच 80 और 90 के दशकों में नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप से ह्रास दिखाई दिया। हमारे आस-पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसके आलावा, भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आंतकवाद, उग्रवाद और परोक्ष युद्ध का भी शिकार हुआ है।

विश्व स्तर पर नाभिकीय शस्त्र हथियार मुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक और अपरिवर्तनीय कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके बजाए, अप्रसार संधि को उन पांच देशों के हाथों में नाभिकीय शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए अनिश्चित काल तक तथा बिना शर्त के विस्तारित किया गया।

ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया वह था हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे जिन्होंने इस देश को विचारों तथा कार्रवाई की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अग्रसर किया है।

भारत एक नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है। यह एक वास्तविकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छठे भाग वाले इस भारत को वांतव्य अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाती है। हमारा इरादा, इन हथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई नाभिकीय खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है। हमारा इरादा हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है।

विगत काल में हमने कई पहल किए हैं। हमें खेद है कि अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्यों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वस्तुतः यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो हमें वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाभिकीय शस्त्र अभिसमय के लिए वार्ता शुरू करने के लिए आह्वान करने में हम आगे रहे हैं तथा आगे रहेंगे ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार निबटा जा सके जिस प्रकार जैविकी हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय और रासायनिक हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निबटे थे।

भारत परम्परागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता प्रकट करती है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाने का इरादा रखती है।

हमारी नाभिकीय नीति संयम और खुलेपन से ओतप्रोत है। हमने न तो 1974 में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन नहीं किया है। 1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि, संयम से सामर्थ्य बढ़ता है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकता। हाल ही में भारत द्वारा की गई परीक्षणों की शृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई संतुलित थी यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी।

तत्पश्चात् सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इन पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा के विधि संगतीकरण की दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है।

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अवगत है। हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारे शक्ति का स्रोत है। इससे यह नहीं प्रकट होता कि यह निर्णय सही था अपितु यह भी जाहिर होता है कि हमारे देश को संकेन्द्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप में करने का संकल्प लेता हूँ। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गार पूर्ण समर्थन से अत्यधिक खुशी मिली है उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। हम आने वाले कठिन समय में भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन की आशा करते हैं।

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में इतिहास के यादगार क्षणों में है। सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है जिसने पांच दशकों तक हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरन्तर सफल हुई हैं। इस मतैक्य को कायम रखना जरूरी है क्योंकि हम अगली सहस्त्राब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मेरे वक्तव्य में तथा सदन के सभा पटल पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की विस्तार से चर्चा की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और भावी कार्रवाईयां प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलता और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति बचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाए कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा। विजयोल्लासवाद से बचते हुए हमें अपने साझे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करना चाहिए कि हम जैसे ही नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश करें, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उच्च स्थान मिले।

महोदय, मैं ''भारत की आणविक नीति का विकास'' शीर्षक से एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

भारत की आणविक नीति के विकास के बारे में विवरण*

सरकार ने 11 मई को एक वक्तव्य जारी करके यह घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हैं। दो और सब-किलोटन के भूमिगत परीक्षण करने के दो दिन के पश्चात् सरकार ने परीक्षणों की योजनाबद्ध श्रृंखला के पूर्ण होने की घोषणा की। 11 मई को 15.45 बजे किये गये तीन भूमिगत परीक्षण तीन अलग-अलग विधाओं के थे एक फिशन डिवाइस, एक कम शक्ति का सब किलोटन डिवाइस तथा एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। 13 मई को 12.21 बजे किये गए दो परीक्षण भी सब किलो टन रेंज से कम शक्ति वाले डिवाइस थे। इन परीक्षणों के परिणाम हमारे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुरूप रहे हैं।

1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ तब, आणविक युग की शुरूआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने आत्म-निर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने शीत युद्ध के प्रतिमान को, जिसकी छाया दिगन्त में उत्पन्न हो रही थी अस्वीकार कर दिया तथा अपने को किसी ब्लाक के साथ जोड़ने के बदले, हमने गुट-निरपेक्षता के कठिन रास्ते को चुना। इसके लिए आवश्यकता थी कि हम अपनी संसाधनों, अपनी कार्यकुशलता तथा सृजनात्मक शक्ति और लोगों के समर्पण के जरिए राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करें। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी पहल विज्ञान का विकास तथा वैज्ञानिक भावना को लोगों के मन में बिठा कर की थी। यही वह पहल थी जो 11 और 13 मई की सफलताओं का आधार बनी और जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों के बीच अनुकरणीय सहयोग के जरिए संभव बनाया जा सका। निरस्त्रीकरण उस समय तथा अभी भी हमारी विदेश नीति में एक बड़ी बाधा रही है। वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर स्वतंत्रता की अनोखी लड़ाई लड़ी हो, के लिए केवल यही मार्ग बचता था और अभी भी है।

आणविक तकनीकी के विकास ने विश्व सुरक्षा को बदल दिया है। हमारे नेताओं का यह कहना था कि आणविक हथियार युद्ध के हथियार नहीं थे बल्कि, बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार थे अतः एक आणविक शस्त्र मुक्त विश्व से न केवल भारत की सुरक्षा में अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि होगी। हमारी आणविक नीति में यही सबसे बड़ी बाधा है। सामान्य तथा भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण के अभाव में हम एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते जो आणविक हथियार संपन्न और आणविक हथियार विहीन राष्ट्रों के बीच एक मनमाने विभाजन का निर्माण करता है। भारत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने सर्वोपरि राष्ट्रीय हितों के बारे में निर्णय लेने और उसे लागू करने का सार्वभौमिक

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० - 173/98]

अधिकार है। हम राष्ट्रों के समान और वैध सुरक्षा हितों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं तथा इसे एक संप्रभु अधिकार मानते हैं, साथ ही हमारे नेताओं ने प्रारंभ में ही यह समझ लिया कि आणविक तकनीकी में आर्थिक विकास की असीम क्षमताएं हैं, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए जो काफी वर्षों से चले आ रहे औपनिवेशिक शोषण के कारण बनी तकनीकी खाई को फांदने का प्रयास कर रहे हैं। इस विचारधारा की झलक स्वतत्रता के एक वर्ष के अंदर 1948 में पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम में मिलती है। आणविक निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में तब से हमारे द्वारा की गई अनेक पहलकदमियां हमारी उन घोषित नीतियों के अनुरूप ही रही हैं।

पचास के दशक में परमाणु परीक्षण जमीन पर हुआ और विशिष्ट मशरूम बादल आणविक युग के स्पष्ट प्रतीक बन गये। उस समय भारत ने आणविक हथियार दौर को समाप्त करने के लिए पहल की और प्रथम कदम के रूप में सभी आणविक हथियार परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान किया। प्रथम हाइड्रोजन बम के परीक्षण के तुरंत पश्चात, 2 अप्रैल, 1954 को लोक सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'आणविक, रासायनिक और जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने में नहीं किया जाना चाहिए।'' उन्होंने आणविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से आणविक परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। उस समय तक विश्व में 65 से कम परीक्षण हुए थे। हमारे आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया। 1963 में वायुमंडलीय परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक करार किया गया परन्तु उस समय तक राष्ट्रों ने भूमिगत आणविक परीक्षण की तकनीक विकसित कर ली थी, और आणविक हथियार दौड़ अबाध गति से जारी रही। तीन दशकों के पश्चात् जब 2000 से अधिक परीक्षण कर लिये गये, तब ढाई वर्षों की वार्ताओं के पश्चात् जिसमें भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1996 में एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। इस संधि के अंतिम रूप में अनेकों ऐसी बातें छोड़ दी गई थी जिन्हें उसमें होना चाहिए था। न तो यह व्यापक थी और न ही यह निरस्त्रीकरण से संबंधित।

1965 में गुट निरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा जिसके अन्तर्गत आणविक शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों को त्याग देने के लिए सहमत होंगे बशर्ते अन्य देश भी ऐसे हथियारों के विकास करने और उन्हें प्राप्त करने से परहेज करेंगे। लगभग 30 वर्ष पूर्व जब 1968 में परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) अस्तित्व में आया तो अधिकारों और बाध्यताओं का वह संतुलन नहीं था। साठ के दशक में हमारी सुरक्षा चिन्ताएं बढ़ी थी। किंतु नाभिकीय शस्त्रों से हमें ऐसी घृणा थी और उन्हें प्राप्त करने से बचने की हमारी इतनी इच्छा थी कि इसके बजाय हमने विश्व की प्रमुख नाभिकीय शक्तियों से सुरक्षा की गारंटी मांगी। जिन देशों से हमने समर्थन और सहयोग की मांग की थी वे हमारी तत्कालीन मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। इन्हीं कारणों से भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

लोक सभा में 5 अप्रैल, 1968 को अप्रसार संधि पर वाद-विवाद हुआ। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि 'हमारा' आत्म-ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ही पूर्णतः हमारा दिशा निर्देशन करेंगे। नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति देश की वचनबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने अप्रसार सन्धि की कमियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को और देश को सचेत किया कि सन्धि पर हस्ताक्षर न करने से राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिनाईयां आ सकती हैं। इसका तात्पर्य है कि सहायता पर रोक और सहयोग पर रोक। चूंकि हम यह निर्णय मिलकर ले रहे हैं अतः हमें इसके परिणामों का मुकाबला भी मिलकर ही करना चाहिए।' यह एक संक्रातिकाल था। उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वसम्मति दर्शाते हुए सरकार के निर्णय को संबल प्रदान किया।

अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय विचार और कार्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में हमने अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के नाभिकीय विकल्प की सुरक्षा करने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखा। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 के निर्णय के मूल में ही यही प्राथमिक कारण था, इस निर्णय का भी सदन ने एक बार फिर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था। उस समय हमारा दृष्टिकोण यह था कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से भारत की नाभिकीय क्षमता का एक अस्वीकार्य निम्न स्तर पर गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। हमारे सुरक्षित अधिकार और भी बढ़ गए क्योंकि सी.टी.बी.टी. भी नाभिकीय निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अमल में नहीं लाई। अतः दोनों स्थितियों में एक बार फिर हमारी सुरक्षा चिन्ताएं अनसुलझी रह गईं। 1996 में इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने इस सदन को सरकार के तर्क के बारे में स्पष्टीकरण दिया था।

इसी बीच 80 और 90 के दशक में नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र प्रसार के परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक ह्रास हुआ। हमारे पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों में वृद्धि हुई और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों की स्थापना कर ली गई। इससे भी अधिक, हमारे क्षेत्र में परोक्ष रूप से नाभिकीय सामग्री प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बारे में पता लगा। इस अवधि में भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद तथा भाड़े के सैनिकों के माध्यम से परोक्ष युद्ध का शिकार हो गया।

शीत युद्ध की समाप्ति 20वीं सदी के इतिहास में विभाजक रेखा को चिह्नित करती है। हालांकि इसने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदला तथापि इसने भारत की सुरक्षा चिंताओं का समाधान निकालने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। सापेक्ष व्यवस्था जिस तक यूरोप में पहुंचा गया था, विश्व के अन्य भागों में नहीं दोहराई गई थी।

विश्वव्यापी स्तर पर, नाभिकीय शस्त्र संपन्न देशों की तरफ से नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक तथा अपरिवर्तनीय कदमों को उठाने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके बजाय अप्रसार संधि को उन पांच देशों के हाथों में नाभिकीय शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, अनिश्चित काल तक तथा बिना शर्त के विस्तारित किया गया। कुछ देशों के ऐसे सिद्धांत हैं जो नाभिकीय शस्त्रों के पहले प्रयोग की अनुमति देते हैं। ये देश अपने नाभिकीय शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में भारत के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े कि देश के नाभिकीय विकल्प को सदियों से विकसित तथा सुरक्षित, स्वैच्छिक, स्वआरोपित नियंत्रण द्वारा ह्रास होने की अनुमति न दी जाए। निःसंदेह इस प्रकार के क्षरण से हमारी सुरक्षा पर गैर-मियादी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इस प्रकार सरकार को इस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी जिसने हमारा मार्ग प्रशस्त किया हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। 11 और 13 मई के परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे जिन्होंने देश को विचार और कार्रवाई की आत्मनिर्भरता तथा स्वंतत्रता के पथ पर अग्रसर किया है। तथापि, कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब चुना हुआ रास्ता कंटकमय हो जाता है और निर्णय लेना पड़ जाता है। हमारे नाभिकीय अध्याय में 1968 के साथ-साथ 1974 और 1996 ऐसे ही क्षण थे। इन प्रत्येक क्षणों में हमने राष्ट्रीय हित द्वारा किया निर्देशित तथा राष्ट्रीय सर्वानुमति द्वारा समर्थित सही निर्णय लिया था। 1998 के निर्णय का जन्म पूर्ववर्ती निर्णयों की कठोर परीक्षा से हुआ था। यह तभी संभव हो सका क्योंकि वे निर्णय विगत में तथा उचित समय पर सही तरीके से लिए गए थे।

ऐसे समय में जब उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में गतिविधियां द्रुत गति से स्थान ले रही हैं। नए तौर-तरीकों को अभिज्ञात, परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उस कौशल को वैज्ञानिकों की समकालीन तथा बाद की पीढ़ियों तक बनाए रखने की बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकें। भारत द्वारा किए गए पांच परीक्षणों की सीमित श्रृंखला ठीक इसी प्रकार का एक अभ्यास था। हमने अपने बताए हुए उद्देश्य को प्राप्त किया। इन परीक्षणों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े विभिन्न अनुप्रयोगों तथा विभिन्न निक्षेपण प्रणालियों के लिए विभिन्न उत्पन्न द्रव्यों के नाभिकीय शस्त्रों के अनुरूप हमारी क्षमताओं को वैध ठहराने के लिए समालोचनीय है। इसके साथ-साथ, इन परीक्षणों से हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो वे नई डिजायनों के कम्प्यूटर अनुरूपण में और उन्हें सब-क्रिटिकल प्रयोग करने में समर्थ बनाने में सक्षम होंगे। तकनीकी क्षमता की दृष्टि से विश्वसनीय निवारक सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास अपेक्षित संसाधन हो गए हैं।

हमारे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ हमारी नीतियों में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, भारत शान्ति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन देने, और द्विपक्षीय बातचीत एवं वार्ताओं के माध्यम से सभी अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। ये परीक्षण किसी देश के विरूद्ध नहीं किए गये हैं, इनका उद्देश्य भारत की जनता को अपनी सुरक्षा के प्रति पुनः आश्वस्त बनाना था और अपने इस निश्चय से अवगत कराना था कि इस सरकार के पास पिछली सरकारों की तरह क्षमता है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा का संकल्प लेती है। सरकार परस्पर लाभकारी संबंधों में सुधार लाने के लिए और एक-दूसरे के क्रियाकलापों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर वार्ता करेगी। विश्वासोत्पादन सतत् प्रक्रिया है, और हम इसके प्रति कृतसंकल्प हैं। परीक्षणों के परिणामस्वरूप तथा हमारी सुरक्षा चिन्ताओं के अपर्याप्त मूल्यांकन से कुछ देशों ने हमें वे कदम उठाने को कहा जिनसे हमें दुख हुआ है। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देते हैं। हम वार्ता के लिए वचनबद्ध हैं तथा इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि भारत की सुरक्षा कायम रहने से इन देशों के साथ कोई विवाद नहीं होगा।

भारत नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है। यह एक वास्तविकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा दी गयी एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छठे भाग वाले इस भारत का उचित अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारी उत्तरदायित्व के भाव को, शक्ति के उत्तरदायित्व और बाध्यता को जोड़ती है। भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के प्रति सचेत रह कर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय पैदा करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत को कोई नाभिकीय खतरा नहीं है, अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है। 1994 में हमने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से यह वचन लें कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी-अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। सरकार ने इस अवसर पर अपनी यह तत्परता दोहराई कि वह उस देश के साथ तथा अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय तौर पर अथवा सामूहिक रूप से 'पहले प्रयोग नहीं करने' से सम्बद्ध करार पर बातचीत करें। भारत हथियारों की दौड़ में नहीं रहेगा। भारत शीत युद्ध के सिद्धांतों में योगदान नहीं करेगा अथवा पुनर्प्रतिपादन नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत के प्रति बचनबद्ध है कि नाभिकीय हथियारों के सार्वभौम उन्मूलन की धारणा इसकी सुरक्षा के साथ-साथ शेष विश्व की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यह विशेषकर अन्य नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों से अनुरोध करता रहेगा कि वे इन उपायों को अपनाएं जो इस लक्ष्य के प्रति अर्थपूर्ण रूप से योगदान करेंगे।

पूर्व में कई पहलकदमियां की गई हैं। 1978 में भारत ने एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के लिए वार्ता का प्रस्ताव किया था जो नाभिकीय हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग के भय का निषेध करेगा। इसके बाद 1982 में एक अन्य पहलकदमी की गई

जिसे 'न्यूक्लीयर फ्रीज' कहा गया हथियारों के लिए विखण्डय सामग्रियों के उत्पादन, नाभिकीय हथियारों के उत्पादन तथा संबंधित डिलीवरी सिस्टम पर रोक। 1988 में हमने एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। हमें खेद है कि अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्यों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो भारत को वर्तमान परीक्षण नहीं करना पड़ता। यही बात है कि जहां नाभिकीय हथियारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूसरे से भिन्न है। यही भिन्नता हमारे नाभिकीय सिद्धांत की आधारशिला है। यह बड़े पैमाने पर सभी नाभिकीय हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए नियंत्रण और संघर्ष करने का प्रतीक है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन जो नाभिकीय निरस्त्रीकरण को उच्चतम प्राथमिकता देता आ रहा है, द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से की गई ऐसी पहलकदमियों का समर्थन करता रहेगा। हाल ही में पिछले सप्ताह कार्टजेना में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बात की पुनः पुष्टि की गई जिसने निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन सहित नाभिकीय हथियार अभिसमय में अपना यह आह्वान दोहराया कि उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर एक तदर्थ समिति की स्थापना की जाए जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के सिलसिले में 1988 में बातचीत शुरू कर दे। 113 गुट-निरपेक्ष देशों की एक सामूहिक आवाज सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को परिलक्षित करती है जिसके प्रति भारत वचनबद्ध रहा है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों में से एक सदस्य का प्रस्ताव जिसे हम अत्यधिक महत्व देते हैं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख करना था जिसके फलस्वरूप 8 जुलाई, 1996 को सलाहकार मत के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सर्वसम्मत घोषणा करना था कि 'सख्त और प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत अपने सभी पहलुओं में नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में नेकनीयती से बातचीत सम्पन्न करने की बाध्यता विद्यमान है', इस मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से जिन देशों ने अनुरोध किया उनमें भारत भी एक है। अन्य किसी नाभिकीय शास्त्र सम्पन्न राज्य ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया, वास्तव में वे इसकी निन्दा करना चाहते थे। नाभिकीय शस्त्र अभिसमय के लिए बातचीत शुरू करने में हम हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे ताकि इस चुनौती को उसी प्रकार से निपटा जा सके जिस प्रकार जैविकी हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय तथा रासायनिक हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महा विनाशक हथियारों से निबटे थे। अपने निरस्त्रीकरण संबंधी व्यापक, सार्वभौमिक तथा भेदभाव रहित दृष्टिकोणों के प्रति वचनबद्धता को कायम रखने में भारत इन दोनों अभिसमयों का एक आरंभिक पक्षकार राज्य है। तदनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण-रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन-को अपने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की योजना शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा।

भारत परम्परागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता परिलक्षित करती है। हाल के वर्षों में, नई चुनौतियों का सामना करते हुए हमने सार्क, हिन्द महासागर रीम संघ के क्षेत्रीय सहयोग तथा आसियान क्षेत्रीय मंच के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय सहयोग को सक्रियता से संवर्धित किया है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं और सरकार इन संबंधों को सघन और मजबूत बनाएगी।

हमारी नाभिकीय नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। इसने न तो 1974 में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करारों का उल्लंघन किया है। हाल के वर्षों में अपने संभाषणकर्ताओं को हमारी चिन्ता से अवगत करा दिया गया है। 1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि संयम से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकती। संयम तभी तक जायज है जब तक संशयों का निवारण नहीं हो जाता। भारत द्वारा किए गए परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई एकदम संतुलित थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। अतः सरकार के इस निर्णय को संयम बरतने की उस परम्परा के भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जो पिछले पचास वर्षों में हमारी नीति की मुख्य विशेषता रही है।

परीक्षणों के उपरान्त सरकार ने पहले ही यह बता दिया है कि भारत अब इन पर अपनी ओर से प्रतिबन्ध लगा देगा तथा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। सरकार ने इस घोषणा के कानूनन निर्दिष्टीकरण की दिशा में अग्रसर होने की इच्छा का भी संकेत दिया है। नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों से दूर रहने की व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की प्राथमिक बाध्यता इस प्रकार पूरी हो जाती है। अपनी ओर से की गई इस घोषणा का अभिप्राय सार्थक वचनबद्धता के लिए हमारे आशय की गंभीरता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना है। अपने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति अपने आपको आश्वस्त कर लेने के पश्चात् और निर्णय बाद में लिए जाएंगे।

भारत ने विखण्डनीय पदार्थ कट ऑफ संधि पर जेनेवा में होने वाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन की बातचीत में भाग लेने के लिए अपनी तत्परता का संकेत भी दिया है। इस संधि का बुनियादी उद्देश्य नाभिकीय हथियारों या नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों को प्रयोग में लाने के लिए विखण्डनीय पदार्थों के भावी उत्पादन पर रोक लगाना है। इन बातचीतों में भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना रहेगा कि यह संधि एक प्रभावकारी जांच तंत्र द्वारा समर्थित एक सार्वभौमिक तथा भेद-भाव रहित संधि के रूप में उभर कर सामने आए। जब हम इन वार्ताओं की शुरूआत करें तब सरकार राष्ट्र की शस्त्र-सुसज्जित नाभिकीय प्रतिरोधकता की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता को पूर्ण विश्वास में लेगी।

यद्यपि हम न तो अप्रसार संधि के पक्षकार हैं और न ही हम नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं फिर भी भारत ने नाभिकीय पदार्थों तथा उससे सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर

प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है। फिर भी भारत परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध है तथा उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर निर्यात नियंत्रण बनाए रखा है ताकि हमारे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी ज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों का रहस्योद्घाटन न हो जाए। वास्तव में इस संबंध में भारत का आचरण अप्रसार संधि के कुछ पक्षकार देशों के मुकाबले बेहतर रहा है।

भारत ने विगत में अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय अप्रसार प्रणाली की अपर्याप्तता पर अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा देश इसमें शामिल होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था हमारे देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती। इनका समाधन सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के हमारे अधिमानी दृष्टिकोण की दिशा में अग्रसर होने से किया जा सकता है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, अतः भारत को उभरती हुई व्यवस्था से अलग खड़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ा है ताकि उसके कार्य करने की स्वतंत्रता पर कोई दबाव न डाला जाए। यह यथार्थ रास्ता है जिसका अनुपालन पिछले तीन दशकों से दृढ़ता पूर्वक किया जाता रहा है वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण देशों के साथ भारत की वार्ता का अधार होगा जिसके प्रति हमारे गंभीर आशय और इच्छा का अनुसरण किए जाने की है ताकि आपसी हित चिन्ताओं का संतोषजनक हल निकाला जा सके। भारतीय राजनीतिज्ञता की चुनौती संतुलित है और इस संबंध में वैध अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ताओं के साथ भारत की सुरक्षा अत्यावश्यकताओं के साथ मेल खाती है।

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अवगत है। भारत के नागरिकों का व्यापक समर्थन सरकार की शक्ति का स्रोत है। यह केवल यह नहीं बताता है कि निर्णय सही था अपितु यह भी जाहिर करता है कि देश को संकेंद्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। यह सरकार पवित्र कर्तव्य करने का संकल्प लेती है। सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन से अत्यधिक खुशी मिली है। उन्होंने एक स्वर में सरकार की कार्रवाही के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। सरकार भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति अपनी अगाध कृतज्ञता व्यक्त करती है तथा आने वाले कठिन समय में उनसे समर्थन की आशा करती है।

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में भारत अपने इतिहास के यादगार क्षणों में है। सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है जिसने पांच दशकों तक देश का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरन्तर सफल हुई हैं। वर्तमान निर्णय और भावी कार्रवाईयाँ प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाए कार्रवाई के आश्वासन से उत्पन्न होगा। गीता के (अध्याय 1/1-3) में इसे स्पष्ट किया गया है जो अन्यत्र कहीं नहीं है :

आरूरूक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।।

इस उद्धरण की व्याख्या इस प्रकार है : किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिये कार्रवाई एक प्रक्रिया है, कार्रवाई से हलचल अवश्य मच सकती है लेकिन जब उस पर ध्यान पूर्वक मनन किया जाए तब उसकी परिणति स्थिरता और शान्ति में निहित होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा अपराह्न 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (vii) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (vii) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) नारियल विकास बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

[श्री सोमपाल]

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.34 बजे

लाटरी (विनियमन) विधेयक*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से लाटरियों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लाटरियों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। जहां तक अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है। वाधवा प्रकरण में अन्ततः यह समाधान निकाला गया है, ऐसा निर्णय किया गया है कि पहले जारी किये गये अध्यादेश के व्यपगत होने पर दूसरा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अध्यादेश के माध्यम से शासन चलाने का प्रयास कर रही है। आज और कल हमें दर्जनों अध्यादेशों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

संविधान में तो आवश्यक स्थिति से निपटने के लिए ही अध्यादेश का उपबंध किया गया है लेकिन यह तो रोजमर्रा की स्थिति बन गई है। प्रतिदिन आप अध्यादेश जारी कर रहे हैं आए दिन आप विधानमण्डल की शक्तियों को समाप्त कर रहे हैं। आपने विधानमण्डल को रबड़ की मोहर बना दिया है आपने विधान को संविधान का मजाक बना दिया है। अब विधेयक इस सभा में बनाए जाने चाहिए न कि मंत्रियों के कार्यालय में।

जब आप अध्यादेश प्रस्तुत करते हैं तो यह एक प्रतिबद्ध विधान बन जाता है। सदस्य उस पर अपने स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त नहीं रख सकते हैं। अध्यादेश में संशोधनों के सम्बन्ध में वे अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष के सभी सदस्य अध्यादेशों के पक्ष में बोलने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इससे संविधान का मजाक बन कर रह जाता है। संसदीय प्रजातन्त्र का मजाक बन जाता है। क्या आपको अध्यादेश द्वारा शासन चलाने का अधिकार मिला है? ऐसा लगता है कि आपने संसद की बैठकों की संख्या 120 से घटाकर 60 कर दी है इसका अभिप्राय है आपका इरादा यह है कि सभा की बैठकों की संख्या को घटाकर निम्नतम कर दिया जाए। लेकिन इसकी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा पहली अथवा दूसरी संसद के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ और तब अध्यादेश कभीकभार ही जारी किये जाते थे। लेकिन अब तो यह आम बात हो गई है। अध्यादेश न केवल राज्यों में बल्कि केन्द्र में भी आए दिन जारी किये जाते हैं। यही प्रथा लोक-सभा में भी अपनायी जा रही है। आप एक के बाद एक अध्यादेश जारी कर रहे हैं। लाटरी (विनियमन) अध्यादेश 1998 को ही लीजिए विधान मण्डल का आशय क्या है? सरकार का इरादा क्या है? सरकार का इरादा कुछ गलत कामों को रोकना है। इसे अध्यादेश के बिना भी किया जा सकता है। इसमें कम बुराई क्या है? आप विधानमण्डल की शक्तियों को समाप्त कर रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए आप विधानमण्डल की अवहेलना करके अध्यादेश जारी कर रहे हैं। किस उद्देश्य के लिए? क्या यह उचित है?

प्रधानमंत्री जी आप हमेशा संसदीय प्रजातंत्र की बात करते हैं लेकिन यहां आपने यह प्रक्रिया अपनाई है संसद की भूमिका की बात करते हैं जो उसके विपरीत है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ही विषय पर क्रमशः एक के बाद एक अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता । यह अध्यादेश चौथी अथवा पांचवीं बार जारी किया गया है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है यह इस सदन की विधायी शक्तियों की परिधि से बाहर है चूंकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यह अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया था और हम अध्यादेश के प्रख्यापित किये जाने तथा सभा द्वारा इसे विधान में परिवर्तित किए जाने हेतु लिए जाने के बीच अन्तराल की स्थिति नहीं रख सकते। इस प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करते समय इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 27.5.98 में प्रकाशित।

श्री चारकला राधाकृष्णन : महोदय, आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने यह स्पष्ट निर्णय ले लिया था कि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे आए दिन की कार्यपद्धति के रूप में नहीं अपनाया जा सकता।

यह सरकार अध्यादेश लाती रही है। हम यहां किस प्रयोजन के लिए एकत्र हुए हैं। जब आप अध्यादेश जारी करते हैं तो हमारे यहां उपस्थित रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हमारा प्रयोजन यहां किसी विषय पर आवश्यक विधान बनाने से है। लेकिन आप हमें अपने कर्त्तव्य का निवर्हन नहीं करने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लाटरियों को विनियमित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री सोमपाल : महोदय मैंने पहले ही विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बिना अनुमति के आप विधेयक कैसे पुरःस्थापित कर सकते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : महोदय मैंने पहले ही विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिना अनुमति के आप विधेयक कैसे पुरःस्थापित कर सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी, आप पहले अपने मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 लेंगे।

अपराह्न 2.38 बजे

लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 के बारे में विवरण

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से लाटरी (विनियमन) अध्यादेश 1998 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल.टी. 174/98]

अपराह्न 2.39 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, नियम 193 के अन्तर्गत मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा के लिए श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री वी. राघवन के नामों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से चर्चा के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त जी को अनुमति दी जाए। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त जी को चर्चा की अनुमति देता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से सुना है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, डिस्कशन से पहले हमें वह जानकारी मिलनी चाहिए, जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जब दोबारा बैठक होगी तो बाहर प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोली वगैरह चली है और माननीय कांशी राम जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। माननीय गृह मंत्री जी हाउस में मौजूद क्यों नहीं हैं? जब दोबारा सदन की बैठक शुरू हो गई है तो उन्हें अपना जवाब देना चाहिए।

अभी हम पार्टी ऑफिस गए थे। वहां बहुत से कार्यकर्ता इकट्ठे थे। गोली चली है, बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : उनको कहां पर भेजा है, हमें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। पहले हमें उसका जवाब मिलना चाहिए। गृह मंत्री जी ने कहा था। वे यह बता दें कि कितने बजे स्टेटमैंट देंगे।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठाध्यक्ष को सहयोग दें। मैंने केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है, जिसका मैं समझता हूँ, सम्पूर्ण देश को इंतजार था। मैं समझता हूँ कि देश में व्यवहारिक तौर पर सभी की यह धारणा है कि यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हमें मिली है, उसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और हमारे इंजीनियरों को मिलना चाहिए किसी राजनैतिक दल को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसका श्रेय सत्ता दल को नहीं दिया जा सकता जो कि कुछ राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इसका श्रेय लेना चाहेगी।

वास्तव में इन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने आज नहीं बल्कि 24 वर्ष पहले ही आणविक क्षेत्र में अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दी थी। यह घटनाएं एक रात में नहीं घट जाती हैं। इसके लिए लम्बे समय तक तैयारी, अनुसंधान और अन्य कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। 24 वर्ष पहले जब पहली बार पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था तभी उन्होंने अपनी क्षमता प्रदर्शित कर दी थी और वास्तव में अब वे अपनी प्रौद्योगिकी को नवीनतम बना रहे थे और 1998 में उन्होंने उसका प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया है कि वे बाहरी सहयोग के बिना यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस मौके पर मैं डॉ0 अब्दुल कलाम को 'भारत रत्न' प्राप्त करने के लिए, जिसके वह वास्तव में हकदार हैं, बधाई देता हूँ।

जहां तक देश के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार का प्रश्न है, एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देश को यह अधिकार प्राप्त है। यदि हम इस प्रकार का परीक्षण करना चाहते हैं तो कोई भी देश इस प्रकार के परीक्षण पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता। यह हमारे पर निर्भर करता है कि हम इसे स्पष्ट करें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं। लेकिन यदि कुछ देश, इधर-उधर किन्हीं मौकों पर हमारे अधिकार पर प्रश्न करते हैं तो उन्हें इस का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश का विशेष रूप से किसी स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देश का यह अपना अधिकार है।

प्रश्न जो मैं करना चाहता हूँ वह यह है कि इस समय यह परीक्षण क्यों किया गया। राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे अपने पत्र में जो कि मैं समझता हूँ कि प्रचार करने के लिए नहीं लिखा गया था लेकिन समाचारों में इसके बारे में अथवा प्रैस को कहीं से इसकी जानकारी मिल गई, प्रधान मंत्री जी ने इस अचानक किए गए परीक्षण का कारण भारत की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति बताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका संकेत चीन के खतरे से है जिसकी झलक कुछ दिन पहले की गई रक्षा मंत्री की चीन विरोधी निन्दा में भी मिलती है।

मैं समझता हूँ कि वास्तव में रक्षा मंत्री जी ने यह आक्रामक टिप्पणी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने के लिए ही की थी जो कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे गए पत्र के रूप में सामने आई है।

मैं इस समय प्रश्न नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार का पत्र असामान्य समझा जाए अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या इस प्रकार के पत्र जो कि इस प्रकार के विषय से सम्बद्ध हों और दूसरे देश के राष्ट्रपति को सम्बोधित किए गए हैं, को लिखा जाना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से उचित है अथवा नहीं। जो भी हो, पत्र भेजा जा चुका है।

महोदय, प्रश्न जो मैं इस समय पूछना चाहता हूँ और जिसका उत्तर चाहता हूँ वह यह है कि इस अचानक उत्तेजना का क्या कारण था, क्या हाल में कुछ घटा है यदि चीन की तरफ से पहल की गई थी तो हम जानना चाहेंगे कि यह उत्तेजना क्या थी। हमारे चीन के साथ बहुत लम्बे समय से विवाद चले आ रहे हैं, संभवतः उनका अभी तक समाधान नहीं किया जा सका है। हम सभी को याद है कि 1962 में क्या हुआ था। हमें याद है कि भारतीय भू-भाग का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है और सीमा संबंधी विवाद अभी भी सुलझाया नहीं गया है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। यह बहुत वर्षों से चल रहा है। मुझे ज्ञात है कि एक विवरण रखा गया है जो कि आज 27 मई को लोक सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर से सम्बद्ध है। यह विवरण पड़ौसी देशों के संबंध में है। आखिर यह एक सरकार की ओर से दिया गया वक्तव्य है। क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? इसमें कहा गया है :

> ''हाल के वर्षों में, भारत-चीन के संबंध निरन्तर रूप से विकसित हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्तालाप को गति प्रदान करना जारी रखा गया है और दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश 21वीं सदी की ओर उन्मुख रचनात्मक और सहयोगात्मक संबंधों की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। 1997 में द्विपक्षीय व्यापार 1.8 बिलियन डालर तक पहुंच गया।
>
> पारस्परिक हित के विभिन्न मसलों, जिनमें सीमा प्रश्न भी शामिल है, पर भारत-चीन संयुक्त कार्यदल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा में विचार-विमर्श किया गया है।''

अब इस विवरण जो कि सरकार की तरफ से सभा में प्रस्तुत किया गया है यह आभास मिलता है कि आज अचानक भारत-चीन के संबंध खराब हो गए हैं अथवा द्विपक्षीय तंत्र जो गठित किया गया है की स्थिति बिगड़ गई है, दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोगात्मक संबंध और रचनात्मक बातचीत, जिसका इसमें उल्लेख किया गया है में अचानक चीन ने व्यवधान पैदा कर दिया है अथवा चीन ने सारी प्रक्रिया को तहस-नहस कर दिया है। इस विवरण से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें एक अनुच्छेद है जिसकी संख्या तेरह है। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता

क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसमें कहा गया है कि हमारे पड़ौसी और अन्य देशों के प्रति हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह वैसे ही है। वक्तव्य में कहा गया है:

> ''भारत शान्ति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन देने, और द्विपक्षीय बातचीत एवं वार्ताओं के माध्यम से सभी अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है.... सरकार परस्पर लाभकारी संबंधों में सुधार लाने के लिए और एक दूसरे के क्रियाकलापों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ निरन्तर वार्ता करेगी। मुझे नहीं मालूम कि इन सभी विवरणों/वक्तव्यों का अभिप्राय यह बताना है कि चीन इन सब बातों का अपवाद है और जैसा कि हम सरकारी तौर पर कह चुके हैं, हमारा यह रवैया है तथा इसी रवैये को हम आगे भी जारी रखना चाहते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि चीन का रवैया इससे भिन्न है और चीन ने अचानक कुछ भिन्न तरह का रवैया अपनाना शुरू कर दिया है जिससे एक भड़काऊ स्थिति पैदा हुई है और हमें अचानक परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा।''

मैं यह जानना चाहता हूँ और इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। वास्तव में मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी को परीक्षण से पहले संभवतः वे ऐसा करना नहीं चाहते थे कम से कम प्रमुख राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए था। वे अपने सहयोगी दलों को विश्वास में ले सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अब, जबकि हम इस विषय पर सभा में वाद-विवाद कर रहे हैं तब हमें यह प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके चलते ये परीक्षण करने पड़े।

हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि रक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा उपायों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, विशेष रूप से हमारे देश में क्योंकि देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थिति बनी हुई है। परन्तु मैं जो पूछ रहा हूँ वह यह है कि क्या हमारी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया था कि हमारे द्वारा परमाणु हथियारों का उत्पादन और उनकी तैनाती की जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि कई देशों ने सुरक्षा के नाम पर परमाणु हथियारों का उत्पादन और भण्डारण कर रखा है। अमेरिका, जिसके पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भण्डार है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वियतनाम जैसे गरीब और पिछड़े देश के विरुद्ध नहीं कर पाया था। उसने वियतनामी लोगों के स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने के लिए वियतनाम से 12 वर्ष तक संघर्ष किया। परन्तु वह विश्व जनमत को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : इसका यह अर्थ हुआ कि हम 100 वर्षों तक इंतजार करें?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब आपके ऐसे हथियार हो जाएं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। आप उन हथियारों के मालिक नहीं हैं।

अतः, हमारी दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। पहली बात, यहां प्रधानमंत्री के वक्तव्य में जो कहा गया है, जिसे मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ; वह यह है ''हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना और इस उद्देश्य हेतु द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तंत्र विकसित करना।'' यह जनसंहार के हथियार हैं, उन्होंने सुबह पंडित जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत किया था। उसका अनुमोदन करता हूँ। उन्होंने 2 अप्रैल, 1954 को सभा में कहा था कि ''नाभिकीय, रासानिक और जैव ऊर्जा और शक्ति का उपयोग जनसंहार के हथियारों को बनाने में नहीं किया जाना चाहिए।''

हम अब कह रहे हैं कि हम अब आयुध सम्पन्न राष्ट्र, एक परमाणु आयुध सम्पन्न राष्ट्र बन गए हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या उन हथियारों को, जिनका हम अनुसंधान और निर्माण करने जा रहे हैं, जनसंहार के हथियारों के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं। क्या वे जनसंहार के हथियार है या नहीं? यह सही है कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए या सरकार ने घोषणा की है - यह घोषणा करने पर मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारी मंशा किसी पर आक्रमण करने की नहीं है। इन हथियारों का प्रयोग कभी भी आक्रमणकारी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। परन्तु वास्तव में यह हथियार जनसंहार के हैं या नहीं? यदि हाँ, तो हम उस परिपाटी को क्यों छोड़ रहे है जिस पर हम वर्षों से चलते रहे हैं और इसे क्यों अपना रहे हैं। यह सही है कि पाकिस्तान की ओर से, मैं नहीं जानता, कोई उकसाने वाली कार्रवाई की गई होगी क्योंकि उन्होंने गौरी मिसाइल का अचानक विकास किया और यह कहा था कि इसकी हजारों कि.मी. की लम्बी रेंज है। गौरी मिसाईल को हम खतरे के रूप में ले सकते हैं।

इसीलिए, यदि पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों के विकास के मार्ग को चुनता है, तो फिर क्या होगा। ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा भूमिगत परीक्षणों के भारतीय प्रयोगों से पाकिस्तान को खतरा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों के भीतर वे भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे।

इसका यह अर्थ है कि परमाणु हथियारों की एक होड़ शुरू हो गई है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह अत्यधिक खतरनाक और अदूरदर्शी बात है। अच्छे इरादे होते हुए भी कोई यह नहीं कह सकता है कि कहां कोई दुर्घटना घट सकती है।

महोदय, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति क्लिंटन को यह कहना पर्याप्त नहीं होगा - मैं नहीं जानता कि यह विचार अमरीकी शासकों को खुश करने के लिए है या नहीं - कि हम समझते हैं हमें चीन से ज्यादा खतरा है। यह सही है कि रक्षा मंत्री एम्सटरडम स्थित 'सोशलिस्ट इन्टरनेशनल' के चैम्पियन हैं वे सोशलिस्ट इन्टरनेशनल के शीर्ष नेताओं में एक हैं जो कि हमेशा से चीन का कटु आलोचक रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। मुझे यह आशा नहीं थी कि एम्सटरडम इन्टरनेशनल की नीति को भारत सरकार की सरकारी नीति के रूप में अपना लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हिरोशिमा और नागासाकी के बाद परमाणु अस्त्रों को जनसंहार के हथियारों के रूप में विश्व ने अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि इनसे सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए युनाइटेड किंगडम भी परमाणु शक्ति सम्पन्न है। परन्तु यह सभी जानते हैं कि यह द्वितीय श्रेणी की शक्ति है। विश्व में उसे, उसके पास परमाणु अस्त्रों के होते हुए, द्वितीय श्रेणी की शक्ति माना जाता है। शक्तिशाली सोवियत संघ का दिवालिया संयुक्त राज्य अमेरिका और 'नाटो' के साथ परमाणु हथियारों की बराबरी करने में निकल गया है। परमाणु हथियारों की बराबरी की अंधी दौड़ का सबसे बड़ा ऐतिहासिक शिकार यू.एस.एस.आर. रहा। दूसरी ओर जापान और जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। उनके पास पारमाणु हथियार नहीं हैं। परन्तु वे निश्चित रूप से कमजोर देश नहीं हैं इसीलिए हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा, यदि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाता है, तो महाद्वीप के इस भाग में परमाणु हथियारों की होड़ आरम्भ होने की गम्भीर आशंका है।

परमाणु हथियारों की आर्थिक लागत के बारे में प्रधान मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं बताया कि प्रतिबन्धों का प्रभाव क्या पड़ेगा या प्रतिबन्धों से क्या खतरा है। परन्तु मेरा मानना है कि हमारे देश, हमारी सरकार को परमाणु परीक्षण के विकास के साथ एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए कि हम ऐसे हथियारों का पहले प्रयोग या पहले आक्रमण नहीं करेंगे। हमें कहना चाहिए कि पहले आक्रमण कभी भी भारत द्वारा नहीं किया जाएगा और अन्य सभी देशों को इस प्रतिबद्धता से जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और यदि वे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं तो उनका अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा।

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबन्ध हमारी अर्थव्यस्था को संपूर्णीय क्षति नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये मुख्यतः विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक इत्यादि के द्वारा लगाए जाने की सम्भावना है। वास्तव में मैं सोचता हूँ कि इसमें इन सबके पीछे हमारी सरकार द्वारा भी शायद दूरदर्शिता दिखाई गई है क्योंकि यदि ये प्रतिबंध लगते हैं - मेरे विचार से ये पहले से प्रभावी हो गए हैं - तो ये आर्थिक उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ाएंगे जिसका हम 1991 से पालन कर रहे हैं। यदि बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रेम से आमंत्रित किया जाता है तो विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक की सहायता का स्थान निजी पूंजी ले सकती है। यह और ज्यादा भी हो सकती है।

अपराह्न 3.00 बजे

मुझे पता चला है कि लंदन से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र ''इकानोमिस्ट ऑफ लंदन'' ने प्रकाशित किया है कि ''परमाणु विस्फोटों के तुरन्त बाद भारत सरकार ने तेल निकालने के लिए 18 ठेके दिए हैं - जिनमें से 11 अमेरीकन कम्पनियां हैं, जिनकी परियोजनाएं दो वर्षों से लम्बित पड़ी थी। सरकार ने चार राज्यों में तटवर्तीय खनिजों के लिए 34 अन्वेषण लाइसेन्स जारी किये हैं। विद्युत परियोजनाओं मे तीन विदेशी निवेशों, जोकि सरकारी गारन्टी के लिए लंबित पड़े थे, को अचानक अनुमोदित कर दिया गया और समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार सरकार आवास निर्माण से जुड़ी कम्पनियों की विदेशी निवेशकों को पूर्व की 40 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत की इक्विटी की अनुमति देगी और पहली बार दुर्लभ मुद्रा ऋण जारी करेगी।''

इस प्रकार ये अमरीकन कम्पनियां जो भारत में स्थिति बड़े बाजारों के प्रति अत्यधिक सावधान हैं, यदि सरकारी एजेन्सियां प्रतिबन्ध लगाती भी हैं और जो कुछ भी हमने किया वह अमरीकी निजी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय निगमों को इस प्रकार की विभिन्न परियोजनाओं से लाभ लेने के लिए नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर हमें नुकसान नहीं अपितु फायदा ही होगा।

प्रधान मंत्री ने आज सुबह यह उल्लेख किया है कि उन्होंने स्वयं एकतरफा रोक की घोषणा की है। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ और जानकारी चाहूंगा। आपका इस 'एकतरफा रोक' से क्या आशय है? हमने पहले ही कहा था कि हम व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के कुछ पहलुओं पर हस्ताक्षर करने पर विचार करेंगे। किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि 'व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के कुछ पहुलओं' से क्या अभिप्राय है। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की एक प्रमुख शर्त यह है कि परमाणु परीक्षणों को रोका जाना चाहिए। यह व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने वाली सभी पार्टियों पर लागू होगा। यदि हमने पहले ही एकतरफा घोषणा कर दी कि हम एकतरफा रोक लगा रहे हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की एक शर्त को, वास्तव में, हम मान रहे हैं यह भी पिछले दरवाजे से और क्या हम यही संदेश भेजना चाहते हैं, यह जो कुछ भी हो, राष्ट्र और संसद का विश्वास हासिल किया जाना चाहिए।

इन बातों के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए और हमें बताया जाना चाहिए कि वास्तव में सरकार क्या करने जा रही है।

इसलिए, महोदय निष्कर्ष में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो यह पूरी कार्यवाही निरर्थक ही लगती है। इस प्रकार के हथियारों से हमारी सुरक्षा मजबूत हो ही नहीं सकती। दूसरा, हमने विस्फोट करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। तीसरा, हम नहीं जानते हैं कि इस पर कितनी लागत आएगी। हमारा विश्व समुदाय में काफी सम्मान है और काफी देश हमारे पक्षधर हैं। मैं नहीं जानता कि इससे किस हद तक अन्य देश हमारे खिलाफ हो जाएंगे और शायद कुछ हद तक हम अलग-थलग पड़ जाएंगे।

चौथे, महोदय यह एक बड़े खेद की बात है कि राजधानी दिल्ली में हजारों और लाखों लोगों को बिजली पानी मिल नहीं पा रहा है और हम आणविक शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसका जोर-शोर से जय-जयकार किया जाए। ये इस देश की राजधानी के निवासियों को साधारण पानी और बिजली की आपूर्ति तो कर नहीं सकते। आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कल दिल्ली की कई कालोनियों और क्षेत्रों से लोग अपने

घरों से बाहर आ गए थे और उन्होंने कुछ प्रदर्शन किये और सत्ताधारी दल के कुछ पार्षदों और कई लोकप्रिय प्रतिनिधियों के घरों का घेराव तक किया क्योंकि उन्होंने उन्हें सभी प्रकार के आश्वासन दिये हुए थे परन्तु उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। अतः यह सब किस दिशा की ओर ले जाते हैं। यह कैसे हुआ ?

इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि यह जय जयकार कुछ विशेष उत्साह वाली बात नहीं है। इस बात के सिवाए कि हमारे वैज्ञानिकों ने यह कर दिखाया है कि वे विश्व में किसी से कम नहीं हैं। इसमें कोई उत्साह वाली बात नहीं है। यही कुछ है जिस पर मुझे गर्व है। लेकिन इसके बाद हम किस दिशा में जाएंगे ?

अतः ये कुछ प्रश्न हैं और मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ कि वे उत्तर देते समय इन प्रश्नों का उत्तर दें और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है क्योंकि हम इस तथ्य की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि हमने आणविक परीक्षण किया है। तकनीकी अथवा वैज्ञानिक रूप से यह अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है लेकिन दूसरी ओर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुनने में अच्छा लगे।

इसलिए हमें अपने संबंध सुधारने के लिए पिछले कई वर्षों से किये जा रहे तरीके और अन्य प्रयास जारी रखने चाहिए।

यह देखकर काफी प्रसन्नता होती है कि हाल ही में कारटाजेना में हुई गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में तीन अथवा चार देशों को छोड़ कर सभी देशों ने भारत की प्रशंसा की है। वे यह बिल्कुल नहीं समझते कि भारत ने ऐसा कोई कार्य भी किया है, जो इस भावना के खिलाफ हो जिसके लिए गुटनिर्पेक्ष देश पिछले कई वर्षों से प्रवृत्त हैं। यह अच्छी चीज है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस पूरे मामले पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्री भिन्न-भिन्न वक्तव्य न दें। इस देश के लोग किस प्रकार से उस सरकार में विश्वास रखेंगे जिसके मंत्री एक ही चीज पर भिन्न-भिन्न वक्तव्य दें। मैं मोटेतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा कही बात तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अपने दृष्टिकोण से मैं सहमत हूँ। क्योंकि यह उसके अनुरूप है जिसे हम वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ मंत्री हैं जो ऐसे भड़काऊ और भ्रामक वक्तव्य दे रहे हैं। जिनसे शान्ति तथा सुरक्षा मजबूत नहीं होगी बल्कि उल्टे अन्य लोग इससे उत्तेजित होते हैं। हमारे कई पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे सम्बन्ध मधुर नहीं हैं और यह विषय कुछ इस प्रकार का है जिसका कुछ मंत्रियों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इस मामले पर भी वे वक्तव्य देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उन्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी है।.....*(व्यवधान)* मेरे विचार में ऐसे नाजुक और संवेदनशील मामलों में सरकार की ओर से वक्तव्य केवल प्रधान मंत्री को ही देने चाहिए जो पहले भी प्रसिद्ध विदेश नीति विशेषज्ञ रहे हैं जबकि वह सरकार में नहीं थे तब वह विपक्ष के नेता थे और सरकार ने उस समय भी कई बार उन्हें विदेश नीति सम्बन्धी शिष्टमण्डलों के साथ विदेशों में भेजा था। क्योंकि उन्हें इस नीति जिसका भारत अनुयायी है के योग्य और प्राभाविक वक्ता के रूप में जाना जाता था और मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी इस योग्यता के कारण ऐसे सम्मेलनों में विशेषकर जेनेवा में जहां हमारा पाकिस्तान के साथ सीधा टकराव था, में काफी सम्मान पाया।

इसलिए मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मुझे यह देखकर अत्यन्त बेहूदा और अत्यन्त अप्रिय लगता है कि कुछ मंत्री बार-बार-मैं नहीं जानता कि वह ऐसा प्रचार के उद्देश्य से अथवा किसी अन्य प्रयोजन से करते हैं - किसी बात पर बोल उठते हैं अथवा ऐसी अप्रिय टिप्पणी करते हैं जो कि यह प्रधानमंत्री जी द्वारा कही बात से मेल नहीं खाती। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों देते हैं।.....*(व्यवधान)* इससे विदेशों में देश की छवि और प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। इसे शीघ्र ही रोका जाना चाहिए।

मोटेतौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यहां इकट्ठे हुए हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत आदर सहित सुना है जिनका शब्दज्ञान निस्सत्व नहीं हुआ है, हालांकि मैंने देखा है कि उनका नैतिक प्रेरणा का स्रोत सूख गया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है और उनका भावार्थ कुछ नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री जी आपने अपने वक्तव्य में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपके वक्तव्य के भावार्थ में नैतिकता का अभाव है।

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, इस विषय पर हमारे विचार 14 मई से हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्पष्ट कर दिये गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का वक्तव्य भेज दिया गया था जिसका पाठ इस प्रकार है :

> "मैं कांग्रेस कार्य समिति की औपचारिक बैठक में यह कहना चाहती हूँ कि हमें अपने आणविक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धि पर गर्व है, जिन्होंने भारत को आणविक क्षमता के देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। हमें यह कहते हुए भी गर्व है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की आणविक क्षमताओं को अद्यतन रखा जाए ताकि हमारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।
>
> आणविक मामला दलगत मामला न होकर राष्ट्रीय मामला है और इस प्रश्न पर सभी भारतीय एक हैं। कांग्रेस पार्टी आणविक शस्त्र विहीन विश्व, शान्तिप्रिय विश्व के लिए प्रतिबद्ध है और यही हमारे दल की नीति का मुख्य आधार

[श्री के. नटवर सिंह]

है। कांग्रेस कार्यकारी समिति इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए भारत की वचनबद्धता पर पुनः बल देती है ताकि भारत और इसके पड़ोसी देश आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और देश के सभी नागरिकों के जीवन-यापन स्तर में सुधार करने की गति को बढ़ा सकें।''

माननीय प्रधान मंत्री जी आपका वक्तव्य और उसके साथ लगे दस्तावेज लगभग एक जैसे हैं? कुछ बातों को छोड़कर आपका लम्बा वक्तव्य वही है। आपने कहा कि इस सम्मान का भारत के विभिन्न भागों के लोगों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं का पता है..... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : जुबानी बोलिए, ये क्या पढ़कर बोल रहे हैं।

श्री के. नटवर सिंह : नहीं, नहीं, मैं तो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : यही तो मैं कह रहा हूं। आपकी सारी स्पीच इसी में खत्म हो जाएगी।

श्री के. नटवर सिंह : अरे, चचा बैठिये। मैं आपका बहुत अदब करता हूं लेकिन यह जरा पेचीदा मामला है। इसको जरा गौर से स्टडी करिये, फिर आप समझेंगे कि यहां क्या हो रहा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप जरा सुनिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें तंग न करें।

.....(व्यवधान)

श्री के. नटवर सिंह : महोदय, अब जो कुछ नाभिकीय परीक्षण हुए हैं वह हमारे सामने हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री और भा.ज.पा. ने यही कहा था कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे रक्षा नीति, रणनीति की समीक्षा करेंगे; इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होगी जो इसकी जांच करेगी और फिर वे उसकी नीति की पुनर्समीक्षा करेंगे तथा उसके उपरान्त वे नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम पर विचार करेंगे और नाभिकीय विकल्प का उपयोग करेंगे, यह हम समझ सकते हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे पत्र में जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, सरकार ने यह कारण बताया है कि चीन से हमारी सुरक्षा को खतरा है। अब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछने का अधिकार है कि इस खतरे की शुरूआत कब हुई? क्या इसकी शुरूआत 19 मार्च को हुई जब वे सत्ता में आए थे? या यह 8 अप्रैल को हुई थी जब उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को परीक्षण की अनुमति दी थी? यह खतरा कितना गंभीर था? क्या चीनी सेनाएं हमारी सीमा के इर्दगिर्द घूम रही हैं? क्या पाकिस्तानियों ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे अमृतसर शहर को खतरा हो गया हो? मैं समझता हूं कि हमें ये प्रश्न पूछने का अधिकार है क्योंकि वास्तव में उनके पास 19 मार्च से 8 अप्रैल के बीच इस खतरे की समीक्षा करने का समय नहीं था। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने समीक्षा कर ली हो तो सदन को यह बताइए कि भारत की सुरक्षा मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा का क्या निष्कर्ष निकला?

आप अठारह दलों की सरकार का नेतृत्व करते हैं। आपको भारत के विदेश मंत्री रहने का अनुभव है परन्तु 11 और 13 तारीख को जो आपने आणविक परीक्षण किया है इसका समानान्तर राजनैतिक और राजनयिक प्रबंधन काफी निराशाजनक रहा है।

हमें ऐसा करने में क्या सफलता हासिल हुई है? आज चीन के सेनाध्यक्ष की भारत यात्रा तथा आपके साथ उनकी बातचीत के संबंध में प्रश्न था। इस बारे में राज्य मंत्री का उत्तर, मुझे आशंका है, मुझे यह पढ़ना होगा तथा आपको यह सुनना होगा - इस प्रकार है :

''प्रधानमंत्री जी ने भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक रुख का स्वागत करते हुए हमारे संबंधों की प्रगति को जारी रखने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने जनरल फू से अपनी सद्भावनाएं राष्ट्रपति जियांग जेमीन, प्रधानमंत्री जू रोंगजी और अध्यक्ष, एन.पी.सी.,ली. पेंग को पहुंचाने को कहा है। प्रधान मंत्री ने कहा कि दो देशों के बीच के संबंध एक दूसरे के संबंधित पक्षों को मान्यता तथा परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान पर आधारित होना चाहिए। विश्व के जनसंख्या बहुल दो देशों के बीच पारस्परिक समाज के आधार पर विकसित आपसी सुसम्बन्ध से विश्व में तथा एशिया में शांति और सुरक्षा का माहौल उत्पन्न होगा। प्रधानमंत्री ने 'बोर्डर पीस एण्ड ट्रांक्विटी एग्रीमेन्ट 1993' और 'एग्रीमेन्ट ऑन कन्फिडेन्स बिल्डिंग मीजर्स' 1996 की ओर विशेष ध्यान दिलाया तथा कहा कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भारत को एक स्थाई वातावरण की आवश्यकता है। स्पष्ट चित्रण इत्यादि न होने के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं।''

आप अपने इस वक्तव्य का राष्ट्रपति क्लिंटन को लिखे अपने पत्र के साथ कैसे सामन्जस्य बैठा सकते हैं? आप इसे माननीय रक्षा मंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा से कैसे मिला सकते हो जो, यदि मैं सम्मानपूर्वक कहूं, एक मानवीय 'अल नीनो' है, जो समय-समय पर काफी उग्र वक्तव्य देते रहते हैं। 5 मई को श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था, ''हम एक समीक्षा करेंगे फिर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हम अपने नाभिकीय विकल्पों का प्रयोग करेंगे या नहीं।'' यह वास्तविकता है परन्तु आपने एक महीने पहले इसकी अनुमति दे दी थी। स्पष्ट है कि आपने इसके लिए रक्षा मंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया।

मैं जानता हूं कि आपकी दायीं तरफ बैठे आपके माननीय साथी क्या कह रहे थे। मैं यही कहने वाला हूं कि श्री आडवाणी ने अपने उग्र वक्तव्य से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को कितनी क्षति पहुंचाई है। मैं अभी उसी बात पर आऊंगा उन्होंने सक्रिय नीति अपनाने 'प्रो एक्टिव पॉलिसी' की बात की है। क्या आप जानते

हैं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप का विकल्प पाकिस्तान अधिकृत भारत के भू-भाग की प्राप्ति के प्रति काफी सक्रिय रहेगा। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे? आपकी सक्रिय कर्रवाई के कुछ ही मिनटों के अंदर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलायी जाएगी और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय-IV के अंतर्गत अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ एक निन्दात्मक संकल्प पारित कर दिया जाएगा। विश्व में 54 मुस्लिम देश हैं। उन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। उनके साथ हमारा अच्छा व्यापार होता है। वहां लगभग 1.2 मिलियन भारतीय रहते हैं। वे काफी मात्रा में धन वहां से अपने देश को भेजते हैं। उन लोगों का क्या होगा? क्या आपने अपनी प्रो. एक्टिव पॉलिसी के अभिप्राय के माध्यम से इस बारे में सोचा है? आप कहते हैं कि आप आम सहमति की सरकार चला रहे हैं। आपने हमें नहीं पूछा। आपने यहां किसी से नहीं पूछा कि आप बिना किसी समीक्षा और बिना सदन को बताए हुए भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति के स्वरूप को मूल से बदल रहे हैं। अगर आप भारत के 25 प्रतिशत मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम भी करते हैं। अगर आप इस सदन की एक तिहाई क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम भी करते हैं बल्कि उससे भी अधिक। हमसे सलाह लिए बिना ही आपने इतना बड़ा कदम उठा दिया।

आपसे 'आउटलुक' के एक साक्षात्कार में एक प्रश्न पूछा गया था "सरकार ने नाभिकीय अस्त्रों के विकल्प के प्रयोग से पहले अपने राष्ट्रीय एजेन्डा में एक नीतिगत रक्षा समीक्षा का आश्वासन दिया था। वह पूरा क्यों नहीं किया गया था।" आपका उत्तर है, "राष्ट्रीय एजेन्डा में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।" परन्तु ऐसा है। आउटलुक में वही उद्धृत किया गया है जो आपने कहा था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जो कहा था वह आप भूल गए थे। परन्तु मैं समझता हूं कि आप अपने तथ्यों पर बेहतर नजर डाल सकते हैं।

मैं सरकार की विभिन्न-प्रतिक्रियाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह हमें केवल इतना ही नहीं बताता कि निर्णय सही था बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि राष्ट्र को एक ऐसे संकेन्द्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देती है।

अब, किस पर ध्यान नहीं दिया गया था? पिछले 25 वर्षों से 1971 से लेकर अब तक भारत की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ है। शिमला समझौते से यह सुनिश्चित हो गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं है और इस प्रक्रिया को आप ही के दौरे से शुरू किया गया था यद्यपि 1979 में आपको इसमें सफलता नहीं मिली। राजीव गांधी ने भी दौरा किया था, श्री ली पेंग ने भारत का दौरा किया था, श्री वेंकटरमण ने चीन का दौरा किया था। आपने राज्यमंत्री से प्राप्त उत्तर में श्री जिन्हा ज़मीन को उद्धृत करते हुए कहा है कि सीमा पर शान्ति एवं अमन चैन है। सेनाओं को हटा लिया गया है। आपके मंत्रीमंडलीय साथियों की उद्घोषणा के अलावा ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जिससे तनाव बढ़ा हो। मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ एक लम्बे समय से चली आ रही चुप्पी का स्वागत किया जाएगा क्योंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दे हैं। आप चीनियों की प्रतिक्रिया जानते हो?

प्रधानमंत्री जी आपने यह पढ़ा है। आप प्रमुख हैं, आप विद्वान हैं और आप संतुलित हैं परन्तु आप अपने साथ किस मंडली को लेकर चल रहे हैं? अपने राजनैतिक सलाहकार को ही लें। उनका दृष्टिकोण क्या है? वे काफी आकर्षक व्यक्तित्व वाले अच्छे युवक हैं। आपने उन्हें प्रैस को विदेशी मसलों पर अपनी राय देने के लिए क्यों कहा है? यह बड़े दुख की बात है। आप जानते हैं कि मैं 45 सालों से विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ हूं और मैं आज भी सीख रहा हूं। और आपके पास एक युवा व्यक्ति है जो फैसले करता है और नीतिगत मामलों पर उद्घोषणा करता है। मैं वह उक्ति नहीं कहना चाहता जो उन्होंने चीन के बारे में कही थी। चीन एक बड़ा देश है। 200 वर्षों में हमारी उनसे एक बार लड़ाई हुई थी, और इस बारे में कभी गहराई से नहीं सोचा गया कि ऐसा क्यों हुआ था। इस बात पर आप सहमत हुए थे और इस सदन ने एक संकल्प पारित कर दिया था तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि अंततः चीन के साथ हमारा सीमा संबंधी विवाद बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन स्थिति उग्र बना दी गई है। जिन लोगों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए वे आए दिन ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। ससंदीय मामलों से संबंधित आपके मंत्री जी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगामी युद्ध की तारीख, स्थान और समय बताए। *.....(व्यवधान)*

महोदय, मैं यही कह सकता हूं कि आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा दिखाए जा रहे गैर-जिम्मेदाराना रवैये से मैं क्षुब्ध हूं। दिल्ली में 125 विदेशी मिशन हैं वे रोज यह रिपोर्ट देते हैं कि यहां क्या हो रहा है। क्या आपने आज मुचकुन्द दुबे का लेख पढ़ा है? आप कहते हैं कि आपका देश नाभिकीय अस्त्र से सम्पन्न देश है। ठीक है, भाग्य आपका साथ दे। परन्तु मुचकुन्द दुबे का लेख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यह अत्यन्त कठिन है। आपके खिलाफ काफी कुछ हुआ जा रहा है। भारत पर रोक लगाने की संयुक्त राज्य अमेरिका प्रायोजित अभिगम्यता। आपकी अभिगम्यता कहां तक है आपकी कार्रवाई पाकिस्तान, वाशिंगटन, चीन के ध्रुवीकरण में सहायक सिद्ध हुई है और इस बारे में वे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप कृपया आज का 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने साथियों से पूछिए।

आप श्री टोनी ब्येलर से अपनी टेलीफोन बातचीत से खुश हैं, श्री टोनी ब्लेयर उस दस्तावेज के लेखक हैं जिसे यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि आपको तैयार रहना होगा क्योंकि हम चारों ओर से आप पर दबाव डालने जा रहे हैं और आपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना निवेदन करने का कार्य भी आरंभ नहीं किया है। जी-8 ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसमें भी येल्तसिन थे। किंतु, यूरोपीय संघ में वे नहीं हैं। श्री टोनी ब्लेयर की यह सही भाषा है जिन्होंने इन बातों के प्रारूप को अच्छी तरह तैयार किया है। मैं इन सब बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। कृपया उन्हें पढ़िए।

[श्री के. नटवर सिंह]

श्री मुचकुन्द दुबे कहते हैं कि भारत के लिए इस विश्व परमाणु व्यवस्था में प्रवेश करना अत्यधिक कठिन बनता जा रहा है। पोखरण परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य घोषित किया और इस रूप में मान्यता प्राप्त करने आदि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में किए गए पांच परीक्षणों ने अपने आप में भारत को परमाणु निवारक उपलब्ध नहीं कराया है। इन परीक्षणों से हमने केवल 1974 के प्रौद्योगिकी स्तर से उच्चतर प्रौद्योगिकी स्तर की स्पष्ट आयुध क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमें एक विश्वसनीय निवारक प्राप्त करने से पूर्व अभी भी एक लम्बा सफर तय करना होगा।

मैं अपने वैज्ञानिकों का अत्यधिक सम्मान करता हूँ। किंतु आप जानते हैं कि विज्ञान में यह अद्यतन प्रौद्योगिकी नहीं है, मैं इस बारे में अधिक कहना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामले हैं।

फिर श्री शारदा प्रसाद ने कहा, दूसरे शब्दों में परमाणु विस्फोटों से भारत के बारे में विश्व का दृष्टिकोण कुछ भी हो गया हो, पोखरण परीक्षणों के बाद का भारत पोखरण परीक्षणों से पूर्व के भारत से बहुत भिन्न नहीं होगा। कुछ दुःखदायी खिलोनों के साथ हमारा देश अभी भी गरीब देश ही बना रहेगा। वे सभी इन मामलों पर लिखने वाले गंभीर, संतुलित स्वभाव वाले, उच्च अनुभवी और सुविज्ञ व्यक्ति हैं।

वर्तमान में हम यह नहीं कह रहे हैं कि जहां तक भारत की सुरक्षा का संबंध है। हम पीछे रहेंगे, जहां तक भारत की सुरक्षा का संबंध है। हम आपके साथ हैं आपके सम्मुख हैं। कृपया हमें बताइये यह खतरा कहां से पैदा हो रहा है और आपने बिना वाद-विवाद के चली आ रही राष्ट्रीय आम सहमति को एक पक्षीय ढंग से क्यों पलटा है आपने इसकी सांविधिक समीक्षा भी नहीं की।

अब सर्वत्र यह कहा जा रहा है कि 1996 में आपने बम विस्फोट करने का निर्णय किया था! आपने 13 दिनों में त्यागपत्र दे दिया था। किंतु हर कोई यह कह रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का खंडन करें कि आपका ऐसा कोई इरादा था, उस समय क्या हुआ था? सुरक्षा वातावरण कहां खराब हो रहा था? अब यह पता चलता है कि आपने इसकी योजना 1996 में बना दी थी जब न गौरी थी, न गजनवी और न ही जार्ज थे।

यदि आप ईमानदारी से इस सभा को बता देते कि 11 मई से मैं अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हूँ, मैं एटम बम वाजपेयी बनने जा रहा हूँ हम इस बात को स्वीकार कर लेते। इस बात को पूर्णतः समझा जा सकता था। कोई भी आपके द्वारा किए गए कार्य को कम करके नहीं आंक रहा है, किंतु आपके द्वारा दिए गए औचित्य पर उंगुली उठा रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने दस वर्ष के कूटनयिक सम्पर्कों को कूड़ेदान में डाल दिया है। श्री राजीव गांधी द्वारा नियुक्त कार्य दल ने कहा था, ''प्रक्षेपास्त्र सहित इन सभी मामलों पर चर्चा की गई थी'', चीन ने कहा, 'यदि आप इसे पाकिस्तान को देने पर आपत्ति करते हैं तो हम इसे आपको देंगे'। श्री जे.एन. दीक्षित से पूछिए। उन्हें बुलाइए और उनसे पूछिए कि क्या इन दिनों में कुछ नया घटित हुआ है। हमें इन दोनों में अन्तर करना चाहिए।

परमाणु परीक्षण देश के लिए एक अद्वितीय उपहार है, हमारे वैज्ञानिकों की एक महान उपलब्धि है। श्री जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरागांधी, श्री राजीव गांधी, श्री नरसिम्हा राव, श्री इन्द्र कुमार गुजराल और अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के लिए एक अनुपय प्रशस्ति स्वरूप है जिन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। किंतु श्री गुजराल ने आपको एक पत्र लिखा है और कांग्रेस पार्टी के साथ घनिष्ठ भाईचारे के संबंधों की भावना दिखाते हुए इसकी एक प्रति हमें भेजी। श्री गुजराल ने 22 मई को कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत कुछ दिनों में विभिन्न व्यक्तियों में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध, प्रतिबंधों आदि से निपटने के बारे में जबावी उपाय आदि से निपटने के लिए हमारे इरादों के बारे में अनेक बयान दिए गए हैं। कुल मिलाकर समग्र रूप से इन अलग-अलग रुखों ने बढ़ती आक्रामकता का प्रभाव पैदा किया और जिसका वास्तविक तात्पर्य है कि हम सैनिक टकराव के कगार पर हैं और मुझे आशा है कि यह जो कुछ हो रहा हैं यह आपके माध्यम से नहीं हो रहा होगा। वे एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वे आपसे अधिक समय तक प्रधान मंत्री रहे हैं मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री के पद पर बदलाव आएगा। आप प्रधानमंत्री पद पर केवल दो महीने से हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी आपको एक पत्र लिखा है। श्री नरसिम्हा राव जिन्होंने स्वयं कहा है कि परमाणु विकल्प खुला है वे पिछले तीस वर्षों से बार-बार ऐसा कह रहे हैं। इसमें यह बात अन्तर्निहित थी कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। परमाणु विकल्प को खुला रखने के बारे में राष्ट्रीय आम सहमति बनी थी।

आपके द्वारा उस विकल्प का प्रयोग करने के बारे में कोई आम सहमति नहीं थी.....*(व्यवधान)* मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह खोज करने के बजाए कि सुरक्षा वातावरण खराब हो गया है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। यद्यपि आपने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यह है कि जो कुछ आपने कहा वह इसका संकेत नहीं देता है कि आपको स्वयं यकीन है कि सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा हो गया है। यदि सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है तो मेरे विचार से यह सभा यह जानने की हकदार है कि वह खतरा कहां से पैदा हुआ है। मुझे खुशी है कि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि आप परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्षधर हैं, यद्यपि आपने राजीव गांधी के नाम का उल्लेख नहीं किया किंतु वह इसमें अन्तर्निहित है। मैं भी जानता हूँ कि विभिन्न कारणों से इस बारे में उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं हुई क्योंकि रूस ने भी निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा था। राजीव गांधी ने कहा था कि सभी परमाणु हथियारों को वर्ष 2010 तक नष्ट कर दिया जाना चाहिए और यदि मुझे सही याद हैं तो गोर्बाचेव ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि परमाणु हथियारों को वर्ष 2005 तक नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के पास 10,000 परमाणु शस्त्र थे जबकि आपके पास पांच या छह हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्यों? क्योंकि आयुध निर्माण की लागत अत्यधिक थी। अमरीकियों ने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का बजट कभी भी सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत से कम नहीं हुआ।

अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, हम यह भी जानते हैं कि चीन ने आपसे कहा है कि आप अपनी सद्भावना का ठोस साक्ष्य दें, मुझे खुशी है कि जब आप पोखरण गए आपने कहा कि आप चीन से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। और आपके प्रधान सचिव ने भी ऐसा ही कहा जो पहले भारतीय थे जिन पर 1962 के बाद माओत्से तुंग मुस्कराए थे उस समय वे बीजिंग में हमारे प्रभारी अधिकारी थे। इसलिए वे इस तथ्य को जानते हैं कि कूटनयिक जीवन क्या है। महोदय मुझे खुशी है कि आपने बुद्धिमत्ता से देश को संकट से उबारा है। आपके कथनों या घोषणाओं से भारत की विदेश नीति, भारत के चीन के साथ सबंधों, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों, भारत के यूरोपीय समुदाय के साथ संबंधों और भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को हुई क्षति की कुछ भरपाई होने की आशा की किरण दिखाई देती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी दबाव के समक्ष झुक जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। पांच परमाणु आयुध संपन्न देशों के हाथ भी धुले नहीं हैं। उन्हें हमारे बारे में निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें हम पर प्रतिबंध लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं अपनी कमर कसने और इन प्रतिबंधों का सामना करने के लिए हम आपके साथ हैं। अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाने के बजाय कृपया आप अपने मित्रों की संख्या बढ़ाइए। कूटनीति का यह पहला मौलिक नियम है विदेश नीति और कूटनीति में अन्तर है और यह अन्तर बहुत सूक्ष्म और गहन है। आप इसे जानते हैं। श्री आडवाणी इसे जानते हैं किंतु आपकी पार्टी में गर्मामिजाजी व्यक्ति इस बात को नहीं समझते। विदेश नीति वह है कि जो कुछ आप करते हैं और कूटनीति वह है कि इसे आप कैसे करते हैं। पहली बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप हमारे राजनयिकों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं। एक ओर आप क्लिंटन को पत्र लिखते हैं तो दूसरी ओर आप कहते हैं कि आप चीन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं.. .....*(व्यवधान)* मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है हम आपको पूरा समर्थन देंगे। यदि हम पर प्रतिबंध थोपे जाते हैं तो हम आपको पूरा समर्थन देंगे। किंतु जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप यह घोषणा करते हैं कि इन परीक्षणों को देश की सुरक्षा के लिए खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया तो आपको हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह खतरा कहां से पैदा हो रहा है, यह कितना गंभीर है और यह कितना आसन्न है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री कहते हैं कि चीन से कोई खतरा नहीं है और यह मात्र एक हौवा है। चीन से हमारे संबंध अच्छे हैं। कृपया इन विरोधाभासों में सामंजस्य स्थापित कीजिए।

इस वाद-विवाद में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, क्या अब हमारे सदस्य की बोलने की बारी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : कल एक समझौता हुआ था कि पहले विपक्ष के दो माननीय सदस्य बोलेंगे। अतः अगले बोलने वाले माननीय सदस्य आपकी तरफ से होंगे। इस संबंध में कल एक समझौता हुआ था।

श्री लालू प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं हमसे बड़ी पार्टी के नेता को या सत्ता पार्टी को बोलने का पहले मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे इजाजत ली है, पांच बजे मुझे वापस पटना जाना है इसलिए आपकी परमीशन से मैं बोल रहा हूं।.....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सदन आज अत्यंत संवेदनशील मामले पर विचार कर रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर सिर्फ पोलिटिकल पार्टियां ही नहीं, भारत की सभी जातियां, वर्ण, धर्म, देश की सारी जनता एक हैं और एक स्वर में हम राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं। युद्ध और तनाव की स्थिति पूरे भारत में पैदा हो गई है। लोग काफी असमंजस में हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना वाक्य दिया, सुनकर घोर निराशा हुई है। इस देश के वैज्ञानिकों को, उनकी टीम को, डॉ० कलाम और चिदम्बरम जी तथा उनके साथी सांइटिस्ट लोगों को जितनी बधाई दी जाए, बहुत कम है। पूर्व की सरकार और पूर्व प्रधान मंत्री गुजराल साहब ने डा० कलाम को भारत रत्न की उपाधि दी थी। सचमुच में बहुमूल्य रत्न इस राष्ट्र को मिला है। डॉ० कलाम ने दुनिया में और दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने न्यूक्लियर डिवाइस का प्रयोग करके भारत का मस्तक ऊंचा किया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसमें भारत की जनता और सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इस समय रक्षा मंत्री जी को भी यहां रहना चाहिए था.....*(व्यवधान)* पता नहीं कि वे कहां चले गये, लगता नहीं कि रक्षा मंत्री जी से पूछा गया या नहीं। क्योंकि वह फोरफ्रंट पर कहीं नजर नहीं आते हैं।

अपराह्न 3.38 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए]*

इसमें रक्षा मंत्री जी से भी पूछा गया या नहीं प्रधान मंत्री जी जब जवाब देंगे तब बतायेंगे। हम लोग वैज्ञानिकों को धन्यवाद और बधाई देते हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि पचास साल की यह उपलब्धि है। पहला विस्फोट 1974 में हुआ था और अब यह डिमांस्ट्रेशन हुआ है। हम इस सवाल का उत्तर चाहते हैं कि यह किनके खिलाफ हुआ है। आज दुनिया में जिनकी मोनोपोली है वे राष्ट्र अमरीका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना हैं। पूरे देश मे ढुगढुगी पीटी जा रही है, चाहे जो लोग भी पीट रहे हों कि हम भी तैयार हो गये हैं। पूरा होल वर्ल्ड और देश इसको वाच कर रहा होगा, मैं उसकी तह में, गोपनीयता में नहीं जाना चाहता कि यह जो डिमांस्ट्रेशन हुआ, टैस्ट हुआ, उसकी कैपेसिटी क्या है। जिन पांच राष्ट्रों के खिलाफ हम चारों तरफ वातावरण बना रहे हैं। महोदय, उस मंजिल तक जाने में हमें कितनी देर लगेगी और

[श्री लालू प्रसाद]

हमारी क्या क्षमता है, इसे हम जानना चाहेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारी हंसी न हो जाए क्योंकि जो लोग संपन्न हैं, समृद्ध हैं, उनके बेटे-बेटियों की शादी में खूब आतिशबाजी चलती है, खूब पटाके चलते हैं। यह धन का डिमांस्ट्रेशन है। जिन देशों का क्लब बन चुका है वे चाहते हैं कि अब इन अस्त्रों-शस्त्रों को कोई न बनाए, बस यही हमारे हित में है। आखिर इन देशों के इस प्रकार से कहने का क्या मतलब है और इनका निशाना कहां है? मेरे और इस देश के करोड़ों देशवासियों के मन में ये बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनने के बाद गांधीनगर (गुजरात) के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक धर्म की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। जी हाँ, मैं एक राष्ट्र की बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं एक संस्कृति, एक धर्म की बात से सहमत नहीं हूँ।

जार्ज साहब पीछे बैठे हैं। पाकिस्तान में जब गौरी मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो अखबार वालों ने जार्ज साहब का घेराव शुरू कर दिया और पूछा कि भारत इससे बचने के लिए कुछ कर रहा है या नहीं, लेकिन वे उपलब्ध ही नहीं हुए और यहां से नार्थ-ईस्ट चले गए। वहां से भी यह बात छपी और जार्ज साहब ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है कि जितना चीन से है। यह भी कहा गया कि भारत का नंबर एक दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। जार्ज साहब भारत के रक्षा मंत्री हैं। इनके पास सारी इंटैलीजेंस की सूचना होती है। इनकी जानकारी में सारी बातें होती हैं। मैंने अपने पूर्व भाषण में कहा था और आज भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ कि हमारा कैलाश, हमारा मानसरोवर, हमारी जमीन चीन के कब्जे में है। यह ठीक है कि हमने पहले "हिन्दी चीनी भाई-भाई" के नारे लगाए, लेकिन इसके बावजूद युद्ध हुआ, हमारी जमीन चीन ने दबा ली और आज हमारे भगवान वहां कैद हैं जिनके हम लोग वहां दर्शन करने जाते हैं।

महोदय, चीन के रक्षा मंत्री का बयान आना और हमारे प्रधानमंत्री का कुछ न बोलना, कोई भी एक्शन न लेना, यह क्या बताता है। चार-पांच रोज के बाद रक्षा मंत्री का पटना जाना और वहां जाकर उनके द्वारा सफाई दिया जाना कि इस प्रकार का हमने कोई बयान नहीं दिया कि भारत का एक नंबर दुश्मन चीन है। यह बात तो अखबार वालों ने तोड़-मरोड़ कर छाप दी, यह क्या बताता है, यह किस ओर इशारा करता है, यह सब मालूम होना चाहिए।

अशोक सिंघल जी का पटना जाना और वहां से यह कहना कि हम पोखरन में एक शक्ति पीठ की स्थापना करेंगे। हो सकता है कि प्रधान मंत्री महोदय को मालूम न हो क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां बहुत स्वतंत्र लोग हैं। पटना में जाकर अशोक सिंघल जी ने कहा कि हम वहां एक दिव्य मंदिर बनाएंगे और वहां की मिट्टी पाकिस्तान और रिलीजन का नाम लेकर हम पूरे देश में घूमेंगे और इसका प्रचार करेंगे। मुझे ऐसे लोगों से खतरा है और अंदेशा है यदि मीडिया की खबर झूठी है तो कोई बात नहीं लेकिन अभी कुछ समय से मीडिया में यह छप रहा है कि देश में स्थान-स्थान पर मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल पड़ा है। हम मंदिर के संबंध में न्यायालय का जो फैसला है, उसे मानेंगे।

लेकिन हमें जानकारी मिली है कि चारों तरफ, अयोध्या में मंदिर बनाने का ढांचे तैयार हो रहे हैं। लखनऊ में गेट बन रहा है तो राजस्थान में कुछ और बन रहा है। यह जांच का विषय है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे शत्रु कौन हैं? हमारे दुश्मन कौन हैं? पूर्व प्रधान मंत्री श्री गुजराल साहब बैठे हुए हैं। आड़ी के देशों में, पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते.....*(व्यवधान)* मैं फॉरेन पालिसी के विषय में बता रहा हूँ। आप बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं फोड़ दिया, आपने क्यों परीक्षण नहीं कर दिया, श्री मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं बटन दबा दिया? श्री वाजपेयी जी ने बटन दबा दिया। बड़ा भारी शेर मारकर लाये।.....*(व्यवधान)* अगर हिम्मत है .....*(व्यवधान)* अगर आणविक शक्ति में आपको विश्वास होता और न्यूक्लियर डिवाइस में आपकी पार्टी की आईडियोलॉजी होती तो इस देश की भावी पीढ़ी को उनके रहन-सहन और संस्कार की शिक्षा हम लोग नहीं देते। जिस आईडियोलॉजी में आपको विश्वास नहीं है, फिर उसकी क्या जरूरत थी? खाकी पैंट और हाथ में डंडे की क्या जरूरत थी, माथे में टोपी लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों आप लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर डिवाइस, आणविक विस्फोट, आणविक शक्ति? अगर हिम्मत है तो आज आप आर.एस.एस. को खत्म कर दीजिए। जो न्यूक्लियर डिवाइस है, आणविक शक्ति है, वही शिक्षा दीजिए। देश को पोंगापंथ की ओर, लाठी, डंडा और गुल्ली पटकने की ओर मत ले जाइये। इसके अलावा आप बोलते हैं कि हमें श्रेय है, क्या यह बता रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया।

सभापति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ.....*(व्यवधान)* आप बैठिये।.....*(व्यवधान)* आप सुनिये। मैं कहना चाहता हूँ कि 1974 में विस्फोट हुआ।.....*(व्यवधान)* 1974 में परीक्षण हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी। श्री वाजपेयी जी और हम तमाम लोग जेलों में बंद थे। इमरजेंसी लगी थी।.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : वह 1976 में लगी थी।

श्री लालू प्रसाद : आप हमको ज्यादा मत पढ़ाइये।..... *(व्यवधान)* आप सुनने की कोशिश करिये। आप क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं।.....*(व्यवधान)* आप सुनिये। 1974 को देखकर आप लोगों ने और आपकी पार्टी ने भी मन बनाया होगा कि अगर यह विस्फोट कर दिया तो देश हमारे साथ होगा। लेकिन 1977 में कांग्रेस का सफाया हो गया और अब ये भी सफाये में जाने वाले हैं। इनको आटे-दाल का भाव मालूम हो जायेगा।.....*(व्यवधान)* आप हमें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डालें। कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री जाखू प्रसाद : जब प्रधान मंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर इस बात का जवाब देंगे तब मैं नहीं होऊंगा लेकिन हमारे साथी यहां रहेंगे। हम इस बात का जवाब चाहते हैं कि वह क्या गोपनीय बात है? सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत नहीं हो रहा था, दुनिया को मालूम था कि कुछ न कुछ दाल में काला है। भारत इसमें कुछ कर रहा है। सी.टी.बी.टी. के बारे में आपने बार-बार पूछा कि क्या स्टैंड है? दुनिया को मालूम था कि भारत के पास ये सामान हैं लेकिन आपने भेद खोल दिया, और भारत को आइसोलेट करके रख दिया। आज भारत का कोई मित्र नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि जहां हमें संपन्न होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए, अमरीका, रूस, जापान और ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए, आपने एक टेस्ट किया लेकिन उसने हजारों टेस्ट करके रखे हैं। आपके पास कितना सामान है, मैं यह नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसे सभी समझते हैं। यह चीज आपको मालूम होगी, आप इसको देखेंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी देश का फेवर नहीं करना चाहिए, भारत का फेवर करना चाहिए, भारत की रक्षा करनी चाहिए।.....*(व्यवधान)* अमरीका ने अपनी जान बचा ली। यहां आप विस्फोट करते हैं, अमरीका की टीम पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। आपकी सफाई का लेटर कि ''मैं अमरीका टीम भेज रहा हूं'', पाकिस्तान तुम मत फोड़ना। वहां से चेतावनी आती है। इलैक्ट्रानिक मीडिया और टी.वी. में हम देखकर कि भारत के सवाल पर अमरीका का इकोनौमिक सैंक्शन कायम रहता है या नहीं, तब हम अपनी बात को रखेंगे। क्या आपने यह भेद नहीं खोला? क्या आपने दुश्मनों को नहीं बताया? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास शक्ति है, हमें अपनी गोपनीयता मेनटेन करना चाहिए, रोड़ और चौराहों पर उसे उजागर नहीं करना चाहिए। यदि धान और खेती के बारे में कोई साईकोलौजिकल बात हो तो वह अलग है।

जब मां सीता का अपहरण हुआ, राम बनवास गए, गिद्ध जटायू ने कहा कि रावण मां सीता का अपहरण करके जा रहा है। एक हमारी मां सीता है और दूसरा रावण है। जटायू ने युद्ध किया। रावण को काफी परेशान कर दिया। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गिद्ध जटायू इतने भोले और सीधे थे कि अपनी कमज़ोरी को नहीं पचा सके और रावण से कहा कि यदि वे अग्नि बाण से बचेंगे तो उनकी शक्ति को मानेंगे। रावण बहुत चतुर, कूटनीतिज्ञ और चालाक था। रावण ने अग्नि बाण मारा और गिद्ध जटायु का पंख उड़कर साफ हो गया। क्या आपने अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने रखने का काम नहीं किया?.....*(व्यवधान)*

आगे हमारी क्या सोच है। इस देश में गरीबी, भूख और प्यास है। देश के रक्षा बजट पर कितना प्रावधान करना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।.....*(व्यवधान)* सुरक्षा के ठेकेदार तो आप ही बने हुए हैं।.....*(व्यवधान)* आप उड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हम लोग ही हैं।.....*(व्यवधान)*

यह श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है कि हमने टैस्ट किया है। यह वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ये उनको माला नहीं पहनाते और कहते हैं कि वहां शक्ति पीठ मंदिर बनाएंगे। वहां डॉ० कलाम द्वार बनना चाहिए, चिदम्बरम द्वार बनना चाहिए, उनकी टीम के साथियों का नाम मार्बल में खोदकर लिखा जाना चाहिए। इसमें सिंघल साहब की क्या जरूरत है? देश की रक्षा सर्वोपरि है, क्या इससे कोई मतभेद है। लेकिन हमने चिट्ठी लिखकर अमरीका के राष्ट्रपति को क्यों हिसाब दिया। क्यों बोलते हैं कि मोनोपली नहीं चलने देंगे? अब क्यों सफाई दे रहे हैं कि तैयार हो जाइए, आत्मनिर्भरता की जरूरत है, सजग हो जाइए। गरीबी, भूख और प्यास मिटाने के बारे में आपने खुद कहा कि भारत के पास प्रचुर समृद्धि है, इसका दोहन करना पड़ेगा। इसके लिए आप सारी पोलीटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाइए और खड़े हो जाइए।

इकोनोमिक सैंक्शन, हम नहीं चाहते कि इंडिया भीख मांगे। भिखमंगे बनकर हम नहीं रहना चाहते। हम दुनिया में उनका मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात हवा में न रह जाये। हमारी यही उपलब्धि है कि हमारे वैज्ञानिक काम्पीटेंट हैं, इस देश के सांइटिस्ट काम्पीटेंट हैं। यह सबूत है कि हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गौरव है। वे सब तैयार हैं, उनको साधन दीजिए और दुश्मन, कैपेसिटी और लक्ष्य निर्धारित करिये।

भारत का निर्गुटता का, भारत दुनिया का गुरू कैसे बनेगा? नॉन एलाइंड कण्ट्री बनकर हमने तटस्थता के सिद्धान्त को माना, पंचशील के सिद्धान्त को माना। आपने नेहरू जी का नाम लिया, हम उनका नाम विकास के लिए लेते हैं। आप दुनिया को मनाएंगे, पड़ौसियों से हमारे रिश्ते क्या हों, आपने खुद कबूल किया है तो यह परीक्षा हो गई कि हथियार बनाने के लायक हम हैं, यह हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि हो गई। लेकिन जो बाकी का मुकाबला हमको करना है, इस मुकाबले पर आपको निश्चित रूप से ऑल पार्टी और राष्ट्र की सहमति जरूर आप लीजिए। बहुत गोपनीय बात को आप मत बताइये, हम आपकी गोपनीय बातें नहीं जानना चाहते हैं। मैं यहां अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के कई आदमी बोले कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, लड़े सिपाही, नाम हवलदार का, माल खाये जिलेदार। कल आपको कहना चाहिए कि पोखरण में जो घर क्रैक हुए, पोखरण इलाके में गरीब लोगों के जो मकान थे, जमीन थी, उसको प्रणाम करिये। जिनकी छाती फट गई, जहां इरोजन हुआ उस राजस्थान की जनता को भी हम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि जितने भी एक्सपेरीमेंट्स होंगे, वे यहां पर होंगे। राजस्थान की जनता को हम लोग बधाई देते हैं, क्योंकि वही इस धमाके को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं।

इस समय देश की सुरक्षा, पड़ौसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रश्न हमारे सामने है और अंतिम अस्त्र लड़ाई है। अगर यह नहीं होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। भारत ने अहिंसा के सहारे, बापू के सहारे अंग्रेजों को सात समन्दर के पार धकेल भगाया। उसमें आपका भी योगदान रहा, क्योंकि कुछ लोग आपमें भी फ्रीडम फाइटर हैं और बापू जी के बताये हुए रास्ते पर चलते हैं। स्वामी विवेकानन्द जी ने दुनिया में भारत का नाम रौशन किया। न्यूयार्क

[श्री लालू प्रसाद]

के शिकागो के हाल में दुनिया भर में विश्व बन्धुत्व का संदेश दिया कि सारी दुनिया के नर-नारी हमारे कुटुम्ब के समान हैं। आपको मांग करनी चाहिए कि जो पांच राष्ट्र हैं, जितने सारे आणविक प्रयोग किये हैं, उनको समन्दर में फैंको, समन्दर में डालो, भारत अहिंसा का पुजारी है।

प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी में, एलाइज पार्टीज़ में, देश की समस्या में चारों तरफ बड़ा भारी भूकम्प मचा हुआ है, इसलिए ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। यह जो बम फोड़ दिया है तो बस स्वीप कर दिया है, इस गलतफहमी में आप मत पड़िएगा। लड़के लोग बोलते हैं कि कैसा बयान लोग दिलवा देते हैं कि एक और बड़ा बम अभी फोड़ देंगे। अब बिहार में क्या हुआ, लड़के लोग बोल रहे हैं कि जब प्रधान मंत्री बम फोड़ रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ रही तो हमको बम फोड़ने में क्या दिक्कत है। अब हम भी बम फोड़ें, यह काम मत करिएगा, यह आपको बताना है, इसको भी रोकिये।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने भाषण के शुरू में मैं सरकार को उसके इस महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दिखाए गए उत्साह और वचनबद्धता के लिए गर्मजोशी से बधाई देता हूँ।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं अपने महान् वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने भारत को विश्व में एक विशेष स्थान दिलाया है। और देश के लिए कार्य किया है। मैं रक्षा बलों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सफल परीक्षण के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महोदय, इस संबंध में बहुत भी बातें उठाई जा रही हैं और अब मैं उनका एक-एक करके उत्तर दूंगा।

पहली बात परीक्षण के समय को लेकर उठाई गई है। यह परीक्षण इसी समय में क्यों किया गया? सबसे पहले मुझे आपका ध्यान आकर्षित कराना है। क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित करा सकता हूँ।

सभापति महोदय : जी, हाँ।

श्री जगमोहन : मैं आपका ध्यान भा.ज.पा. के घोषणा-पत्र और जिससे बाद में उनके राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल किया गया, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भा.ज.पा. ने परमाणु नीति की कल्पना को अस्वीकार किया है और वह परमाणु प्राधान्य शासन लाने के लिए किए गए प्रयासों का खुलकर विरोध करेगा। सुरक्षा आवश्यकताओं और आणविक विकल्प के उपयोग के मामले में हम किसी के आदेश के आगे नहीं झुकेंगे। अब इसमें चार बातें हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि हम परमाणु हथियार सम्पन्न देशों को विश्व में आधिपत्य जमाने की अनुमति नहीं देंगे। बात केवल सुरक्षा आवश्यकता की ही नहीं है। हमने यह भी कहा है कि हम सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगे। और सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में हमारा अनुमान लगाया जाएगा। हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में और कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

हमने यह भी स्पष्ट किया है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 'सक्रियता' रखेंगे। इस 'सक्रियता' का क्या अभिप्राय है? 'सक्रियता' रखने का अर्थ है कि हम इसे प्राप्त करने में पूरी तेजी लाएंगे। जब हमें ज्ञात हुआ कि हमारे राष्ट्र के हित में है तो हमने यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही की। जब हमने यह भी कहा कि पहल हमारी तरफ से होगी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। हम केवल घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करेंगे बल्कि पहल भी करेंगे और निश्चय करेंगे तथा उसके अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं को रखेंगे। हमारी केवल निष्क्रिय भूमिका ही नहीं रहेगी। यह मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी और यह भा.ज.पा. के घोषणा पत्र में कही गयी हैं जिनके आधार पर भा.ज.पा. सत्ता में आई हैं। यह भा.ज.पा. का कर्त्तव्य था क्योंकि जनता ने इसका समर्थन किया है और इसके राष्ट्रीय एजेंडा में भी उल्लेख किया गया है जिसका सत्ता दल ने समर्थन किया है। अतः इसे देश के अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त है।

परीक्षणों के बाद, जगह-जगह पर लोगों की राय जानी गई जिनमें इन परीक्षणों के प्रति बड़ी संख्या में लोगों ने उनका समर्थन किया है।

श्री के. नटवर सिंह : केवल चार महानगरों में।

श्री जगमोहन : मैंने आपके भाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था।

फिर भी, चार महानगर, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। व्यापक जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं यदि इनमें कुछ अन्य बात कही गई है तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह कि श्री नटवर सिंह जी हमारी सुरक्षा के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हो रहे थे। इसकी तत्काल क्या आवश्यकता थी? ऐसी क्या नई परिस्थितियां पैदा हो गई थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या यह परिस्थिति अचानक पैदा हो गई। यह एक सतत प्रक्रिया है।

वर्ष 1989 में क्या आपको जानकारी है कि जनरल जिया उल-हक ने 'टोपैक' तैयार किया था। वर्ष 1989 में आप तैयार नहीं थे। क्या आप चाहते हैं कि जैसा 'पर्ल हार्बर' पर हुआ वैसा हो अथवा आप म्युनिख़ की भावना से प्रेरणा लेना चाहेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और यही हमारी मुख्य चिन्ता होनी चाहिए।

यह पूछा गया कि हम वार्तालाप क्यों कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम चीन के मित्र हैं और इसलिए हम वार्तालाप

कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यह कहते हैं। वास्तव में, इसमें कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वार्तालाप में सफलता इस पर निर्भर करती है यदि आप बराबरी का दर्जा रखते हैं। यदि आप कमजोर हैं तो आप राष्ट्रीय हित में सफलतापूर्वक वार्तालाप नहीं कर सकते। चीन 45 परीक्षण कर चुका है। वह प्रयोगशाला में अभी तक परीक्षण करने की स्थिति में है। हमारी चीन के विरुद्ध शिकायत अथवा कोई गलत मंशा नहीं है। हमने केवल यही कहा कि हम तैयार रहना चाहते हैं। समय, समुद्र की लहरों की दिशा और घटनाएं अचानक बदल जाते हैं और हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए।'' यह प्रमुख बात है।

तब, सुरक्षा के संबंध में भारत को सबसे अधिक क्या लाभ था? यह उसकी नीति संबंधी समझ-बूझ का लाभ था। यदि हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह भी हमें एक हद तक ऐसा कर सकते हैं। हमें अपनी समझ-बूझ का लाभ था। इसे 'गोरी' प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण के बाद धक्का लगा और बहुत सी बातें कहीं गई थी कि यह 'मुम्बई' और अन्य स्थानों पर मार कर सकती है। पाकिस्तान ने इसी प्रकार की बातें कहीं। हमें इनके बारे में जानकारी है। अतः कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी घटना नहीं है जिस पर हमने अचानक निर्णय लिया हो। इस संबंध में भली-भांति विचार किया गया है इसके पीछे ठोस कारण हैं और इसलिए आप जैसे कह रहे हैं वैसा नहीं कह सकते।

मैं श्री नटवर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि 1974 में भारत को सुरक्षा संबंधी क्या खतरा था कि जिसके कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट किया? हम सभी ने इसकी प्रशंसा की थी।

श्री के. नटवर सिंह : क्या मैं उत्तर दे सकता हूं?

श्री जगमोहन : जी नहीं, आप बाद में उत्तर दे सकते हैं। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला था।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उत्तर दें।

श्री के. नटवर सिंह : क्या श्री जगमोहन मेरी बात मान रहे हैं?

श्री जगमोहन : जी, नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बात क्यों नहीं मान रहे हैं? उन्होंने प्रश्न किया है, उन्हें उत्तर सुनना चाहिए।

श्री जगमोहन : मैंने प्रश्न किया है पर वह बाद में उत्तर दे सकते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री जगमोहन : महोदय, मेरा कहना यह है कि इससे केवल मेरे धारा प्रवाह बोलने में व्यवधान होगा। वह बाद में उत्तर दे सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें उत्तर देने का अवसर नहीं मिलेगा.....*(व्यवधान)*

श्री के. नवटर सिंह : वे सकारात्मक उत्तर को सुनने में रुचि नहीं रखते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : हम सकारात्मक उत्तर में रुचि रखते हैं परन्तु आप बाद में उत्तर दे सकते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान डालना बन्द कीजिए। श्री जग मोहन आप अपना भाषण जारी रखें।

.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया बात मानिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह आपकी बात नहीं मानना चाहते हैं। मैं एक सदस्य को बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब तक वाद-विवाद सही ढंग से चल रहा है हमें इसे जारी रखना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही नहीं है। वाद-विवाद कराने का यह तरीका नहीं है.....*(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह : सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, जैसा कि अब भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसका कारण था कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि में एक खण्ड था कि आप परमाणु अप्रसार संधि का सहारा लेकर शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि 'नहीं, हमारी अपनी परमाणु अप्रसार संधि होगी'। उन्होंने ऐसा किया। यही कारण था कि .....*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : कोई सुरक्षा कारण नहीं था. .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जग मोहन इसका उत्तर देंगे।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं तो फिर उस दिन क्या था?... ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह : इस समय सुरक्षा को क्या खतरा है?

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : उस दिन जार्ज फर्नान्डीज की रेलवे स्ट्राइक की वजह से ही आप लोगों ने एक्सप्लोजन किया था.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसीलिए उन्होंने 1974 में ऐसा किया था। .....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : मडोदय, यही कारण था, मैं नहीं मान रहा था.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : श्रीमती गांधी उनको ऐसा करने से रोकना चाहती थी इसीलिए उस समय ऐसा किया गया था.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : पूरा देश हमें देख रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : तो फिर, मडोदय, मैं पाकिस्तान के बारे में कह रहा था। पोखरण-I के भी पहले अर्थात् 1974 में ऐसी रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान चोरी छिपे नाभिकीय परमाणु शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। 1972 के बाद भी जब शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे हमने सभी बन्दियों को उदारतापूर्वक मुक्त कर दिया और सभी लाभों को भी छोड़ दिया केवल यह देखने के लिए कि श्री भुट्टो के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाये। परन्तु पाकिस्तान वापस लौटने के बाद श्री भुट्टो ने क्या किया? कुछ दिनों बाद उन्होंने जनरल टिक्का खान को एक पत्र लिखा था। यह बात उनकी पुस्तक में भी उल्लेखित है। उन्होंने कहा था : 'यह केवल एक अस्थायी उपाय है। युद्ध के लिए तैयार रहें। अपनी युद्ध सामग्री को उन्नत बनाओ और हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हमने हमेशा इन लोगों को सबक सिखाया।' ऐसी भावना है जिसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं।

अब जबकि श्री असलम बेग, श्री नवाज शरीफ और श्रीमती बेनजीर भुट्टो द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं तब हम केवल यह कह रहे हैं कि हम भी तैयार रहना चाहते हैं। हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह तैयारी जारी रखने के लिए आत्म-रक्षा का एक उपाय है।

मडोदय, इतिहास हमें सिखाता है। जब आप कमजोर होते हैं तो अन्य व्यक्ति आक्रमण को प्रवृत्त होता है। यह उन लोगों की भूख को बढ़ाता है। यदि आप कुछ लोगों को दूर रखना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा और आपको बलशाली होना होगा। अन्यथा कुछ लोग आपकी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए प्रवृत्त होंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यह कोई आक्रामक मुद्रा नहीं है। यह सतर्क रहने और इतिहास से सबक लेने वाली मुद्रा है। जैसा कि मैं कह चुका हूं हम नहीं चाहते कि म्यूनिख की भावना हममें आए और हम नहीं चाहते कि पर्ल हारबर की भावना हममें आए।

एक और न्याय-औचित्य है। आप प्रौद्योगिकी को उन्नत कैसे बनाओगे? आप किस प्रकार प्रक्षेपास्त्र की नई प्रौद्योगिकी को विस्फोटों से जोड़ोगे? आप केवल ऐसा तभी कर सकते हैं। जब आप प्रयोग करें, केवल तभी जब आप वास्तव में परीक्षण करें और यह पता लगाएं कि आपने जो हिसाब लगाया वह सही है या गलत। ये पांच परीक्षण अत्यधिक आधुनिक परीक्षण हैं जिनका उद्देश्य, विस्फोट प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी को विस्फोट प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की दृष्टि से, इसमें सुधार करने की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से और उपयोग की दृष्टि से जो कि अब किया गया है यह पूर्णतया अत्यावश्यक था। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और एकदम उपयुक्त समय पर किया गया उपाय था। इससे भारत विश्व में उभरकर सामने आया है। अब विश्व हमारे मत की अवहेलना नहीं कर सकता है। इससे पहले क्या किया जा रहा था कि परमाणु समूह द्वारा समस्त मानव जाति के छठे भाग की अनदेखी की जा रही थी और हम पर कई बातें थोपी जा रही थी। वे कह रहे थे कि "यह हमारे लिए ठीक है, और आपके लिए ठीक नहीं है।" यह क्या बात है? क्या इस महान सभ्यता और इस महान संस्कृति से अनचाही बातें परमाणु क्लब द्वारा मनवायी जाएगी। क्या हम एक लोकतांत्रिक विश्व में रह रहे हैं या नहीं? क्या यह संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का उल्लंघन नहीं है? यह हमारी परमाणु क्लब के अलोकतांत्रिक व्यवहार या इस शक्तिशाली गठबंधन के विरुद्ध आवाज है। यह हमारे स्वाभिमान की आवाज है और मुझे पूर्ण विश्वास है, हम लाभों की गणना कर रहे हैं और हम लागतों की गणना कर रहे हैं। यह राष्ट्र के लिए अत्यधिक प्रेरणादायी होगा और इससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तथा हमसे युवा लोगों को प्रेरणा मिलेगी और साहस, गतिशीलता, नयी ऊर्जा तथा नयी पहल मिलेगी। पहले हम भयभीत हो रहे थे कि हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं और कोई भी आकर हमसे अपनी बात मनवा सकता है। इसमें कुछ रहस्य की बात है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं इस संबंध में करना चाहता हूं वह श्रेय देने की बात है। हमारे सम्माननीय और वरिष्ठ साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उल्लेख किया था कि हमने श्रेय लिया है, कोई भी हमें श्रेय नहीं देना चाहता है। यह श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को

जाता है। मैं मानता हूँ कि यह श्रेय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को जाता है।

मैं इसे इतना ही श्रेय देता हूँ जितना कि कोई अन्य देगा। परन्तु आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि इस कार्य को करने के लिए राजनीतिक साहस और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। ऐसी पूर्ववर्ती सत्ताधारी सरकारों द्वारा नहीं किया गया और यह श्रेय और यह प्रतिबद्धता मई 11 और मई 13 को हमारे निर्णयों द्वारा प्रदर्शित की गई। वास्तव में, मैं यह नहीं कहता कि ऐसा केवल एक राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक दल ने योगदान किया है। मैं यह नहीं कहता कि केवल वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। प्रत्येक आम आदमी ने इसमें योगदान दिया है, प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया है क्योंकि आखिरकार, उनके करों के द्वारा ही हम इन परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहे हैं और हमें यह श्रेय दर्शाना होगा। मैं उन सबको नमन करता हूँ। आपको एक राजनीतिक दल को भी श्रेय देना होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इससे इंकार नहीं करेंगे। हम इस महत्वपूर्ण निर्णय का श्रेय लेने के हकदार हैं। इससे हमें राजनीतिक लाभ मिला है। यह तो हमें मिलना ही था।

हमारे प्रधान मंत्री अत्यधिक उदार थे और उन्होंने कहा था कि यह सतत् राष्ट्रीय प्रयास है और जो परीक्षण हुए वह उस प्रयास की चरम परिणति है। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि यह राष्ट्रीय प्रयास की चरम परिणति है। परन्तु हम सबने इसमें योगदान किया है। परन्तु मुद्दा यह है कि आप उत्तर जानते थे। हम भी उत्तर जानते थे। परन्तु केवल हमने ही इस उत्तर को इतिहास के पृष्ठों पर अंकित किया है। हमने ही उत्तर लिखा है और आपने नहीं लिखा है और आपको इर्ष्या नहीं होनी चाहिए। उनको जिन्होंने यह लिखा इतिहास के पृष्ठों में ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिन्होंने उत्तर लिखा याद किया जाएगा। और इस सारे प्रयास के लिए भी मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा। आपने परीक्षा पास की है। प्रत्येक राजनीतिक दल ने यह परीक्षा पास की है। कुछ ने तृतीय श्रेणी में, कुछ ने द्वितीय श्रेणी में और कुछ ने विशिष्ट उपलब्धि के साथ प्रथम श्रेणी में पास की है। मैं समझता हूँ कि हम दावा कर सकते हैं कि हमने यह परीक्षा विशेष उपलब्धि के साथ प्राप्त की है। अतः इसका श्रेय हमें मिलना ही चाहिए।

एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। यह बात प्रैस से मालूम हुई और मैं समझता हूँ कि ऐसे कई तर्क संगत आधार हैं जिनसे यह विश्वास किया जा सकता है कि जब सी.टी.बी.टी. अथवा एन. पी.टी. पर चर्चा चल रही थी उस समय श्री नरसिम्हा राव परमाणु परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। वास्तविकता तो यह है कि यह बताया गया है कि यह फाइल प्रत्येक प्रधानमंत्री की मेज पर आई है। यह समय सम्भवतः वह था जब चीन अथवा फ्रांस विस्फोट कर रहे थे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर आने से पहले भारत विस्फोट कर सकता था। तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अपनी वचनबद्धता पूरी नहीं कर पा रहे थे इसका साहस नहीं जुटा पा रहे थे। यह ऐसा ही समय था जब हम इसका साहस नहीं जुटा पा रहे थे। कुल मिलाकर आपने पिछले 24 लम्बे वर्षों से इस विषय को उपेक्षित रखा। स्पष्टतः हमारी प्रौद्योगिकी अविकसित रही। अब प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के अलावा इन निर्णयों ने एक साहस का परिचय दिया है और विश्व को बता दिया है कि अब विकसित देश हमें अपनी शर्तों पर नहीं झुका सकते।

अब एक और बात भी है यदि आप परीक्षण करते हैं, यदि आप अपने वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों को प्रोत्साहित करते हैं तो वे अपनी प्रौद्योगिकी को भी तराशेंगे। वे अपने अनुभवों से सीखेंगे। इससे समाज का प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक आधार मजबूत होगा। और हम कई अन्य क्षेत्रों में भी महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मेरे पास एक अमरीकी द्वारा लिखा गया "दि इन्टरनेशनल हैरल्ड ट्रिब्यून" में प्रकाशित एक लेख है। उन्होंने हमारे महान वैज्ञानिक डॉ0 अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है। उसमें उन्हें उद्धृत करते हुए लिखा है कि एक समय अवसर न मिलने के कारण डॉ0 अब्दुल कलाम इतने हताश हो गए थे उन्हें परमाणु परीक्षण करने के लिए उन्हें राजनीतिक स्वीकृति नहीं दी जा रही थी और अपनी इस हताशा के कारण वे सरकार को छोड़ना चाहते थे और वहां से हटकर मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनने जा रहे थे। आप अपने वैज्ञानिकों और उनके मनोबल के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे और जब मनोबल गिर जाता है तो वैज्ञानिक उन्नति नहीं की जा सकती प्रौद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों को अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रतिभा को सामने लाने के लिए गत 24 वर्षों से पर्याप्त अवसर नहीं दिये गए। इसी कारण से वे प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंच सके। उनमें से अधिकतर विदेश चले गए, कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए अथवा कुछ ने अन्य प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। इस देश की श्रेष्ठतम प्रतिभा को अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं हुआ।

1987-88 तक 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा सृजित करने की योजना थी। इसके लिए प्रावधान किया गया और 500 करोड़ मूल्य के उपस्कर खरीदे गए थे लेकिन वे अनुपयुक्त पड़े हैं। तत्पश्चात् दबाव में आकर इस कार्यक्रम में कटौती कर दी गयी इसके लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया था और उन असहाय वैज्ञानिकों से कहा गया कि वे पूंजी की व्यवस्था बाजार से करें। एक सुझाव यह भी दिया गया था कि परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा बांड जारी किये जाएं। लेकिन उन बांडों को कौन खरीदेगा? उन्हें धन का अभाव झेलना पड़ा। इससे पता चलता है कि किस प्रकार समाज के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आधार को क्षतिग्रस्त किया गया।

अब हमारे पास थोड़े से श्रेष्ठ और उदीयमान वैज्ञानिक हैं हमारे पास काफी अधिक प्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिक होते, यदि हमने उन्हें परीक्षण करते रहने और अपनी प्रतिभा को विकसित करते हुए योग्यता सिद्ध करने के अवसर प्रदान किये होते। इससे आज हमें कई और चीजों का लाभ मिल पाता।

केवल यही मानदण्ड नहीं है। हमने जो कुछ किया है उसके कुछ और वृहत एवं अधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। इससे न केवल हमारे आत्मसम्मान, हमारे ज्ञान और हमारी क्षमता की पुष्टि होती

[श्री जगमोहन]

है बल्कि इससे इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि हम अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ठोस आकार देना चाहते हैं। हम विश्व को यही बात बताना चाहते हैं कि वे 1,000 मिलियन लोगों की अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन यहां यही पैरामीटर नहीं है केवल इसी बात का महत्व नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमें विश्व को बताना है कि आज शक्ति सम्पन्न ब्लॉक (देशों) का आधिपत्य चल रहा है और हम इस शक्ति सम्पन्न के ब्लॉक को स्वीकार नहीं करेंगे। यह शक्ति सम्पन्न ब्लॉक हर कार्य क्षेत्र में अपनी लाभप्रद स्थिति बनाये हुए हैं। मैं रूस के एक प्रतिभावान व्यक्ति को उद्धृत करता हूँ उनका कहना है ''अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी मामले, सुरक्षा का मामला, अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और हर प्रकार के अन्य मामले इस शक्ति सम्पन्न ब्लॉक के आधिपत्य में हैं। इन सभी मामलों का कारगर समाधान संयुक्त राज्य अमरीका के नियंत्रणाधीन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।'' सैम्युल हंटिगटन ने भी इसके बारे में ऐसा ही कुछ कहा है। मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा :

> ''पश्चिम इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों का कारगर उपयोग एक ऐसे विश्व को चलाने के लिए कर रहा है जिसमें पाश्चात्य प्रभुत्व कायम रहेगा। पाश्चात्य हितों की रक्षा होगी और पाश्चात्य राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का संवर्धन होगा। यही एक नज़रिया है जिसे गैर-पाश्चात्य देश नये विश्व को देखते हैं और इस दृष्टिकोण में सच्चाई का सार्थक मूल तत्व अन्तर्निहित है।''

हमारा यह कहना है कि हम इस शक्ति सम्पन्न ब्लॉक को अपना आधिपत्य बनाए रखना नहीं देना चाहते। हम इस मुद्दे पर विश्व मत को जागरूक बनाना चाहते हैं। हमने अपना अधिकार जताया है कि हम अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो एक प्रतिष्ठित और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं और उर्दू के कवि भी हैं, यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें फैज़ अहमद फैज की पंक्तियों की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उद्धृत करता हूँ :

> अरसा-ए-दहर की झुलसी हुई वीरानी में,
> हमको रहना है तो यूं ही रहना है।
> अजनबी हाथों का बेनामगर अम्बार सितम,
> आज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि उन्होंने काफी लम्बे समय तक शासन किया है।

इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि ठीक है आपने काफी लम्बे समय तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा लेकिन अपना अधिकार जताकर हमने बता दिया है कि यह शक्ति सम्पन्न ब्लॉक हमें स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए विश्व के अधिकांश जनमत ने भारत के प्रयासों की वास्तव में सराहना की है, यह आरम्भिक विश्वमत हो सकता है इसने हमारे प्रयासों की प्रशंसा की है। मेरा विश्वास है कि इससे गुट निरपेक्ष आन्दोलन में नई जान आ जाएगी। इससे इन आजाद लोगों को एक नई शक्ति मिलेगी।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि दिल्ली में तो बिजली पानी की बड़ी किल्लत हो रही है और हम बम विस्फोट कर रहे हैं और हमारे यहां गरीबी का एक कारण यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र इस समूची व्यवस्था में इस प्रकार का हेर-फेर कर रहा हैं जिसमें गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम संसाधन रह जाते है पूरे विश्व में यही हो रहा है यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है। अपितु सभी विकासशील देशों की यही स्थिति है।

मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूँ। 1960 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सभी बातों के पश्चात् बरन्टलैण्ड कमीशन, विली ब्रान्ट कमीशन और कई अन्य कमीशन कह रहे थे कि वे इतनी अधिक सहायता प्रदान करेंगे और वह उनके लिए यह सब करेंगे और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक परिणाम क्या हुआ? 1960 में विश्व जनसंख्या के निम्नतम स्तर की 20 प्रतिशत और ऊपर के स्तर की 20 प्रतिशत जनसंख्या के बीच आय का अन्तर 30 गुणा था अब यह अन्तर 60 गुणा हो गया है। क्या कारण है कि यह अन्तर बढ़ता जा रहा है? इसका कारण यह है कि पहले सैन्य अधिपत्य द्वारा लिया जा रहा था जो पहले तैयार माल को ऊंचे मूल्य पर बेचकर लिया जा रहा था जो सस्ता श्रम एवं सस्ता कच्चा माल जैसी वस्तुओं के माध्यम से लिया जा रहा था वही अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हेर-फेर के माध्यम से और विनिमय दरों द्वारा मूल्यों के हेर-फेर के माध्यम से लिया जा रहा है। वे अपना प्रभुत्व बनाये हुए हैं विश्व संसाधनों का 70-80 प्रतिशत विश्व के 15-20 प्रतिशत लोगों की मुट्ठी में है। जब आपके पास विश्व के संसाधन होंगे तो आपके पास सबसे बेहतर प्रौद्योगिकी होगी। आपके पास सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं होंगी आपके पास अपने सर्वोत्तम संसाधन होंगे और आप हर क्षेत्र में मजबूत होते चले जायेंगे।

उन्होंने ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापित कर ली है जिसमें निष्पक्षता कहीं नहीं है। हमने अत्यन्त विनम्र तरीके से यह परीक्षण करके इस तथ्य की पुष्टि की है कि हम यह सब समझते हैं कि आप इस भेदभाव पूर्ण विश्व व्यवस्था के माध्यम से दूसरा पक्षपात पूर्ण मुद्दा नहीं थोप सकते कि परमाणु शक्ति पर आपका तो एकाधिकार रहेगा और दूसरा देश परीक्षण भी नहीं कर सकता केवल यही बात है हमें इस स्थिति को समझना चाहिए हम किसी के विरूद्ध नहीं हैं हम तो केवल यह कह रहे हैं कि विश्व को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी।

अब मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। यह परीक्षण केवल हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह वास्तव में विश्व शांति के लिए है क्योंकि यह परीक्षण करके हमने केवल यह दिखाया है कि परमाणु विस्फोट करने का केवल मुख्य देशों को ही एकाधिकार नहीं है। और यदि आप वास्तव में विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको सभी हथियारों को नष्ट करना होगा। हम कोई परीक्षण नहीं करेंगे। एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए कि परमाणु

हथियारों के सभी भंडारों को एक निश्चित अवधि के भीतर नष्ट किया जाएगा और प्रयोगशाला या अन्यत्र कोई भी परीक्षण नहीं किया जाएगा। अब, आपने परीक्षणों को पूरा कर लिया है और प्रौद्योगिकी विकसित कर ली, तो इससे आपको प्रयोगशाला परीक्षा की सभी प्रसुविधाएं मिल गई हैं। अब वे प्रयोगशाला में अस्त्र मुख्य (हथियार) का विकास कर रहे हैं जो धरती में घुस सके। अब उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओर वे घातक और खतरनाक प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी ओर वे हमें कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वे इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। इसलिए यदि वे विश्व शांति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के बारे में वास्तव में चिंतित हैं, तो एक नई और वास्तविक व्यापक परमाणु परीक्षण संधि की जानी चाहिए और हथियारों पर वास्तविक नियंत्रण होना चाहिए, यदि जैविक हथियारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है या जैविक या रासायनिक हथियारों को समाप्त किया जा सकता है तो आणविक हथियारों को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता है ?

मैं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की राय के बारे में कहूंगा। अब ये परमाणु हथियार सम्पन्न देश अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त मत के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं हैं ?

मैं उससे एक पंक्ति उद्धृत करता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कहता है ? यह एक सर्वसम्मत मत है। कुछ अन्य मत भी हैं किंतु जहां तक इस पहलू का संबंध है यह एक सर्वसम्मत मत है। इसमें कहा कहा गया है :

> ''एक ऐसा दायित्व है जिसे कड़े और प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत हर तरह की परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए और निष्कर्षपूर्ण समझौते के साथ पूरा करता है।''

इस प्रकार की किसी व्यवस्था में हम पहले पक्षकार होंगे। सभी समान हों, किसी के भी हाथ में यह खतरनाक शक्ति न हो, इसके अतिरिक्त अनेक नए आयोग हैं। एक प्रसिद्ध आयोग कैनबरा आयोग है। मैं इस आयोग की, हाल की रिपोर्ट से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है :

> ''कैनबरा आयोग का विचार है कि विश्व को परमाणु हथियारों और इससे उत्पन्न खतरे से मुक्त करने के लिए तत्काल और दृढ़ निश्चयात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है..... परमाणु हथियार कुछ राष्ट्रों के पास हैं, जो इस बात पर बल देते हैं कि इन हथियारों से उन्हें विशिष्ट सुरक्षा लाभ मिलता है और वे अपने विशिष्ट रूप से उन हथियारों को रखने का अधिकार आरक्षित करते हैं। यह स्थिति अत्यधिक भेदभावपूर्ण और अस्थिर है; इसे कायम नहीं रखा जा सकता है; इसे शीघ्र बदलना होगा।''

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की स्थिति क्या थी ? वहां हमने क्या निवेदन किया था ? हमारा निवेदन था कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि यथासंभव शीघ्र, पूर्ण और वास्तविक निरस्त्रीकरण होना चाहिए ताकि विश्व के सभी संसाधनों को शांति, प्रगति और विकास की दिशा में लगाया जा सके। यदि संसाधन का समान वितरण हो और निरस्त्रीकरण से बचत हो, तो इससे विकास कार्यों में सहायता होगी। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों के भंडारण के अनुरक्षण पर 33 बिलियन डालर और प्रक्षेपास्त्र हमले से एक प्रकार के रक्षावरण के लिए 4 बिलियन डालर खर्च कर रहा है। इसलिए ट्रिलियनों डालर खर्च किए जा रहे हैं और उनकी बचत की जा सकती है। ये संवेदनशील व्यक्ति, जो अब एक संघ बना रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और कैनबरा आयोग जैसे आयोगों की सलाह को क्यों नहीं मान रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा है कि भारत को इन परीक्षणों को करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने यह भी कहा है कि 21वीं सदी में भारत एक महान देश बनने जा रहा है। मैं उन्हीं से एक प्रश्न पूछता हूँ। अमेरिका एक महान देश है। इसकी सभ्यता महान है। उनकी उद्यमशीलता, पहल शक्ति, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और उनकी उपलब्धियों का हम सभी आदर करते हैं। किंतु उनमें एकाधिकारी प्रवृत्ति क्यों है ? वे विश्व पुलिस की तरह कार्य क्यों करना चाहते हैं ? वे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की इस राय से सहमत क्यों नहीं हैं या वे कैनबरा आयोग की राय को क्यों नहीं मानते हैं ?

मैं राष्ट्रपति क्लिंटन को उनके पूर्व राष्ट्रपतियों, आइजनहावर, कनैडी और पूर्व रक्षा मंत्री मैकनामार की बातों का स्मरण कराना चाहता हूँ। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1915 में कहा था कि अमेरिका का निर्माण मानवता की सेवा करने के लिए किया गया है। मैं विदेशी मूल के अमरीकी राष्ट्रिकों के समक्ष दिए गए उनके भाषण की कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा था :

> ''यदि आप मानवता को ईर्ष्यालु शिविरों में बांटते हो तो आप मानवता से प्रेम नहीं करते हो.....।''

वर्तमान नीति जिसका हम विरोध कर रहे हैं वह विश्व को ईर्ष्यालु शिविरों में बांटने की है।

इसमें आगे क्या कहता है ? इसमें कहा गया है :

> ''अमेरिका का निर्माण मानवता की सेवा करने के लिए किया गया है न कि मानवता को बांटने के लिए।''

क्या राष्ट्रपति क्लिंटन को इस संदेश को 21वीं सदी में नहीं ले जाना चाहिए ? राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपने विदाई समारोह संबोधन में क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक परमाणु बम विस्फोट का तात्पर्य होगा कि लाखों भूखे प्यासे लोग। इसलिए आपको उसे रोकना होगा, राष्ट्रपति कनैडी का संदेश क्या था ? उन्होंने कहा था कि ये हथियार हमें नष्ट करें उससे पहले उन्हें हमें नष्ट करना होगा। मैकनामार का संदेश क्या था ? उन्होंने कहा था, ''सर्वोत्तम सुरक्षा विकास है और बिना विकास के सुरक्षा नहीं हो सकती है।''

[श्री जगमोहन]

अतः यदि संपूर्ण विश्व में इन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए, तो 21वीं सदी में यह विश्व वास्तव में महान विश्व बन जाएगा। हम अपना योगदान देंगे। हमारी सभ्यता महान है। हमारे मूल्य वसुधैव कुटम्बकम के हैं। वह हमारी संस्कृति है, वह हमारी सभ्यता है और हम वह योगदान करना चाहते हैं। जैसा कि आरनोल्ड टोनी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उनका कहने का तात्पर्य था कि नए विश्व में भारत की मूल्य पद्धति का प्रभुत्व होगा। शांतिपूर्ण और प्रगतिशील विश्व के निर्माण में सभी सहयोग करें जो भूख और बीमारी से मुक्त हो और उस दिशा में योगदान करेगा। उस दिशा में भारत का योगदान सदैव बहुत साधारण रहा है और कभी-कभी उच्च श्रेणी का भी रहा है।

मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि इस मुद्दे को व्यापक परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और हमारे प्रौद्योगिकी और ज्ञान वास्तव में हमारी आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, अन्ततः हम इन सभी को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बदल देंगे।

मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि न हम पाकिस्तान के विरुद्ध हैं और न चीन के। हम केवल यह चाहते हैं कि जब हम वार्ता के लिए बैठे हों, तो वे यह न समझें कि हमारा राष्ट्र कमजोर है और हम पर धौंस जमायी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ० प्र०) : सभापति जी, मैं प्रारंभ में ही कहना चाहता हूँ कि मैं परमाणु बम की राजनीति के विरूद्ध हूँ। व्यक्तिगत तौर से मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ कि परमाणु बम की राजनीति विनाश की राजनीति है, यह मृत्यु की राजनीति है, यह मानवता के संहार की राजनीति है, लेकिन परमाणु बम हमें बनाना चाहिए या नहीं यह अधिकार हमारा है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दुनिया के बड़े राष्ट्र इस पर रोक लगाकर स्वयं परमाणु बम बनाएं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी नीति को भारत ने इतने वर्षों तक अपनाया और उसे चलाया भी। हमने कहा कि हम परमाणु शक्ति के बारे में शोध करेंगे, उसको मानवता के विकास के लिए उपयोग में लाएंगे, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हम संहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, देश की जरूरत होगी तो उस बारे में अपना विकल्प खुला रखेंगे। हम उस बात से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। जगमोहन जी के बड़े साहसपूर्ण और उत्साह भरे भाषण से मेरे मन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह भाषण बड़ा बचकाना भाषण था - बचकाना इस मायने में कि उन्होंने कहा कि हर प्रधान मंत्री की टेबल पर वह फाइल गई। दुनिया के लोग इसे सुनकर हंसेंगे। जगमोहन जी पढ़े-लिखे आदमी हैं, उनसे मैं अपेक्षा करता था। कौन फाइल किस प्रधान मंत्री के यहां जाती है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा मगर मैं भी थोड़े दिन प्रधान मंत्री था। मेरे पास प्रधान मंत्री की हैसियत से यह फाइल नहीं आई थी।

आप कुछ कहना चाहते हैं जगमोहन जी?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : मैंने केवल यह कहा है कि यह प्रेस में खबर आई है कि यह मामला प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास निर्णय करने के लिए लम्बित पड़ा था, मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ।

श्री चन्द्रशेखर : यह पूर्णतः गलत है। किसी भी प्रधान मंत्री के पास यह मामला निर्णय के लिए लम्बित नहीं पड़ा था। यह पूर्णतः गलत है। यह गैर-जिम्मेदाराना है। यह इस देश में संपूर्ण सरकारी तंत्र की निंदा करना है।

[हिन्दी]

मैं उस फाइल के बारे में नहीं कहता लेकिन आपको याद होगा श्री राजीव गांधी ने दुनिया के सामने कहा था कि दुनिया अणुशक्ति के हथियारों के बिना हो और जिस दिन दुनिया ने उसे स्वीकार नहीं किया उस दिन से भारत ने अपने विकल्प कभी बंद नहीं किये। उस दिशा में कदम उठते रहे और कदम चलते रहे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि आज एक होड़ लग गई है कि हमने बम फोड़ा या किसी और ने उसमें सहायता की। प्रधान मंत्री जी को बधाई दूँ या धन्यवाद दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरों ने भी कुछ उसमें हिस्सा बंटाया। एक सदस्य ने, शायद इन्होंने ही कहा कि यह उनकी उदारता थी कि दूसरों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। इस बात को मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, जैसा मैंने आपके सामने कहा कि अणुशक्ति को बढ़ावा देना, इसके बदले बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है और वह नासमझी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज हमसे बार-बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर जो खतरा है वह कम हो जायेगा। पहले तो मैं कहूंगा कि नटवरसिंह जी ने पता नहीं भूल से या अपनी पुरानी बात याद करके एक सही बात कहने का साहस किया। कांग्रेस पार्टी में, ऐसा साहस शायद, मालूम होता है, पिछले एक महीने तक नहीं था, आज यह साहस आ गया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के ऊपर पहले कोई खतरा नहीं था और अगर खतरा था तो पोखरण के विस्फोट से कम नहीं हो गया, वह खतरा अपनी जगह पर है। क्या आप जानते हैं कि अमरीका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणुबम हैं। अमरीका 12 वर्षों तक वियतनाम में लड़ता रहा, वे ऑफ पिग्स में दोनों फौजें आमने-सामने खड़ी रहीं। अमरीका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया। रूस के पास दुनिया में दूसरे नम्बर का अणुबम है। वह देश टूट गया, बिखर गया, उसके चार-पांच राज्यों के पास आज अणुबम हैं.....*(व्यवधान)* बारह हों या ग्यारह हों, हम उसमें नहीं जाते। अणुबम से सुरक्षा नहीं बढ़ती। अणुबम की बात करके, सुरक्षा पर खतरा बंद करके, आपने देश के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया है। देश के लोगों के सामने आपने अपना बाहुबल पुजवाने के लिए एक काल्पनिक खतरा पैदा किया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

राजनीति में यह भी कहा गया कि हमने इतिहास पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत मत कीजिए, यह खतरनाक खेल है। क्योंकि इतिहास

बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। इतिहास कोई एक दिन में नहीं लिखा जाता, अखबारों के पन्नों से इतिहास नहीं लिखा जाता, लोगों के प्रशस्ति गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता है। मैं जानता हूँ और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ओर दुनिया के लोगों ने अणुबम के सहारे सुरक्षा की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। शायद आपको यह मालूम नहीं। आप बहुत नोट बनाकर ले आये थे। आज दुनिया यह भी मानती है कि हिरोशिमा पर बम गिराने की जरूरत नहीं थी, उसके पहले जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार था। आज अमरीका के लोग भी कहते हैं कि अगर वह बम नहीं गिरता तब भी वही हादसा होता, उस लड़ाई का वही फल होता, जो जापान में हुआ था। लेकिन आप भी उसी बात को कहते जा रहे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनको नटवर सिंह जी ने कहा लेकिन कौन नहीं जानता पिछले 8-10 वर्षों में हमारे देश के चीन से रिश्ते अच्छे बने हैं। पाकिस्तान के साथ हमने संबंध सुधारने का प्रयास किया। हमारे मित्र गुजराल साहब आज बहुत दुखी होंगे क्योंकि उनकी गुजराल डाक्टरिन पता नहीं कहां चली गई। मैंने तभी कहा था यह डाक्टरिन मत बनाइये, यह डाक्टरिन बहुत दिन चलने वाली नहीं है। अटल जी मैं आज आपको भी कहता हूँ कि पुरूषार्थ का यह ढोंग पीटना देश के लिए खतरनाक होगा। यह आपके लिए भी लाभदायक नहीं होने वाला है। क्योंकि यह एक खतरनाक खेल है। दुनियां में अगर यह होड़ लग गई और यह होड़ इस उपमहाद्वीप में लग गई है, जैसा आज दिखायी पड़ता है तो पता नहीं इस उपमहाद्वीप का क्या होने वाला है। अभी मैंने सुना कि हम दुनिया के इतिहास में अपना एक रोल अदा करेंगे। हम किसी से डरते नहीं, हमने अपना स्थान बना लिया - किसके सामने ये बातें कह रहे हैं।

आज सारी दुनिया हमारे बारे में जानती है। सभापति जी, मार्च 1997 में हमारे देश पर 91 बिलियन डालर का कर्ज था। 15 बिलियन डालर का कर्जा हमारे एन.आर.आईज और दूसरे लोगों का था। 102 बिलियन डालर का कर्जा लेकर आज हम दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक नये संकल्प के साथ चल रहे हैं। अणुबम से कोई फायदा हो या न हो, जिस दिन से आपने इस अणुबम को फोड़ा है रूपये की कीमत डालर के मुकाबले में दो रुपये कम हो गई है। 212 बिलियन डालर का कर्जा आज इस देश के ऊपर और बढ़ गया है। क्या यह बात आप देश को बता सकते हो। यह 212 बिलियन डालर भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, समाजवादी पार्टी नहीं देगी, चंद्रशेखर, गुजराल और शरद पवार नहीं देंगे। यह पैसा देश के गरीब लोगों की पॉकेट से आयेगा। कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं जानता हमारे मित्र यशवंत जी कहां है। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अणुबम की सराहना करते-करते वह कहीं और सोच रहे होंगे कि बजट को कैसे संतुलित बनायें। यह एक समस्या है। आज यह समस्या को कैसे संतुलित बनायें। यह एक समस्या है। आज यह समस्या सुरक्षा की नहीं है। अगर आज यह सुरक्षा की समस्या होती तो हम इस देश के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने वह एक उदाहरण था। दुनियां के लोगों ने कहा कि अणुबम डिटेरेंट हो या नहीं हो। वियतनाम के लोगों का मनोबल अणुबम का एक डिटेरेंट था, क्या उसकी ओर भी आपने कभी ध्यान दिया है। क्या भारत की जनता के भूखे-प्यासे लोगों की ओर भी आपकी निगाह जाती है। इस संसद में बैठक करके हम इस बात के लिए श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारा भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमने भी अणुबम बनाने में थोड़ा साथ दिया था और मुझे आश्चर्य होता है सरकारी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहे तो ले। विरोधी पार्टी के लोग भी इसमें जैसे होड़ में लगे हुए हैं। यह एक खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में हम सारे देश को झोंकते जा रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा भविष्य एक भयावह संकट की ओर चला जा रहा है।

सभापति जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा इस उपमहाद्वीप में हम क्या चाहते हैं क्या हम एक दूसरे पर बम चलाकर अपने को विजयी घोषित कर सकेंगे। लाहौर पर जो बम गिरेगा तो अमृतसर का क्या होगा। हम कहते हैं कि हमारे मित्र जॉर्ज फर्नांडीज और हम लोग पुराने समाजवादी हैं। हम बोलने में बड़ा विश्वास रखते हैं और वाणी की स्वतंत्रता हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कि कभी-कभी कर्तव्य के लिए वाणी को विश्राम भी देना चाहिए। इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि हम लोग उस परम्परा को भूल ही नहीं पाते हैं। वाणी खुली हुई हो, जो चाहे मौके-बेमौके जो बोलना हो बोल दें, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अटल जी ने एक बड़ा बम बनाया उसके बाद संतुलित हो गये। मैं उनको बार-बार गुरूदेव कहता हूँ, मुझे प्रसन्नता हुई जब वह संतुलित भाषा में बोले। लेकिन आडवाणी जी को क्या हो गया, वह भी ललकारने लगे। जैसे पुरूषार्थ की परम्परा इस देश में फिर से जग गई हो। हमारे मित्र भैरोसिंह शेखावत पोखरण की मिट्टी लेकर घूमने लगे। वह चित्तौड़, हल्दी घाटी भूल गये, वह मीरा को भूल गये, वह अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को भूल गये और वह राजस्थान की परम्परा भूल गये। इस मिट्टी को लेकर जिस मिट्टी में पता नहीं कोई विषाक्त कण ही पड़े हों, उसको लेकर वह कहां जाना चाहते हैं। इस तरह लोगों के मन में जज्बात पैदा करके इस देश में एक गलत होड़ पैदा मत कीजिए। हथियारों की होड़ पैदा करके दुनिया के अनेक देशों ने अनेक क्षेत्रों में बरबादी का माजरा देखा है और क्या इस देश में भी यह काम होने जा रहा है। क्या हुआ दुनिया के दूसरे गरीब देशों में, इन्हीं बड़े लोगों ने इस प्रकार के उत्साह उन लोगों के मन में जगाये और जगा करके एक-दूसरे को लड़ाकर अपने हथियार बेचे। मैं नहीं जानता कहीं किसी कोने से कहीं कोई हमको भी न उकसा रहा हो। मैं किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करता। लेकिन एक ओर अणुबम विस्फोट होता है और दूसरी ओर सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने की भी बात चलती है तो मन में यह शंका पैदा होना कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन सभापति जी याद रखिये अब कोई इच्छा नहीं है कि सी. टी.बी.टी. पर हम दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं।

हम करें या न करें, लेकिन दुनिया हमारे इरादे को जान गई है, ऐसा अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो गुप्त था, जो लोगों की निगाह से छिपा हुआ था, उसको दुनिया के सामने रख दिया। जिसके खिलाफ हम यह काम करने जा रहे हैं उसको हमने एक बड़ा भारी अवसर दिया है। मैं नहीं जानता कि वही भूल हमारे नवाज शरीफ साहब करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब वह भूल न करें तो आज जैसी स्थिति में वे हैं, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया के दूसरे देश उनको सारी सुरक्षा दे सकते हैं, उनको सारी सहायता दे सकते हैं, उनको सारा धन दे सकते हैं।

[श्री चन्द्रशेखर]

बेअक्ल लोगों की सलाह लेने से प्रधान मंत्री जी कभी-कभी हम खतरे में पड़ जाते हैं। कभी-कभी अति उत्साह में काम करने से आदमी अपने विनाश की ओर चला जाता है। यह काम हमारे देश में हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इससे आज ही विरक्त हों। मैं नहीं जानता कि आप कैसे विरक्त हो सकते हैं क्योंकि आपने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पीछे हटना शायद आपके लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये कदम पुरूषार्थ के बल पर नहीं उठाए गए बल्कि अंदर से कांपता हुआ दिल और ऊंचे स्वरों में कुछ कहकर दुनिया को लुभाना चाहते हैं, दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम असमर्थ नहीं हैं, हम अपंग नहीं हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर क्षमता है। तुलसी दास ने कहा है -

सूर समर करणि कहि न चलावहिं आप

विद्यमान रण पाहि के कायर करहि प्रलाप

यह प्रलाप, सामर्थ्य का द्योतक नहीं है। यह प्रलाप कमजोरी है, यह मन का डर है। इस मन के डर को अपने मन से निकालिए। हमारे जैसे बड़े देश की सुरक्षा के लिए अलग खतरा है, तो वह खतरा परमाणु बम से दूर होने वाला नहीं है। उस खतरे को दूर करने के लिए देश के एक-एक व्यक्ति को जगाना होगा, देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करना होगा।

मैंने अभी एक बड़े नेता का भाषण अखबारों में पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो हमारे ऊपर सैंक्शन लग रही हैं। विदेशी लोग हमारे ऊपर सैंक्शस लगा रहे हैं। अगर हमें बाहर से पैसा नहीं मिलेगा, तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा कोई विवशता का नारा नहीं है। यह आत्मविश्वास का नारा है। यह लोगों के प्रति श्रद्धा का नारा है। इसको विवशता का नारा मत बनाइए। स्वदेशी का नारा विवश लोग नहीं लगाते। स्वदेशी का नारा गांधी लगा सकता है। स्वावलंबन का नारा वह लगा सकता है जो आधी धोती पहनकर, गरीबों के साथ एकात्म करके उन करोड़ों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा कर सकता था। दोनों बातें नहीं चलेंगी। एक तरफ उदारीकरण की नीति को चलने देने की बात कहते हैं और दूसरी ओर आप परमाणु बम विस्फोट की बात कहते हैं। आप अमेरिका का मुकाबला करेंगे या दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला करेंगे और विश्व बैंक को चुनौती देने की बात करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई परवाह नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। एक ओर बम विस्फोट और दूसरी ओर उदारीकरण की नीति, ये दोनों बातें कैसे चलेंगी। यह किस राष्ट्रनायक की भाषा है? अगर आप जानते हैं कि हम बम विस्फोट कर रहे हैं, दुनिया के लोग सैंक्शन लगाएंगे, तो उदारीकरण की बात छोड़िए। तमाम दुनिया के देशों के सामने अपनी परिस्थितियों को रखें, अपने दृष्टिकोण को रखें, देश के लोगों को तैयार करें।

कौन नहीं जानता, हमारे मित्र नटवर सिंह जी ने अभी बड़े जोरों से कहा था कि अगर परमाणु बम विस्फोट के कारण हमारे देश पर सैंक्शन लगती हैं, तो हम आपका समर्थन करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। कहां खड़े हो जाएंगे? मुझे मालूम नहीं। श्रीमान उदारीकरण आपकी ही सरकार ने स्वीकार किया था। उसका फल भुगतने के लिए देश तैयार है। वैसे यह देश उसका फल आसानी से भुगतता, लेकिन हमारे नए प्रधान मंत्री महोदय, हमारे गुरूदेव ने बम विस्फोट करके उसके फल भुगतने के लिए वातावरण जल्दी तैयार कर दिया। इस बात से आपको गुरेज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो आपकी ही सहायता की है।

सभापति महोदय, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं? इतनी जल्दी-जल्दी काम करके हम लोग स्वयं उसका भुगतान चाहते हैं, यह अच्छी बात है। नहीं, तो इसी भ्रम में देश की जनता रह जाएगी कि शायद उदारीकरण से कोई बड़ी भारी सफलता मिलेगी, बड़ा भारी विकास होगा, बड़ा भारी उत्थान होने वाला है और उस उत्थान के बल पर देश एक नई दिशा की ओर जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूंगा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक भयकर भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाने-अनजाने उस दिशा में जा रहे हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। यदि हमने दुनिया के इतिहास में झांक कर देखा होता, जरा रुक कर अगर हमने सोचा होता, अगर यह सोचा होता कि इन 24 वर्षों तक ये विस्फोट क्यों नहीं किए गए, तो शायद हमें उन्हीं फाइलों के पन्नों में यह मिल जाता है कि विस्फोट करना आसान है, लेकिन उसके परिणाम भुगतना कोई आसान काम नहीं है और उसकी जरूरत क्या है?

क्या वह विस्फोट जरूरी था? क्या अर्थशास्त्र में हम को सामर्थ्य देने के लिए उसकी जरूरत थी। हमारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन आजकल एक और नयी बात चल गयी है कि केवल हमारे प्रधान मंत्री जी वक्तव्य नहीं देते, हमारे रक्षा मंत्री ही वक्तव्य नहीं देते बल्कि सरकारी अधिकारी भी वक्तव्य देते हैं। और वे अधिकारी इस तरह का वक्तव्य देते हैं जैसे वे लड़ाई के लिए कल ही तैयार हैं। जनतंत्र में यह कैसे हो गया। हमने श्री आडवाणी जी का भाषण अखबारों में पढ़ा कि वह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं। पता नहीं राष्ट्रपति प्रणाली कब आयेगी लेकिन अटल जी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी है। सरकारी ऊंचे पद पर एक पार्टी के सदस्य को बैठाकर उन्होंने एक नयी परम्परा को लागू किया है और उस सदस्य ने शपथ ली हो या न ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जब टी.वी. पर भाषण सुन रहा था तो मैं समझता हूँ कि उस जोश से आडवाणी जी भी नहीं बोल सकते जिस जोश से वे बी.जे.पी. की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी सामर्थ्य है। मत कीजिए आप इस काम को। जब संविधान में संशोधन कर लेंगे, तब राष्ट्रपति प्रणाली आ जायेगी, और जब वह सिस्टम इस देश में लागू हो जायेगा तब इन सरकारी कर्मचारियों को अधिक उत्साह के साथ खुलकर बात करने की छूट दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को नीचे-नीचे आप कुरेद देना चाहते हैं। इस सिस्टम को आप नीचे-नीचे तोड़ देना चाहते हैं।

यह खेल अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। यह मत समझिये कि हमारे वीरता भरे भाषणों से दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया हमारा मखौल उड़ा रही है, हम पर हंस रही है। जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बर्बादी के रास्ते पर और तेजी से चलें। मैं यहां पर यह कहने के लिए आया हूं ताकि आप अब भी समझिये। बम नहीं बल्कि लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसी पर भारत का भविष्य निर्भर है। इस रास्ते से जितनी जल्दी आप विरत हों और देश को जितनी जल्दी इन जजबातों की दौड़ से छुटकारा दिला सकें तो हमारे लिए, देश के लिए एक नये भविष्य का सूत्रपात होगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे विचार में यह चर्चा परमाणु विधाओं के परीक्षण से संबंधित नहीं है और न ही इस सभा तथा इस देश की जनता में इस विषय में कोई मतभेद हैं।

कुछ दिन पहले सरकार ने वैज्ञानिकों से यह कहकर अच्छा किया था कि वे हममें से कुछ लोगों को संक्षेप में इस बारे में बतायें कि हमने इन परीक्षणों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक रूप से क्या हासिल किया है। इनमें से कुछ कारण काफी समझ में आते थे। उन्होंने कहा ''कम्प्यूटर के ढोंग द्वारा हमने जो कुछ हासिल किया है, उस आधार पर हम इस क्षेत्र को भी वैध बनाना चाहते हैं। हम इस ढोंग तथा परीक्षणों में शामिल कौशल तथा ज्ञान को वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं।

महोदय, हमने कुछ परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। हम अपने वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमने परमाणु क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमें खुशी है कि वर्ष 1974 में हमने इस दिशा में जो दक्षता हासिल की थी उसे अद्यतन किया गया है और उसका संरक्षण किया गया है। उस पर कोई झगड़ा नहीं है। यदि सरकार केवल यही करना चाहती थी तो परीक्षण के बाद जो अनाप-शनाप बातें बोली गई थी वे अब समाप्त हो गई होंगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी, यह चर्चा उस कार्यवाही के परिणामों के बारे में है जो आपने 11 मई और 13 मई को की। क्या सरकार ने इस कार्यवाही के परिणामों पर विचार किया है?

परीक्षण पहला कदम है। दूसरा है शस्त्रीकरण। कल रक्षा मंत्री ने कहा था कि शस्त्रीकरण पूरा हो गया है। परीक्षणों के एक दिन बाद एक केंद्रीय मंत्री द्वारा बैंगलोर में जो कहा गया था उसका आशय यह है कि अगले कदम के रूप में प्रक्षेपास्त्रों को परमाणु अस्त्रों से लैस करना है।

अपराह्न 5.00 बजे

उसी दिन दो वैज्ञानिकों ने राष्ट्र को बताया कि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया जारी है, उसी शाम प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने स्टार टी.वी. पर बताया कि ''शस्त्रीकरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।'' प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? क्या हमने परमाणु हथियार बना लिए हैं? हथियार बनाने के उपरान्त अगली अवस्था हथियारों का संग्रह है। क्या आपने सोचा है कि हथियारों के संग्रह का क्या अर्थ है? कितने हथियार सक्रिय अवस्था में रहेंगे और कितने हथियार निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे? हथियारों का संग्रह करने के बाद क्या आप उन्हें सशस्त्र सेनाओं में उपयोग करेंगे। सशस्त्र सेनाओं में उनका उपयोग करने के बाद क्या आप उन्हें प्रक्षेपास्त्रों और अन्य हथियारों में प्रयोग करेंगे? क्या सरकार ने इन सब उपायों पर विचार कर लिया है? मुझे प्रधानमंत्री जी के इस छोटे से वक्तव्य में अथवा प्रधानमंत्री जी के इस लम्बे वक्तव्य में इस प्रकार की सोच का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है। मुझे संदेह है, उनका पहले लम्बा वक्तव्य पढ़ने का इरादा था लेकिन बाद में उन्होंने यह निर्णय लिया कि खामखाह खतरे में पड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है और उन्होंने अपना संक्षिप्त वक्तव्य ही पढ़ा।

यह चर्चा इस परीक्षण के पीछे एक तीखे तथा जोड़-तोड़ कर बनाए गए एजेंडा के बारे में है। अतः हम इसी समय परीक्षण करवाए जाने के सरकार के उद्देश्यों पर प्रश्न उठाते हैं और हम परीक्षण के परिणामों तथा शस्त्रीकरण के परिणामों के संबंध में सरकार की सही सोच न होने पर भी प्रश्न करते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि हथियारों की होड़ में शामिल होने की उनकी कोई इच्छा है। हो सकता है उनकी ऐसी कोई मंशा न हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ रक्षा मंत्री जी ने कल कहा ''वह किया जा रहा है'', इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरह से हथियारों की होड़ में शामिल हैं। हमारे पास बम्ब हैं और वे अब छिपे नहीं हैं। हमारे पास अब हथियार हैं। हम उनका क्या करेंगे? हमें उनका या तो प्रक्षेपास्त्रों में उपयोग करना होगा अथवा विमानों द्वारा उनका उपयोग करना होगा। आपने अपने दोनों प्रमुख पड़ोसियों को 11 मई और 13 मई की कार्यवाही के उपरान्त अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है। वे क्या करेंगे? वे वायु सुरक्षा प्रणाली को अपनायेंगे जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमें कहा है। आपके कुछ वैज्ञानिकों ने हमें कहा है कि वे उनकी वायु सुरक्षा प्रणाली से बेहतर हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उसके बाद वायु सुरक्षा प्रणाली को अपनायेंगे जो कि आपके प्रक्षेपास्त्रों पर हावी हो जाएगी, जो कि आपकी वर्तमान वायु सुरक्षा प्रणाली पर हावी हो जाएगी। वे वायु प्रक्षेपास्त्रों से बेहतर प्रणाली प्राप्त कर लेंगे। यहां तक कि वे अपनी महाशक्तियों से परमाणु कवच की भी मांग कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप ऐसे प्रक्षेपास्त्र बनायेंगे जो कि उनकी नई वायु सुरक्षा प्रणालियों पर नियंत्रण कर सके। संक्षेप में यह हथियारों की होड़ ही है जिसके कारण 30 वर्षों के लिए शीत युद्ध चला था। संक्षेप में यह नक्षत्र युद्धों की स्थिति है जिसकी विश्व ने आलोचना और भर्त्सना की है। आप इस दक्षिणी एशियन रंगमंच में क्या कर रहे हैं, यह नक्षत्र युद्धों की एक छोटी घटना है जिसमें

[श्री पी. चिदम्बरम]

सोवियत संघ और अमेरिका 30 वर्षों से लगे हुए थे और जिसकी पूरे विश्व ने भर्त्सना की है। यह साधारण बात नहीं है। हम बम्ब इसलिए नहीं बनाते हैं कि उनको छिपा कर रखा जाए।

श्री जगमोहन ने श्री नटवर सिंह से पूछा "कि 1974 और 1998 के बीच क्या अन्तर था ?" यह अन्तर है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था तो उन्होंने परमाणु हथियार बनाने के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा था। आपने परीक्षण किए और उन परीक्षणों के तत्काल बाद आपके मंत्री शस्त्रीकरण की बात कर रहे थे, प्रक्षेपास्त्रों में हथियारों का उपयोग करने की बात कर रहे थे, अपूर्ण एजेंडा गर्मजोशी तथा चौथे युद्ध की बात कर रहे थे। वे जा रहे हैं ? क्या वे चौथे युद्ध की तारीख तथा स्थान के बारे में जानना नहीं चाहते हैं ? हम यह क्या कर रहे हैं ? भारत के लोग यह प्रश्न पूछेंगे। आप अपने दल में क्या कर रहे हैं ? जो भी यह प्रश्न पूछता है उसे यही कहा जा रहा है कि उसमें देशभक्ति की भावना नहीं अथवा वह एक देशद्रोही है। यह एजेंडा जोड़-तोड़ करके बनाया गया है, हम इस पर प्रश्न उठाते हैं।

विश्व के गणित विज्ञान संस्थान तथा अन्य संस्थानों के बहुत ख्याति प्राप्त लोगों की अध्यक्षता में एक सौ पचहत्तर वैज्ञानिकों ने इस कार्य का विरोध किया है।

जयपुर में दो दिन पहले अनेक वैज्ञानिकों ने कहा कि इस सरकार ने भारत को जोखिम भरे रास्ते पर ला खड़ा किया है। हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी मुझे डर है कि आपके संक्षिप्त और लम्बे वक्तव्य में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है।

इस पक्ष के अनेक मित्रों ने पूछा कि आपने परीक्षण अभी क्यों किए ? आप कैसे भड़के थे ? कृपया इस बात को याद रखिए कि जो लोग पहले सरकार में थे वे अभी भी इस सभा में उपस्थित हैं। इस सभा में तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं। पिछले दो प्रधानमंत्री इस सभा के सदस्य हैं। जिस व्यक्ति ने उस उच्च कार्यालय का कार्यभार 18 मार्च तक संभाला हुआ था जो स्थान 19 मार्च को आपने ग्रहण किया है, वह व्यक्ति इस सभा के सदस्य हैं। हममें से कुछ लोग खतरे का बोध तथा खतरे के अनुमान के बारे में जानते हैं। हम अंधेरे में नहीं हैं। हम बच्चे नहीं हैं। जो कुछ भी हो रहा है उससे हम अनजान नहीं हैं।

आपने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में आश्वासन दिया था जबकि आपने 'आउटलुक' के साक्षात्कार में इस बात से इन्कार किया है या तो 'आउटलुक' के संपादक ने आपकी बात को गलत उद्धृत किया है अथवा उन्होंने एक बड़ा अपराध किया है जिस पर आपको उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। उसने आपसे प्रश्न किया था कि सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में परमाणु हथियारों संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले सामरिक सुरक्षा संबंधी समीक्षा करवाने का आश्वासन दिया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? माननीय प्रधानमंत्री आपका उत्तर यह था और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ :

"राष्ट्रीय एजेंडा में कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था।"

संपादक द्वारा आपकी बात को या तो गलत उद्धृत किया गया है अथवा आपका उत्तर बिल्कुल गलत था क्योंकि एक वाक्य में ही उन्होंने आपके राष्ट्रीय एजेंडा का सार बता दिया है। रिकार्ड के लिए मुझे पढ़ने दीजिए। 18 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा जारी राष्ट्रीय एजेंडा के प्वाइंट नं0 26 में कहा गया है :

> "हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन करेंगे जो कि राष्ट्र के प्रति सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक खतरों का विश्लेषण करेंगे और सरकार को निरन्तर परामर्श देंगे। यह परिषद् पहली बार भारत के सामरिक रक्षा सम्बन्धी मामलों की समीक्षा करेगी। भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठायेंगे और सभी उपलब्ध विकल्प खुले रखेंगे। हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु हथियारों के विकल्प को खुला रखेंगे।"

यदि आपका एजेंडा यही था कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन करने का आश्वासन दिया था, आपने राष्ट्र के प्रति सामरिक तथा राजनीतिक खतरों का विश्लेषण करने का आश्वासन दिया था, आपने सामरिक सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा करवाने का आश्वासन दिया था, आपने परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का आश्वासन दिया था और आपने यह आश्वासन दिया था कि आप परमाणु हथियारों के विकल्प का भी उपयोग करेंगे। क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं, हम यह विश्वास करें कि यह 19 मार्च और 8 अप्रैल के बीच में किया गया था जब आपने डॉ0 कलाम और अन्यों को यह परीक्षण करने के लिए कहा ?

माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मामला समझ में आने वाला नहीं है। आपका मामला बहुत कमजोर है। इसकी नींव खोखली है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें बतायें कि आपने 19 मार्च और 8 अप्रैल के बीच क्या खोज की थी जो श्री गुजराल 18 मार्च को नहीं कर सके थे ? 8 अप्रैल तक आपके विशेषज्ञों ने क्या विश्लेषण करके दिया, उन्होंने क्या मूल्यांकन करके आपको बताया जो उन्होंने श्री गुजराल या श्री मुलायम सिंह या अन्य लोगों को नहीं बताया जो सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति में थे ?

महोदय, मेरा निष्कर्ष यह है कि सरकार को किसी नई चुनौती नए खतरे के बारे में नहीं बताया बल्कि खतरे की खोज की है। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने पहले अचंभित राष्ट्र को यह रिपोर्ट दी कि अरूणाचल प्रदेश में एक हवाई पट्टी बनाई गई और जब हमने उनसे पूछा कि इस सूचना या स्रोत क्या था, तो वे बोले अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस तरह इस मामले में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के रक्षा मंत्री होने चाहिए। तब उन्होंने कहा कि भारत और चीन की नियंत्रण रेखा के साथ-साथ एक सड़क बनाई जा रही है, जब प्रैस वालों ने उनसे पूछा कि इस बात का स्रोत क्या है, तो वे बोले उड़ीसा के मुख्यमंत्री।

वे भा.ज.पा. के मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते ? वे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों लेते हैं ? फिर उन्होंने इस बड़े सिद्धान्त

का सपना देखा कि कोको द्वीप समूह में चीनियों ने प्रक्षेपास्त्र लगा रखे थे जिनका निशाना भारत है। मैं पिछले 17 दिनों से अखबार देख रहा हूँ जिसमें अब कोको द्वीप समूह की कोई खबर नहीं है। आपके सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार आलू के चिप्सों (पोटाटो चिप्स) और कम्प्यूटर चिप्सों में वाद-विवाद आपने बीच में छोड़ दिया, उसी प्रकार आप कोको द्वीप समूह के मामले में कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि जानबूझकर या अनजाने में रक्षा मंत्री को खतरा ढूंढने में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। खतरा गढ़ने के बाद प्रधान मंत्री जी ने गृह मंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा ''हमारे पास परमाणु बम्ब है, दुनिया सावधान हो जाए, भारत अब एक विजेता राष्ट्र है।'' भारत के लिए आपके द्वारा की जाने वाली यह सबसे बेकार सेवा है। जैसा कि मेरे मित्र श्री नटवर सिंह ने कहा कि आपने संयुक्त राज्य, चीन और पाकिस्तान के बीच एक नई धुरी बनाने का काम किया है।

चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। चीन के साथ आखिरी लड़ाई 36 वर्ष पहले हुई थी। यह लड़ाई किन परिस्थितियों में शुरू हुई और समाप्त हुई थी यह अब भी विवाद का विषय है। पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई 27 वर्ष पहले हुई थी। पिछले साल, जब प्रधान मंत्री श्री गुजराल की न्यूयार्क और एडिनबरा में श्री नवाज शरीफ के साथ दो बैठकें हुई तो मैं भी वहां उपस्थित था। राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ हुई वार्ता में आखिर में राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा था, 'मैं आपकी चिन्ता समझ सकता हूँ और मैं आपके पास आऊँगा और बातचीत जारी रखूंगा।' उनकी एडिनबरा में प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ हुई बातचीत में ब्रिटेन की मध्यस्थता के बारे में काफी बात हुई और कनिष्ठ मंत्री ने बड़ी सूझ-बूझ वाली टिप्पणी की थी। तब प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने स्पष्ट रूप से कहा था, 'भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का ब्रिटेन का कोई इरादा नहीं है और यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है।, जब ये बातचीत हुई उस समय मैं उपस्थित था। मुझे विश्वास है कि श्री गुजराल कल जब बोलेंगे, तो इस बात पर प्रकाश डालेंगे।

हमारे विचार से और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 18 मार्च, 19 मार्च, 8 अप्रैल और 11 या 13 मई को चीन हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। आपने चीन से होने वाले खतरे को गढ़ा है।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। परन्तु आप इस कठिनाई को कैसे हल करेंगे? अगर आप गुजराल सिद्धान्त को छोड़ देते हैं, तो ऐसा ही कीजिए परन्तु इसके बदले वाजपेयी सिद्धान्त अपनाएं न कि आडवाणी सिद्धान्त। वाजपेयी सिद्धान्त और आडवाणी सिद्धान्त में काफी अंतर है। श्री आडवाणी, जिनके लिए मेरे मन में काफी आदर भावना है, ने कहा था कि 11 मई के बाद भू-राजनैतिक स्थिति बदल कर भारत के हक में हो गई। उन्हें यह वक्तव्य स्पष्ट करना होगा। उनका ऐसा कहने से क्या अर्थ है। क्या उनका अर्थ है कि भारत ने नाभिकीय प्रणाली से भू-राजनैतिक स्थिति बदल दी है? आपके वक्तव्य में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि नाभिकीय हथियारों को केवल आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। हमने यह प्रश्न वैज्ञानिकों से पूछा था। श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन जी भी उपस्थित थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि बैठक में निर्वाचित कोई भी मंत्री उपस्थिति नहीं था। मैंने उन्हें पूछा था कि आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाल यह नाभिकीय हथियार क्या है। मैं समझता हूँ कि एक टैंक युद्ध के हथियार का रक्षा हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। अगर एक टैंक दुश्मन के क्षेत्र में घुसता है, तो यह एक आक्रामक हथियार है। या आप भारतीय स्थिति के हक में कह सकते हैं जहां कोई टैंक रक्षा का हथियार बन जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि एक एयरक्राफ्ट आक्रामक हथियार या रक्षात्मक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन के क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो यह आक्रामक हथियार बन जाता है। अगर आप इसे अपने नगरों, अपने लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह रक्षा का हथियार बन जाता है। परन्तु एक नाभिकीय बम आत्मरक्षा का हथियार कैसे बन सकता है? आप इस नाभिकीय बम का कहां विस्फोट करेंगे? अगर आप इसे आक्रमण के हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आप इसका दुश्मन के क्षेत्र में विस्फोट करेंगे। अगर यह आत्मरक्षा का हथियार है, तो आप इसका विस्फोट कहां करेंगे? मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे यह पूछने का साहस करता हूँ कि प्रधान मंत्री जी क्या आप इस नाभिकीय हथियार का कभी प्रयोग करेंगे।

नाभिकीय हथियार का कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह आखिरी बार हिरोशिमा और नागासाकी में प्रयोग किया गया था। पिछले 57 वर्षों में विश्व के किसी भी देश ने इसका उपयोग करने का साहस नहीं किया है। ईराक का सद्दाम हुसैन अमेरीका के नाभिकीय अस्त्रागार से नहीं डरता था। वे ठीक थे या नहीं, यह अलग मामला है, परन्तु वे अमेरिका के नाभिकीय अस्त्रागार से डरते नहीं थे। वियतनाम जैसा छोटा बहादुर देश, जिसने बारह वर्षों तक युद्ध लड़ा, भी संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं डरता था। अफगानिस्तान न तो रूसी नाभिकीय हथियारों से डरता था, न ही अमेरिकी नाभिकीय हथियारों से क्यूबा का 32 वर्ष तक बहिष्कार किया गया, परन्तु वह अमरीका के परमाणु हथियारों से नहीं डरा।

शस्त्रीकरण, सशस्त्र सेनाओं में इन हथियारों के प्रयोग प्रक्षेपास्त्रों और एयरक्राफ्टों को इन हथियारों से सुसज्जित करना (प्रयोग करना) और शत्रु के क्षेत्र में छोड़े जाने के लिए प्रक्षेपास्त्र विकसित करना बहुत गंभीर विषय है जिस पर मैं नहीं समझता कि आपकी सरकार को निर्णय लेने का एकाधिकार है। परीक्षण के संबंध में हम आपके साथ हैं। हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के प्रदर्शन के रूप में, वैज्ञानिकों के आने वाली पीढ़ी के ज्ञान की पुष्टि के लिए हम आपके साथ हैं। हम भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं।

मुझे काफी गर्व है कि मैं बड़े वैज्ञानिक का नाम जानता हूँ। मुझे इसका काफी गर्व है। मैं समझता हूँ कि चार में से तीन वैज्ञानिक डॉ0 काकोडकर, डॉ0 सन्थानाम के साथ, डॉ0 अब्दुल कलाम और डॉ0 चिदम्बरम - मेरे राज्य से हैं। भारतीय और तमिल होने का मुझे गर्व है। परन्तु हमें यही अंतर करना होता है। तब तक हम आपके साथ हैं। अगर कोई आपको प्रतिबंध की धमकी देता है,

[श्री पी चिदम्बरम]

तो हम आपके साथ हैं; अगर कोई आपके परिणामों से चुनौती देता है, तो हम आपके साथ हैं। अलग बात यह है कि अब आप क्या करेंगे? क्या आप आडवाणी की तरह भौगोलिक-राजनैतिक स्थिति बदलने की तरफ सक्रिय होंगे? आप जॉर्ज फर्नांडीज की तरह सशस्त्रीकरण करेंगे? क्या आप मुरली मनोहर जोशी की तरह हमारे प्रक्षेपास्त्रों और एयरक्राफ्टों को हथियारों से सुसज्जित करेंगे? आप क्या करेंगे? आपसे हमें कुछ नहीं कहना है। हम इसी बारे में इस सरकार के उद्देश्य और मंशा पर प्रश्न करते हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अब एक जिम्मेवार राष्ट्र बन जाएंगे, हम काफी संयम से काम करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कभी-कभी, आपके अंदर छिपे हुए कवि ने नाभिकीय हथियारों के विरुद्ध प्रसिद्ध कविता लिखी थी जो अब वक्तव्य के रूप में यह कहती है जिसका आप प्रधान मंत्री के रूप में मसौदा तैयार कर रहे हो। परन्तु नाभिकीय हथियारों का होना भारत के उस नैतिक प्राधिकार के विपरीत है, जो भारत ने पिछले तीस वर्षों में विश्व को यह कहकर अर्जित की है कि हमारा उद्देश्य परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाना है। अगर आप गंभीरता से परमाणु हथियार मुक्त विश्व में विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जब तक शस्त्री हथियारों पर रोक लगाई जाए जब तक इस देश में और इस संसद में नाभिकीय हथियारों के बारे में तथा इसे सशस्त्र सेनाओं में लाए जाने के संबंध में पूर्ण बहस न हो जाए। यह बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और यह हमारे नाभिकीय अस्त्र युक्त विश्व से हमारी वचनबद्धता की जड़ें हिलाता है - कि हम नाभिकीय हथियारों का भंडार इकट्ठा करें। मैं प्रतिबंधों की बात भी करूंगा। मैं आर्थिक प्रतिबंधों की अप्रत्यक्ष लागत के बारे में चिंतित नहीं हूँ। एक राष्ट्र के रूप में हम इन प्रतिबंधों के समक्ष किसी भी मूल्य को चुकाने में आगे रहेंगे। मैं सशस्त्रीकरण के प्रत्यक्ष लागत के बारे में चिंतित हूँ। लागत काफी होगी। मैं समझता हूँ कि आपको लागत के संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। लागत काफी होगी। जब आप सशस्त्रीकरण करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए हथियारों का निर्माण करेंगे तो आप भारत को हथियारों की दौड़ में आगे करेंगे और इसका सीधा परिणाम सशस्त्रीकरण होगा तथा यह दौड़ काफी खतरनाक है। मैं आपको सावधान करूंगा प्रधान मंत्री जी कि आप सशस्त्रीकरण की प्रत्यक्ष लागत का पुनर्मूल्यांकन करें।

अन्ततः जिस बात का मुझे सर्वाधिक दुख है, वह यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत की विदेश नीति और परमाणु नीति, जिन्हें अब तक अभूतपूर्व सहमति प्राप्त थी उसमें अब दरार आ गई है।

पहली बार विदेश नीति के तत्वों के बारे में हम विभाजित हैं; पहली बार परमाणु नीति के बारे में हम विभाजित हैं। इस सरकार ने हमें विश्वास में लिए बिना और बिना सोचे-समझे किए गए कार्य और उससे भी अधिक उस कार्य के बाद बिना सोचे समझे दिए गए बयानों ने हमें विभाजित कर दिया है। मुझे भय है कि इस समय यह सरकार तीन भागों में से किसी एक को चुन सकती है। पहला मार्ग स्थानीय समिति युद्ध का है, मेरे विचार से इस सरकार में ऐसे लोग हैं, जो सक्रियता से इस मार्ग को चुनने के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरा मार्ग व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का है, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव सहित अनेक लोगों ने वक्तव्य दिए हैं कि हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के कुछ पहलुओं पर वार्ता करने और उन्हें स्वीकार करने के इच्छुक हैं। मेरे विचार से हमें उस वक्तव्य के तात्पर्य पर पूर्ण वाद-विवाद करना चाहिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर वार्ता का प्रावधान नहीं है। इस पर केवल हस्ताक्षर हो सकते हैं और 149 देशों ने इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, आप सितम्बर, 1999 तक इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसमें वार्ता का प्रावधान नहीं है। आप किसके साथ वार्ता करेंगे? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर आपके साथ वार्ता की पेशकश किसने की है? अतः दूसरे मार्ग का तात्पर्य है जो मार्ग फ्रांस और चीन ने अपनाया है - कुछ परमाणु परीक्षण करो, उससे कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करो और चुपचाप व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दो जिसका तात्पर्य है कि विगत पांच वर्षों में सावधानी पूर्वक दिए गए वक्तव्य कि हम व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, को गड़बड़ कर दिया है।

तीसरा मार्ग चुनावों का मार्ग है, चूंकि मैं नहीं मानता कि आप में इतना साहस है कि आप हमें युद्ध के मार्ग पर ले जाएं और मैं नहीं मानता कि आप में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर वार्ता करने का कौशल है, इसलिए मुझे भय है कि आप सनक में हमें चुनावों की ओर धकेल रहे हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम : आप चुनावों से क्यों डरे हुए हो?

श्री पी. चिदम्बरम : हमें डर नहीं है, हमें केवल दुख है *.....(व्यवधान)*

यह आपकी वास्तविक कार्य सूची है। प्रधान मंत्री ने यह घोषणा क्यों की कि उनका चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है? उनसे यह प्रश्न किसने पूछा था, जो उन्हें ऐसा उत्तर देना पड़ा? स्पष्ट है कि आप में से किसी ने उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछा होगा, स्पष्ट है कि आप में से किसी ने उनके मन में यह विचार रोपा होगा, इसलिए उन्हें उत्तर देना पड़ा 'नहीं'*.....(व्यवधान)*

इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस देश को स्पष्टीकरण दे। इस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस संसद में पूरा वक्तव्य दे और इस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पिछले पन्द्रह या सोलह दिनों में विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों का स्पष्टीकरण करे।

वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का समर्थन और स्वागत करते हुए, जिन्होंने भारत की वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन किया है, मैं अपनी पार्टी की ओर से यह दर्ज कराना चाहता हूँ कि हम शस्त्रीकरण के विरोधी हैं, हम परमाणु हथियारों के विरोधी हैं और हम भारत को हथियारों की होड़ में शामिल करने के विरोधी हैं। जैसे विश्व

21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, बीस वर्ष पूर्व जो राष्ट्र हमारे देश की तरह गरीब थे वे जैसे-जैसे संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं और भारत विनाशकारी मार्ग पर जा रहा है और एक राजनीतिक दल, जिसने चुनावों के बाद सत्ता हासिल की है, की मात्र अहं तुष्टि के लिए भारत को इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी।

सभापति महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे। उनका नाम पुकारने से पूर्व में सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अपराह्न 5.30 बजे हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

.....(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। फिर हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह निर्णय अध्यक्ष महोदय ने किया था कि इसे अपराह्न 5.30 बजे लिया जाएगा। 24 सदस्यों ने नियम 377 के अधीन सूचना दी है। क्या सभा इसे कल तक स्थगित करने के लिए सहमत है या क्या उन्हें आज सभा पटल पर रखा जाए?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : फिर हम इसे कल लेंगे। ठीक है?

.....(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

सभापति महोदय : ठीक है, सभा नियम 377 के अधीन मामलों को कल लेने के लिए सहमत हो गई है।

अब श्री जॉर्ज फर्नान्डीज।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मुझे एक बात पर खुशी हुई कि हमारे वैज्ञानिकों के कामों पर इस सदन में सब की राय एक है, उनका यहां सभी ने अभिनन्दन किया है। मुझे एक ही बात से थोड़ी सी तकलीफ हुई जब हमारे मित्र श्री चिदम्बरम ने पहले उन 175 वैज्ञानिकों की बात की, उन्होंने हम लोगों के पोखरण में किए हुए कार्य की निन्दा की है। अगर पोखरण नहीं होता, हमारे वैज्ञानिक नहीं होते, न 1974 वाला पोखरण इस राजनीति से जुड़ा था, तब भी वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय था। पोखरण का 11 मई और 13 मई, 1998 का परीक्षण भी उन्हीं वैज्ञानिकों के काम, उनकी बुद्धि और काबलियत की उपलब्धि रहा। हम भी सबसे पहले उन वैज्ञानिकों का, विशेषकर डॉ0 अब्दुल कलाम, डॉ0 चिदम्बरम, डॉ0 काकोडकर, संथानम जी तथा उनके सैकड़ों सहयोगी जो उसमें शामिल रहे, केवल उनके सहयोगी मात्र नहीं, बल्कि इस काम में जो भी टैक्नीशियन शामिल थे, जो इंजीनियर इस काम में लगे, जो सेना के जवान इसमें लगे, उन सबका आज के दिन इस सदन में अभिनन्दन करना चाहते हैं।

महोदय, आज सुबह जब यहां प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रखा गया, जब उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया और उसके साथ एक दस्तावेज भी रखा, कि कैसी परिस्थिति में इस प्रयोग को वहां किया गया, वह सब यहां सभापटल पर रखा गया। तब मैंने सोचा था कि इस पर कोई विवादास्पद बहस नहीं होगी, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट बातें रखी हैं। उनके सभापटल पर रखे गए वक्तव्य में, किसी भी प्रकार की न दलीय, न किसी एक समूह का श्रेय वगैरह लेने की कोई बात है। पंडित नेहरू से लेकर उन्होंने आज तक इस पर किए हुए सारे काम की भी चर्चा की, लेकिन बहस में जरूर कुछ विवादास्पद मुद्दे आने स्वाभाविक थे और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए। 1974 में जब विस्फोट हुआ था - पोखरण-वन, तब मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। 1 मई की रात को दो बजे लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मेरी गिरफ्तारी हुई थी और उसी रात को तीन बजे मुझे यहां हवाई जहाज से पहुंचा दिया गया था। जब 18 मई को वहां विस्फोट हुआ था और हम उस रात को सोए नहीं थे। हमने एक पर्चा रात भर लिखा था। इसका जो नाम बाद में छापा गया, वह था - ''इंडियाज बम एंड इंदिराज इंडिया'' (भारत का बम और इंदिरा का भारत) हम अणु हथियारों के मात्र नहीं, बल्कि उन सारे हथियारों के विरोधी रहे। हालांकि इमरजेंसी में हमने भी थोड़ी बहुत हरकत की थी, लेकिन उसकी चर्चा यहां पर नहीं हुई। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि विरोध या अपनी-अपनी इस मामले में राय, कहां तक होनी चाहिए, कहां तक नहीं होनी चाहिए।

बम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, हथियार बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, इस पर राय हो सकती हैं और राय यहां पर आ जाती हैं तो उसमें हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि यहां बार-बार पूछा गया, बार-बार यहां टोका गया कि यह कब आपको महसूस हुआ कि कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे कोई कदम उठाना जरूरी है और यह अभी क्यों हुआ? यह प्रश्न ठोस रूप में इंद्रजीत जी ने उठाया था कि यह अभी क्यों हुआ? साथ ही शायद ही किसी ने इस बात को यहां पर न जोड़ा हो कि ऐसी कौन सी आपके सामने परिस्थितियां निर्मित हो गयी थी जिनको लेकर ऐसे निर्णय पर आपको आना पड़ा। यह भी सबूत यहां पर रखा गया, जैसे नटवर सिंह जी ने सदन में विदेश मंत्रालय की ओर से दिए हुए एक-दो वक्तव्यों को कहा कि ''बातचीत जारी है'', ''अच्छे रिश्ते हैं।'' इस बात से कोई इंकार नहीं करता है कि बातचीत जारी है और बातचीत जारी रहनी भी चाहिए और बातचीत चलती भी रही है।

अध्यक्ष जी, मैं सदन का समय अनेक दस्तावेजी सबूतों को यहां पर रखकर खराब करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दस्तावेजों का उल्लेख-मात्र करना चाहता हूँ ताकि जो बहस दो दिन चलने वाली है उसमें हमारे माननीय सदस्य और अन्य लोग, जिनको इस मामले में दिलचस्पी है, उन दस्तावेजों का थोड़ा सा अध्ययन कर लें। सबसे पहले मैं तीन दस्तावेजों का जिक्र कर रहा हूँ जिनको लोगे देखें और पढ़ें। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1994-95 का पन्ना नम्बर तीन अवश्य देखें। वह लाइब्रेरी में मिल जाएगा। दूसरा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

1995-96 का पन्ना नम्बर दो, तीन, चार देखें। तीसरा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 का पन्ना नम्बर दो, तीन और छः अवश्य देखें। ये पन्ने आपको बता देंगे कि भारत सरकार के एक नहीं दो रक्षा मंत्रियों का नाम इसमें है। एक तो पी.वी. नरसिंह राव का, जो 1993 से 1996 तक रक्षा मंत्री भी रहे और दूसरा मुलायम सिंह यादव का, जो एक जून 1996 से कुछ दिनों पहले तक रक्षा मंत्री रहे। उनके हस्ताक्षर उस पर नहीं हैं चूंकि सरकार की रिपोर्ट है लेकिन उनका नाम है।..... .*(व्यवधान)* शरद जी उसके पहले थे। यह सरकारी रिपोर्ट है, जो लाइब्रेरी में है। देशभर में जिसको पढ़ना हो, पढ़ने के लिए उपलब्ध है। यदि पहले इनको देखा होता तो मैं समझता हूं कि बहस की दिशा कुछ और ही होती। मैं वहां तक नहीं रुक रहा हूं। मैं तीन और रिपोर्टों का भी हवाला देना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस-1995 दसवी लोक सभा की अगस्त 1995 की पांचवीं रिपोर्ट; मार्च 1996, सातवी रिपोर्ट और मार्च 1996, आठवीं रिपोर्ट। रिपोर्ट खोजने में समय और परेशानी न हो, इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि कौन सा पन्ना देखा जाए?

पांचवीं रिपोर्ट का 16 नम्बर का पन्ना देखा जाए। इसमें कमेटी के चेयरमैन का नाम पता नहीं कहां लिखा है?.....*(व्यवधान)* 1995-96 में शरद दिघे इसके चैयरमेन थे और अमल दत्ता, हन्नान मोल्लाह और इन्द्रजीत गुप्त सदस्य थे। इस रिपोर्ट को देखा जाए क्योंकि वह पढ़ने लायक है। चूंकि मैं इस बहस को यहां तक सीमित रख रहा हूं, सातवीं रिपोर्ट का नौ और दस नम्बर का पन्ना देखा जाए। नौवें नम्बर का अंतिम पैराग्राफ शुरू होता है और दस पर समाप्त हो जाता है। आठवीं रिपोर्ट का चार और ग्यारह नम्बर का पन्ना पढ़ा जाए। इसी सदन ने, इसी लोक सभा ने स्टैंडिंग कमेटी के जरिए सारे देश को आगाह किया। उसने सारे देश को आगाह किया कि क्या चुनौतियां हैं, क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए? चिदम्बरम साहब अभी स्टार वार्स तक ले गए। उन्होंने बताया कि किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मिसाइल यहां से वहां और वहां से यहां कैसे उड़ेंगे? उन्होंने इसकी एक तस्वीर पेश की। हम चाहेंगे कि आप भी इसको जरा पढ़ लें। क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें सब सिफारिशें हैं।

सभापति महोदय, अब सवाल यह है कि इस समय क्यों हुआ? वह इसलिए हुए कि अभी तक नहीं हुआ था। मैं इस बात को गम्भीरता से कह रहा हूं। हमारे जैसे कुछ लोग इसके विरोधी रहे। मैं इस सदन में 1968 से इसके विरोध में रहा लेकिन जब 1996 में गुजराल जी देश के विदेश मंत्री थे और देवेगौड़ा जी देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय जब सी.टी.बी.टी. का यहां मामला आया, तब मैंने यहां खड़े होकर कहा था कि मैं जीवन भर इसका विरोध करता रहा लेकिन आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की सुरक्षा और जिस तरह हमारे देश के ऊपर कुछ ताकतों का क्लब है, वे उनके जरिए हावी होना चाहते हैं। अगर हम इस भूमिका को आगे ले जाना नहीं चाहते तो जो हमारी अभी तक सोच थी, मैंने वे बातें बड़ी पीड़ा के साथ कही थीं। मैंने भाषण का अंत करते हुए महात्मा गांधी की कही बात को उद्धृत किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि :

[अनुवाद]

"किसी सम्पूर्ण जाति को पौरूषहीन करने के जोखिम के बजाए मैं हजार बार हिंसा का जोखिम लूंगा।"

[हिन्दी]

यह बात कह कर मैंने कहा था कि मैं अब कोई भी ऑप्शन लेने के लिए तैयार हूं। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न सोच रही है। सोच बदलती रहती है। मुझे विश्वास है कि आज जिन लोगों के मन में इन बातों को लेकर तकलीफ है, उनकी वह तकलीफ मेरे भाषण के बाद दूर हो जाएगी। मैं चन्द्रशेखर जी की तकलीफ को समझ सकता हूं क्योंकि हम लोगों की भी वही तकलीफ रही है। मैं उनकी बातों की इज्जत करता हूं। हम उनकी बात किसी को नहीं कहेंगे। मैं जरूर इस बात को मानूंगा कि कुछ चीजें आज के दिन देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं। उसको देखते हुए हमने सही कदम उठाया।

सभापति महोदय, कुछ टोका-टाकी मेरे बारे में हो गई। वे होनी भी चाहिए। इसकी शुरूआत इन्द्रजीत गुप्त ने की। उन्होंने मेरा कुछ इतिहास भी बता दिया लेकिन अनेक मामलों में वह ठीक बोलते हैं लेकिन इस मामले में उनकी याद कुछ ठीक नहीं रही होगी या वह मेरे ऊपर इतने गुस्से में रहे होंगे कि वह सब कुछ भूल गए।

चूंकि उन्होंने कहा कि, 'सोशलिस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्सटर्डम में है, चाइना बेइटर है और जार्ज फर्नान्डीज उस सोशलिस्ट इंटरनेशनल का नेता है।' मैं 1973 से लेकर 1977 की 1 मई तक सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, जब जनता पार्टी बनी। उसमें से पूरे एक साल मैं भूमिगत था। लगभग एक साल मैं जेल में था और 1 मई को हमारी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, मोरारजी भाई तथा अशोक मेहता की कांग्रेस पार्टी, चौधरी चरण सिंह का भारतीय क्रांति दल और बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फौर डैमोक्रेसी, सबने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी। सोशलिस्ट पार्टी 1976 के अप्रैल महीने से 1977 की 1 मई तक सोशलिस्ट इंटरनेशनल की बाकायदा ऐफिलियेट थी। मैं उसमें कोई पदाधिकारी नहीं था। पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन इंटरनेशनल का मैं कोई पदाधिकारी नहीं था और जिस दिन सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी बन गई, उस दिन हमारा एफिलियेशन समाप्त हो गया। आज हिन्दुस्तान में एक पार्टी जरूर उससे एफिलियेटेड है और पार्टी के नेता भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल हैं।

सोशलिस्ट इंटरनेशनल काउंसिल की बैठक इसी राजधानी में जब आप गृह मंत्री थे और वे प्रधान मंत्री थे, तो विज्ञान भवन में, लगभग एक साल पहले हुई थी और उसमें जार्ज फर्नान्डीज कितना नालायक है, इस पर वक्तव्य हुए थे जो अखबारों में छपकर आए थे, जिस पर अग्रलेख लिखे गये थे। उस सोशलिस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय ऐम्सटर्डम में नहीं है, लंदन में है और हमेशा लंदन में रहा है। इसलिए मुझे सोशलिस्ट इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं है। अभी चंद दिन पहले, आठ-दस रोज पहले उसकी

इंटरनेशनल काउंसिल की बैठक स्टौकहोम में हुई और जनता दल के एक पदाधिकारी, एक ज़माने में राज्य सभा के सदस्य रहे - श्री बापू कालदाते, प्रतिनिधि के तौर पर वहां गए। वहां एक प्रस्ताव हुआ जिस प्रस्ताव में हम लोगों के देश की निन्दा नहीं हुई लेकिन पोखरण की निन्दा हो गई। हमारे जो भी मित्र हैं, उन मित्रों से संपर्क करके हमने कोशिश की कि हम लोगों पर बहुत हमला न हो और वहां से हमको लिखित जानकारी आ गई कि इतनी मेहनत करके यहां तक उसे रोक दिया। उस सोशलिस्ट इंटरनेशनल की आज विश्व के 20 राष्ट्रों में सरकारें हैं। जहां भी हमारे मित्र हैं, हम अपना फर्ज मानते हैं कि हमारे देश के ऊपर जहां भी किसी भी प्रकार का शाब्दिक या अन्य किस्म का हमला हो तो वहां हम अपनी मित्रता का इस्तेमाल करें और जहां हमारे ऊपर यानी मेरे देश के ऊपर होने वाली चोट को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं वह हम करें और वह मैंने किया है। इसलिए आपने जो बात कही, उस पर मुझे खुलासा देना बहुत जरूरी था।

जब यह बात चल रही है कि क्यों इसी समय यह हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि सबको विश्वास में लेना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि 1974 में कितने लोगों को विश्वास में लिया गया था, और मैं यह नहीं जानता कि विश्व में किस देश में यह संभव है कि इस प्रकार का कोई भी काम, जिसमें सैंक्शन आने वाले हों, पता नहीं कहां-कहां से क्या-क्या हमले होने वाले हों, तो सबसे विचार-विमर्श करके सारे विश्व को उसकी खबर देकर, हम लोग उस काम को करें। मुझे नहीं मालूम क्या यही सरकार में रहे हुए लोग हैं जो डिप्लोमेसी और फारेन पौलिसीज के मामलों में इतनी बुद्धि और जानकारी रखते हैं क्या उनकी यह डिप्लोमेसी है कि सारे विश्व को बता दो कि हम फलां चीज करने जा रहे हैं और आप रोकना चाहते हैं तो रोकिये ? हम नहीं समझ पाए और उनका तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

लेकिन सभापति महोदय हम लोगों ने जब यह निर्णय लिया तो उस निर्णय के पीछे अगर मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूं तो परसैप्शन्स, ग्रैट, परसैप्शन, सिक्योरिटी परसैप्शन्स, यहां पर कहा गया है कि मैंने चीन को एनिमी नम्बर वन कहा है। सभापति जी, मैं बोल-बोलकर थक गया कि मैंने ऐसा नहीं कहा। एक मुलाकात हमसे किसी ने टेलीविज़न के लिए की थी तो उन्होंने हमसे पूछा ''आप क्या चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं ?'' मैंने कहा ''नहीं''। उन्होंने आगे जाकर पूछा कि फिर आप क्या समझते हैं, तब मैंने कहा कि हम इतना तो जरूर मानेंगे खतरे की आशंका की दृष्टि से हमारी उसके बारे में एक समझ है, मैंने यह कहा। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन उसका अर्थ यह भी नहीं कि चीन से हमारा टकराव होना चाहिए या चीन से हमारी मित्रता नहीं रहनी चाहिए।

मैं अभी दो महीने सात दिन से मंत्री हूँ। हमारे यहां चीन की पुलिस लिबरेशन आर्मी के सिपहसालर जनरल झु आये थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई। बातचीत करके रिश्ते बनाये रखने का प्रयास करना, रिश्ते जहां बिगड़ते हों, उसको सुधारना, ये सारे काम चलते रहने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मेरी भी नहीं हो सकती और न सरकार की हो सकती है क्योंकि मैं यहां कोई अपनी व्यक्तिगत बात नहीं रख रहा हूँ। लेकिन मेरे ऊपर यह भी आरोप है कि मैं चाइना बेइटिंग का कोई व्यक्तिगत एजेंडा लेकर मैदान में आया। मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद आप महसूस नहीं करेंगे कि मैंने अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा चलाया। मेरी सरकार के रक्षा मंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए देश को क्या-क्या चीजों की आवश्यकता है, कहां-कहां से हम लोगों को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने केवल उसी जिम्मेदारी को निभाया। कहां-कहां हमने किन-किन का नाम लिया और क्या-क्या चीजें कहीं, कुछ नाम हमने लिये और बाद में नाम गायब हो गये। ये सब चीजें बतायी गयी हैं।

मैं एक दस्तावेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ चूंकि गुजराल साहब यहां पर बैठे हैं और उनके कुछ विचार इस दस्तावेज में हैं। यह दस्तावेज लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। लेकिन हम इसको रखने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में गुजराल साहब का दिया हुआ यह वक्तव्य है और इसके पढ़ने के बाद चिदम्बरम साहब आपके जितने प्रश्न हैं, उनका जवाब मिल जायेगा। आप इसको पूरा मत पढ़ियेगा। बहुत लम्बा भाषण है लेकिन जो पढ़ने लायक बातें हैं, उसको हमने मार्क करके रखा है। हमने जो भी कोई बातें छेड़ी हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जायेगी।

सभापति जी, मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ चूंकि मैं किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)* नहीं-नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। रक्षा मंत्री के द्वारा दस्तावेज को पढ़ने पर..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रक्षा मंत्री द्वारा इसको पढ़कर किसी को परेशानी में डालना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं केवल बता रहा हूँ कि आप इस दस्तावेज को देखने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि हमने अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलाया। हमारा एजेंडा हमारे राष्ट्र का एजेंडा है, आज के दिन हमारी सरकार का एजेंडा है। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। जिस पद पर मैं बैठा हूँ, उस पद पर व्यक्तिगत एजेंडा हो ही नहीं सकता, इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

•

महोदय, अब जहां तक अन्य बातें हैं, मुलायम सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं। इस बारे में उनके अनेक भाषण हैं। 1997 के अक्टूबर महीने में तय हुआ था कि परमाणु बम का विस्फोट करेंगे, लेकिन उन्होंने इसलिए बटन नहीं दबाया कि चुनाव का ऐलान हो चुका था और वे नहीं चाहते थे कि चुनाव पर उसका असर हो।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

एक नहीं अनेक वक्तव्य हैं। गुजराल साहब का इस संबंध में बी.बी.सी. को दिया हुआ एक वक्तव्य है। हम लोग तो रेडियो नहीं सुनते, टेलीविजन नहीं देखते, लेकिन हमने पढ़ा है। बी.बी.सी. से उन्होंने कहा था कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन चुनाव आ गया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : मैं इसका खंडन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है। मैं केवल यह कह रहा हूं न मैं रेडियो सुनता हूं और न टेलीविजन देखता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह बिल्कुल गलत है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि यह बात गलत निकलती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्होंने इसका खंडन किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वही मैं कह रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी.....*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने इसका खंडन किया है।

[हिन्दी]

हमने तो अखबारों में यही बात पढ़ी है। अखबारों में तो यही छपा है। यह अच्छी बात है कि आपने इस प्रकार की कोई बात बी.बी.सी. को नहीं कही कि हम तैयार थे, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। खैर अब आप इस बात का खंडन कर रहे हैं लेकिन मुलायम सिंह जी तो इस बात को कबूल कर रहे हैं, यह तो अच्छा रहा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम कोई झूठ बोलने वालों में थोड़े ही हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मुझे खुशी है कि मुलायम सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं केवल इतनी ही टिप्पणी करना चाहता हूं कि यह तय करना अकेले रक्षा मंत्री के हाथ में नहीं कि परमाणु बम का विस्फोट किया जाए। अगर तैयारी थी, अगर मन था और अक्टूबर के महीने तक तैयारी थी, तो यह संभव नहीं कि प्रधान मंत्री की जानकारी में यह बात न हो। प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर ऐसा फैसला होना संभव नहीं है। मैं इस मामले में बस इतनी ही टिप्पणी करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

सभापति जी, अब चर्चा है कि इसमें कितना खर्च हुआ। दिल्ली में बिजली नहीं, पानी नहीं, इसके अलावा इसके बीच में अनेक चीजें आ गईं। हमने यह भी सब चीजें अपने उस परचे में लिखी थी जो इस बारे में छपा था। हमने उसमें ये सब चीजें कहीं हैं। हमारी यह राय रही है, लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता है, वहां ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर रोजाना जवान मर रहे हैं और उसके दाम कोई भी तय नहीं कर सकता है, तो जब पैसे की चर्चा आती है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। क्या हिन्दुस्तान के 50 साल के इतिहास में दिल्ली में बिजली, पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या यह परमाणु बम के कारण हुआ है, अब हम नौवीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप इस देश में बना था, उस पर इस सदन में बहस नहीं हो सकी। उसके पेज 9 पर एक जुमला था, सारे राष्ट्र में पिछले पांच सालों का नहीं बल्कि, तीन साढ़े तीन साल का हिसाब था, उसके बाद जो जानकारी हासिल हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि सारे हिन्दुस्तान में आठवीं पंचवर्षीय योजना में औसतन फी आदमी आमदनी 20 प्रतिशत बढ़ी। उत्तर प्रदेश में एक प्रतिशत और बिहार में 20 प्रतिशत नीचे गई। यानी बिहार में पहले के मुकाबले आमदनी 20 प्रतिशत कम हो गई। क्या यह सब परमाणु बम की वजह से हुआ? हम नहीं जानते, लेकिन पैसे की बात हम कर रहे हैं। इस देश में 10 लोगों की सुरक्षा के लिए करोड़ो रुपए खर्च हुए। एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक-एक साल में कितने-कितने करोड़ खर्च किए गए और जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो पैसे की बात कही जाती है? इसलिए सभापति जी, मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं। मुझे यह बात कहने में अच्छी नहीं लग रही है।

लेकिन चूंकि यह बार-बार देश भर में चर्चा होती है। वैज्ञानिकों की एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ यह बात है कि इस खर्च का क्या असर होगा? पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, मकान नहीं बनेगा। 50 सालों में जो कुछ हुआ, वह अणु बम के चलते नहीं हुआ। वह 1974 के पोखरण के चलते नहीं हुआ, ऐसा गलत नीतियों के चलते हुए और अन्य कारण तो अभी इस बहस में दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए खर्च वाली जो बात है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि वह चीज इस बहस के अंदर न लायें। राष्ट्रीय सुरक्षा को केन्द्र बिन्दु में लाकर जो भी बातें पक्ष और विपक्ष की हैं, वे जरूर हो जायें।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी जो नैम का सम्मेलन कांतीजेना में हुआ और वहां सभी लोगों ने एक आध अपवाद को छोड़कर हिन्दुस्तान की जो तारीफ की, उसका यहां पर उल्लेख किया। यह बहुत जरूरी था क्योंकि विश्व में नैम में जो देश हैं, वे अमीर देश नहीं हैं बल्कि गरीब देश हैं। तीसरी दुनिया के देश नॉन एलाइनमैंट मूवमैंट जो खासतौर से तीसरी दुनिया का है और जब वह मानते हैं कि आपने जो किया है, वह ठीक किया है। चूंकि वे सब शक्ति को महसूस कर रहे हैं। मैं चन्द्रशेखर जी की बात को काट नहीं रहा हूं कि यही शक्ति नहीं है। इसके पीछे कुछ और शक्ति की आवश्यकता है। वह तो सारी दुनिया को कबूल करना पड़ता है कि अंततोगत्वा जो बात है, वह यह है कि हम लोग आर्थिक स्थिति में कितने मजबूत होंगे। हम लोगों में राष्ट्रीय एकता कहां तक बनी रहेगी। हम लोगों में विभाजन, विघटन वाली जो बातें हैं, वे हम कहां समाप्त करेंगे और जो राष्ट्र है, एक जमात है। अगर जब हम खड़े हो जायेंगे तब वैज्ञानिकों का किया हुआ काम और हमारी सरकार के लिये हुए निर्णय का महत्व होगा। मैं इस बात को मानता हूं मगर नैम में बैठे हुए, अपवाद छोड़कर

बाकी देश गर्व से बोले कि ठीक किया तो कहीं न कहीं इन लोगों ने महसूस किया कि दुनिया में रोआब दिखाने वाली जो ताकतें हैं। उनको सामना करने के लिए कोई सहारा नहीं था लेकिन आज एक सहारा मिल गया। भारत उनका सहारा बन गया। यह बात उनके दिमाग में नहीं आती है और यह अब केवल नैम तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने, अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन वह ओ.आई.सी., आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स या अन्य स्थानों पर कोशिश करता है। लेकिन इस बार यह भी देखा कि अरब राष्ट्रों ने ऐसी कोई भूमिका नहीं अपनाई जिसमें किसी प्रकार की ऐसी बात आने नहीं दी, जिससे हिन्दुस्तान ने, हम लोगों के लिये हुए निर्णय को कोई गलत माने। अनेकों ने ठीक ही करके कहा तो कुछ ने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन निंदा करने वाले ऐसे कोई खड़े तो नहीं हो गये। इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि हम लोगों का यह फैसला, अभी चिदम्बरम जी ने जो बात छेड़ी कि कौन सी स्ट्रेटजी का फर्क हो गया है तो हम यह मानते हैं कि एक अणु विस्फोट से ऐसा कोई फर्क नहीं होना है। लेकिन विश्व ने यह महसूस किया है कि भारत अब दबकर रहने वाला नहीं है। वह अपनी बातों को दुनिया के मंच पर मजबूती से रखने वाला है, यह बात आज विश्व ने कबूल की और इसके कबूल करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वह यह है कि क्या सैंक्शन होनी है, क्या आपत्ति हम लोगों पर आनी है, कहां-कहां से हम पर वार होना है, इन सब आवश्यक चीजों की जानकारी रखते हुए भारत ने जब वह निर्णय लिया, श्री अटल जी ने इस फैसले को ले लिया तो फिर दुनिया इस कार्य को साहसी नहीं माने तो और क्या मानेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब 6 बजे हैं। श्री फर्नान्डीज जी आप कितना समय लेंगे? हमें सभा का समय बढ़ाना पड़ेगा, क्या यह सभा की इच्छा है कि सभा का समय बढ़ाया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, हमें सभा का समय एक घंटा बढ़ाना चाहिए।

श्री शरद पवार (बारामती) : नहीं, महोदय।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना है। हम इसे उनके भाषण के बाद लेंगे। तब तक सभा की बैठक जारी रहेगी।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैंने कुछ समूहों का नाम लिया लेकिन मैं दो देशों का नाम लेना भी जरूरी समझता हूँ और वे हैं - फ्रांस और रूस। उन्होंने जो भूमिका अपनाई है, हम ऐसा मानते हैं कि वे भी इस चीज को मान्यता देते हैं कि भारत ने कुछ साहसी कदम उठाया है और उसकी इज्जत होनी चाहए। फिर हम लोगों का क्या होना है।

नीतियों की जो बातें छेड़ी गई, वे सब प्रश्न प्रधानमंत्री जी के सामने रखे गए हैं और वे निश्चित तौर पर उनका जवाब देंगे। लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। अभी चिदम्बरम जी ने यहां अनेक लेखकों के, अनेक विचारकों के नाम लिए और नटवर सिंह जी ने भी अनेक लोगों के लेख आदि का यहां पर उल्लेख करके बताया कि किस-किसने क्या-क्या किया है। जिन लोगों ने कहा है, उसके विपरीत जिन लोगों ने कहा है, मैं उसको नहीं कहने जा रहा हूँ लेकिन उन्होंने शायद श्री जे.एन. दीक्षित और श्री मुचकुंद दुबे का भी नाम लिया।.....*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : श्री शारदा प्रसाद का भी नाम लिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने जिन तीन नामों का उल्लेख किया वे हैं - श्री जे.एन. दीक्षित, श्री दुबे और श्री शारदा प्रसाद।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : हमने श्री जे.एन. दीक्षित का नाम सुना। मैं इसलिए उनका उल्लेख कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं उस नाम का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसे इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

मैंने इसलिए उनका नाम लिया क्योंकि श्री जे.एन. दीक्षित ने अक्टूबर के महीने में फील्ड मार्शल करिअप्पा मैमोरियल लैक्चर दिया था। यदि उनके लैक्चर की प्रतियां इस सदन के सभी सदस्यों के हाथ में पहुंचा दी जाएं तो उससे बड़ा फायदा होगा क्योंकि उस मौमोरियल लेक्चर का मुख्य मतलब यही था कि देश की सुरक्षा केवल सेना बल, हथियार बल तक सीमित नहीं है, देश की सुरक्षा में लोगों का शामिल होना, लोगों का हर स्तर पर सेना के साथ, सुरक्षा बल के लोगों के साथ रिश्ता बनाए रहना अत्यावश्यक है। यह उनका कहना है और वह कहना हम भी मानते हैं।

मैंने उनका भाषण अभी-अभी पढ़ा, जब यह सारा विवाद शुरू हुआ तो हमने इधर-उधर कुछ और पढ़ने की कोशिश की तो उनका भाषण मेरे हाथ में आ गया।

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह : मैंने श्री जे.एन. दीक्षित के नाम का उल्लेख संयुक्त कार्य दल, इसके ब्यौरे के संदर्भ में किया है न कि उन्हें उद्धृत करने के संदर्भ में। यह विशेष रूप से कार्य दल के बारे में कहा गया था। आपके कुछ वक्तव्यों ने इस कार्य दल की उपलब्धियों को कूड़ेदान में डाल दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह सही है। मुझे उनके बारे में याद इसलिए दिलाया गया क्योंकि मेरे पास यहां उनका व्याख्यान उपलब्ध है।

[हिन्दी]

आपका जो वक्तव्य था, उसे मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि आपने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप वगैरह की जो बातें छेड़ी, उससे जुड़ी हुई अनेक बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। लेकिन उनके भाषण का मुख्य लक्ष्य लोगों और सुरक्षा बलों का रिश्ता, दूसरा, लोगों के बीच में, देश के सामने सुरक्षा के मामले में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लोगों तक पहुंचाना और उसकी आवश्यकता है। ये बातें उन्होंने रखी हैं। मैंने इसलिए उनका उल्लेख यहां पर किया है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो मोटी बातें मैंने कहनी थी, वह कही हैं। नीति-विषयक बातें प्रधानमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक आखिरी वाक्य कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 अप्रैल, 1968 को इसी सदन में हुई नॉन प्रौलीफरेशन ट्रीटी पर बहस के दरम्यान कहे गए एक वाक्य का उल्लेख किया है। यह पांच नम्बर पैराग्राफ है।

[अनुवाद]

"लोक सभा ने इस मुद्दे पर वाद-विवाद किया कि क्या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए जाए या नहीं।"

5 अप्रैल, 1968 को प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभा को आश्वासन दिया :

"हम पूर्णतः आत्म ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से मार्ग निर्देशित होंगे।"

[हिन्दी]

मैं सदन को और देश को यही कहना चाहता हूं कि जब अटल जी की सरकार ने यह निर्णय लिया, तब

[अनुवाद]

हम भी पूर्णतः अपने आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से मार्ग-निर्देशित थे किसी अन्य बात से नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, जैसा मैंने पहले बताया, वक्ताओं की जो सूची है, उसमें हमारे दो फोर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वे बोलना चाहते हैं। कांग्रेस के मित्र भी हैं, हमारे यहां से, एलाइज में से कुछ लोग बोलना चाहते हैं। लिस्ट लम्बी है, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक घंटे के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

अपराह्न 6.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली पुलिस द्वारा बहुजन समाज पार्टी की रैली को तितर-बितर किया जाना।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैंने आज सुबह इस सम्माननीय सदन को आश्वासन दिया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा आज बहुजन समाज पार्टी की रैली को जबरदस्ती तितर-बितर करने संबंधी तथ्यों का पता लगाऊंगा।

मुझे सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुश्री मायावती पर किए गए तथाकथित अत्याचारों के विरोध में और केन्द्र में भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार की दलित विरोधी नीतियों को उजागर करने तथा दिल्ली सरकार की सभी फ्रंटों पर विफलता के लिए बहुजन समाज पार्टी ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन दिनांक 27 मई, 1998 को केन्द्रीय दिल्ली में फिरोजशाह कोटला ग्राउंड से एक जुलूस निकालने और संसद को घेरने का आह्वान किया था। बहुजन समाज पार्टी ने सिकन्दरा रोड़-बाराखम्बा रोड़ से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी जिस रास्ते पर भारी यातायात रहता है।

दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री फूलचन्द को सूचित किया गया था कि सिकन्दरा रोड-बाराखम्बा रोड के साथ लगने वाला क्षेत्र संवेदनशील है और वहां भारी यातायात रहता है तथा यह कि यदि जुलूस वहां से निकाला जाता है तो इससे जनता को भारी असुविधा होगी। इसलिए इस रास्ते से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बजाय, इस प्रकार के जुलूसों के लिए स्टैंडर्ड रास्ते, अर्थात् रणजीत सिंह फ्लाईओवर - टाल्सटाय मार्ग से जुलूस निकालने की इजाजत दी जा सकती है।

कुछ विचार-विमर्श के बाद श्री फूलचन्द ने थोड़े से संशोधित मार्ग से जुलूस निकालना स्वीकार कर लिया। जब जुलूस का सिरा बहादुरशाह जफर मार्ग, इन्द्रप्रस्थ मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के चौराहे पर पहुंचा तो जुलूस में शामिल लोग बैचेन हो गए और उन्होंने पहले मांगे गए, सिकन्दरा रोड, बाराखम्बा रोड़ के रास्ते से जाने पर जोर दिया। उन्हें, उनके मांगे हुए मार्ग से जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बहादुर शाह जफर मार्ग पर बनाए गए दो घेरों को भी उन्होंने तोड़ डाला। चूंकि भीड़ हिंसक हो गई थी और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था जिससे पुलिस कार्मिक घायल हो गये तथा वाहनों को क्षति पहुंची तथा वे मनाही किए गए मार्ग पर जबरदस्ती जाने लगे, इसलिए आवश्यक चेतावनी देने के बाद अश्रुगैस के चार गोले छोड़े गए और उसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बैंत से धकेलने की कोशिश की गयी।

बहुजन समाज पार्टी के 11 व्यक्ति, 14 पुलिस कर्मी और दिल्ली होम गार्ड का एक जवान घायल हुआ बताया जाता है।

दंगे का एक मामला दर्ज किया गया है। श्री कांशीराम सहित 40 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। तथापि, श्री कांशी राम को जमानत पर छोड़ दिया गया है।

श्री शरद पवार : सुश्री कुमारी मायावती ने दो बातें उठाई हैं। एक बात यह थी कि वास्तव में दिल्ली में क्या हुआ था और दूसरी बात थी कि लखनऊ में क्या हुआ था विशेष रूप से तब जब उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव ने एक परिपत्र जारी किया जिससे विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी राजनैतिक दल के मूल लोकतान्त्रिक अधिकार नष्ट कर दिए गए? मैं इस परिपत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। यह 19 मई 1998 की बात है कि सचिव (गृह) ने उत्तर-प्रदेश के जिला न्यायाधीशों पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र में कहा। इसे मैं उद्धृत करता हूँ :-

> ''लखनऊ के जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 21.5.1998 को बहुजन समाज पार्टी द्वारा अम्बेडकर पार्क में सभा बुलाने और राज भवन लखनऊ में प्रदर्शन के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाए। यातायात और वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखा जाए। इसके लिए तब ब.स.पा. के कार्यकर्ताओं जिन्होंने प्रस्तावित सभा-सह-प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लखनऊ जाने की योजना बनाई, की गतिविधियों को इसके आरम्भ स्थल पर ही रोक दिया जाए। कृपया अपने जिले में ब.स.पा. के नेताओं की गतिविधियों में नज़र रखें जिससे प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए पार्टी कार्यकर्त्ताओं की गतिविधियों को रोका जा सके। ब.स.पा. के नेताओं, कार्यकर्ताओं सक्रिय लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। अपने जिले में ब.स.पा. के कार्यकर्त्ताओं के कार्यकलापों को रोकने में असफलता को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा।''

ये निर्देश हैं जो कि उस राज्य के सचिव (गृह) ने जारी किए हैं। ये किसी भी राजनैतिक दल में किसी व्यक्ति विशेष के मूल अधिकार हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता।

श्री शरद पवार : यह मांग की गई थी कि गृह मंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या सभा का समय एक घंटा बढ़ाना बेहतर रहेगा?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : अतः सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

.....*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वे सभी जिन्होंने सभा का समय बढ़ाने के लिए सहमति दी है ने सभा की कार्यवाही छोड़कर बाहर जा रहे हैं और हम जो सभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ाने के लिए सहमत नहीं थे, वे यहां बैठे हुए हैं। यह क्या हो रहा है? मेरे मित्र ने यह सही मुद्दा उठाया है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे सभी सदस्य जो 7 बजे तक बैठने के लिए सहमत हैं बाहर जा रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजवीर सिंह कृपया आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 6.12 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण-*जारी*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : सभापति महोदय, जबकि परीक्षण की घटना ने देश के वैज्ञानिकों की क्षमताओं और योग्यताओं को उजागर किया है और देश को गर्व हो रहा है, परन्तु इसे भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठनों और कुछ मंत्रीगणों ने इसके माध्यम से इस देश के लोगों के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है तथा स्थिति को पूर्णतः गड़बड़ा दिया है।

सबसे पहले मैं वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना कौशल दिखाया है और देश को गर्व का अनुभव कराया है। यह उपलब्धि उस प्रोत्साहन का परिणाम है जो कि दशकों से उत्तरोत्तर सरकारों ने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों को दिया है। दूसरी तरफ से जो कुछ हमारे मित्रों ने कहा है, उसके बावजूद कुछ भी हमें प्रभावित नहीं कर पाया है जिसका कि सरकार श्रेय उठा रही है। सरकार 19 मार्च को सत्ता में आई और डॉ0 अब्दुल कलाम और डॉ0 चिदम्बरम दोनों ने 14 मई में प्रैस सम्मेलन में कहा कि उन्हें 11 अप्रैल को सहमति मिल गई थी। इस सरकार ने 22 दिनों में क्या महान कार्य किया जिसका कि वे श्रेय लेना चाहते हैं? महोदय, मैं मुख्य बात पर आता हूँ।

श्री वैको (शिवाकाशी) : निर्णय लिया गया था।

श्री पी. शिवशंकर : मैं इस निर्णय के बारे में भी बताऊंगा। निर्णय हानिकर भी हो सकता था। मैं इस बात को थोड़ी देर में उठाऊंगा।

अपराह्न 6.17 बजे

[डॉ0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए]*

जहां तक वैज्ञानिक कार्य के अधिकांश भाग का संबंध है। यह सरकार किसी भी रूप में इसका श्रेय नहीं ले सकती। केवल उन्हीं

[श्री पी. शिवशंकर]

ने इसकी स्वीकृति के लिए निर्णय लिया था, और वही इसका श्रेय ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जहां तक धमकियों का संबंध है जिनका जिक्र प्रधान मंत्री के राष्ट्रपति क्लिंटन को पत्र में अथवा जी-8 की सरकारों के प्रमुखों के पत्रों में किए जाने की संभावना है, वह या तो पाकिस्तान की तरफ से दी गई है अथवा चीन ने दी है, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जो स्थिति 19 मार्च से पहले थी वही 11 अप्रैल को भी थी। कोई नई परिस्थितियां पैदा नहीं हुई जो इस सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर करती और कहती कि चीन और पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि यह सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है। वह केवल एक दुस्साहस है जिससे बहुत हानि हुई है, जिसके अकथित दुष्परिणाम होंगे, जिसका इस देश की सामाजिक-राजनैतिक अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जबकि मैं विस्तार में थोड़ी देर में जाऊंगा मुझे लगता है कि यह निर्णय सरकार की कुछ सहयोगी पार्टियों जो कि समय-समय पर विभिन्न मामलों को उठा रही थी, को चुप कराने के लिए लिया गया है, दूसरे अस्थाई तौर पर देश की समस्याओं की तरफ से जनता का ध्यान हटाने के लिए ताकि सम्पूर्ण देश का ध्यान इस चमत्कार जो कि यह सरकार इन परीक्षणों जो उसने किए हैं के आधार पर दिखाना चाहती है केन्द्रित हो जाएं।

यह भी कहा गया है कि पिछली सरकारों ने स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने 1983 और 1995 का उल्लेख किया है। मैं कारणों में जाना नहीं चाहूंगा लेकिन कुछ स्पष्ट कारणों ने उस समय की सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया कि परीक्षणों को न किया जाए। श्री देवेगौड़ा जिन्होंने परीक्षणों के तत्काल बाद प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, ने विशेष रूप से कहा है मैं इसे उद्धृत करता हूं :-

> ''मैं भारत की परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी बल्कि मुझे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में चिन्ता थी।''

उन्हें लोगों की गरीबी की अत्यधिक चिन्ता थी और उन्हें लोगों का जीवन स्तर उठाने की चिन्ता थी। उनका विचार था कि उस समय यह हाजिर हो सकता है। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि इसकी अपनी प्रतिक्रियाएं और नुकसान थे।

परीक्षणों के लिए अनुमति देने में वर्तमान सरकार की जो गलती है पहली यह कि व्यापक रूप से घटित होने वाली घटनाएं जो कि परीक्षणों के परिणामस्वरूप घट सकती हैं, के बारे में पहले से ही स्पष्ट राय नहीं बनाई गई। दूसरी जिस प्रकार से सरकार में शामिल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को सांप्रदायिकता का रंग देने का प्रयास किया।

तीसरी बात, सरकार में शामिल और बाहरी व्यक्तियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना ढंग से दिये गए वक्तव्य, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल और ज्यादा खराब हुआ।

चौथी बात, परमाणु नीति का हम बिना किसी वैकल्पिक नीति के काफी समय से पालन कर रहे थे। आज एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे सारी स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है और इसका राष्ट्र के व्यापक हितों पर प्रतिकूल भीषण प्रभाव पड़ेगा। जब यह प्रश्न उठाया गया कि परीक्षणों की अनुमति क्यों दी गई तो दो व्यक्तियों ने - एक तो प्रधान मंत्री के राजनीतिक सलाहकार और सत्ता पक्ष की ओर से बोलने वाले पहले वक्ता ने कहा : 'आप को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपने 1974 में परीक्षण को क्यों किया था।' यद्यपि कुछ उत्तर दिए गए, मैं स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा जैसाकि मैं इसे समझता हूं।

सन् 1971 में पाकिस्तान द्वारा हम पर युद्ध थोपा गया। बंगलादेश का निर्माण हुआ था। मेरे मित्र, सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने कहा था कि शिमला समझौते के होते हुए भी पाकिस्तानी नेताओं की ओर से युद्ध की धमकियाँ दी जा रही थी जिसे उन्होंने स्वयं भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। देश में आम चुनाव होने वाले थे। फिर 1972 में विधानसभा चुनाव भी हुए थे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब युद्ध चल रहा था उस समय बंगलादेश की खाड़ी में राष्ट्रपति निक्सन ने सातवां बेड़ा भेजा था। यह हमें डराने या उनकी शक्ति को दिखाने के लिए और यह देखने के लिए कि इस कार्रवाई से भारत भयभीत होता है या नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जब पाकिस्तान के नेता युद्ध की धमकियां दे रहे थे; जब राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और बंगलादेश की खाड़ी में सातवें बेड़े को भेजकर हमें धमकाने की कोशिश की थी, तब यह अत्यावश्यक था और इस पृष्ठभूमि में हमने अपनी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अब 'शांतिपूर्ण उद्देश्यों' की बात को परे रखते हुए, मैं उनके इस तर्क को कि यह वैसा ही परीक्षण, अर्थात् जो कि 11 मई और 13 मई को किया गया था, वैसा ही परीक्षण था जैसा कि पहले किया गया था। इस तथ्य को सही मानकर, जो कुछ मैं कह चुका हूँ उस पृष्ठभूमि में.....पाकिस्तानी नेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे जैसा कि सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने कहा था और जिस प्रकार राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी शक्ति दिखाने और हमारे देश को धमकाने का प्रयास किया था - आत्म सम्मान के लिए यह आवश्यक था हमें दिखाना चाहिए था कि हम क्या कर सकते थे, और श्रीमती गांधी ने वैज्ञानिकों से परीक्षण के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। जब 1974 में हमारे वैज्ञानिक तैयार हो गए थे, एक सोचा-समझा परीक्षण किया गया था ताकि पूरे देश को हम अपनी सामर्थ्य दिखा सकें और उस बड़ी शक्ति को बता सकें कि 1971 में हमें धमकाने की कोशिश की भी कि वे हमें धमकायें नहीं और यह कि हम भी शक्ति सम्पन्न देश हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

परन्तु ऐसी परिस्थिति इस समय नहीं है। आज की क्या स्थिति है? 11 मई और 13 मई को ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। जो परिस्थितियाँ मार्च 1996 और 1997 में थी वही परिस्थितियाँ 11 अप्रैल को भी थी और इसीलिए कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए मेरा मानना है कि यह सरकार की बहादुरी का दिखावा या दुस्साहस था जिसने राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट में डाल दिया है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने मेरे विचार में, सैनिक रणनीति पर निर्णय लेने से पहले इस बात की कोई समीक्षा नहीं की और अनुमति देने का फैसला कर लिया। कूटनीतिक उपाय नहीं किए गए और किसी भी प्रकार के आर्थिक परिणामों पर विचार नहीं किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और डेनमार्क, नीदरलैण्ड जैसे देशों जापान और यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। कल रूस ने परीक्षणों की आलोचना की; वे अभी तक चुप थे परन्तु कल उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया। मैं जिसे दुस्साहस कहता हूँ इसके क्या परिणाम निकले। इसका यह परिणाम रहा कि, श्री चन्द्रशेखर ने सही कहा कि रुपये का अवमूल्यन हुआ। यह 41 रुपये प्रति डालर से भी आगे चला गया है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है और पहले ही यह छह के आंकड़े को पार कर गई है।

निर्यात घट रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2.6 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष होने की सूचना है। निर्यात तो पहले ही घट रहा है और उस पर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद रहा है।

माननीय सदस्यों ने आज सुबह अखबार में पढ़ा होगा कि विश्व बैंक की कार्यसूची पर विद्युत क्षेत्र को एक बिलियन डालर की सहायता देने का प्रस्ताव था, जिस पर कल विचार होना था। उसे स्थगित कर दिया है और समाचारपत्रों का कहना है कि इस स्थगन का अर्थ हमेशा के लिए स्थगित करना है।

संसद ग्रंथालय द्वारा शायद सरकार के निर्देशों, पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। हमें यह पुस्तक संदर्भ के लिए दी गई है। 15 मई, 1998 के 'द इकोनोमिक टाइम्स' ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रतिबन्धों के परिणाम कोई मामूली नहीं होंगे। इनका परिमाण 21 बिलियन डालर्स तक है। इन प्रतिबन्धों इत्यादि से राष्ट्र को मिलने वाले 21 बिलियन डालर्स पर प्रभाव पड़ेगा।

अमरीका द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबन्धों के प्रश्न पर भी उन्होंने शोचनीय रिपोर्ट दी है। 'द इकोनोमिक टाइम्स' ने यह कहा कि यह हमारे देश की पूरी आर्थिक प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है।

विभिन्न कम्पनियां जो देश में अपनी योजनाओं को चलाने का प्रयास कर रही हैं वे धन की आगत को पूरी तरह से रोक सकती हैं।

इसके साथ 19 मई, 1998 के 'द इकोनोमिक टाइम्स' में इस बात का सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया गया है कि यह न केवल रुपये को प्रभावित करेगा अपितु इससे मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर भी अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों का विवरण 19 मई, 1998 के 'द इकोनोमिक टाइम्स' में दिया गया है और सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया गया है.....*(व्यवधान)* मैं पहले ही कह चुका हूँ। यदि आपने नहीं सुना तो कृपया आगे मेरी बात सुनिए।

यदि लगाए गए या जारी प्रतिबंधों का आर्थिक रूप से यह प्रभाव पड़ने वाला है तो इस देश की जनता का क्या होगा? उनके जीवन, लाखों लोगों के जीवन का क्या होगा? लोगों के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक जीवन का क्या होगा? यह बुरी तरह बिखर जाएगा। यह भीषण रूप से प्रभावित होगा। इसलिए मैंने कहा कि यह पूर्णतः दुस्साहस का मामला लगता है जिसे बहादुरी दिखाने की भावना से किया गया है, जिस तरीके से परीक्षण के मुद्दे का विश्लेषण किया गया है वह दुर्भाग्यिपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा है कि यह दुस्साहसिक कार्य सरकार के सहयोगी दलों के असंतोष को शांत करने के लिए किया गया है। भा.ज.पा. के पक्षपात पूर्ण उल्लासोन्माद, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने देश के चार दशक पुराने कार्यक्रम का श्रेय छीनने का प्रयास किया और जिस तरीके से पार्टी ने परमाणु परीक्षणों का लाभ यह कहकर लेने का प्रयास किया कि वे इसे ***शौर्य दिवस*** के रूप में मनाएंगे वह यह प्रदर्शित करता है कि पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लिया था, जैसा कि श्री चन्द्रशेखर ने सही कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि पोखरण की मिट्टी ली जाएगी और वे एक रथयात्रा पर निकलेंगे। इस मिट्टी को देश के सभी प्रमुख शहरों में रखा जाएगा।

क्या इस प्रकार से इस मुद्दे को साम्प्रदायिक नहीं बनाया जा रहा है? एक राष्ट्रीय मुद्दे को साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल यही नहीं भाषण के सहयोगी संगठन विश्व हिन्दू परिषद् के बारे में क्या कहें? इस संगठन ने कहा है कि यह परीक्षण स्थल पर शक्तिपीठ नामक एक मंदिर बनाएगी और ऐसे मंदिर के अभिषेक के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों से जल ले जाया जाएगा। क्या सरकार में किसी ने इसकी निंदा की? इसलिए मैंने कहा कि इनके सहयोगी संगठन इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे। यहीं पर सारी बातों को साम्प्रदायिक बनाया गया है। श्री सिंघल, जो विश्व हिन्दू परिषद् के कर्त्ता-धर्त्ता हैं, ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में जो कहा उसको समाचार पत्रों ने व्यापक रूप से उद्धृत किया है। मैं भी उसी रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूँ :

> ''विश्व हिन्दू परिषद् के प्रमुख अशोक सिंघल ने भारत द्वारा हाल में किए गए परमाणु परीक्षणों को हिन्दू गौरव की जोरदार अभिव्यक्ति कहा है और भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का पक्ष लिया है।''

क्या किसी ने इस तरह के बयान की निन्दा की है? इस बात को एक सप्ताह से अधिक हो चुका है। यह 12 मई, 1998 के समाचार पत्र में है। ये बातें हो रही हैं। वस्तुतः जो मुद्दा राष्ट्रीय उल्लास का है उसे साम्प्रदायिक बनाया जा रहा है। ये उदाहरण है कि यदि आप इसे साम्प्रदायिक बनाना चाहते हैं फिर इसके परिणाम क्या हैं? मैंने पहले ही कहा है कि आर्थिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होने वाला है।

अब नेता लोग इसे साम्प्रदायिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य समुदायों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अनेक समुदाय नाराज हो जाएंगे। इससे उनका मनोबल टूट जाएगा या वे निराश होंगे। यहां तक इन सारे परीक्षणों के कर्ता-धर्ता महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉ० अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति भी निराश होंगे। सहयोगी संगठन

[श्री पी. शिवशंकर]

द्वारा दिए जा रहे ऐसे दुस्साहसिक प्रकार के बयानों के विरुद्ध किसी ने एक भी शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया।

प्रधानमंत्री ने श्री क्लिंटन को लिखे अपने पत्र में स्पष्टतः लिखा है कि खतरा चीन और पाकिस्तान से है और अपने पत्र में कहा कि परीक्षणों की यह श्रृंखला सीमित है और इससे किसी भी ऐसे देश को कोई खतरा नहीं है जिसके भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे न हों। क्लिंटन को इस पत्र द्वारा वह यह बताने का प्रयास कर रहे थे वे संयुक्त राज्य अमेरिका को यह प्रमाणपत्र देना चाहते थे कि जहां तक उसका संबंध है हमें उससे कोई समस्या नहीं है, इसी तरह जब प्रधानमंत्री ने जी-8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखे तो उनमें भी उन्होंने कहा भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनके पास परमाणु हथियार हैं और उन्होंने उल्लेख किया कि खतरे की आशंका पाकिस्तान और चीन से है।

मैं इसके बारे में आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री द्वारा आज दिए गए वक्तव्य से एक पैराग्राफ को पढ़ता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय शिवशंकर जी मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन आपको याद दिला रहा हूं कि आपके दल के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री पी. शिवशंकर : मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि ये परीक्षण किसी देश के विरुद्ध नहीं किए गए हैं। एक ओर आप कहते हैं ये परीक्षण किसी देश के विरुद्ध नहीं किए गए हैं दूसरी ओर पत्रों में स्पष्टतः कहा गया है कि इन देशों से खतरे की आशंका है इसलिए सरकार को परीक्षण करने पड़े। किस वक्तव्य को स्वीकार किया जाए? प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनका सही इरादा क्या है। उन्होंने परीक्षण करने का निर्णय क्यों लिया?

जैसा मैंने कहा यदि खतरे की आशंका थी तो जो 1996-97 में थी वह 11 अप्रैल 1998 को भी रही है जब सरकार ने परमाणु परीक्षणों के लिए हरी झंडी दिखाई। स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी कि तत्काल परीक्षण कराये जाएं। इस बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस सरकार को केवल यह स्पष्ट करना है कि उसने परमाणु परीक्षणों का निर्णय क्यों लिया और उनके क्या प्रभाव होंगे। क्या सरकार ने इस बात को स्पष्टतः समझा कि इनके प्रभाव क्या होंगे? आर्थिक, साम्प्रदायिक और सामाजिक रूप से स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से उसने क्या उपाय किए? इस तथ्य को देखते हुए सामाजिक मतभेद पैदा हो गए कि इस मुद्दे को साम्प्रदायिक बनाया गया है, राजनीतिक दृष्टि से भी स्थिति को साम्प्रदायिक बनाए जाने के कारण दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इसलिए क्या उपाय करने का विचार है और पहले क्या उपाय किए गए हैं? क्या निर्णय किया गया है और आप उन मद्दों पर किस प्रकार कार्य करेंगे जिन्हें राष्ट्र के समक्ष स्पष्ट करना होगा ताकि लोग आपके इरादों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हों।

इसके बाद मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। अब तक हमारी नीति थोड़ी अलग थी, गृहमंत्री ने केवल पाकिस्तान का उल्लेख किया है, रक्षा मंत्री ने चीन का उल्लेख किया है। और आज के समाचार पत्रों में भी चीन का उल्लेख किया गया है। कल पहले ही यह कह दिया गया है कि एक आयुध प्रणाली भी विकसित की गई है और इसे सेना को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह खबर आज के समाचार-पत्रों में छपी है।

इसको ध्यान में रखते हुए जब-जब देश की सुरक्षा के लिए मुख्य खतरे के कारण के रूप में चीन और पाकिस्तान का विशेष उल्लेख किया जाता है तो यह गुट निरपेक्षता के सामाजिक आयामों को पूरी तरह गड़बड़ा देता है जिसका हम काफी समय से अनुसरण कर रहे थे, हम राष्ट्र और हमारी सुरक्षा के लिए खतरे के एक मात्र कारण के रूप में बीजिंग और पाकिस्तान का उल्लेख करने से लगातार बचते रहे। हमने सदैव दिएगो गार्सिया, मध्य एशिया और खाड़ी में अमरीकी परमाणु अड्डों के बारे में भारत की चिंता को व्यक्त किया, मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन दृष्टिकोणों में बदलाव आया है। यदि उनमें बदलाव आया है और यदि केवल चीन और पाकिस्तान पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है तो हमें इससे क्या लाभ मिलने वाला है? वस्तुतः क्या हमने देश को हथियारों की होड़ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया है? पहले ही एक शिष्टमंडल पाकिस्तान जा चुका है और उसके बावजूद लगता है पाकिस्तान परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। इस प्रकरण से परमाणु परीक्षण को अलग करते हुए क्या आप नहीं सोचते कि इस क्षेत्र में हमने रक्षा पर व्यय करने की होड़ शुरू कर दी है?

यदि हम रक्षा पर भारी धनराशि निवेश करने का भी आह्वान कर रहे हैं। तो गरीब जनता का क्या होगा? क्योंकि अभी भी हमारी 42 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। हमारे विभिन्न विकासात्मक कार्य-कलापों का क्या होगा?

महोदय, यह राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए मैं कह रहा था कि या तो यह दुस्साहसिक कार्य है या बहादुरी दिखाने की भावना से किया गया है। 11 और 13 मई, 1998 को किए गए कार्य के संभावित प्रभावों को भांपे बिना किए गए।

महोदय, विगत 50 वर्षों से हम एक स्पष्ट परमाणु नीति का अनुसरण कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने विगत 50 वर्षों से उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति का संक्षिप्त और सारगर्भित उल्लेख किया है। उन्होंने 1947 से इतिहास का उल्लेख किया है। वास्तव में संपूर्ण नीति अहिंसा पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। अहिंसा का तात्पर्य कायरता नहीं है और इस संदर्भ में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने महात्मा गांधी का सही उल्लेख किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में परमाणु हथियारों के दर्जे के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष 1995 से हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे वह महत्वपूर्ण है। हमने कुछ सिद्धान्तों को स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा। छह सिद्धान्त निर्धारित किए गए। मैं नहीं समझता उनको यहां पढ़ने की आवश्यकता है, किंतु वे आधारभूत सिद्धान्त हैं जो हमें गैर-परमाणु शक्ति बनाने में सहायक हैं किंतु इसके बावजूद यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो हमें परमाणु हथियारों का प्रयोग करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी. शिवशंकर : हाँ, श्रीमान।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में इस देश की आवाज इसकी नैतिक शक्ति के कारण सुनी जा रही है न कि सैनिक शक्ति के कारण। हम सैनिक शक्ति नहीं हैं और अब हमारे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाने मात्र से अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी शक्ति बढ़ने वाली नहीं है। इसके विपरीत मेरा मानना है कि हमारी साख कम होगी।

अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून में परमाणु हथियारों के दर्जे के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हमारी नीति का क्या होगा ? क्या हमने उस नीति को बदल दिया है ? इसी तरह मार्च, 1996 में निरस्त्रीकरण के बारे में सम्मेलन के महाधिवेशन में भारतीय विदेश सचिव ने शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों से जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूँ :-

> ''हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार प्राप्त करना अपरिहार्य है। हमें यह विश्वास भी है कि उनकी उपस्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा कम होती है। अतः हम उन्हें पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं।''

सभापति महोदय : श्री शिव शंकर कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। आपने पहले ही 40 मिनट ले लिए हैं।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मैं एक मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

विगत 50 वर्षों में हमारी सतत् यह नीति रही है। आज के समाचार-पत्रों में स्पष्टतः कहा गया है कि सेना को उपलब्ध कराने के लिए परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। यदि यह स्थिति हो तो क्या हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है ? यदि हो तो किस सीमा तक ? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जिस मार्ग को अपना रहे हैं वह विनाश का मार्ग है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, आप सुबह से देखें, छः वक्ता उधर से बोल चुके हैं, उन्होंने टाइम भी पूरा लिया है, लेकिन इधर से केवल दो वक्ता ही बोले हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की थी उन्होंने यह कहा था कि अब एक इधर से बोलेगा और एक उधर से बोलेगा। मेरा निवेदन यह है कि जो अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा था उस पर अमल करें।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : सभापति महोदय, मैं कुछ समय लूंगा और मैं अपना भाषण 7 बजे से पहले पूरा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप बैठक का समय बढ़ाना चाहते हैं तो इस बारे में आपको अभी निर्णय करना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस में जो बयान दिया, उसके ऊपर ख्याल यह था कि कोई एडवर्स वायस नहीं होगी, लेकिन ऐसा डैमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होता। इस सिस्टम में तो हर बात का विरोध करना होता है। इसलिए विरोध करने की कोशिश होती रही है। कोई न कोई नुकता निकालने की कोशिश होती रही है किसी न किसी बात पर विरोध किया जाए। सांइटिस्ट्स की तारीफ की गई, टैक्नीशियन्स की तारीफ की गई। उनकी तारीफ सभी दलों के लोगों ने की। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और यह भी सभी ने कहा कि यह काम कोई आज का काम नहीं है। यह काम बहुत पहले से होता चला आ रहा है। उसका थोड़ा बहुत क्रैडिट कांग्रेस पार्टी ने भी लेना चाहा है कि यह तो हमारे समय से होता चला आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में यह कहा था कि यह कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है। यह तो पं० जवाहर लाल नेहरू जी के समय में शुरू हुआ था। स्वतंत्र भारत की जब पहली सरकार बनी, तभी से यह कार्यक्रम शुरू हो गया था।

सभापति महोदय, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमरीका ने एटम बम गिराए, तो तबाही हो गई। उस समय एटम बम सिर्फ अमरीका के पास ही थे। रूस के पास नहीं थे। जर्मनी एटम बम बनाने की तकनीकी के बहुत नजदीक पहुंच गया था, लेकिन बना नहीं सका था। जब हमारा देश आजाद हो गया, तो हमें भी इस बात की चिन्ता होने लगी। हमारी आजादी से पहले ही रूस के पास भी एटम बम की टैक्नालौजी आ गई थी और विस्फोट कर दिया था। इसलिए हमारी सोच इस तरफ बढ़ी कि दुनिया में हमें परमाणु शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए और शान्तिपूर्वक कार्यों को करने के लिए बनना चाहिए। इसी सोच को लेकर 1954 में पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने इसी हाउस में जो अपनी स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये वैपन नहीं बनने चाहिए और इसके खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनके ऊपर रोक लगे, लेकिन हमारी आवाज इतनी बुलंद नही थीं और हम रुकावट नहीं लगा सके। 1964 में आकर चीन ने विस्फोट किया। दुनिया देखती रही। कुछ नहीं कर पाई। किसी तरह रोक नहीं सकी। कोई ऐसी ताकत उनके हाथ में नहीं थी कि चीन को रिस्ट्रेन करती और परमाणु बम विस्फोट करने से रोक पाती। चायना ने कहा हमें जरूरत है, हम करना चाहते हैं और उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट कर लिया।

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

पं० जवाहर लाल नेहरू ने कुछ देशों को इकट्ठा किया जिन्हें नान-अलाइन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है जिनकी सोच यह थी कि किसी ढंग से परमाणु बमों के प्रसार को रोका जाए। उन्होंने भी यत्न किया कि नान-प्रौलीफरेशन एग्रीमेंट हो जाए। नान-प्रौलीफरेशन ट्रीटी की बात, बाद में आई, लेकिन उनकी भी चली नहीं। उसके बाद एन.पी.टी. की बात होने लगी क्योंकि दो-तीन देशों के पास परमाणु हथियार हो गए थे। उन्होंने कहा कि यह हो जाना चाहिए। हमने उस वक्त भी इंकार किया और कहा कि सारी दुनिया में जिन देशों के पास हथियार हैं वे पहले नष्ट होने चाहिए, तब हम उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसलिए हिन्दुस्तान ने मना कर दिया कि हम एन. पी.टी. पर दस्तखत नहीं करेंगे। समय गुजरता गया। हमें महसूस हो रहा था कि इस न्यूक्लीयर पावर की जरूरत हमें पड़ेगी। एक समय ऐसा आया कि 1974 में हमने पोखरण में उसी मुकाम पर पहला परमाणु परीक्षण किया जहां अब किया गया है। उसका जिक्र इधर से भी किया गया और उधर से भी किया गया।

कई बातों में उस विस्फोट को जायज करार दिया गया कि हाँ तो वह करना ही था क्योंकि वह श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। उन्होंने किसी को कंसल्ट किया था या नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। दूसरी साईड में बैठे हुए कुछ लीडर्स को शायद पता हो लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि किसी और को कंसल्ट किया या नहीं किया। हमें जानकारी यही मिली थी कि यहां पोखरण में एक विस्फोट हुआ। दुनिया में कुछ चर्चा हुई कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह नहीं होना चाहिए था, यह बहुत बुरा हुआ लेकिन इससे हमारा कुछ कांफीडेंस बना कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरों के मुकाबले हम भी कुछ करने के योग्य हैं। इससे देश में कुछ कांफीडेंस बना। समय फिर गुजरता गया। सी.टी.बी.टी. की बात चल गयी। इस बात को चलते दो साल हो गये। हिन्दुस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि हम इस पर दस्तखत कर देंगे लेकिन तभी करेंगे जब सभी देश, उन्होंने अपनी जो विस्फोटक सामग्री तैयार कर रखी है, जो बड़े-बड़े बम बनाकर रखे हैं, उन सबको नष्ट कर देंगे और यह भी कहेंगे कि हम आगे को और नहीं बनायेंगे, विस्फोट नहीं करेंगे तो हम इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं लेकिन उस वक्त तक उस पर दस्तखत नहीं करेंगे और यह पॉलिसी सारे देश ने मंजूर की, सारा देश इसके पीछे खड़ा हुआ और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ठीक दिशा थी और ठीक दिशा में ही हमने फैसला ले लिया। आज का समां आ गया। हम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। एन.पी.टी. में नहीं बंधे थे। हमने दस्तखत नहीं किये थे। सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत नहीं किये थे। आज भी हम किसी बंधन में नहीं थे। हम विस्फोट कर सकते थे लेकिन सवाल यह हो रहा है कि अब क्यों कर दिया। इस मौके पर क्यों कर दिया। सारा झगड़ा इसी बात का है कि श्री वाजपेयी जी के समय में क्यों हो गया। वह कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसमें क्रेडिट की बात नहीं है। इसमें किसी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। इसका तो देश को क्रेडिट लेना चाहिए कि भारत देश ने किया है। भारत देश को इससे लाभ होने वाला है। जो विस्फोट हुए, उसके बारे में यहां चर्चा चली कि राय नहीं ली गयी। हमसे भी नहीं ली गयी और अपने साथियों से भी नहीं ली गयी। मैं आपसे सही कहता हूँ कि हमसे कोई सलाह-मशविरा नहीं हुआ और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दूसरी पार्टियों से भी किसी तरह का सलाह-मशविरा नहीं हुआ। ऐसी बातों पर मशविरा होता भी नहीं है क्योंकि यह कोई भी नहीं चाहेगा कि जरा सी भी बात निकल जाये। संसार में इस बात की कितनी तारीफ हुई है कि पहली दफा हिन्दुस्तान एक सीक्रेट रख सका। एक ऐसी बात खुफिया रख सका जिसका किसी को पता नहीं चला। जब यह विस्फोट हुआ तभी पता चला कि यह तो तीन हो गये। एक के बाद दूसरा हो गया और दूसरे के बाद तीसरा हो गया, इस तरह तीन हो गये। सब लोगों ने खबरें ही पढ़ीं। मैंने भी खबर पढ़ी कि ऐसा हो गया। मेरा तो मन खुशी से उछल पड़ा कि बहुत बढ़िया बात हो गयी। यह देश के लिए बहुत प्राप्ति की बात है। लेकिन उस पर भांति-भांति टिप्पणी हुई है कि यह देश के लिए हानिकारक बात है। बहुत बढ़िया बात नहीं है। इस तरह से नुकसान हो जायेगा। ऐसी बातें करने की यहां पर कोशिश की गयी है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो विरोधी लोग हैं, वे तो इसको बुरा ही कहेंगे। उनके साथी और उनके जो हिमायती हैं, वे भी इसको बुरा कहेंगे। इनको यह नहीं भाता कि हिन्दुस्तान के पास ऐसी ताकत हो। दूसरों के पास हो जाये, वह बढ़ाते चले जायें, उन पर कोई दबाव नहीं, कोई रुकावट नहीं। चाइना ने कई विस्फोट कर दिये लेकिन उन पर कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, कई बातों में उनका नाम लेना पड़ता है, उसने भी मिसाइलें दागनी शुरू की। कभी गजनी दागी लेकिन इंटरनेशनल लैवल पर कोई बहुत चर्चा नहीं हुई। हम थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि हमारे पड़ोस में यह हो रहा था, बाहर नहीं हो रहा था। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि यह क्या कर रहे हो।

सायं 7.00 बजे

यदि ऐसा करेंगे तो हम भी सैंक्शन लगाएंगे। ज़बानी जमा खर्च कई करते रहे लेकिन किसी ने बंद नहीं किया। उन्होंने भी बंद नहीं किया। उन्होंने अपना काम जारी रखा। उनको जहां-जहां से टैक्नोलौजी मिल रही थी, वहां से ली, चाहे किसी देश से भी मिली। वे अब तक अपनी टैक्नोलोजी नहीं बना सके। बाहर से टैक्नोलोजी हासिल करके एक बड़ी मिसाइल बनाई और दुनिया से कहा कि यह 1500 कि.मी. की दूरी तक जाती है और हिन्दुस्तान का हरेक शहर इसकी मार में आ जाता है। नाम भी उन्होंने बहुत खतरनाक गौरी और गज़नी रख दिया। ढूंढ-ढूंढकर उन्होंने नाम रखे, आप जरा ध्यान दीजिए। हम घबराइए हुए थे कि यह क्या हो गया, यह विस्फोट क्यों कर दिया। जितने पहले हिन्दुस्तान पर हमलावर हुए, फिर बार-बार हिन्दुस्तान पर हमला करते रहे, उनके नाम पर ही उन्होंने मिसाइलों का नाम गौरी और गज़नी रखा। ऐसा जान-बूझकर किया गया। नाम तो बहुत होते हैं लेकिन जान-बूझकर हिस्टौरीकल नाम रखे गए ताकि वे हमें चुभें। यह सारा कुछ हमारे लिए हो रहा था। वह मिसाइल उन्होंने दाग दी। उसकी थोड़ी-बहुत कहीं चर्चा हुई लेकिन बात खत्म हो गई। किसी ने सैंक्शन की बात नहीं की कि यह आपने बहुत गलत काम किया। आपके पास टैक्नोलौजी भी नहीं थी, बाहर से लेकर आपने यह

चला दी है। देखने में ऐसा आया है कि सिवाए हमारे किसी को कोई घबराहट नहीं हुई। मैं इर्द-गिर्द के सभी देशों का जिक्र कर दूं लेकिन उसमें समय लगता है। किसी ने नहीं कहा कि आपने इतनी बड़ी मिसाइल बनाकर गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे आर्म्स रेस बढ़ेगी, एशिया में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, ईस्ट एशिया में हालात बिगड़ जाएंगे, यह आपने क्या कर दिया।

सभापति मंडोदय : बरनाला जी, सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया था लेकिन जब तक आप बोलेंगे तब तक सदन बैठेगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा।

सभापति मंडोदय : आप पूरा कर लीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : ये कल कंटीन्यू कर लेंगे।

सभापति मंडोदय : बरनाला जी, आप कल कंटीन्यू करेंगे।

[अनुवाद]

अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित है।

सायं 7.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 मई, 1998/7 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।